तुर्दश माला, खंड 27, अंक 32

गुरुवार, 17 मई, 2007
27 वैशाख, 1929 (शक)

# लोक सभा वाद-विवाद

## (हिन्दी संस्करण)

दसवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 63
Dated 17 Sept 2008

(खण्ड 27 में अंक 21 से 32 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

## सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए.के. सिंह
संयुक्त सचिव

हरनाम दास टक्कर
निदेशक

प्रतिमा श्रीवास्तव
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

अरुणा वशिष्ट
सम्पादक

रेनू बाला सूदन
सहायक सम्पादक

---

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

# विषय सूची

चतुर्दश माला, खंड 27, दसवां सत्र, 2007/1929 (शक)
अंक 32, गुरूवार 17 मई, 2007/27 वैशाख, 1929 (शक)

| विषय | कॉलम |
|---|---|
| **प्रश्नों के मौखिक उत्तर** | 2 |
| *तारांकित प्रश्न संख्या 602 से 605 और 608 से 610 | 2-38 |
| **प्रश्नों के लिखित उत्तर** | |
| तारांकित प्रश्न संख्या 606, 607 और 611 से 621 | 38-54 |
| अतारांकित प्रश्न संख्या 5741 से 5931 | 54-281 |
| **सभा पटल पर रखे गए पत्र** | 281-290 |
| **राज्य सभा से संदेश** | 290 |
| **अन्तरसंसदीय संघ (आई.पी.यू.) की एक सौ पन्द्रहवीं सभा में भारतीय संसदीय भागीदारी** | |
| प्रतिवेदन | 291 |
| **सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति** | |
| बारहवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश | 291 |
| **रेल संबंधी स्थायी समिति** | |
| विवरण | 291-292 |
| **रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति** | |
| अठारहवां और उन्नीसवां प्रतिवेदन | 292 |
| **मंत्रियों द्वारा वक्तव्य** | |
| (एक) रक्षा संबंधी स्थायी समिति के आठवें, दसवें और ग्यारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति | |
| श्री ए.के. एंटनी | 292-294 |
| (दो) खान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2006-07) के संबंध में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के सोलहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति | |
| श्री शीश राम ओला | 294 |

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय कॉलम

(तीन) पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (पोत परिवहन विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2005-06 और 2006-07) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के चौरानवेवें और एक सौ पांचवें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री के.एच. मुनियप्प ..... 295

(चार) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2006-07) के संबंध में कृषि संबंधी स्थायी समिति के इक्कीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री सुबोध कांत सहाय ..... 296

(पांच) कोयला मंत्रालय से संबंधित कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के पन्द्रहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

डा. दासरि नारायण राव ..... 297

(छह) रेल संबंधी स्थायी समिति के इक्कीसवें और चौबीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री आर. वेलू ..... 298

(सात) वित्त संबंधी स्थायी समिति के चौवालीसवां प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री प्रेमचंद गुप्ता ..... 298-299

**सदस्यों द्वारा निवेदन**

(एक) डेरा सच्चा सौदा के बारे में ..... 299-306

(दो) देशभर की रेलगाड़ियों में तमिल भाषा के अलावा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के गंतव्य बोर्डों को हटाए जाने के बारे में ..... 306-316

(तीन) असम में उल्फा द्वारा छह हिन्दी भाषी लोगों की हत्या के बारे में ..... 316-327

**नियम 377 के अधीन मामले**

(एक) छोटे विक्रेताओं के हितों की रक्षा हेतु रेलवे खान-पान नीति में आवश्यक परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी ..... 328-329

(दो) मध्य प्रदेश में आदिवासियों को उनके नैसर्गिक निवास स्थानों से हटाए जाने पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय ..... 329

विषय कॉलम

(तीन) इंग्लैंड छोड़ने के लिए मजबूर भारतीय चिकित्सकों का पुनर्वास किए जाने की आवश्यकता

श्री अविनाश राय खन्ना ..... 330

(चार) उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और भारत निर्माण योजना में कथित अनियमितताओं की जांच किए जाने की आवश्यकता

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ..... 330-331

(पांच) उत्तर प्रदेश में बरेली के लोगों के लाभ हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 24 की लंबित परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री संतोष गंगवार ..... 331

(छह) बोलनगीर (उड़ीसा) से इलाहाबाद तक सीधी ट्रेन चलाए जाने तथा हावड़ा-सम्बलपुर-हावड़ा इस्पात एक्सप्रेस को तितलागढ़ तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री प्रसन्न आचार्य ..... 331-332

(सात) श्री नारायण गुरू के योगदान को मान्यता देने हेतु हाल ही में जारी किए गए 5 रुपए के सिक्के उपलब्ध कराए जाने और राजधानी में किसी प्रमुख स्थान पर उनकी मूर्ति स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री पी.सी. थामस ..... 332

**टावर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (स्वामित्व का अपविनिधान) विधेयक, 2007** ..... 333-334

**मिजोरम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007** ..... 334

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी ..... 334-335

श्री तापिर गाव ..... 335-336

डा. टोकचौम मैन्या ..... 336-338

श्री वरकला राधाकृष्णन ..... 338-341

श्री गणेश प्रसाद सिंह ..... 341

श्री अजय चक्रवर्ती ..... 341-343

श्री मणि चारेनामै ..... 343-344

| विषय | | कॉलम |
|---|---|---|
| | श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी | 344-348 |
| | खंड 2 और 1 | 348 |
| | पारित करने के लिए प्रस्ताव | 348 |
| **नियम 193 के अधीन चर्चा** | | |
| (एक) ग्लोबल वार्मिंग | | |
| | श्री ए. राजा | 349 |
| (दो) मूल्य वृद्धि | | |
| | श्री अनंत गंगाराम गीते | 362-364 |
| | श्रीमती अर्चना नायक | 364-366 |
| | श्री राम कृपाल यादव | 366-372 |
| | श्री पी. चिदम्बरम | 372-392 |
| **कार्य मंत्रणा समिति** | | |
| अड़तीसवां प्रतिवेदन | | 361 |
| **विदाई उल्लेख** | | 393-396 |
| **राष्ट्रगीत** | | 396 |
| **अनुबंध-I** | | |
| तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका | | 397 |
| अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका | | 398-404 |
| **अनुबंध-II** | | |
| तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका | | 405 |
| अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका | | 405-408 |

# लोक सभा के पदाधिकारी

**अध्यक्ष**

श्री सोमनाथ चटर्जी

**उपाध्यक्ष**

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

**सभापति तालिका**

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

**महासचिव**

श्री पी.डी.टी. आचारी

## लोक सभा

**गुरुवार, 17 मई, 2007/27 वैशाख, 1929 (शक)**

*लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।*

**(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)**

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न सं. 602

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**डा. रतन सिंह अजनाला** (तरनतारन): अध्यक्ष महोदय *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** अजनाला साहब, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप बैठ जाइए।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय:** आप इस मुद्दे को बारह बजे उठाइये।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** कृपया करके आप सब बैठ जाइये।

*...(व्यवधान)*

**श्री अविनाश राय खन्ना** (होशियारपुर): अध्यक्ष महोदय, पिछले दस साल से पंजाब शांत है। आज अगर पंजाब शांत है, तो फिर उसकी शांति को भंग किया जा रहा है। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** मैं नेताओं से हर रोज मुझे बताने का अनुरोध कर रहा हूं। यह सभा मेरी बपौती नहीं है। मैं सभा का संचालन नहीं कर सकता।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री मोहन सिंह** (देवरिया): अध्यक्ष महोदय, आप बारह बजकर पांच मिनट पर कहिये।*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** हम उनसे बोल रहे हैं कि आपको बारह बजे के बाद बोलने का टाइम देंगे। अभी आप बैठिये।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** 'बारह बजे' नहीं बोलना चाहिए *[अनुवाद]* मुझे खेद है। मैं इसे वापस लेता हूं। आपको पता है कि मेरी हिन्दी उतनी अच्छी नहीं है। कृपया आप इसे प्रश्नकाल के बाद उठा सकते हैं।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय:** अगर हम यह कहें कि क्वेश्चन ऑवर के बाद बोलिये, तो क्या वह चलेगा?

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** आप क्वेश्चन ऑवर के बाद बोलिये।

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** मैंने किसी भी सदस्य को महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने से कभी मना नहीं किया है। मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं। प्रश्न-काल काफी महत्वपूर्ण होता है। यह सदस्यों के लिए प्रश्न पूछने का समय होता है। *[हिन्दी]* आप सब बैठ जाइये।

**पूर्वाह्न 11.01 बजे**

### प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न संख्या 602, श्री बालासाहिब विखे पाटील।

एअर इंडिया और इंडियन एअरलाइंस के विमानों का खड़ा रहना

+

***602. श्री बालासाहिब विखे पाटील:**
**श्री अजय चक्रवर्ती:**

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के अलग-अलग कितने विमान पिछले छह महीनों से खड़े हुए हैं;

(ख) प्रत्येक विमान के खड़े रहने के अलग-अलग क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल):** (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*विवरण*

(क) और (ख) एअर इंडिया ने 01 नवंबर, 2006 से 30 अप्रैल,2007 तक 15973 उड़ानें प्रचालित कीं। इस अवधि के दौरान, 46 विमानों को ग्राउंड पर खड़ा रखा गया था जिसमें से 38 विमान तकनीकी कारणों से खड़े रहे थे। इसी प्रकार, इंडियन एयरलाइंस ने 01 नवंबर, 2006 से 30 अप्रैल, 2007 तक 52,463 उड़ानें प्रचालित की इसी अवधि के दौरान, 146 विमानों को भूमि पर खड़ा रखा गया था जिसमें से 138 विमानों को तकनीकी कारणों से खड़ा रखा गया था। इस प्रकार के विमानों को खराबियां/घटनाओं के कारण ग्राउण्ड किया गया था, जो प्रकृति के रूप में तकनीकी तथा गैर तकनीकी थी। विमानों में तकनीकी खामियां उसके आयु के अलावा, विभिन्न कल-पुर्जों/पुर्जों के असफल/असेवा योग्यता के कारण इंजन का क्षतिग्रस्त होने, टायर फटने, द्रवीय रिसाव, दवाबीकरण, खराबी इत्यादि के कारण होता है।

(ग) इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृति को दूर करने के लिए जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर विशिष्ट उपाय किए जाते हैं। एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस के विमानों का अनुरक्षण निरंतर चल रहे उच्च योग्यता कार्यक्रम के अधीन उच्चतम अनुरक्षित, उड़न योग्यता मानकों के अनुसार किया जाता है। मूल उपकरण विनिर्माताओं (बोइंग, एयरबस, जनरल इलैक्ट्रानिक, प्रैट सण्ड वाइटनी इत्यादि) जैसे निर्माताओं के अधीन उनके द्वारा अपेक्षित सभी कार्य किए जाते हैं, अनुरक्षण योजना दस्तावेज तथा और अनुसूचियों को नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित किया जाता है। एअर इंडिया/इंडियन एयरलाइंस द्वारा प्रयोग किए जा रहे आधार संरचना मूल उपकरण विनिर्माताओं द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार है।

**श्री बालासाहिब विखे पाटील:** अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं क्योंकि उन द्वारा नागर विमानन मंत्री का कार्यभार सम्भालने के पश्चात् ओपेन स्काई पॉलिसी के अंतर्गत विमानों की मात्र संख्या ही नहीं बढ़ी है, बल्कि इससे यात्रियों के लिए विमान यात्रा किफायती बनी है। मैं एक या दो प्रश्न पूछना चाहूंगा।

नियंत्रण उपकरण और 'ग्राउण्ड' सुविधाओं की कमी की वजह से विमान प्रचालन मुश्किल हो गया है। पायलटों की कमी और अन्य तकनीकी कारणों से विमानपत्तन पर विमान खड़े रहते हैं। विमानपत्तनों पर विमानों के यूं ही खड़े रहने से वहां विमानों की भीड़-भाड़ लग जाती है। विमानों की भीड़-भाड़ कम करने हेतु कदम उठाए जाने चाहिए। मंत्री जी इस संबंध में किस प्रकार मदद कर सकते हैं?

**श्री प्रफुल पटेल:** महोदय, यह प्रश्न कई बातों से जुड़ा हुआ है। फिर भी मैं इसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। विमानपत्तनों पर भीड़-भाड़ का प्रश्न एक ऐसी स्थिति है जो पूरे विश्व के सभी बड़े विमानपत्तनों जहां यात्रियों की भीड़ है, पर मौजूद है। विशेषकर भारतीय संदर्भ में हमें यह बात माननी चाहिए कि पिछले तीन वर्षों के दौरान बड़े विमानपत्तनों पर विमान-यात्रियों की संख्या में सौ प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। तथापि, हम उपलब्ध इसी अवसंरचना के साथ इस स्थिति से निपटने में सक्षम रहे हैं। निस्संदेह, व्यस्ततम अवधि के दौरान विमानों की आवाजाही से अत्यधिक भीड़भाड़ रहती है तथा मैं पुनः इस सभा को यह बताना चाहता हूं कि यह स्थिति पूरे विश्व में प्रत्येक बड़े विमानपत्तनों पर होगी। हालांकि, जहां तक पायलटों की संख्या में कमी का प्रश्न है, उनकी कुछ कमी है परन्तु मैं नहीं समझता कि उड़ानों में विलम्ब और अन्य संबंधित बातें घटित होने की यही वजह हैं क्योंकि विमान कम्पनियां उनके रोस्टर में उपलब्ध पायलटों की संख्या के मुताबिक अपना उड़ान कार्यक्रम बनाती हैं। फिर भी यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि हम उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग कर वर्तमान स्थिति में और सुधार लाएं।

**श्री बालासाहिब विखे पाटील:** महोदय, मैंने विमान के उतरने व उड़ान भरने संबंधी सुविधा हेतु नियंत्रण उपकरण के बारे में प्रश्न पूछा था, जिसका मंत्री जी ने उत्तर नहीं दिया।

दूसरे, मीडिया में यह बात चल रही है कि एयर इंडिया और इंडियन का विलय किए जाने की संभावना है। क्या इस विलय के बाद विमानपत्तनों पर विमानों के खड़े रहने की स्थिति में कमी आएगी? विमानों के यूं ही खड़े

रहने की स्थिति को न्यूनतम करने हेतु मंत्री जी ने क्या प्रमुख कदम उठाए हैं, ताकि यात्रियों को असुविधा न हो।

**श्री प्रफुल पटेल:** जहां तक हवाई यातायात नियंत्रण स्थिति, जिसके बारे में माननीय सदस्य ने अपने अनुपूरक प्रश्न के प्रथम भाग में पूछा है, का संबंध है मैं समझता हूं कि हवाई यातायात नियंत्रण उपकरण का समय-समय पर उन्नयन किया जाता है। पूरे देश में इसके उन्नयन हेतु एक व्यापक कार्यक्रम है। वस्तुतः आशा है कि अगले वर्ष तक भारत अमरीका, जापान और पश्चिमी यूरोप के बाद चौथा ऐसा देश होगा, जिसके पास उपग्रह आधारित विमान-संचालन प्रणाली होगी जो कि और अधिक सही, और अधिक सटीक तथा किसी प्रदत समय में आकाश में अधिक संख्या में विमानों को संचालित करने में सक्षम होगी।

यद्यपि, जहां तक ए.टी.सी. उपकरण और प्रशिक्षण का संबंध है, सतत आधार पर काफी उन्नयन किया जा रहा है। वर्ष 1999 और 2004 के बीच ए.टी.सी. का प्रयोग नहीं किया जाता था। इसलिए, बैकलॉग की स्थिति थी परन्तु वर्तमान में सतत आधार पर प्रणाली में ए.टी.सी. लागू किया गया है। परिणामस्वरूप, कमी दूर हुई है तथा हम और अधिक विमान यातायात को और अधिक विश्वसनीय तरीके से संचालित करने में समर्थ हुए हैं।

**अध्यक्ष महोदय:** यह काफी व्यापक उत्तर है।

**श्री प्रफुल पटेल:** महोदय, उन्होंने विलय के बारे में भी एक मुद्दा उठाया है। मुझे इसका उत्तर देने का प्रयास करना चाहिए। जहां तक विलय का संबंध है, इससे निश्चित रूप से संबंधित विमान कम्पनियों के कार्यकरण में बेहतरी आएगी। हालांकि वास्तविक मुद्दा जो एयर इंडिया और इंडियन को रूग्ण बनाए हुए है, वह यह है कि काफी वर्षों से इनके बेड़े में पुराने विमान हैं। वस्तुतः पहले भी मैं यह कह चुका हूं कि इंडियन के विमानों की खरीद का अंतिम आदेश तब दिया गया था जब स्व. श्री राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। इस प्रकार आप कल्पना कर सकते हैं कि कितने वर्षों के बाद पिछले वर्ष हमने खरीद आदेश दिए हैं। एयर इंडिया और इंडियन दोनों में इस वर्ष जून से विमान शामिल हो जाएंगे। इससे निस्संदेह, प्रचालन बेहतर होगा और तकनीकी तथा अन्य कारणों से विलम्ब होने में कमी आएगी।

**अध्यक्ष महोदय:** आपने प्रश्न से आगे जाकर उत्तर दिया है।

**श्री अजय चक्रवर्ती:** महोदय, मुझे यह पता नहीं है कि ऐसा जानबूझ कर किया जा रहा है अथवा नहीं, परन्तु इंडियन और एयर इंडिया के प्राधिकारी अपने यात्रियों को निजी विमान कम्पनियों की ओर जाने का मौका दे रहे हैं। आजकल विमान यात्री इंडियन की समयानुशासनहीनता की वजह से निजी विमान कम्पनियों के विमानों से यात्रा करने को प्राथमिकता दे रहे हैं। किसी को पता नहीं होता कि विमान उड़ान कब भरेगा और कब पहुंचेगा?

**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न विमानों के खड़े रहने के बारे में है।

**श्री अजय चक्रवर्ती:** महोदय, माननीय मंत्री जी के उत्तर से प्रतीत होता है कि एयर इंडिया के 38 विमानों और इंडियन 138 विमानों को तकनीकी कारणों से 'खड़े रखा' किया गया है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि पायलट और तकनीकी कर्मचारियों की अनुपलब्धता की वजह से विमानपत्तन प्राधिकरण तकनीकी कर्मचारियों की संख्या कम करने जा रहा है। उन्होंने सेवानिवृत्ति की वजह से विशेषकर तकनीकी कर्मचारियों में आयी रिक्तियों को नहीं भरा है। कृपया हमें यह सूचित करें कि क्या यह सच है।

**श्री प्रफुल पटेल:** तकनीकी या अन्य श्रमशक्ति का कोई अभाव नहीं है। वस्तुतः, मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप यूनियनों के अपने सभी सहयोगियों से बातचीत करने में हमारी मदद करें। हम सभी को अपने एयरलाइन्स को और अधिक सफल बनाने हेतु कठिन परिश्रम करना चाहिए। मुझे आपसे अपील करने में कोई हानि नजर नहीं आती। मुझे अपनी सरकारी विमान कम्पनियों को और अधिक प्रभावी व प्रतिस्पर्धात्मक बनाने हेतु आपसे अनुरोध करने में कोई झिझक नहीं है।

**श्री बसुदेव आचार्य:** आपको लम्बित मामलों को सुलझाना चाहिए।

**श्री प्रफुल पटेल:** निस्संदेह, हम लम्बित मुद्दों को सुलझाने जा रहे हैं। परन्तु साथ ही साथ मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि इंडियन यात्रियों की भारी संख्या दर्ज करती रही है। वस्तुतः क्रमशः मार्च और अप्रैल के महीने में इंडियन द्वारा विमान यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या सर्वाधिक रही है। इसलिए कोई वजह नहीं है कि यह कहा जाय कि हमारी यात्री वहन स्थिति और प्रतिस्पर्धात्मकता कम है। हमारे पास पुराने विमानों के कतिपय मुद्दे व अन्य मुद्दे हैं। परन्तु ये विमान कम्पनी के विकास या यात्रियों की सुरक्षा के मामले में आड़े नहीं आते। मैं आपको

बताना चाहूंगा कि परेशान होने की कोई वजह नहीं है। निस्संदेह कुछ मुद्दे हैं जिन्हें हमें सुलझाने की आवश्यकता है और हम इन्हें सुलझाने का सतत प्रयास कर रहे हैं।

*[हिन्दी]*

**प्रो. महादेवराव शिवनकर:** महोदय, एयर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स के लगभग 176 विमान तकनीकी कारणों से खड़े रहे। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कभी ऐसा सोचा कि उस अवधि में नए विमान खरीदने की आवश्यकता थी? अगर सोचा, तो कितने विमान खरीदे गए और उनकी कीमतों का कितना बोझ देश पर पड़ा?

*[अनुवाद]*

**श्री प्रफुल पटेल:** यह सही है कि कुछ तकनीकी कारण हैं। लेकिन मैं सभा के माननीय सदस्यों को यह बताना करना चाहूंगा कि ये तकनीकी कारण प्रत्येक एयरलाइन में होते हैं। ये केवल एयर इण्डिया या इण्डियन में ही नहीं हो रहे हैं...*(व्यवधान)* मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। वह मेरे जिले से हैं। हम एक दूसरे को जानते हैं।

**अध्यक्ष महोदय:** मुझे आशा है कि कोई विशेष जान-पहचान नहीं होगी।

**श्री प्रफुल पटेल:** केवल एयर इंडिया या इण्डियन में ही तकीनीक कारण होने का कोई प्रश्न नहीं है। यदि इस प्रकार की बात सभी के दिमाग में है तो इसे निकाल देना चाहिए। ऐसा हरेक एयरलाइन के साथ होता है...*(व्यवधान)* मीडिया कई बार हमारी बातों को अधिक बढ़ा-चढ़ा कर प्रस्तुत कर देता है। सम्भवत:, हमें उस पर भी ध्यान देना होगा।

जहां तक नए विमानों का सम्बन्ध है, मैंने अभी-अभी उल्लेख किया है कि हम कई वर्षों बाद विमान खरीदने का आदेश दे रहे हैं। हमने इण्डियन के लिए ए-320 नामक 43 विमान तथा एयर इंडिया के लिए 68 विमान - जिनमें 50 चौड़े आकार के तथा 18 छोटे आकार के हैं खरीदने का आदेश दिया है। ये सभी विमान इस वर्ष जून या जुलाई से बेड़े में चरणबद्ध तरीके से आगामी चार से पांच वर्षों में शामिल हो जाने की उम्मीद है।

*[हिन्दी]*

मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि इससे देश पर और सरकारी कोष पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया अपनी क्षमता के हिसाब से पैसा बारो करके ये हवाई जहाज खरीदेंगे और कमर्शियल आर्गेनाइजेशन की तरह कमाकर इस ऋण को वापस करेंगे।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** ऐसा लगता है सभी मुद्दों का उत्तर दे दिया गया है।

**श्री रूपचंद पाल:** जहां तक मैं समझता हूं, विमान को तकनीकी कारणों से बेड़े से बाहर करना, विशेषकर विमान के रखरखाव पर निर्भर करता है, न कि विमान के जीवनकाल पर। यदि मैं गलत नहीं हूं, तो हाल ही में जुपिटर नामक बैंगलोर की एक कंपनी ने इंडियन के विमानों के रखरखाव के उद्देश्य से इंडियन एयरलाइन्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है। इंडियन के पास एयरबस का बेड़ा है, परन्तु एयर इंडिया में अधिकांश विमान बोईंग हैं। मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं क्या एयर इंडिया ने किसी कंपनी के साथ किसी ऐसे ही समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जैसा कि हाल ही में इंडियन एयरलाइन्स ने अपने विमानों के रखरखाव के लिए किया हैं।

दूसरे नए विमान को अगले तीन से चार वर्षों में चरणबद्ध तरीके से विद्यमान बेड़े में शामिल किए जाने की सम्भावना है। तब तक विमानों के खड़े रहने के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। क्या ऐसा ही है?

**अध्यक्ष महोदय:** रेलगाड़ी से यात्रा कीजिए।

**श्री प्रफुल पटेल:** महोदय, सबसे पहली बात तो यह कि कम से कम इस पक्ष के मित्रों द्वारा एयर इण्डिया तथा इंडियन के प्रति ऐसा रुख अपनाना उचित नहीं है। उन्हें इनकी इतनी आलोचना नहीं करना चाहिए।...*(व्यवधान)* ऐसा इसलिए कि आप अनावश्यक रूप से आलोचना कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** कृपया टोका-टाकी न करें। मंत्री जी आप अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

**श्री प्रफुल पटेल:** मुझे सरकारी विमान कंपनी का पक्ष लेना पड़ेगा। हम यह नहीं कह सकते हैं कि सरकारी विमान कंपनी निजी विमान कंपनियों से किसी भी प्रकार से कम है। निस्संदेह जैसा कि मैंने कहा कि उन्होंने एक ऐसा मुद्दा उठाया है जिसका कि समाधान करना होगा और इसका समाधान किया जा रहा है।

समग्र अनुरक्षण तथा मरम्मत, जिसके बारे में माननीय सदस्य श्री रूपचंद पाल ने उल्लेख किया है, जब हमने एयर इंडिया तथा इंडियन के लिए क्रमशः एयर बस तथा बोईंग विमान खरीदे थे, तब सरकार ने एक खण्ड और जोड़ दिया था जिसमें कहा गया था कि वे हमारे देश में अनुरक्षण, मरम्मत तथा ऑवरहॉल सुविधाएं स्थापित करने में मदद करेंगे क्योंकि अब विमानन क्षेत्र विकास की दौर से गुजर रहा है। अधिकांश निजी कंपनियां तथा हमारी सरकारी विमान कंपनियां अपने विमानों की मरम्मत तथा उनके अनुरक्षण के लिए विदेश जाती थीं। इसलिए, उस कार्यक्रम के अन्तर्गत एयरबस तथा बोईंग दोनों कंपनियों का भारत में, एम.आर.ओ. सुविधाएं स्थापित करने का विचार है तथा इंडियन और इंडियन एयरलाइन्स, जिस प्रकार वे वाणिज्यिक रूप से उचित समझें, उनके साथ संयुक्त उद्यम में ये सुविधाएं स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हैं...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** उन्होंने यह पूछा है कि क्या सरकार ने एयर इंडिया के सम्बन्ध में भी किसी समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

**श्री प्रफुल पटेल:** एयर इंडिया ने भी इंडिया की तरह बोईंग कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

**श्री उमर अब्दुल्ला:** जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया है कि विमानों के खड़े रहने का एक कारण अवश्य ही तकनीकी कारण है जो कि अनुरक्षण से जुड़ा है। विमानों के खड़े रहने का दूसरा कारण पुनः ब्रांडिंग करने से जुड़ा है जो कि हमारी सरकारी विमान कंपनी यदाकदा करती है। हमने देखा है इंडियन के विमान के लिए उन्हें एलायंस में परिवर्तित कर दिया गया। उन्हें पुनः ब्रांडिंग करने के लिए खड़े कर दिया गया था। हमने देखा है एयर इंडिया ने जब अपना लोगो बदला तथा अपने विमानों को पुनः ब्रांड किया। हमने हाल ही में देखा है कि इंडियन एयरलाइन्स को इन्डियन में परिवर्तित कर दिया गया है।

अब एयर इंडिया तथा इंडियन का विलय होने जा रहा है तो कोई भी यह सोचेगा कि इन विमानों की पुनः ब्रांडिंग करने के लिए इन्हें खड़े किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या ऐसी कोई योजना बनाई गई हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पुनः ब्रांडिंग किये जाने की प्रक्रिया के दौरान न्यूनतम व्यवधान हो तथा कम से कम विमानों को कम-से-कम खड़े रखा जाए।

**श्री प्रफुल पटेल:** मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जब भी किसी विमान पर रंग-रोगन किया जाता है या पुनः ब्रांडिंग की जाती है तो यह तब तक बेड़े से बाहर नहीं किया जाता है जब तक कि इसकी कोई व्यापक अनुरक्षण या पुनः जांच नहीं होती अथवा कई महीने तक बेड़े से बाहर नहीं रहता है। इसलिए पुनः ब्रांडिंग करने के लिए किसी भी विमान को बेड़े से तब तक नहीं हटाया जाता है जब तक कि इन्हें किसी व्यापक अनुरक्षण या पुनः जांच के लिए नहीं भेजा जाता है।

**अध्यक्ष महोदय:** आपका मंत्रालय बहुत लोकप्रिय है क्योंकि आपके समक्ष बहुत से पूरक प्रश्न हैं।

*[हिन्दी]*

**श्री राम कृपाल यादव:** अध्यक्ष महोदय, हम सभी लोग यह जानते हैं कि एयर-इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स को प्राइवेट एयरलाइन्स कंपनियों से चुनौती मिल रही है।

**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न ग्राउंडिंग के बारे में है।

**श्री राम कृपाल यादव:** जी, उसी बारे में बोल रहा हूं। आप की कृपा से अभी मैं बाली गया था। एयर-इंडिया की एयर-बस में और सिंगापुर की एयर-बस में भी मैंने सफर किया। दोनों में जमीन-आसमान का अंतर है।

**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न ग्राउंडिंग के बारे में है।

**श्री राम कृपाल यादव:** सर, मैं जो बता रहा हूं, वह उसी से संबंधित है। जहाजों की जितनी खराब स्थिति है उस पर चिंता करने की आवश्यकता है। हम उनसे कैसे कम्पीट करेंगे, इस पर सोचने की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एयर-इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स में कितने ऐसे विमान पड़े हुए हैं जिनकी आयु-सीमा समाप्त हो गयी है और जो कम्पीटिशन आपके सामने है उसका मुकाबला आप कैसे करेंगे?

**श्री प्रफुल पटेल:** सर, मैं स्वीकार करता हूं कि हमारे हवाई-जहाज पुराने हैं लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि सुरक्षा के मामले में कोई कमी है।

*[अनुवाद]*

सभा की जानकारी के लिए, मैं बताना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन, जो कि विमानन क्षेत्र की सर्वोच्च संस्था है, ने विश्व के प्रत्येक देश के साथ-साथ भारत की सुरक्षा जांच की थी तथा मैं सभा को बड़े ही गर्व से बताना चाहता हूं कि भारत आई.सी.ए.ओ. की

सुरक्षा जांच में पूरे-विश्व में प्रथम स्थान पर रहा। मैं समझता हूं कि हम सभी को सुरक्षित विमान यात्रा के लिए कार्य कर रहे लोगों का सम्मान करना चाहिए। मैं माननीय सदस्य के प्रश्न को कम करके आंकने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। हां, मैंने कहा कि पुराने विमान हैं। हमने विमान पट्टे पर लिए हैं। इंडियन या एयर इंडिया के बेड़े के लगभग 50 प्रतिशत विमान पट्टे पर लिए गए हैं, जिनकी तुलना हमारे अपने विमानों से नहीं की जा सकती है। अत: समस्याएं तो हैं लेकिन हमने कम से कम उन मार्गों पर उड़ानें जारी रखी हैं जिन पर अब तक विमान सेवा दी जा रही थी।

**अध्यक्ष महोदय:** यह उनका सिंगापुर के प्रति मोह दिखाता है।

**रेलवे से कर्मचारियों का पलायन**

*[हिन्दी]*

+

*603. **श्रीमती करुणा शुक्ला:**

**डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:**

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे के अनेक कर्मचारियों ने त्याग-पत्र दे दिया है अथवा अपनी नौकरी छोड़ने के लिए त्याग-पत्र देने की प्रक्रिया में हैं तथा निजी क्षेत्र में नौकरी प्राप्त कर रहे हैं जैसा कि दिनांक 24 अप्रैल, 2007 के 'अमर उजाला' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले वर्ष के दौरान कितने कर्मचारियों ने अपनी नौकरी से त्याग-पत्र दिए हैं; और

(घ) कर्मचारियों के पलायन को रोकने के लिए रेलवे द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है?

*[अनुवाद]*

**रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद):** (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*विवरण*

(क) और (ख) कुछ ऐसे मामले प्रकाश में आए हैं जहां रेल कर्मियों ने अपने निजी कारणों से रेल सेवा से त्याग-पत्र दिया है। उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार 2006 के दौरान 9 रेलकर्मियों ने निजी क्षेत्र की कंपनियों में नौकरी प्राप्त करने के लिए रेल सेवा से त्याग-पत्र दिया है।

(ग) 2006 के दौरान लगभग 422* रेल कर्मियों ने अन्य केन्द्रीय/राज्य/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नौकरी प्राप्त करने के लिए तथा निजी, चिकित्सा इत्यादि जैसे विभिन्न कारणों से त्यागपत्र दिया है।

(घ) कर्मचारियों को सेवा नियमों के अंतर्गत एक नोटिस देने के बाद सेवा से त्याग-पत्र देने का विकल्प उपलब्ध है। भारतीय रेल में लगभग 14 लाख रेल कर्मियों की संख्या को देखते हुए त्यागपत्र देने वाले कर्मियों की संख्या बहुत कम है इसलिए, इस बारे में विशेष उपचारात्मक उपाय किए जाने का कोई विचार नहीं है।

*[हिन्दी]*

**श्रीमती करुणा शुक्ला:** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि इन्होंने सन् 2006 में जो 422 रेल कर्मियों का त्यागपत्र स्वीकारा है वे कर्मचारी किन राज्यों से संबंध रखते हैं और क्या इन कर्मचारियों ने, जिन पर काम का दबाव बढ़ा है। रेलवे में बहुत से पद अधिकारियों और कर्मचारियों के रिक्त हैं, क्या उस दबाव और काम का बोझ बढ़ने की वजह से इन्होंने त्यागपत्र तो नहीं दिया है, कृपया माननीय मंत्री जी बताएं।

*[अनुवाद]*

**श्री आर. वेलु:** महोदय, इस समय भारतीय रेलवे में लगभग 14 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं। पिछले वर्ष 422* कर्मचारियों ने नौकरी से त्यागपत्र दिया और 3645* कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर चले गए। दोनों की संख्या मिलाकर 4000 हो जाती है और यह कुल कर्मचारियों का 3 प्रतिशत है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि त्याग-पत्र रेलवे अथवा किसी भी संगठन में एक स्वाभाविक क्रिया है। हमारे लिए यह चिंता का विषय नहीं है क्योंकि व्यक्तिगत अथवा चिकित्सा कारणों से अथवा कहीं और जैसे सरकारी कोटा के संगठनों में नौकरी ढूंढने के लिए त्याग-पत्र देना ही होता है। हम

---

*29-11-2007 को सभा में दिए गए शुद्धि करने वाले वक्तव्य के माध्यम से उत्तर में तदन्तर शुद्धि की गयी और इसे संख्या एल.टी. 7483/2007 के अधीन ग्रंथालय में भी रखा गया। संशोधित सूचना निम्नानुसार है:-

सेवा से त्यागपत्र देने वाले कर्मचारियों की संख्या - 437

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारियों की संख्या - 4881

उन्हें अपने साथ रहने के लिए विवश नहीं कर सकते। उन पर अतिरिक्त भार होने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता क्योंकि हमारे पास पहले ही कर्मचारी फालतू हैं, यदि कोई पद रिक्त होता है तो उसे उसी समय भर लिया जाता है।

*[हिन्दी]*

**श्रीमती करुणा शुक्ला:** महोदय, मैंने एक प्रश्न और पूछा था कि जिन्होंने वालेंटरी रिटायरमेंट लिया है चाहे निजी कारणों की वजह से लिया हो या इनके अधिकारियों, कर्मचारियों ने प्रताड़ित किया हो, वे अधिकारी और कर्मचारी किन राज्यों से संबंधित हैं, कृपया इस बारे में मंत्री जी बताएं? इसके साथ मैं यह भी पूछना चाहती हूं कि वे किस श्रेणी के हैं - क्लास वन आफिसर हैं, क्लास टू आफिसर हैं या क्लास थ्री हैं या क्लास फोर हैं, किस श्रेणी से संबंधित हैं?

**अध्यक्ष महोदय:** मंत्री जी इतनी डिटेल अभी आपको कैसे दे सकते हैं?

*[अनुवाद]*

मंत्री महोदय, क्या आपको ब्यौरा मिल गया है?

**श्री आर. वेलु:** नहीं।

**अध्यक्ष महोदय:** आप यह ब्यौरा उन्हें भेज सकते हैं।

*[हिन्दी]*

**डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:** महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि कानकोर सर्विस के कई कर्मचारियों ने सिर्फ इसलिए त्यागपत्र दिया है, क्योंकि इसके कई भागों को आपने निजी हाथों में सौंप दिया है? इस कारण से निरंतर और भी कई कर्मचारी त्यागपत्र देने जा रहे हैं।

इसी प्रकार से जो हमारी खान-पान सेवाएं हैं, उनके भी कुछ भागों को आपने निजी हाथों में दिया है। इसी कारण से रेलवे के कुछ कर्मचारियों ने त्यागपत्र दिया है और त्यागपत्र देने की लम्बी प्रक्रिया शुरू हो गई है। यद्यपि आपने कहा है कि 14 लाख कर्मचारी आपके पास हैं, लेकिन अभी भी आपके पास कर्मचारियों की संख्या की इतनी ज्यादा कमी है कि रेलवे में एक कंडक्टर ही चार-चार बोगियों को सम्भालता है और काम ठीक नहीं हो पाता है। इस कमी को पूरा करने की दृष्टि से और जैसा कि मैंने कहा कि कानकोर में, जो सामान को इधर से उधर ले जाने की आपकी बड़ी सर्विस है, बहुत अच्छा कार्य कर रही है, उसकी सर्विस के अंदर कमी आ रही है और निजी हाथों में सौंपने के कारण कर्मचारियों पर जो दबाव पड़ रहा है, उसे आप कैसे रोकेंगे तथा उसके लिए आप क्या प्रभावी कदम उठा रहे हैं?

*[अनुवाद]*

**श्री आर. वेलु:** प्रश्न रेलवे में कर्मचारियों की कमी का है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि रेलवे में कर्मचारियों की कमी का कोई प्रश्न ही नहीं है क्योंकि हम तीस प्रतिशत कर्मचारियों को हमेशा अवकाश रिजर्व के रूप में रखते हैं। यदि कर्मचारी त्याग-पत्र देते हैं अथवा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेते हैं, तो हम रिक्त पदों को भरते हैं। लोग निजी कंपनियों में जा सकते हैं। माननीय सदस्य ने कोनकोर का उल्लेख किया था। 14 कंपनियों ने रेलवे के कंटेनर व्यवसाय में प्रवेश करने की रुचि दिखाई है। उन्हें आरंभ में ये कंटेनर जयपुर से मुंबई ले जाने होंगे बाद में जिसका विस्तार अन्य स्थानों पर किया जाएगा। वहां, कर्मचारियों की संख्या काफी कम है। यदि उनमें से कुछ चले जाएं और कहीं और ज्वाईन कर लें तो मुझ पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। पिछले दस वर्षों में घ श्रेणी और उससे ऊपर की श्रेणियों में औसतन दस लोगों ने त्यागपत्र दिया है। पिछले दस वर्ष के आंकड़ों के अनुसार प्रति वर्ष औसतन तीस प्रतिशत कर्मचारी त्याग-पत्र देते हैं अथवा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेते हैं।

मैं बताना चाहता हूं कि कर्मचारियों की कोई कमी नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कोई उत्पीड़न नहीं हो रहा है। हम अपने कर्मचारियों का मनोबल ऊंचा रखते हैं। हम हर तरह से अपने कर्मचारियों का ध्यान रखते हैं। हम उनका मनोबल बनाए रखने के लिए उन्हें आवास सुविधाएं, नि:शुल्क चिकित्सा सहायता, नि:शुल्क यात्रा सुविधा आदि प्रदान करते हैं।

**श्री पी. करुणाकरन:** यह बताया गया है कि रेलवे में इस समय लगभग चौदह लाख कर्मचारी हैं। कुछ वर्ष पहले इनकी संख्या उन्नीस लाख थी। हर वर्ष हम नई रेलगाड़ियां शुरू कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि रेलवे तेजी से आगे बढ़ रही है। इसके साथ ही कर्मचारियों की संख्या में कमी की जा रही है...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न त्याग-पत्रों के बारे में है।

**श्री पी. करुणाकरन:** मैं उसी पर आ रहा हूं।

**अध्यक्ष महोदय:** इसी पर आइए।

**श्री पी. करुणाकरन:** कर्मचारियों की संख्या में कमी किए जाने से वस्तुत: रेलवे की सुरक्षा और रेलवे की सेवा पर प्रभाव पड़ता है।

ऐसे उदाहरण हैं कि कई कर्मचारियों का पलाक्कड़ मंडल से एक नए मंडल में स्थानांतरण कर दिया गया है ...*(व्यवधान)* ऐसा कोई मंडल नहीं है। परन्तु रेलवे ने पलाक्कड़ मंडल से अन्य मंडल में स्थानांतरण का विकल्प देने के आदेश दिए। परन्तु ऐसा कोई मंडल है ही नहीं।

**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न कर्मचारियों के त्याग-पत्र से संबंधित है। इसका संबंध 14 लाख कर्मचारियों में से 424 कर्मचारियों से है।

**श्री पी. करुणाकरन:** यही कारण है कि वे विवश कर रहे हैं। कर्मचारियों को त्यागपत्र देने के लिए विवश किया जा रहा है...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** यह 14 लाख कर्मचारियों में से 424 कर्मचारियों का प्रश्न है।

...*(व्यवधान)*

**श्री पी. करुणाकरन:** पिछले छह अथवा सात वर्षों के दौरान, कर्मचारियों की कुल संख्या में बहुत अधिक कमी की गई है, जिससे रेलवे की सेवा प्रभावित होती है...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** मैं क्षमा चाहता हूं।

...*(व्यवधान)*

**श्री पी. करुणाकरन:** क्या माननीय मंत्री जी इस बात को महसूस करेंगे कि इतनी अधिक वस्तुत: कमी से रेलवे की सुरक्षा और सेवा प्रभावित होती है...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** कैसी अधिक कटौती? प्रश्न त्यागपत्र के बारे में है।

**श्री आर. बेलु:** महोदय, मैं अब भी प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** मंत्री महोदय आप सब कुछ जानते हैं। समस्या यही है। आप बहुत संक्षेप में उत्तर दे सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

**श्री आर. बेलु:** महोदय, वर्ष, 2001 के डी.ओ.पी.टी. के परिपत्र में यह कहा गया है कि देश में प्रत्येक संगठन का 'आकार सही' होना चाहिए, जिसमें रेलवे भी शामिल है ...*(व्यवधान)*

**श्री एन.एन. कृष्णदास:** यह केवल कटौती करने के बारे में है...*(व्यवधान)*

**श्री आर. बेलु:** नहीं यह आकार सही किए जाने के बारे में है। कृपया 'कटौती' की बात मत कीजिए। मैं प्रश्न का उत्तर दूंगा।

महोदय, इन तीन वर्षों में हुआ यह है कि हर वर्ष 45,000 लोग सेवानिवृत्त हुए। परन्तु पिछले दो वर्षों के दौरान हमने 40,000 प्रति वर्ष की दर से 80,000 लोगों को भर्ती किया है। जो लोग सेवानिवृत्त, स्वैच्छिक तौर पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं अथवा त्यागपत्र दे रहे हैं, भर्ती करके उसका पूरा ध्यान रखा जाता है। मैं यहां यह बताना चाहूंगा कि 18 लाख के आंकड़े 14 लाख कैसे हो गए। ऐसा आकार सही करने के कारण हुआ। ऐसा प्रौद्योगिकी की अपनाने के कारण हुआ है। जहां मुझे लगभग 16 से 18 गैंगमैनों की आवश्यकता होती थी, आज मुझे 14 की ही आवश्यकता है। ऐसा रेल पटरियों के अनुरक्षण के यांत्रिकीकरण के कारण हो रहा है। जहां मुझे कई ड्राइवरों की आवश्यकता होती थी, प्रौद्योगिकी उन्नयन के कारण उनकी अब कम संख्या में आवश्यकता है। हालांकि यह सब कुछ हुआ। फिर भी पिछले 14 वर्षों के दौरान हमने अभी तक किसी कर्मचारी की छंटनी नहीं की, जबकि दूसरी ओर एक लाख कर्मचारी फालतू हो गए हैं और उनमें से एक को भी नहीं निकाला गया है। मैं माननीय सदस्य को स्पष्ट तौर पर बताना चाहूंगा कि रेलवे उन संगठनों में से है, जिसमें हमेशा कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जाती है। उनमें से किसी को नहीं निकाला गया है और न ही भविष्य में किसी को निकाला जाएगा। यह माननीय सदस्य की जानकारी के लिए है ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** मुझे खेद है। सबसे पहले तो आपके अनुपूरक का मुख्य प्रश्न से संबंध नहीं है।

मुझे खेद है। कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**...

**श्री के.एस. राव:** महोदय, जिस प्रकार से माननीय मंत्री महोदय ने प्रश्न का उत्तर दिया, उससे हम बहुत खुश

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

हैं। निश्चित रूप से रेलवे में बहुत ही सक्षम, ज्ञानी और अनुभवी अधिकारी तथा कर्मचारी हैं। न लोगों की सेवाओं का इस्तेमाल करने के लिए क्या माननीय मंत्री महोदय सरकारी-निजी भागीदारी में अधिकाधिक परियोजनाएं चलाने पर विचार करेंगे ताकि वहां इन कर्मचारियों का इस्तेमाल किया जा सके।

**अध्यक्ष महोदय:** यह क्या है? इसका इस प्रश्न से कोई संबंध नहीं है।

*...(व्यवधान)*

**श्री के.एस. राव:** महोदय, मैं 'छंटनी' के स्थान पर 'कटौती' कह रहा हूं।

**अध्यक्ष महोदय:** आप कृपया 'हां' या 'नहीं' कहिए।

**श्री आर. वेलु:** महोदय, पहली बार हमने रेलवे को सरकारी-निजी भागीदारी के लिए खोला है। कई योजनाएं शुरू की गई हैं और हम अपने कर्मचारियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब सरकारी-निजी भागीदारी होती है, तो निजी लोग अपने कार्मिक लेकर आते हैं। परन्तु जहां की आवश्यकता हो हम उनकी जरूरत पूरी कर सकते हैं। माननीय सदस्य द्वारा दिए गए इस अच्छे सुझाव को नोट कर लिया गया है।

## खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता

***604. श्री पी.सी. थामस:** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से अपने राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना करने के लिए वित्तीय सहायता मांगने सम्बन्धी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पर केंद्र सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय):** (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

***विवरण***

जी हां। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकीकरण/स्थापना संबंधी स्कीम के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को सामान्य क्षेत्रों में संयंत्र और मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत के 25% की दर से जिसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपये है और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, सिक्किम एवं पूर्वोत्तर के राज्यों, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप और एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम क्षेत्र समेत दुर्गम क्षेत्रों में 33.33% की दर से जिसकी अधिकतम सीमा 75 लाख रुपये है, सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता देना है। समेकित बागवानी विकास प्रौद्योगिकी मिशन के मिनी मिशन-IV के तहत सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखण्ड और हिमाचल प्रदेश समेत पूर्वोत्तर के राज्यों को बढ़ी हुई दरों पर यानी 50% की दर पर सहायता दी जाती है जिसकी अधिकतम सीमा नई यूनिटों के संवर्धन के मामले में 4.00 करोड़ रुपये है और बागवानी उपज के प्रसंस्करण के लिए विद्यमान यूनिटों के उन्नयन/आधुनिकीकरण के मामले में 1.00 करोड़ रुपये है। पिछले तीन वर्षों यानी वर्ष 2004-05 से 2006-07 के दौरान उक्त स्कीम के तहत प्राप्त प्रस्तावों और सहायता के लिए अनुमोदित प्रस्तावों के राज्यवार ब्यौरे निम्नलिखित हैं -

| क्रम सं. | राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम | प्राप्त प्रस्तावों की संख्या | अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या | बंद/अस्वीकृत किए गए प्रस्तावों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 207 | 97 | 58 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 6 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 3. | असम | 40 | 24 | 3 |
| 4. | बिहार | 15 | 5 | 5 |
| 5. | छत्तीसगढ | 18 | 10 | 3 |
| 6. | दमन और दीव | 1 | 0 | 0 |
| 7. | दिल्ली | 20 | 10 | 6 |
| 8. | गोवा | 7 | 3 | 2 |
| 9. | गुजरात | 97 | 36 | 30 |
| 10. | हरियाणा | 59 | 28 | 18 |
| 11. | हिमाचल प्रदेश | 41 | 19 | 6 |
| 12. | जम्मू-कश्मीर | 32 | 9 | 5 |
| 13. | झारखण्ड | 15 | 8 | 0 |
| 14. | कर्नाटक | 107 | 63 | 26 |
| 15. | केरल | 87 | 54 | 8 |
| 16. | मध्य प्रदेश | 68 | 31 | 17 |
| 17. | महाराष्ट्र | 319 | 170 | 64 |
| 18. | मणिपुर | 11 | 4 | 2 |
| 19. | मेघालय | 6 | 4 | 2 |
| 20. | मिजोरम | 4 | 0 | 3 |
| 21. | नागालैण्ड | 30 | 3 | 5 |
| 22. | उड़ीसा | 42 | 15 | 26 |
| 23. | पांडिचेरी | 1 | 5 | 0 |
| 24. | पंजाब | 52 | 55 | 12 |
| 25. | राजस्थान | 108 | 42 | 26 |
| 26. | सिक्किम | 1 | 0 | 0 |
| 27. | तमिलनाडु | 138 | 81 | 33 |
| 28. | त्रिपुरा | 1 | 1 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 29. | उत्तर प्रदेश | 131 | 102 | 27 |
| 30. | उत्तराखण्ड | 47 | 25 | 2 |
| 31. | पश्चिम बंगाल | 97 | 53 | 21 |
| 32. | चण्डीगढ़ | 1 | 0 | 1 |

**टिप्पणी:** हो सकता है कि कॉलम (4) और (5) में अनुमोदित, बंद किए/अस्वीकृत प्रस्तावों के आंकड़े, कॉलम (3) के तहत प्राप्त प्रस्तावों की संख्या से मेल न खाएं क्योंकि कॉलम (4) और (5) के आंकड़ों में पूर्व के वर्षों में प्राप्त प्रस्ताव शामिल हो सकते हैं।

सरकार देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के संवर्धन के लिए सतत् आधार पर विभिन्न उपाय कर रही है। इसमें राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास को महत्व देने के लिए राज्य सरकारों को बढ़ावा देना शामिल है। इस संबंध में किए गए उपायों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित करना, राज्य नोडल एजेंसियों के साथ समय-समय पर परस्पर विचार-विमर्श करना, उद्योग संघों के साथ मिलकर निवेशक-बैठकों का आयोजन करना आदि शामिल हैं। मंत्रालय ने प्रसंस्कृत खाद्य के उपभोग को बढ़ावा देने के लिए प्रिंट और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए प्रचार अभियान भी शुरू किया है।

सरकार ने खाद्य कानूनों और प्रवर्तन एजेंसियों की बहुलता के स्थान पर 'खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006' शीर्षक से एक समेकित खाद्य कानून अधिनियमित किया है। इससे खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश करने में मदद मिलेगी।

10वीं योजना स्कीमों की विस्तृत समीक्षा की गई है और पणधारियों के साथ विचार-विमर्श और निष्कर्षों के आधार पर 11वीं योजना में स्कीमों को पुनः तैयार किया जा रहा है। चूंकि 11वीं योजना के शीत शृंखला सुविधाओं और अकुशल आपूर्ति शृंखला आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव कृषि खाद्य उपज में निम्न स्तरीय प्रसंस्करण की मुख्य बाधा हैं, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय एक पुनः तैयार बुनियादी ढांचा विकास संबंधी स्कीम लागू कर रहा है जिसके तहत यह मेगा खाद्य पार्कों, शीतशृंखला बुनियादी ढांचा विकास, बूचड़खानों के आधुनिकीकरण, गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना आदि के लिए वित्तीय सहायता देगा।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को उत्पादन शुल्क में कमी/समाप्ति, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु मशीनरी के आयात पर सीमाशुल्क में रियायत जैसे विभिन्न राजकोषीय और कर प्रोत्साहन दिए गए हैं।

मंत्रालय द्वारा अपनाए गए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों पर विजन, 2015 के आधार पर खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की वृद्धि के लिए एक समेकित रणनीति और कार्य योजना तैयार की गई है।

**श्री पी.सी. थामस:** मुझे यह कहते हुए बहुत ही गर्वानुभूति होती है कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र बहुत प्यारा है, और यहां पर माननीय मंत्री जी भी आ चुके हैं। वास्तव में पूरा केरल प्रदेश ही बहुत अच्छा है। मेरा निर्वाचन क्षेत्र बहुत प्यारा है। यहां पर अनन्नास की पैदावार बहुत होती है, यहां पर नारियल का पानी भी बहुतायत में उपलब्ध है जो कि न केवल केरल में मौजूद है अपितु यह माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्वाचन क्षेत्र सहित अन्य सभी राज्यों में भी उपलब्ध है। ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** हम सभी केरल के प्रशंसक हैं; लेकिन कृपया अब प्रश्न पर आएं।

...*(व्यवधान)*

**श्री पी.सी. थामस:** मेरा प्रश्न यही है कि केरल की प्रशंसा तो होती है। लेकिन, दुर्भाग्य से औद्योगिक रूप से हम बहुत पिछड़े हुए हैं। हमारे यहां कच्चा नारियल होता है; हमारे यहां खट्टी और काली मिर्च सरीखी तीखी वस्तुएं भी होती है। लेकिन सही मायने में मूल्यवर्धन नहीं किया जाता है जबकि राज्य को वास्तव में इसकी आवश्यकता है। माननीय/मंत्री जी से मेरा प्रश्न यह है कि अनुदान प्रस्तावों जो कि दिए जा रहे हैं, के अतिरिक्त क्या माननीय मंत्री जी कोई ऐसी योजना शुरू करेंगे, जिसमें केरल अथवा अन्य राज्यों इन जैसी वाणिज्यिक फसलों के साथ-साथ बागवानी के क्षेत्र में मूल्यवर्धन हो सके? यह बिल्कुल संभव है। क्या

उनके पास कोई ऐसा द्रुत कार्यक्रम अथवा योजना है जिसके माध्यम से अत्यंत शीघ्रता से मूल्यर्धन किया जा सके?

**अध्यक्ष महोदय:** संक्षिप्तता और सुसंगतता का महत्व बिल्कुल खत्म हो गया है।

**श्री सुबोध कांत सहाय:** अध्यक्ष महोदय, हमने इस कार्य को शीघ्रातिशीघ्र करने का प्रयास किया है। मैंने भी दो-तीन बार केरल की दौरा किया है। पिछले तीन वर्षों में हमें लगभग 87 मामले प्राप्त हुए हैं और उनमें से हमने 57 को मंजूरी दे दी है। हम विकेन्द्रीकरण भी करने जा रहे हैं ताकि बैंकों से भी इन्हें जल्दी-से-जल्दी मंजूरी दी जा सकें। हमने केरल के लिए चार 'फूडपार्कों' की मंजूरी दी है। हमने लगभग सभी क्षेत्रों को कवर किया है। लेकिन यदि माननीय सदस्य कोई विशेष सुझाव देते हैं, तो मैं प्राथमिकता के आधार पर इस पर विचार करने के लिए तैयार हूं। हमें राज्यों से जो भी प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, हम तदनुसार कार्य करते हैं। आपने मंत्रालय और सरकार की ओर से हम सीधे रूप से कुछ नहीं कर रहे हैं।

**श्री पी.सी. थामस:** तब मैं आपको एक सुझाव देना चाहूंगा। कच्चे नारियल का पानी एक ऐसी चीज है जिसका उपयोग घरेलू बाजार में बहुत ही सार्थक ढंग से किया जा सकता है। इसका निर्यात भी किया जा सकता है। अतः केरल मूल्यवर्धन अथवा कच्चे नारियल पानी की व्यापक स्तर पर पैकेजिंग और बाहर भेजने के संबंध में कुछ प्रस्ताव भेजे है। मैं सरकार से और माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करता हूं कि वे ऐसे प्रस्तावों की ओर विशेष ध्यान दें जिससे कि कच्चा नारियल पानी के उद्योग न केवल केरल में बल्कि अन्य राज्यों में भी शीघ्र फले फूले। मेरा माननीय मंत्री जी से यही अनुरोध और प्रश्न है कि क्या वह इस मामले की ओर विशेष ध्यान देंगे?

**श्री सुबोध कांत सहाय:** मैं समझता हूं कि कच्चे नारियल पानी की बहुत मांग है। इसका मूल्यवर्धन किया जा सकता है। यह किसानों के लिए आमदनी का बहुत बढ़िया जरिया है। माननीय सदस्य, यदि आपके पास इस संबंध में कोई विशिष्ट प्रस्ताव है तो आप मुझे उस से अवगत करा सकते हैं। अन्यथा हम केरल में कच्चे नारियल, मसालों, समुद्री उत्पादों और चावल पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। ये सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। मैं चाहता हूं कि केरल वास्तव में खाद्य प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन के क्षेत्र में एक सफल प्रयोगशाला बने। हम इस संबंध में काफी मेहनत कर रहे हैं। यदि आपके पास इस संबंध में कोई विशिष्ट प्रस्ताव है, तो मैं उस पर विचार करने के लिए तैयार हूं।

*[हिन्दी]*

**श्री छेवांग थुपस्तन:** माननीय मंत्री जी ने उत्तर में कहा है कि जम्मू-कश्मीर रियासत से कुल 32 प्रपोजल आए थे, उनमें से नौ को एप्रूव किया गया है और पांच को रिजेक्ट किया गया है। मैं जानता हूं कि मंत्री महोदय ने कुछ समय पहले श्रीनगर में मीटिंग की थी और उसमें रियासत के तीनों क्षेत्रों से नुमाइंदों को बुलाकर फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए कुछ पहल की थी। आपको जम्मू-कश्मीर रियासत से 32 प्रपोजल मिले थे, मैं जानना चाहता हूं कि लद्दाख से कितने प्रपोजल मिले? आपने कुछ समय पहले श्रीनगर में जो मीटिंग ली थी, उसका नतीजा क्या हुआ? क्या इसके चलते रियासत के तीनों क्षेत्रों में फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय की तरफ कुछ पहल हो रही है? आपने टेक्नोलॉजी मिशन के तहत डिफिकल्ट राज्यों के लिए, नए यूनिट्स और अपग्रेडेशन के लिए काफी रकम मुहैया की है, लद्दाख में सीबगथोंग, जो लद्दाख में इकनॉमिक प्रोस्पेक्ट की तरह उभर रहा है, मैं जानना चाहता हूं क्या इसे हार्टीकल्चर में शामिल करके फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को बढ़ावा देने का इरादा रखते हैं?

**श्री सुबोध कांत सहाय:** सर, निश्चित तौर पर लद्दाख का अपना एक क्लाइमेटिक जोन है और वहां हार्टीकल्चर से संबंधित जो प्रोड्यूस होता है, उसे भी हम लोगों ने फोकस किया है। जम्मू-कश्मीर में भी हमने तकरीबन तीन फूड पार्क बनाये हैं और इसमें हम क्लस्ट्राइज अप्रोच लेकर चलते हैं, जिसमें कॉमन फैसिलिटी सैन्टर बन जाए, ताकि वहां जो भी इंडस्ट्रीज लगता हो उसे मिनिमम कास्ट बियर करनी पड़े। मैं स्पेसिफिक लद्दाख रीजन का विवरण अभी नहीं दे सकता हूं, लेकिन माननीय सदस्य को मैं इसका जवाब दे दूंगा। लद्दाख से माननीय सदस्य या राज्य सरकार के द्वारा यदि कोई स्पेसिफिक प्रपोजल आता है, वैसे हमने वहां के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के साथ भी बैठकर रिव्यू किया है और कश्मीर उस पैकेज का पार्ट है, जो सैन्ट्रल गवर्नमैन्ट का पैकेज है, उसमें फूड प्रोसेसिंग सैक्टर उसका एक इम्पोर्टैन्ट कम्पोनैन्ट है। जिसके लिए हम लोगों ने अलग से पैसा दिया है और उसके लिए हमारी प्राथमिकता भी है।

*[अनुवाद]*

**श्री मंजुनाथ कुन्नुर:** अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है कि भारत सरकार ने कर्नाटक सरकार से प्राप्त हुए कुल 107 प्रस्तावों में से 63 प्रस्तावों की स्वीकृति

दे दी है जिसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का आभारी हूं। मेरे जिले में बड़ी मात्रा में मक्कां उगाया जाता है और हम इसे सांगली तथा अहमदाबाद में भेजते हैं। मेरे जिले में निर्यात की गुणवत्ता वाला मक्का उगाया जाता है और वह भी प्रचुर मात्रा में। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वे वहां पर तेल, ग्लूकोज, स्टार्च और ऐसे अन्य उत्पादों के उत्पादन के लिए एक मक्का प्रसंस्करण कारखाना स्थापित करने के लिए कदम उठाएंगे?

मक्का के अतिरिक्त हम अपने क्षेत्र में और अधिक मिर्च भी उगा रहे हैं। बयादगी मिर्च की अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग है। यहां तक कि एम.डी.एच. मसाला बनाने वाली कंपनी भी अपने मसाले तैयार करने में बयादगी मिर्च का इस्तेमाल करती है क्योंकि बयादगी मिर्च का रंग, गुणवत्ता और स्वाद बहुत ही बढ़िया होता है। लेकिन वहां कोई ओलियो रिसिन ऑयल फैक्ट्री अथवा कोई अन्य खाद्य प्रसंस्करण इकाई नहीं है। इस संबंध में मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या कर्नाटक में मक्के और मिर्च की खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना का कोई प्रस्ताव है?

**अध्यक्ष महोदय:** आप मिर्च का प्रसंस्करण कैसे करेंगे?

**श्री सुबोध कांत सहाय:** महोदय, जैसाकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि हम अपने आप किसी खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना नहीं कर रहे हैं। मैंने माननीय सदस्य को खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना हेतु संभावनाओं का पता लगाने और केन्द्र सरकार द्वारा दिए जा रहे फायदों का उपयोग करने के लिए बहुत पहले लिखा था। मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि क्या वह कुछ ऐसे उद्यमियों के बारे में सुझाव दे सकते हैं, जो वहां ऐसी इकाई की स्थापना करने के इच्छुक हैं, तो हम खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना के लिए सहायता देने को तैयार हैं।

*[हिन्दी]*

**श्री सचिन पायलट:** अध्यक्ष महोदय, अपने उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया है कि कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वगैरह कुछ ऐसे राज्य हैं, जहां सब्सिडी और रियायत थोड़ी ज्यादा दी गई है। आंकड़ों में दिया गया है कि राजस्थान से 108 प्रपोजल्स आये थे। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो ऐसे राज्य हैं, जिन्हें अपने उत्तर में आपने डिफिकल्ट स्टेट्स कहा है, वहां सब्सिडी और रियायत ज्यादा दी गई हैं। लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे जो बड़े राज्य हैं, वहां कुछ ट्राइबल्स इलाके हैं, एस.सी., एस.टी. बहुत इलाके हैं। यदि वहां से प्रपोजल आता है तो क्या उनके लिए भी मंत्री महोदय की कोई ज्यादा रियायत देने की स्पेसिफिक योजना है? यदि मंत्री जी उसके बारे में बतायें तो बहुत बेहतर होगा।

**श्री सुबोध कांत सहाय:** महोदय, मेरे ख्याल से जो पालिसी बनी है, उसके अनुसार हिली स्टेट्स और डिफिकल्ट एरियाज के लिए 33 परसैन्ट देते हैं और मैक्सीमम 75 लाख रुपये तक देते हैं। मिनी मिशन-4 के तहत एक करोड़ रुपये और कम्पोजिट अप्रोच के लिए चार करोड़ रुपये देते हैं। लेकिन जनरल स्टेट के लिए हम 25 परसैन्ट देते हैं, जो मैक्सीमम 50 लाख रुपये तक है। इसलिए स्पेसिफिक किसी स्टेट के लिए प्लानिंग कमीशन और सरकार के द्वारा अलग से योजना नहीं बन सकती है। वैसे हम 11वीं पंचवर्षीय योजना में सारी चीजों को नये तरीके से लेकर चल रहे हैं कि एक बहुत एग्रेसिव अप्रोच के साथ मेगा फूड पार्क और पूरे हार्टीकल्चर का काम कैसे क्लस्ट्राइज और डिमांड ड्रिवन हो सकता है, क्योंकि अभी बहुत सी चीजें वेस्टेज तो हो रही है, लेकिन वे प्रोसैसिंग के लायक पैदा नहीं हो रही हैं। इसलिए इसे डिमांड ड्रिवन कैसे किया जाए, इस पर मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य कहना चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स लगवायें, जिससे किसानों को इसका फायदा मिले। अगर इस कैम्पेन में हमारी कोई मदद चाहिए और इसे एग्रेसिवली लांच करना चाहते हैं तो हमारा मंत्रालय इसके लिए उन्हें मदद देने को तैयार है।

*[अनुवाद]*

**श्रीमती अर्चना नायक:** महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय, से यह जानना चाहती हूं कि क्या महिला स्व-सहायता समूहों को खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना के लिए कोई विशेष वित्तीय सहायता अथवा राजसहायता दी जाती है।

**अध्यक्ष महोदय:** यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है।

**श्री सुबोध कांत सहाय:** महोदय, क्योंकि वहां कोई विशेष घटक नहीं है लेकिन मैं यह अवश्य कहना चाहता हूं कि हम प्रेरित कर रहे हैं और हम अनेक सम्मेलनों का आयोजन भी कर रहे हैं। हम उद्यमियों, विशेषकर महिला स्व-सहायता समूहों को प्रशिक्षण देने के लिए हर संभव मदद दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमने स्व-सहायता समूहों, विशेषकर महिलाओं और अन्य कमजोर तबकों के स्व-सहायता समूहों, को प्रशिक्षण

देने हेतु 200 से अधिक प्रशिक्षक कार्यक्रमों का आयोजन किया है। लेकिन सभी के लिए एक समान योजना है।

**श्री अबु अबीश मंडल:** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि गत एक वर्ष के दौरान राज्यों में स्थापित नए खाद्य प्रसंस्करण और प्रशिक्षण केन्द्रों को कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

**अध्यक्ष महोदय:** राज्यवार ब्यौरा कैसे दिया जा सकता है?

**श्री सुबोध कांत सहाय:** महोदय, मैं माननीय सदस्य को सारी जानकारी लिखित में भेज दूंगा।

*[हिन्दी]*

## एक इंजन वाले हेलिकाप्टरों के प्रचालन पर प्रतिबंध

***605. श्री अजीत जोगी:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक इंजन वाले हेलिकाप्टरों के प्रचालन पर प्रतिबंध होने के बावजूद ये अतिविशिष्ट व्यक्तियों को लेकर उड़ान भरते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या नागर विमानन महानिदेशालय (डी.जी.सी.ए.) ने इस संबंध में प्रचालकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में डी.जी.सी.ए. द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों/अनुदेशों का ब्यौरा क्या है?

*[अनुवाद]*

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल्ल पटेल):** (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

***विवरण***

(क) से (ग) इस समय बहु इंजन वाले हेलिकाप्टरों का उपयोग केवल वी.आई.पी. उड़ानों के लिए ही करने के बारे में कोई अनिवार्य अनुदेश नहीं हैं।

(घ) नागर विमानन महानिदेशालय ने 1981 का एक सलाहकार विमान संरक्षा परिपत्र 2 जारी किया है जो मुख्य मंत्रियों तथा अन्य उच्च गणमान्य व्यक्तियों को लाने-ले जाने के लिए निजी स्वामित्व वाले/राज्य सरकार के विमान के प्रयोग के लिए है तथा इस प्रकार की उड़ानों के प्रचालन के लिए संरक्षा का उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने के लिए, विमान आपरेटरों के लिए अधिक संख्या में मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं। परिपत्र अनुसंसात्मक प्रकृति का है। इस परिपत्र के अनुसार अच्छी प्रचालनात्मकता, विश्वसनीयता तथा आसान अनुरक्षणीयता विशेषताओं के साथ दोहरे इंजन वाले विमान का प्रयोग किया जाना चाहिए।

**श्री अजीत जोगी:** महोदय, हमारे देश में एक इंजन वाले हेलीकॉप्टरों की दुर्घटनाओं में अनेक अमूल्य जानें चली गई हैं। लेकिन माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हेलीकॉप्टरों, विशेषकर अति विशिष्ट व्यक्तियों को ले जाने वाले हेलीकॉप्टरों में दो इंजन लगाए जाने को अनिवार्य नहीं बनाया गया है।

**अध्यक्ष महोदय:** कृपया आपस में बातचीत न करें।

**श्री अजीत जोगी:** इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय और सरकार का यही विचार है कि एक इंजन वाले हेलीकॉप्टर उतने ही सुरक्षित हैं और इसीलिए ये अनुदेश जारी नहीं कर रहे हैं। यदि वे सोचते हैं कि एक इंजन वाला हेलीकॉप्टर सुरक्षित नहीं है, तो आवश्यक अनुदेश क्यों नहीं जारी किए गए हैं?

**श्री प्रफुल पटेल:** महोदय, तकनीकी रूप से किसी भी हेलीकॉप्टर में, चाहे वह एक इंजन वाला हो या दो इंजन वाला हो, मुद्दा सुरक्षा का नहीं है। तथापि, नागर विमानन महानिदेशालय ने एक सलाह जारी की है कि जब कोई अतिविशिष्ट व्यक्ति अथवा विशिष्ट व्यक्ति हेलीकॉप्टरों द्वारा यात्रा करते हैं, तो उन्हें दो इंजन वाले हेलीकॉप्टरों में यात्रा करनी चाहिए। अन्ततः तकनीकी अभिलेख में कहने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि दो इंजन वाले हेलीकॉप्टर से एक इंजन वाले हेलीकॉप्टर कम सुरक्षित हैं।

तथापि, ऐसी कई घटनाएं हैं, जिनमें एक इंजन वाले और दो इंजन वाले दोनों ही किस्म के हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार हुए हैं। तथापि नागर विमानन महानिदेशालय की सलाह पर, मैं समझता हूं कि अति विशिष्ट व्यक्तियों को इस बात पर जोर देना चाहिए कि वे दो इंजन वाले हेलीकॉप्टरों में यात्रा करें। एक विनियामक के तौर पर हम इससे बेहतर और कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि तकनीकी तौर पर कोई यह नहीं कह सकता कि एक इंजन वाला

अथवा दो इंजन वाला कोई हेलीकॉप्टर असुरक्षित अथवा खतरनाक है।

**श्री अजीत जोगी:** महोदय, मेरे जैसा गैर-तकनीकी व्यक्ति के मुताबिक भी दो इंजन वाला हेलीकॉप्टर, एक इंजन वाले हेलीकॉप्टर से हमेशा अधिक सुरक्षित होगा। लेकिन माननीय मंत्री जी का कहना है कि दोनों प्रकार के हेलीकॉप्टर सुरक्षा और असुरक्षा के मामले में एक जैसे ही हैं।

**श्री प्रफुल पटेल:** मैंने, 'असुरक्षित' नहीं कहा था।

**श्री अजीत जोगी:** महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि प्रत्येक घटना के पश्चात् जांच कराने के आदेश दे दिए जाते हैं। क्या इन जांच रिपोर्टों का कोई अध्ययन किया गया है और क्या वे इन जांच रिपोर्टों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि एकल इंजन वाले हेलीकॉप्टर दो इंजन वाले हेलीकॉप्टरों जितने सुरक्षित है अथवा क्या यह डी.जी.सी.ए. द्वारा निकाला गया निष्कर्ष मात्र है?

**श्री प्रफुल पटेल:** कई ऐसे निष्कर्ष हैं, जिनके आधार पर हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि हेलिकॉप्टरों से संबंधित प्रत्येक दुर्घटना अथवा घटना के पश्चात् विस्तृत अध्ययन किया जा रहा है। वस्तुतः, हमने कौशिक समिति नियुक्ति की थी। अक्तूबर 2005, में उसने हेलिकॉप्टर सुरक्षा के संबंध में सलाह के तौर पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इन सिफारिशों को अब पूरी तरह कार्यान्वित किया गया है। डी.जी.सी.ए. ने लगभग एक वर्ष पहले अपने अधीन ही एक विशेष हेलिकॉप्टर प्रकोष्ठ की भी स्थापना की है और ऐसा एफ.ए.ए. के सहयोग से किया जा रहा है, जो कि उन्हें यह सलाह देने के लिए हमें उड़ान विशेषज्ञ उपलब्ध कराएंगे कि ऐसी कौन सी सिफारिशें हैं जिन्हें कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता है। ये उड़ान भरने की सक्षमता और सुरक्षा से संबंधित हैं। इसलिए, मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त कर सकता हूं कि देश में हेलिकॉप्टरों की बढ़ती संख्या को देखते हुए डी.जी.सी.ए. इस पहलु पर उतने ही सार्थक रूप से गौर कर रहा है जितनी कि स्थायी पंखों वाले विमानों के संबंध में।

**श्री कीरेन रिजीजू:** माननीय मंत्री महोदय ने बताया है कि दोहरे इंजनों का प्रयोग करना अनिवार्य नहीं है। मैं आपको भी यह जानकारी देना चाहता हूं कि सीमा अग्रवर्ती क्षेत्रों में हम वाहनों की अपेक्षा हेलिकॉप्टरों पर ज्यादा निर्भर हैं। ऐसा इसलिए है, क्योंकि संचार और परिवहन, का एकमात्र यही साधन है। हमने कुछेक वर्ष पहले रक्षा मंत्रालय के एक राज्यमंत्री एक शिक्षा राज्य मंत्री, एक सचिव और टाइम्स ऑफ इंडिया की एक महत्वपूर्ण शख्सियत को खोया है। मैं विश्वास करता हूं कि दोहरे इंजन अथवा एकल इंजन की अपेक्षा अनुरक्षण और सर्विसिंग ही सुरक्षा के लिए अधिक महत्त्वपूर्ण हैं।

माननीय मंत्री महोदय और उनका मंत्रालय अरुणाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर जैसे राज्यों के सीमा के अग्रवर्ती क्षेत्रों में बेहतर सर्विसिंग के लिए किस प्रकार के उपाय कर रहा है?

**श्री प्रफुल पटेल:** महोदय, हेलिकॉप्टर चाहे सीमावर्ती क्षेत्रों में उड़ान भर रहा हो अथवा देश के किसी अन्य हिस्से में, उसकी सुरक्षा संबंधी नियमावली अर्थात् हेलिकॉप्टर का किस प्रकार रखरखाव किया जाता है, विनिर्माता द्वारा निर्धारित एक मानक प्रक्रिया है। डी.जी.सी.ए. यह निगरानी करता है कि उपयोगकर्ता द्वारा इन प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं। वास्तव में, मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि गत पांच वर्षों में हुई एकल इंजन हेलिकॉप्टर की 14 दुर्घटनाओं में से मात्र तीन दुर्घटनाएं इंजनों से संबंधित हैं, जिन्हें रखरखाव अथवा अन्य बातों से जोड़ा जा सकता है। मैं निश्चित तौर पर यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकता, लेकिन अन्य घटनाएं अथवा दुर्घटनाएं प्रमुख तौर पर पायलट की गलती अथवा खराब रोशनी अथवा अन्य कारणों से हुई थीं। ऐसा कहना कि एकल इंजन वाला हेलिकॉप्टर सुरक्षित नहीं है अथवा इसके प्रचालन की प्रक्रिया अलग है, संभवतः अनुचित है।

**अध्यक्ष महोदय:** प्र. सं. 606, श्री हंसराज गं. अहीर - उपस्थित नहीं।

प्र. सं. 607, श्री रघुनाथ झा - उपस्थित नहीं।

प्र. सं. 608, श्री एस.के. खारवेनथन।

**क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से परीक्षाएं**

***608. श्री एस.के. खारवेनथन:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे भर्ती बोर्ड विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से परीक्षाएं आयोजित कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रक्रिया में किसी क्षेत्रीय भाषा को छोड़ दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों से उनके छात्रों विशेषकर तमिलनाडु के छात्रों को पेश आ रही समस्याओं के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) से (च) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*विवरण*

(क) और (ख) जी नहीं। रेल भर्ती बोर्ड लिखित परीक्षाओं का आयोजन केवल हिंदी और अंग्रेजी भाषा के माध्यम से ही करते हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) और (च) ऐसे किसी अभ्यावेदन/अभ्यावेदनों पर विचार नहीं किया जा रहा है।

**श्री एस.के. खारवेनथन:** महोदय, हिंदी और अंग्रेजी में लिखित परीक्षाओं के आयोजन के अलावा, प्रत्येक मंडल अथवा राज्य में एक प्रांतीय भाषा की शुरुआत करने में क्या कठिनाई है?

**श्री आर. वेलु:** हमारे यहां समूह "ग" के लिए एक-समान प्रक्रिया है। यहां तक कि वर्ष 1968 में संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत संकल्प में भी यही कहा गया था कि किसी को भी प्रारम्भिक चरण में भर्ती होने के लिए अनिवार्य रूप से हिन्दी या अंग्रेजी आनी चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए, अब हम इसे समूह "ग" के लिए अपना रहे हैं। लेकिन समूह "घ" कर्मचारियों के मामले में, जिन्होंने केवल आठवीं कक्षा तक शिक्षित हैं, वर्ष 2003 से हिन्दी और अंग्रेजी के अतिरिक्त उस क्षेत्र की एक स्थानीय भाषा की भी शुरुआत की गई है।

**अध्यक्ष महोदय:** यह बहुत अच्छी बात है।

**श्री एस.के. खारवेनथन:** मैं 22 नवंबर, 2003 के "द ट्रिब्यून" में प्रकाशित एक खबर का उल्लेख करना चाहता हूं, जिसमें तत्कालीन रेल मंत्री श्री नितीश कुमार ने कहा है:-

"तथापि, उन्होंने कहा कि रेलवे स्थानीय लोगों को रेलवे बोर्ड की परीक्षाओं में अपनी-अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में लिखने की अनुमति देकर उन्हें बेहतर भर्ती सुविधाओं की पेशकश करेगा।"

इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है? ऐसी भाषा की शुरुआत करने में क्या व्यावहारिक कठिनाई है जिससे कि योग्य आवेदकों की अत्यधिक मदद मिले?

**श्री आर. वेलु:** मैंने इस प्रश्न का पहले ही जवाब दे दिया है।

**अध्यक्ष महोदय:** माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि इसकी पहले ही शुरुआत की जा चुकी है।

**श्री आर. वेलु:** इसे समूह "घ" में पहले ही शुरू किया जा चुका है। समूह "ग" में हम इसे लागू नहीं कर पाए हैं, क्योंकि अब जम्मू और कश्मीर से भी कोई व्यक्ति आ सकता है और तमिलनाडु परीक्षा दे सकता है। इसलिए, उन सभी के लिए हिन्दी और अंग्रेजी सामान्य है। जहां इस प्रकार की योग्यता की आवश्यकता नहीं है, वस्तुत: समूह "घ" के लिए जो कि अंग्रेजी अथवा हिन्दी में सुरक्षित नहीं है, वहां हम स्थानीय भाषा की शुरुआत कर रहे हैं।

**अध्यक्ष महोदय:** आप इसका जवाब दे चुके हैं।

अब, श्री भंवर सिंह डांगावास।

*[हिन्दी]*

**श्री भंवर सिंह डांगावास:** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से एक छोटा सा प्रश्न राजस्थानी भाषा को मान्यता देने के लिए पूछना चाहता हूं। पिछले सत्र में मुझे कहा गया था कि अगले सत्र में देंगे। अब यह सत्र भी समाप्त होने जा रहा है। क्या राजस्थानी भाषा को मान्यता दी जाएगी?

*[अनुवाद]*

**श्री आर. वेलु:** मैं इस प्रश्न का जवाब नहीं दे सकता।

**अध्यक्ष महोदय:** रेल मंत्री इस प्रश्न का जवाब नहीं दे सकते।

*[हिन्दी]*

आपका प्रश्न रिकार्ड हुआ मगर उत्तर नहीं, क्योंकि उसका जवाब रेल मंत्री नहीं दे सकते हैं।

**श्री मोहन रावले:** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जो रेलवे की परीक्षाओं के लिए रिक्रुटमैंट होती है, मैं मुम्बई या महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूं, उसमें हर स्टेट में वहां के लोकल इंप्लायमैंट एक्सेन्जेज के तहत एप्लीकेशंस मंगानी चाहिए। यह तरीका आप क्यों नहीं अपनाते? ऐसा न होने के कारण एक ही राज्य के लोगों को प्रायॉरिटी मिल रही है।

**अध्यक्ष महोदय:** यह मीडियम ऑफ लैंग्वेज के बारे में प्रश्न है।

**श्री मोहन रावले:** यह इससे संबंधित है। परीक्षाओं में रीजनल लैंग्वेज महत्वपूर्ण है। अगर लोकल एक्सेंच से मंगाएंगे तो रीजनल लैंग्वेज अपने आप आ जाएगी।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** क्या आप उनका प्रश्न समझ गए हैं?

**श्री आर. वेलु:** जी हां, सर्वप्रथम, रेलवे भर्ती राज्य केन्द्रित नहीं है। यह अखिल भारतीय है। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है कि कोई कहीं भी परीक्षा दे सकता है...*(व्यवधान)* मुझे जवाब देने दीजिए...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** स्पष्टीकरण वाला कोई प्रश्न नहीं। कृपया इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न करें। अब मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।

*(व्यवधान)**...

**अध्यक्ष महोदय:** श्री मोहन रावले, आपको जवाब सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव:** सर, मेरा भी एक सप्लीमैंट्री है।

**अध्यक्ष महोदय:** एक एक करके पूछेंगे।

*[अनुवाद]*

**श्री आर. वेलु:** महोदय, हम वहां, जाकर रोजगार कार्यालयों से सूची मंगवाकर भर्ती नहीं कर सकते क्योंकि उससे वह उस विशिष्ट क्षेत्र अथवा राज्य तक सीमित रह जाएगा। यह देश में सबके लिए खुली है...*(व्यवधान)*

**श्री बसुदेव आचार्य:** महोदय, रेलवे भर्ती बोर्ड ने समूह "ग" उम्मीदवार की भर्ती के लिए केवल दो भाषाएं रखने की नीति अपनाई है। वर्ष 1998 से पहले, समूह "घ" की भर्ती के लिए किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं थी। वर्ष, 1998 में ही यह निर्णय लिया गया कि न्यूनतम योग्यता आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। महोदय, यह नीति वर्ष 1998 में अपनाई गई थी...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** यह प्रश्न भाषाओं से संबंधित है।

**श्री बसुदेव आचार्य:** मैं इसी प्रश्न पर आ रहा हूं।

**अध्यक्ष महोदय:** कब?

**श्री बसुदेव आचार्य:** महोदय, रेल मंत्रालय में माननीय राज्य मंत्री ने यही कहा है। चूंकि अनेक क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ है और उन्हें हमारे संविधान की आठवीं सूची में समाविष्ट किया गया है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या रेल मंत्रालय अथवा भारत सरकार इसकी समीक्षा करेंगे ताकि विभिन्न राज्यों के उम्मीदवारों को उनकी अपनी-अपनी भाषाओं में परीक्षा देने की अनुमति दी जा सके।

ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसा अखिल भारतीय आधार पर होगा। लेकिन रेल मंत्रालय द्वारा एकसमान प्रश्नमालाएं तैयार की जा सकती हैं और उन्हीं के आधार पर परीक्षा हो सकती है ताकि विभिन्न स्थानों के विभिन्न भाषाएं बोलने वाले सभी उम्मीदवारों को बराबर के अवसर मिल सकें।

**अध्यक्ष महोदय:** उन्होंने ऐसा कहा है।

**श्री आर. वेलु:** जी हां, मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं।

**श्री बसुदेव आचार्य:** आपने स्पष्ट नहीं किया है।

**अध्यक्ष महोदय:** वे प्रत्येक क्षेत्र के बारे में नहीं बता सकते। कृपया सहयोग करें।

**श्री आर. वेलु:** मैं श्रेणी "ग" के बारे में पहले ही कह चुका हूं। माननीय सदस्य रेल संबंधी स्थायी समिति के सभापति हैं और वह रेलवे के विषयों से भली-भांति परिचित् हैं।

**अध्यक्ष महोदय:** यही समस्या है।

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**श्री बसुदेव आचार्य:** यह भर्ती नीति के बारे में है ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** रेल मंत्री महोदय, मेरी ओर देखिए!

...*(व्यवधान)*

**श्री आर. वेलु:** माननीय सदस्य को श्रेणी "ग" के बारे में आशंका है। देश में लगभग 20 रेलवे भर्ती बोर्ड हैं और वे भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रश्नों को चयन करते होंगे। उनके एक जैसी प्रश्नमालाओं के मुद्दे पर अब विचार किया जा रहा है।

भाषा वाले भाग के बारे में जैसा कि मैंने उल्लेख किया है यह केवल निम्न श्रेणी के पदों पर लागू हो सकता है उच्च श्रेणी के पदों पर नहीं।

*[हिन्दी]*

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव:** अध्यक्ष महोदय, मैं रेल राज्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि रेलवे बोर्ड ने जो दो भाषाओं में परीक्षा लेने की नीति निर्धारित की है, इसमें क्या यह बात सही है कि गत महीने कलकत्ता में रिक्रुटमेंट बोर्ड द्वारा जो एग्जाम हुआ, उसमें मात्र एक भाषा में, केवल इंग्लिश में क्वश्चन पेपर छपे थे, इस कारण से वहां दो बार परीक्षा स्थगित हुई। क्या आप ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे कि इस तरह से क्यों किया गया? आपने कहा कि दो भाषाओं में क्वश्चन पेपर छपा, दो भाषाओं में कहां छपा, एक ही लेंग्वेज में क्वश्चन पेपर छपा और इस कारण से वहां दो बार परीक्षा स्थगित हुई है।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** यह आपकी नीति के विरुद्ध होगा।

**श्री आर. वेलु:** यदि यह बात मेरे ध्यान में लाई जाती है, तो मैं अवश्य कार्रवाई करूंगा। सामान्यत: दो भाषाएं होती हैं। हमारे पास सदैव भारतीय भाषाओं का विकल्प होता है।

**तीर्थस्थलों के लिए रेलगाड़ियां चलाना**

*609. **श्री पी.एस. गढ़वी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे की तीर्थस्थलों के लिए रियायती किरायों पर सुपर फास्ट रेलगाड़ियां चलाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे की विभिन्न स्थानों पर तीर्थ-यात्रियों के ठहरने के लिए यात्री निवासों का निर्माण करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

***विवरण***

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) बहरहाल, भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम द्वारा तीर्थयात्रियों सहित पर्यटकों के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी के जरिए 100 बजट होटल स्थापित किए जाने की योजना है। इनमें से कुछ स्थान तीर्थ यात्रियों की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं।

**श्री पी.एस. गढ़वी:** महोदय, मेरे प्रश्न सं. 609 के भाग (क) के उत्तर में - जिसमें मैंने यह पूछा था कि क्या रेलवे की तीर्थस्थलों के लिए रियायती किरायों पर सुपरफास्ट रेलगाड़ियां चलाने की कोई योजना है - माननीय मंत्री जी ने केवल "नहीं" कहकर उल्लेख किया है। परंतु यहां मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि कोंकण रेलवे के माध्यम से मुंबई और एर्णाकुलम के बीच सबरीमाला तीर्थस्थल साप्ताहिक विशेष रेलगाड़ी चलाई गई थी, जैसा कि दिनांक 22 दिसंबर, 2005 के अतारांकित प्रश्न सं. 4409 के उत्तर में बताया गया था। मैं यह जानना चाहता हूं कि भारतीय रेल अथवा भारतीय रेल खान-पान एवं पर्यटन निगम (आई.आर.सी.टी.सी.) द्वारा ऐसी रेलगाड़ी चलाई गई थी। दूसरे, भारतीय रेल का आई.आर.सी. टी.सी. पर क्या नियंत्रण है?

**श्री आर. वेलु:** महोदय, आई.आर.सी.टी.सी. रेलवे का ही एक हिस्सा है। इससे ऐसी आशा की जाती है कि वह केवल सबरीमाला के लिए ही नहीं बल्कि वैष्णो देवी और बौद्ध तीर्थ स्थानों आदि के लिए भी विशेष रेलगाड़ियां चलाए।

उनका सीधा प्रश्न यह है कि क्या सबरीमाला तीर्थस्थल साप्ताहिक विशेष रेलगाड़ी आई.आर.सी.टी.सी. द्वारा रियायतें आदि के साथ चलाई जाती हैं। महोदय, विशेष रेलगाड़ियों के किराए के लिए आई.आर.सी.टी.सी. की अपनी योजना है। यदि इसे रेल मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है, तो यह अन्य नियमित रेलगाड़ियों की तरह होती और जो भी रियायत सुविधाएं होती, वे अवश्य दी जाती। परंतु यदि यह पर्यटन, तीर्थयात्रा आदि हेतु आई.आर.सी.टी.सी. अथवा निजी आपरेटर द्वारा चलाई जाने वाली विशेष रेलगाड़ी है तो यह बिल्कुल अलग बात है।

**श्री पी.एस. गढ़वी:** महोदय, क्या माननीय मंत्री जी पश्चिम में सोमनाथ और द्वारका तथा पूर्व में जगन्नाथ-पुरी, दक्षिण में रामेश्वरम और उत्तर में हरिद्वार को जोड़ने वाली विशेष तीर्थयात्रा रेलगाड़ी चलाने के लिए आई.आर.सी.टी.सी. को निदेश अथवा सलाह देंगे।

**श्री आर. वेलु:** महोदय, मैं माननीय सदस्य की चिंता को समझता हूं। मैं निश्चित रूप से आई.आर.सी.टी.सी. को सलाह दूंगा कि वह सुनिश्चित करे कि इन सभी तीर्थ स्थानों को कवर करने के लिए ऐसी रेलगाड़ियां चलाई जाएं।

**अध्यक्ष महोदय:** आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। इस प्रश्न के संबंध में और अनुपूरक प्रश्न नहीं।

*[हिन्दी]*

**प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सम्बन्धी सूचना**

***610. प्रो. रासा सिंह रावत:** क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश की नई पीढ़ी को 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की प्रामाणिक सूचना प्रदान करने और उनमें देशभक्ति की भावना पैदा करने के लिए सरकार ने क्या योजना बनाई है?

*[अनुवाद]*

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी):** (क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*विवरण*

इस सूचना के प्रसार हेतु प्रतिकल्पित कुछेक परियोजनाएं इस प्रकार हैं:

(i) मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा गठित एक समिति की सिफारिश पर पहले से प्रकाशित सरकारी प्रकाशनों का पुनर्मुद्रण।

(ii) राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्रहालय की स्थापना।

(iii) समूचे देश में भ्रमण हेतु रेलगाड़ी पर एक सचल प्रदर्शनी।

जनता तथा युवाओं की भागीदारी इन समारोह का महत्वपूर्ण भाग है। 11 मई, 2007 को लाल किले पर उद्घाटन समारोह पहले ही आयोजित किया जा चुका है, जिसमें देश के सभी स्थानों से युवा एकत्रित हुए। इन युवाओं ने मेरठ से दिल्ली की पद-यात्रा की जो 1857 में मेरठ से सिपाहियों के कूच का प्रतीक है। राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को भी कार्यक्रम तैयार करने हेतु राज्य स्तरीय समितियां गठित करने के लिए कहा गया है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से जनता विशेषकर युवा वर्ग को सम्मिलित करके उन्हें स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जानकारी प्रदान कर उनमें देशभक्ति की भावना जागृत होगी।

**अध्यक्ष महोदय:** अनुपूरक प्रश्नों के लिए समय नहीं है अब प्रश्नकाल समाप्त होता है।

---

**प्रश्नों के लिखित उत्तर**

*[हिन्दी]*

**स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय अनुदान**

***606. श्री हंसराज ग. अहीर: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्वयंसेवी संगठनों को दिए जा रहे वित्तीय अनुदानों की वितरण प्रणाली में संशोधन करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार निधि के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी समिति गठित करने का है जिससे कि जरूरतमंद लोग इससे लाभान्वित हो सकें; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार):** (क) से (घ) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष से गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान की मंजूरी की क्रियाविधि को सरल और कारगर बनाया है। नई क्रियाविधि के अनुसार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य स्तरीय "बहुविषयक सहायता अनुदान समिति" में संवीक्षा के पश्चात् अपनी समेकित सिफारिशें केन्द्रीय सरकार को भेजनी होती है। उनसे यह भी अपेक्षा होती है कि वे सहायता अनुदान समिति द्वारा विधिवत संस्तुत अपने प्रस्ताव प्रतिवर्ष 30 जून तक प्रस्तुत करें। प्रस्तावों की संस्तुति करते समय राज्य सरकारों को अल्प सेवा क्षेत्रों में स्वैच्छिक प्रयासों की सहायता करने के लिए क्षेत्रीय असंतुलन की समस्या पर ध्यान देना होगा।

*[अनुवाद]*

## एच.वी.एफ. द्वारा स्वेदशी टैंक 'जेड' का विनिर्माण

***607. श्री रघुनाथ झा:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारी वाहन कारखाने एच.वी.एफ.) द्वारा स्वेदेशी टैंक 'जेड' के विनिर्माण की प्रगति असंतोषजनक है क्योंकि वह सेना मुख्यालय द्वारा मार्च, 2000 में मांगे गए 124 टैंकों का अब तक विनिर्माण नहीं कर सका है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) टैंक 'जेड' के उत्पादन और आपूर्ति में एच.वी.एफ. के कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है?

**रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी):** (क) 'जेड' टैंक, प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों के कारण आवश्यक एक विकासात्मक चरण से गुजर चुका है। इस टैंक के प्रयोक्ता परीक्षण मूल्यांकन भी किए जाते रहे हैं और इस प्रक्रिया के दौरान कुछ हिस्से-पुर्जों में डिजाइन संबंधी संशोधन किए गए। विस्तृत परीक्षणों के दौरान इन टैंकों का कार्य-निष्पादन संतोषजनक पाए जाने पर सेना को टैंकों का निर्गम शुरू होगा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 100 करोड़ रुपए के परिव्यय से टैंकों के उत्पादन और आपूर्ति के लिए अवसंरचना का उन्नयन पहले ही कर दिया गया है।

## भारत को एल.एन.जी. की आपूर्ति

***611. श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल:**
**श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:**

**क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ईरान तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल.एन.जी.) की बिक्री के लिए किसी निजी भारतीय भागीदार की तलाश कर रहा है जबकि वर्ष 2005 में पांच मिलियन टन एल.एन.जी. की वार्षिक आपूर्ति के लिए सरकार-से-सरकार के बीच एल.एन.जी. समझौता हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में ईरान से कोई पुष्ट प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) निजी क्षेत्र की भागीदारी का सरकार-से-सरकार के बीच हुए एल.एन.जी. समझौते पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा):** (क) जी, नहीं। इस संबंध में ईरान से कोई औपचारिक पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

## सामाजिक दायित्व कार्यक्रमों के अंतर्गत ओ.एन.जी.सी. की परियोजनाएं

***612. श्री के.एस. राव:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सामाजिक दायित्व कार्यक्रमों के अंतर्गत ओ.एन.सी.जी. द्वारा शुरू की गयी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गयी तथा इसके अंतर्गत क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा):** (क) और (ख) ओ.एन.जी.सी. निम्नलिखित क्षेत्रों में नैगम सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है:-

1. आपदा राहत

2. जल प्रबंधन
3. शिक्षा
4. स्वास्थ्य देखभाल
5. उद्यमशीलता

पिछले तीन वर्षों में संचालित की गई प्रमुख परियोजनाओं की सूची, इन परियोजनाओं के लिए आबंटित/खर्च की गई धनराशि संलग्न विवरण में दी गई है।

***विवरण***

*पिछले तीन वर्ष के दौरान सामाजिक दायित्व के अंतर्गत ओ.एन.जी.सी. द्वारा संचालित प्रमुख परियोजनाएं*

| क्र. सं. | परियोजना/लाभप्राप्तकर्ता का नाम | आबंटित और उपयोग में लाई गई धनराशियां | परियोजना/प्रयोजन का ब्यौरा |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ओ.एन.जी.सी. पी.यू.आर.ए. | संग्रह निधि के रूप में 10 करोड़ रुपए | ओ.एन.जी.सी. ने ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन के लिए बेकार और अलग-थलग पड़े कूपों से गैस उपलब्ध कराने के लिए अपना स्वयं का पी.यू.आर.ए. (ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना) ट्रस्ट आरंभ किया। प्रथम पी.यू.आर.ए. त्रिपुरा में आरंभ हुआ। |
| 2. | परियोजना सरस्वती | प्रायोगिक परियोजना के लिए 1.7 करोड़ रुपए | उत्तर पश्चिमी राजस्थान और हरियाणा के क्षेत्रों में जल समस्याओं पर काबू पाने के लिए इन क्षेत्रों में लुप्त पौराणिक नदी सरस्वती द्वारा छोड़े गए गहरे जलीय खण्डों का पता लगाने के लिए परियोजना। |
| 3. | रामकृष्ण मिशन दृष्टिबाधित बालक अकादमी, नरेन्द्रपुर | 60 लाख रुपए | पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत के सभी नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए ब्रेल पुस्तकों के प्रकाशन के लिए कम्प्यूटर की सहायता वाली ब्रेल पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए परियोजना। |
| 4. | हिम ज्योति फांऊडेशन, देहरादून | 1.5 करोड़ रुपए | उत्तराखण्ड की केवल वंचित लड़कियों के लिए बोर्डिंग स्कूल हेतु सहायता। |
| 5. | ऊर्जा अनुसंधान संस्थान, दिल्ली | 60 लाख रुपए | टी.ई.आर.आई. में मध्यपूर्व में ऊर्जा सुरक्षा और विकास के अध्ययन के केन्द्र के विकास के लिए सहायता। |
| 6. | अक्षय पत्र फाऊंडेशन, इस्कॉन मंगलौर | लगभग 9 लाख रुपए | ग्रामीण मंगलौर में स्कूलों में पढ़ने वाले वंचित, बच्चों के लिए दोपहर के भोजन हेतु सहायता। |
| 7. | पेरेंट्स सुपोर्ट ग्रुप, दिल्ली | 12.5 लाख रुपए | विविधतः सक्षम बच्चों के लिए पिड्डल्म बनाने पर कार्यशाला। |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 8. | महिला पॉलीटेकनिक, देहरादून | 1 करोड़ रुपए | विशेष रूप से उत्तराखण्ड की महिलाओं के लिए एक पोलीटेकनिक हेतु सहायता। |
| 9. | प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री राहत कोष | प्रधान मंत्री राहत कोष-15 करोड़ रुपए तथा 2 करोड़ रुपए तथा 1 करोड़ रुपए, मुख्य मंत्री राहत कोष-1 करोड़ रुपए | चूंकि आपदा राहत हमारे संकेन्द्रण क्षेत्रों में से एक है इसलिए जब कभी आपदा आती है ओ.एन.जी.सी. इन राहत कोषों में अंशदान करती रहती है। |
| 10. | भारीतय रेड क्रास सोसाइटी, गुवाहाटी | 27.5 लाख रुपए | असम में बाढ़ राहत के लिए सहायता। |
| 11. | शंकर नेत्रालय, चेन्नई | 1.98 करोड़ रुपए | आनुवंशिक और आणविक जीव विज्ञान निदान विभाग की नैदानिक सेवाओं के उन्नयन के लिए। |
| 12. | उत्तराखंड वन अस्पताल, हल्दवानी | 1 करोड़ रुपए | उत्तराखण्ड के दूरदराजी इलाकों में बहु-विशिष्टता अस्पतालों के विकास के लिए सहायता। |
| 13. | कैंसर संस्थान चेन्नई | 1 करोड़ रुपए | संस्थान में गहन देखभाल इकाई (आई.सी.यू.) के उन्नयन हेतु। |
| 14. | चिंतन, दिल्ली | 15 लाख रुपए | विथड़े बनने वालों के लाभार्थ रीसाइकलिंग संयंत्रों के अधिष्ठापन हेतु सहायता। |
| 15. | बुनकर विकास, संस्थान, चंदेरी, मध्य प्रदेश | 5 लाख रुपए | चंदेरी, मध्य प्रदेश के गरीब बुनकरों के लिए सहायता। |
| 16. | ओरोविले लैंगवेज लेबोरेटरी, पाण्डिचेरी | 12.5 लाख रुपए | टामाटिस लैंगवेज लेबोरेटरी के विकास के लिए सहायता। |
| 17. | राजीव गांधी फाऊंडेशन, दिल्ली | 5 लाख रुपए | अस्थि विकलांग लोगों के लिए मोटर लगी तिपहिया उपलब्ध कराने के लिए सहायता। |
| 18. | समुदाय भवन परियोजना | लगभग 1 करोड़ रुपए | कराईकाल में ओ.एन.जी.सी. की कावेरी आस्ति के समीप समुदाय भवन के विकास के लिए सहायता। |
| 19. | चल चिकित्सा इकाई | 15 लाख रुपए | नेल्लोर और आसपास के क्षेत्रों की ग्रामीण जनसंख्या के लिए। |
| 20. | सेतु निर्माण | 40 लाख रुपए | ओडालारेवु, पूर्वी गोदावरी, जिला, आंध्र प्रदेश के सेतु के निर्माण हेतु सहायता। |
| 21. | पैदल पुल | 17.5 लाख रुपए | सुनामी के दौरान विध्वंस के बाद कावेरी आस्ति में आरासलार नदी पर। |
| 22. | मत्स्य जाल परियोजना | 15 लाख रुपए | सुनामी के बाद गरीब मछुआरों को मत्स्य जाल उपलब्ध कराने हेतु सहायता। |

**स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता**

*613. **श्री मनोरंजन भक्त:** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार देश में पारिस्थितिकीय पर्यटन तथा जनजातीय संस्कृति के संरक्षण तथा संवर्धन में लगे स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता देती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में विशेषत: अंडमान और निकोबार द्वीपसमूहों में इस समय कार्यरत ऐसे संगठनों की संख्या कितनी है और गत तीन वर्षों के दौरान उन्हें कितनी वित्तीय सहायता दी गयी है; और

(घ) इन संगठनों का अब तक कार्य निष्पादन कैसा रहा है?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी):** (क) से (घ) पर्यटन मंत्रालय, ग्रामीण पर्यटन के विकास हेतु योजना के अंतर्गत और क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी परियोजनाओं की संकल्पना और कार्यान्वयन में स्वयंसेवी संगठनों को शामिल करता है। तथापि, संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और उनकी एजेंसियों को, जो परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी हैं, निधियां अवमुक्त की जाती हैं।

**ट्रांस-एशियन रेलवे संबंधी समझौता**

*614. **श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने हाल ही में ट्रांस-एशियन रेलवे संबंधी अन्तर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर करने तथा इसका अनुमोदन करने की स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इस परयोजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसमें कुल कितना निवेश हुआ है तथा भारतीय रेल की इसमें कितनी हिस्सेदारी है?

**रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद):** (क) जी हां।

(ख) और (ग) ट्रांस एशियन रेलवे पर अंतर सरकारी समझौता यूनाइटेड नेशन्स इकोनॉमिक एण्ड सोशल कमीशन फार एशिया एवं पैसिफिक (यू.एन.-इस्कैप) के तत्वावधान में किया गया था और नवम्बर, 2006 में बुसान में परिवहन पर मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की रेल लाइनों को परिभाषित एवं सूचीबद्ध किया गया है जिसमें मिसिंग लिंक्स भी शामिल हैं और ट्रांस एशियन रेलवे नेटवर्क पर बाधारहित परिवहन मुहैया कराने के लिए तकनीकी विशेषताओं से संबंधित दिशा-निर्देशों संबंधी सिद्धांतों का निर्धारण किया गया है। इस समझौते में नेटवर्क के लिए अपेक्षित कुल निवेश का अनुमान नहीं लगाया गया है। बहरहाल, मिसिंग लिंक्स भारत में जिरीबाम से म्यांमार में तामू तक है। राइट्स लिमिटेड के जरिए विदेश मंत्रालय द्वारा करवाए गए व्यावहारिकता अध्ययन के अनुसार मिसिंग लिंक्स के निर्माण की लागत तकरीबन 2941 करोड़ रु. आएगी। इस भाग के लिए रेलवे ने जिरीबाम और तुपुई (इम्फाल से कुछ पहले) के बीच 97 कि.मी. नए रेल संपर्क के निर्माण का कार्य अनुमोदित किया है जिसकी लागत 727.56 करोड़ रु. है।

*[हिन्दी]*

**संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के लिए सशस्त्र बल कर्मियों की तैनाती**

*615. **श्री रामदास आठवले:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल के वर्षों में भारत ने विभिन्न देशों में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सहायता करने के लिए सशस्त्र बल कर्मियों के कई दल भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस उद्देश्य से कितने सशस्त्र बल कर्मी भेजे गए हैं;

(ग) क्या संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में भारतीय सशस्त्र बल कर्मियों की भागीदारी हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ पर कोई धनराशि बकाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) संयुक्त राष्ट्र संघ से बकाया धनराशि की शीघ्र वसूली करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी):** (क) से (ङ) भारत, संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना मिशनों में सन् 1950 से सक्रिय भागीदार रहा है। पिछले तीन वर्षों में विभिन्न शांति स्थापना मिशनों के लिए प्रतिनियुक्त सशस्त्र सेना-कार्मिकों की संख्या इस प्रकार है:-

| वर्ष | कार्गिकों की संख्या |
|---|---|
| 2004 | 3579 |
| 2005 | 6854 |
| 2006 | 8922 |

मार्च 2007 की स्थिति के अनुसार विभिन्न मिशनों में तैनाती के संबंध में प्रतिपूर्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र की तरफ 228.99 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग) की राशि बकाया है। अत: सैनिकों और उपस्करों की तैनाती तथा प्रभारों की प्रतिपूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है जिस पर न्यूयार्क स्थित भारत के स्थायी मिशन के माध्यम से अथवा समय-समय पर विशेष दल भेजकर अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

*[अनुवाद]*

**विमानों में हथियार ले जाना**

***616. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:** क्या नागर विमानन **मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में विभिन्न विमानों में यात्रा कर रहे यात्रियों के सामान में हथियार पाए गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल):** (क) और (ख) जी, हां। हाल ही में चार अवसरों पर यात्रियों के सामान में हथियार पाए गए थे, जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है:

1. दिनांक 13-01-2007 को दुबई के कस्टम प्राधिकारियों ने एअर इंडिया की उड़ान ए.आई.-717 में मुम्बई से दुबई यात्रा कर रहे श्री नुसली वाडिया नामक एक यात्री के पंजीकृत बैगेज से एक पिस्तौल तथा 30 राउण्ड गोली का पता लगाया।

2. 22-3-2007 को वाराणसी जा रही स्पाइसजैट की उड़ान सं. एस.जी.-603 में यात्रा कर रहे श्री एस.एम. अशरफ के हैण्ड बैगेज में एक .32 रिवाल्वर पाया गया।

3. दिनांक 3.5.2007 को पटना से दिल्ली जा रही जेट एयरवेज की उड़ान सं. 9 डब्ल्यू.-728 में यात्रा कर रहे श्री अनिल परमार के हैण्ड बैगेज में 06 राउण्ड से भरा हुआ एक .32 रिवाल्वर मेक-II पाया गया।

4. 3-5-2007 को हैदराबाद हवाईअड्डे पर पी.ओ.बी.सी. कूरियर के कूरियर बैगों की जांच के दौरान स्पाइस जैट के सुरक्षा स्टाफ द्वारा एक 0.22 बोर की राइफल पाई गई।

गामला-वार की गई कार्रवाई का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

1. एअर इंडिया ने जांच की। यह पाया गया कि एअर इंडिया के सुरक्षा एजेंट श्री डी.के. बाल्ले एक्सरे स्क्रीनिंग के दौरान हथियार को भापने में विफल रहे थे। श्री डी.के. बाल्ले की सेवाएं तब से निरस्त की जा चुकी हैं।

2. श्री एस.एम. अशरफ को पालम हवाईअड्डे के पुलिस थाने के हवाले कर दिया गया है और शस्त्र अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज किया गया।

3. शस्त्र अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई करने के लिए मामला पटना पुलिस थाने को सौंप दिया गया। बिहार पुलिस ने मामला अपने हाथ में ले लिया है।

4. कूरियर के प्रतिनिधि को स्पाइसजेट एयरलाइन द्वारा बेगमपेट पुलिस थाने के हवाले कर दिया गया। हैदराबाद पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

(ग) नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बी.सी.ए.एस.) के अधिकारियों के द्वारा एयरलाइनों के स्क्रीनरों के कुशलता स्तर को सुनिश्चित करने के लिए छदम जांचों की एक शृंखला आयोजित की गई। सुरक्षा प्रबंधों को नियमित रूप से संशोधित किया जाता है। बी.सी.ए.एस. विमानन प्रचालनों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवधिक रूप से विमानन सुरक्षा ओवरसाइट ऑडिट, निरीक्षणों सुरक्षा सर्वेक्षणों तथा परीक्षणों के साथ औचक निरीक्षण भी करता है।

*[हिन्दी]*

**ओ.एन.जी.सी. द्वारा भूमि अधिग्रहण पर मुआवजे का भुगतान**

***617. श्री जीवाभाई ए. पटेल:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम द्वारा किसानों को

उनकी भूमि का अधिग्रहण किए जाने पर मुआवजे के भुगतान हेतु निर्धारित मानदण्ड क्या है;

(ख) गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम द्वारा इस मद में किसानों को राज्य-वार कितनी मुआवजा राशि का भुगतान किया गया;

(ग) क्या सरकार को मुआवजे के भुगतान के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा):** (क) और (ख) ओ.एन.जी.सी. अपने अन्वेषण और उत्पादन कार्य करने के लिए आवश्यकता के अनुसार सीधे खरीद या किराए के आधार पर भूमि का अधिग्रहण करती है। अन्वेषण कार्य के समाप्त हो जाने और क्षेत्र/कार्यस्थल के आवश्यक न रह जाने पर अस्थायी आधार पर अधिग्रहण की गई भूमि सामान्य स्थिति में लाई जाती है और किसान को वापस कर दी जाती है। तथापि, हाइड्रोकार्बन संभाव्यता के स्थापित हो जाने पर भूमि स्थायी आधार पर प्राप्त की जाती है। क्षतिपूर्ति की राशि का संबंधित राज्य सरकारों के राजस्व प्राधिकरण द्वारा नियत दरों के अनुसार निर्णय लिया जाता है। सामान्यतया भूस्वामी को क्षतिपूर्तियों का भुगतान राज्य प्राधिकरणों के माध्यम से अधिग्रहण के तीन महीनों के भीतर किया जाता है।

भूमि के अधिग्रहण के तौर पर 2005-06 और 2006-07 के दौरान दी गई क्षतिपूर्ति का राज्यवार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

| क्रम संख्या | राज्य | 2005-06 लाख रुपए | 2006-07 लाख रुपए |
|---|---|---|---|
| 1. | असम | 273.08 | 192.29 |
| 2. | त्रिपुरा | 102.43 | 332.30 |
| 3. | गुजरात | 1743.74 | 2308.12 |
| 4. | आन्ध्र प्रदेश | 41.32 | 42.28 |
| 5. | तमिलनाडु | 272.93 | 342.00 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 6.67 | 0.0 |
| 7. | उत्तर प्रदेश/मध्य प्रदेश | 0.0 | 1.97 |
| 8. | महाराष्ट्र | 0.0 | 0.09 |
| 9. | पश्चिम बंगाल | 21.03 | 0.0 |
| 10. | झारखंड | 93.67 | 58.13 |
| 11. | राजस्थान | 0.20 | 280.48 |

(ग) से (ङ) ओ.एन.जी.सी. ने यह सूचित किया है कि क्षतिपूर्ति के भुगतान संबंधी कोई भी शिकायतें नहीं मिली हैं। तथापि, क्षतिपूर्ति की दर बढ़ाने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं। ओ.एन.जी.सी. ने संबंधित राज्यों के राजस्व विभागों की सिफारिशों के आधार पर क्षतिपूर्ति की दरों में संशोधन किया है और क्षतिपूर्ति का भुगतान संशोधित दरों के अनुसार किया जा रहा है।

**केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशक मंडल में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति**

*618. **श्री हरिकेवल प्रसाद:**

**श्री एम. अंजनकुमार यादव:**

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के कई उपक्रमों के निदेशक मण्डल में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के किसी व्यक्ति को शामिल नहीं किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे उपक्रमों के नाम क्या हैं?

**भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव):** (क) और (ख) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में निदेशक मण्डल स्तर के पूर्णकालिक पदों पर नियुक्ति लोक उद्यम चयन बोर्ड (पी.ई.एस.बी.) की अनुशंसाओं के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद की जाती है।

निदेशक मण्डल स्तर के पदों पर नियुक्ति के लिए सरकार की चयन नीति का निर्धारण भारत सरकार के दिनांक 3-3-1987 के संकल्प में किया गया है। सरकार की नीति निदेशक मण्डल स्तर के पदों पर उत्कृष्ट व्यावसायिक प्रबंधकों को उचित व वस्तुपरक चयन प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त करने की है। उक्त संकल्प के सन्दर्भ में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग के लिए कोई आरक्षण प्रदान नहीं किया गया है। इसलिए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निदेशक मण्डल स्तर के पदों का जाति-वार तथा वर्ग-वार ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

**भारत पर्यटन की मार्केटिंग**

*619. **श्री बी.के. ढुम्मर:**

**श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:**

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अन्य देशों में भारत पर्यटन की मार्केटिंग को प्रभावी बनाने के लिए कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा आगे क्या कदम उठाए गए हैं?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी):** (क) और (ख) पर्यटन मंत्रालय ने विदेशी मार्केटिंग गतिविधियों के मूल्यांकन हेतु तथा विदेशी बाजारों में भावी मार्केटिंग प्रयासों को और प्रभावी बनाने के लिए सुझाव देने हेतु मई, 2006 में दी गैलप आर्गेनाइजेशन के माध्यम से एक अध्ययन शुरू किया था। लगभग 44% भावी यात्रियों के इस कथन से कि विज्ञापनों ने आगामी 2 वर्षों में भारत की यात्रा करने के लिए और प्रेरित किया, इस अध्ययन ने यह साबित किया है कि "इनक्रेडिबल इंडिया अभियान" एक गंतव्य के रूप में भारत में रूचि पैदा करने में सक्षम रहा है। यह अध्ययन सुझाव देता है कि भारत को पर्याप्त बजट आवंटित करने की और विदेश स्थित बाजारों में पर्यटन कार्यालयों की मौजूदगी को मजबूती प्रदान करने की आवश्यकता है।

(ग) क्षेत्रीय कार्यालयों, ट्रेड पार्टनरों, यात्रा पत्रिकाओं और बाजार सर्वेक्षणों/अध्ययनों आदि से प्राप्त फीड बैक को ध्यान में रखते हुए पर्यटन मंत्रालय अपने विदेश स्थित सभी कार्यालयों की मार्केटिंग गतिविधियों हेतु वार्षिक कार्य योजना तैयार करता है।

*[अनुवाद]*

**पेट्रोल/डीजल बिक्री केन्द्रों का आधुनिकरण**

*620. **श्री एम. राजा मोहन रेड्डी:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्रों के आधुनिकीकरण के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए है;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओ.एम.सी.) अपने खुदरा पेट्रोल/डीजल बिक्री केन्द्रों के आधुनिकीकरण पर भारी धन-राशि खर्च करती है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार प्रत्येक ओ.एम.सी. द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गयी है; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान इस उद्देश्य के लिए कंपनी-वार कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा):** (क) से (ग) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां

(ओ.एम.सीज) नामतः इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.एल.), भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बी.पी.सी.एल.) और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल.) नियंत्रणमुक्त परिदृश्य में कारगर ढंग से प्रतिस्पर्धा का सामना करने और अपनी वर्धित सेवाओं के माध्यम से ग्राहक निष्ठा बढ़ाने के लिए साज-सज्जा में सुधार करने और ग्राहकों को उपयुक्त सुविधाएं/सहूलियतें प्रदान करने के लिए अपने खुदरा बिक्री केन्द्रों (आर.ओज) के आधुनिकीकरण पर निवेश करती हैं। आधुनिकीकरण के लिए खुदरा बिक्री केन्द्रों के चयन का मापदंड मुख्य रूप से स्थान, वर्तमान बिक्री और भविष्य की क्षमता पर आधारित है। पिछले तीन वर्षों में आधुनिकीकरण पर खर्च की गई कंपनीवार कुल धनराशि निम्नानुसार है:-

(करोड़ रु.)

| वर्ष | आई.ओ.सी.एल. (आई.बी.पी. को सहित) | बी.पी.सी.एल. | एच.पी.सी.एल. |
|---|---|---|---|
| 2004-05 | 308 | 201 | 202 |
| 2005-06 | 323 | 209 | 223 |
| 2006-07 | 351 | 214 | 167 |

(घ) वर्तमान वर्ष के दौरान तेल विपणन कम्पनियों द्वारा आधुनिकीकरण के लिए निर्धारित कम्पनीवार धनराशि निम्नानुसार है:-

| कंपनी का नाम | 2007-08 (करोड़ रु.) |
|---|---|
| आई.ओ.सी.एल. (आई.बी.पी. सहित) | 763 |
| बी.पी.सी.एल. | 221 |
| एच.पी.सी.एल. | 105 |

**नि:शक्त व्यक्तियों के लिए योजना**

*621. **श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग एवं नि:शक्त व्यक्तियों को रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने की संभावनाओं को और बेहतर बनाने हेतु 1800 करोड़ रुपए की योजना तैयारी की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कार्यान्वयन की पद्धति क्या है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार):** (क) और (ख) सरकार ने शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को नियमित रोजगार में बढ़ावा देने के लिए संगठित क्षेत्र के नियोक्ताओं को प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है। इस प्रयोजन के लिए कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा हेतु नियोक्ताओं के पहले तीन वर्षों के अंशदान की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

*[हिन्दी]*

**एम.एस.एस.आर. की स्थापना**

5741. **श्री थावर चन्द गेहलोत:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन विमानपत्तनों पर आधुनिक विमान यातायात प्रणाली स्थापित की गई और इस संबंध में सरकार द्वारा किए गए खर्च का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके परिणामस्वरूप विमानन क्षेत्र को हुए लाभ का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान किन-किन विमानपत्तनों को चार्टर उड़ानों के लिए सक्षम बनाया गया है;

(घ) देश में किन-किन स्थानों पर मोनोपल्स सेकंडरी सर्विलेंसराडार्स (एन.एस.एस.आर.) को स्थापित किया गया है/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) इन राडारों पर किए खर्च का ब्यौरा क्या है और एम.एस.एस.आर. राडारों के स्थापित किए जाने के लाभ का ब्यौरा क्या है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल):** (क) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2004-05, 2005-06, 2006-07 के दौरान निम्नलिखित सी.एन.एस. परियोजनाएं पूर्ण की गई हैं।

2004-05: यू.एच.एफ. लिंक 30, वी.सी.वी.एस. चैन्नई तथा कोलकाता, एल.सी.डी. मानीटर 19 दिल्ली, चैन्नई, सी.सी.टी.वी. इम्फाल, गुवाहाटी, अगरतला तथा बागडोगरा, इसी ए.टी.सी.एस. सिस्टम सॉफ्टवेयर का स्तरोन्नयन चैन्नई, वाकी टाकी 472 तथा 84 बेस स्टेशन तथा ए.एफ.आई.एस. 1.

2005-06: कोलकाता हवाई अड्डे पर मिडास IV आर.वी.आर. का केट-II प्रणाली पर स्तरोन्नयन वी.सी.सी.एस. दिल्ली, गुवाहाटी, अहमदाबाद, इलाहाबाद तथा हैदराबाद, यू.एच.एफ. लिंक 10, डी.वी.ओ.आर. के लिए रेडोम्स टॉप 8, सी.सी.टी.वी. भोपाल तथा रांची, ए.एस.एम.जी.सी.एस. दिल्ली, जी.पी.एस.आर.एक्स. 5 - दिल्ली, चैन्नई, मुंबई, कोलकाता तथा गुवाहाटी पोर्टेबल आई.एल.एस. रिसीवर, ई.पी.ए.बी.एक्स 22 विभिन्न हवाई अड्डे।

2006-07: हवाई एल्टीच्यूड, विमान 1-उड़ान अशांकन के लिए (एफ.आई.यू. दिल्ली), आर.सी.ए.जी.-ऊटी, त्रिवेन्द्रम तथा चैन्नई, डी.ए.टी.आई.एस. 11-जयपुर, गुवाहाटी कोलकाता, अहमदाबाद, कालीकट, कोलकाता, अहमदाबाद, कालीकट, चैन्नई, कोचीन, हैदराबाद, त्रिवेन्द्रम, मुंबई तथा पटना, हैडसेट 417-मुंबई, दिल्ली, चैन्नई आदि वी.सी.सी.एस.-वाराणसी, नागपुर, मुंबई, डी.वी.ओ.आर.-आई.जी.आई. दिल्ली, एच.पी.डी.एम.ई.-आई.जी.आई. दिल्ली तथा आई.एल.एस.-दीमापुर।

पिछले तीन वर्षों में किया गया व्यय (करोड़ रुपए में) क्रमशः इस प्रकार है - 2004-05 (86.91), 2005-06 (118.2) तथा 2006-07 (66.15)।

(ख) सी.एन.एस. अवसंरचना के स्तरोत्तन्ययन के आकाश में तथा हवाई अड्डों पर विमानों की सुचारू, सुरक्षित तथा कुशल हैंडलिंग में मदद मिली है।

(ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के सभी प्रचालनिक हवाई अड्डे चार्टर उड़ानों की हैंडलिंग में सक्षम हैं।

(घ) मोनोपल्स सेकेण्डरी सर्विलेंस राडार (एम.एस.एस.आर.) के संस्थापना दिल्ली, वाराणसी, कोलकाता, बहरामपुर, गुवाहाटी, चैन्नई, हैदराबाद, मंगलौर, त्रिवेन्द्रम, अहमदाबाद, नागपुर तथा मुंबई हवाई अड्डों पर की गई है। सात अन्य हवाई अड्डों पर भी एम.एस.एस.आर. की संस्थापना का प्रस्ताव है।

(ङ) प्रस्तावित 7 एम.एस.एस.आर. के प्रावधान पर आने वाला संभावित व्यय 113 करोड़ रुपए है। उपरोल्लिखित 7 अतिरिक्त एम.एस.एस.आर. के चालू होने से सुचारू तथा कुशल हवाई यातायात प्रवाह के लिए राडार कवरेज गैप को भरकर भारतीय हवाई क्षेत्र के ऊपर बेरोकटोक निगरानी सुलभ होगी।

**निजी विमानपत्तन/विमान को अनुमति**

**5742. श्री चन्द्रभान सिंह:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन मौजूदा नियमों का ब्यौरा क्या है जिनके अंतर्गत निजी पक्षों द्वारा विमान के क्रय और विक्रय की अनुमति दी जाती है;

(ख) क्या निजी पक्षों को अपने विमानों का प्रयोग करने के लिए अपने विमानपत्तनों का निर्माण करने का अधिकार है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या उन्हें सरकारी विमानपत्तनों का उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा अनुमति दी जाती है;

(घ) यदि हां, तो अनुमति किन नियमों के अंतर्गत दी जाती है और विमानपत्तनों का उपयोग प्रभार कितना है;

(ङ) क्या भारत के नागरिक को निजी विमान रखने और उसका उपयोग करने की अनुमति दी जाती है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल):** (क) विमानों के आयात के लिए अपेक्षाएं वाणिज्य मंत्रालय (डी.जी.एफ.टी.) की सार्वजनिक सूचना सं. 274 (पी.एन.)/92-97 दिनांक 23-02-1995 में निर्धारित किएगए हैं। नागर विमानन महानिदेशक (डी.जी.सी.ए.) ने विमानों के आयात/खरीद/लीज के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए वायुयान नियमावली 1937 के 134 के उप-नियम 3 के तहत नागर विमानन अपेक्षाएं अधिसूचित की हैं।

(ख) सरकार के अनुमोदन तथा संरक्षा/सुरक्षा ओवरसाइट के अध्याधीन निजी हवाई अड्डे निर्मित किए जा सकते हैं।

(ग) और (घ) सरकारी/सार्वजनिक एयरोड्रोम को वायुयान नियमावली 1937 के नियम 85 के अनुसार विनिर्दिष्ट नियमों व शर्तों पर निजी विमानों द्वारा उपयोग किया जा सकता है। हवाई अड्डे के उपयोग के लिए, हवाई अड्डा प्रचालक को लैंडिंग प्रभार तथा पार्किंग प्रभार, एक्स रे बैगेज प्रभार देय होते हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को मार्ग दिक्चालन सुविधा प्रभार (आर.एन.एफ.सी.) तथा टर्मिनल दिक्चालन सुविधा प्रभार (टी.एन.एफ.सी.) देय होते हैं।

(ङ) और (च) जी, हां, वायुयान नियमावली 1937 के नियम 30 के अनुसार, एक विमान को भारतीय राष्ट्रिकों के नाम पर पंजीकृत किया जा सकता है तथा वायुयान नियमावली 1937 के नियम 15 के अनुसार प्रचालित किया जा सकता है।

**विमानपत्तनों का सौंदर्यीकरण**

**5743. चौधरी मुनव्वर हसन:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कार्यालयों के सौंदर्यीकरण हेतु विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान इस कार्य पर कितना खर्चा किया गया;

(ग) क्या इन एजेंसियों द्वारा किए गए कार्य की गुणवत्ता और निष्पादन की जांच करने के लिए कोई प्राधिकारी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या किसी स्थान पर सौंदर्यीकरण के कार्य को करते समय कोई अनियमितता ध्यान में आई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल):** (क) उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली हवाई अड्डों पर स्थिति भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कार्यालयों के सौंदर्यीकरण पर कोई अलग व्यय नहीं किया गया है। तथापि, बागवानी समेत सभी मौजूदा सेवाओं का अनुरक्षण किया गया है।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

*[अनुवाद]*

**सरकारी उपक्रमों को निदेश**

**5744. श्री जी. करूणाकर रेड्डी:** क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के प्रबंधनों को सरकार द्वारा जारी निदेशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से कितने निदेश सरकारी उपक्रम-वार सभी सरकारी उपक्रमों के लिए सामान्य तौर पर लागू होते हैं और कितने विशेष निदेश किन्हीं खास सरकारी उपक्रमों पर लागू होते हैं;

(ग) क्या विशेष रूप से दूसरे के प्रबंधन की स्वायत्तता का अतिक्रमण करने वाले निदेशों में अंतर करने के लिए समय-समय पर ऐसे निदेशों की कोई समीक्षा की जाती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव):** (क) और (ख) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए नोडल विभाग होने के कारण लोक उद्यम विभाग ने समय-समय पर दिशा-निदेश जारी किए हैं। पिछले 5 वर्षों के दौरान जारी किए गए दिशा-निदेशों का वर्षवार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

| वर्ष | दिशा निर्देशो की संख्या |
|---|---|
| 2002-03 | 16 |
| 2003-04 | 15 |
| 2004-05 | 22 |
| 2005-06 | 33 |
| 2006-07 | 15 |

(ग) से (ङ) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए सरकार ने सरकारी उद्यम ब्यूरो/लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की समीक्षा हेतु वर्ष 1977 में एक समिति का गठन किया था। समिति की सिफारिशों के आधार पर 696 दिशा-निर्देशों को हटा दिया गया था और 196 दिशा-निर्दशों को बनाए रखा गया था। बनाए रखे गए दिशा-निर्देशों और बाद में जारी किए गए दिशा-निर्देशों की समीक्षा एक दूसरी समिति द्वारा वर्ष 2000 में की गई थी। कथित समिति की सिफारिशों के आधार पर सितम्बर, 2002 में 66 दिशा-निर्देशों को लोक उद्यम विभाग के संकलन से हटा दिया गया है और 52 दिशा-निर्दशों का संविलयन/संशोधन किया गया है।

**डा. अम्बेडकर फाउंडेशन द्वारा उपचार हेतु अनुसूचित जातियों/जनजातियों को वित्तीय सहायता**

**5745. श्री एम. शिवन्ना:** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डा. अम्बेडकर फाउंडेशन कैंसर, किडनी जैसी बड़ी बीमारियों से पीड़ित अनुसूचित जातियों/जनजातियों के व्यक्तियों को मान्यताप्राप्त अस्पताल से उपचार कराने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस फाउंडेशन के अंतर्गत उपचार की सुविधा प्रदान करने के लिए कर्नाटक से एक भी अस्पताल/नैदानिक केन्द्र को स्वीकार नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या अनुसूचित जातियों/जनजातियों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने हेतु डा. अम्बेडकर फाउंडोन के अंतर्गत कर्नाटक से किसी अस्पताल का चयन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन):** (क) और (ख) जी, हां। प्रतिष्ठान, अनुसूचित जाति के उन रोगियों के लिए डा. अम्बेडकर चिकित्सा सहायता योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है जिनकी वार्षिक आय 50,000 रुपए से कम है और जो बड़ी बीमारी जैसे कि हृदय, गुर्दा, लीवर, कैंसर, मस्तिष्क आदि और किसी अन्य जीवन को खतरे वाली बीमारी से जूझ रहे हैं, जिसमें शल्य चिकित्सा, की जरूरत होती है। उपचार के 50% लागत की प्रतिपूर्ति सीधे ही संबंधित अस्पताल को की जाएगी जिसकी प्रत्येक मामले में अधिकतम सीमा 75,000 रुपए होगी जिसमें से 25,000 रुपए की प्रतिपूर्ति शल्य चिकित्सा से पहले और शेष की प्रतिपूर्ति उसके बाद की जाएगी।

(ग) जी, हां।

(घ) वर्तमान में योजना के अंतर्गत अभिनिर्धारित 10 अस्पतालों के माध्यम से 10 राज्यों में यह योजना कार्यान्वित की गई है।

(ङ) जी, हां।

(च) के.एस. बोरिंग हॉस्पिटल, बंगलौर, किंग्वई इंस्टीट्यूट ऑफ ऑनकोलॉजी, बंगलौर, कस्तूरबा हॉस्पिटल, मणिपुर और सिविल हॉस्पिटल ऊरगांव को सम्मिलित करने का प्रस्ताव है।

*[हिन्दी]*

**रेलवे में यात्री सुविधाएं**

**5746. डा. सत्यनारायण जटिया:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेल बजट 2007-08 में घोषित यात्री सुविधाओं और पिछले वर्ष में घोषित शेष सुविधाओं का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक सुविधा को शुरू करने का प्रस्तावित कार्य योजना कैलेंडर क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** चालू वित्त वर्ष अर्थात् 2007-08 के दौरान आधुनिकीकरण और सौंदर्यीकरण के उद्देश्य से अधिक से अधिक 300 स्टेशनों की पहचान की गई है। विगत वर्ष अर्थात 2006-07 में आधुनिकीकरण के लिए चुने गए 334 स्टेशनों में से 236 स्टेशनों पर कार्य पूरा कर लिया गया है। शेष स्टेशनों को पूरा होने का लक्ष्य मार्च, 2008 तक है।

*[अनुवाद]*

**उल्फा के साथ शांति वार्ता**

**5747. श्री मणी कुमार सुब्बा:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वर्ष अप्रैल में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) के प्रतिनिधियों से आमने-सामने वार्ता की थी;

(ख) यदि हां, तो इस वार्ता में किन-किन विशिष्ट मुद्दों पर चर्चा की गई और इनके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) उक्त वार्ता किन मुद्दों और विषयों पर पूरी नहीं हो सकी;

(घ) क्या उल्फा द्वारा उग्रवाद का रास्ता छोड़ने की स्थिति में कितपय शर्तों पर विकल्प खुले रखे गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी):** (क) से (ङ) अप्रैल, 2007 में ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। तथापि, सरकार किसी

भी आतंकवादी गुट के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है, बशर्ते वे हिंसा का रास्ता छोड़ दें।

**ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ को प्रशिक्षण**

**5748. श्री कुलदीप बिश्नोई:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विमानपत्तनों पर वाहन चालकों सहित ग्राउंड हैंडलिंग आपरेशन्स में लगे सभी कर्मचारियों ने उड़ान सुरक्षा प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल):** (क) से (ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण प्रबंधन हवाई अड्डा विनियमन, 2003 के अंतर्गत वाहनों के सभी ड्राइवरों को उड़ान सुरक्षा बनाए रखने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अनुसार कौशल परीक्षा या परीक्षा पास करने के पश्चात हवाईअड्डा प्रभारियों से विशिष्ट प्राधिकार प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।

*[हिन्दी]*

**शहीदों के आश्रितों को पेट्रोल पंपों का आबंटन**

**5749. श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी:**

**श्रीमती करुणा शुक्ला:**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तेल कंपनियों के अधिकारी शहीदों के आश्रितों को मनमाने ढंग से खुदरा बिक्री केन्द्र और गैस एजेंसियां आवंटित कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार शहीदों के आश्रितों को आवंटित खुदरा बिक्री केन्द्रों और गैस एजेंसियों के कोटे की वास्तविक स्थिति जानने के लिए उच्च स्तरीय जांच कराने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनशा पटेल):** (क) विभिन्न सैनिक कार्रवाइयों में मृत व्यक्तियों के आश्रित रक्षा/पी.एम.पी. श्रेणी के अंतर्गत खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप के आबंटन के लिए पात्र हैं। चयन/आबंटन खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों के लिए विद्यमान डीलर चयन दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। इसके अलावा इस मंत्रालय ने वर्ष 1999 में राष्ट्र की रक्षा में कारगिल युद्ध में अपनी जान की आहूति देने वाले शहीदों की पत्नी/निकटतम संबंधी को डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के आबंटन के लिए "आपरेशन विजय" विशेष योजना (कारगिल) घोषित की थी। इस योजना के अंतर्गत आबंटन इस मंत्रालय द्वारा पुनर्वास महानिदेशालय (डी.जी.आर.) की सिफारिश पर किया गया था।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

**शिमला और कुल्लू के बीच विमान सेवाएं**

**5750. डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वायुदूत, इंडियन और अन्य निजी एयरलाइनों द्वारा शिमला और कुल्लू के बीच विमान सेवाएं बंद कर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त मार्ग के लिए विमान सेवाएं पुनः आरंभ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल):** (क) और (ख) इंडियन ने शिमला-कुल्लू के लिए प्रचालन को स्थगित कर दिया है। इंडियन एयरलाइंस के पास 3 डॉनियर-228 विमानों का बेड़ा था तथा डी.ओ. 228 विमान का प्रचालन शिमला व कुल्लू के लिए/से किया जा रहा था। एक डी.ओ. 228 विमान को अप्रचालनिक किए जाने के कारण दिनांक 23 सितंबर, 2002 से शिमला व कुल्लू के लिए सेवाएं स्थगित कर दी गई हैं। शेष दो विमान कोचीन

में तैनात किए गए हैं ताकि लक्षद्वीप द्वीपसमूह तथा शेष भारत से एक मुख्य विमान संपर्क बनाए रखा जा सके। बहरहाल, जैगसन एयरलाइंस तथा एयर डेक्कन इस सेक्टर पर सेवाएं उपलब्ध कराएगा।

(ग) सरकार ने देश के विभिन्न क्षेत्रों की विमान परिवहन सेवाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विमान परिवहन सेवाओं के बेहतर विनियम को प्राप्त करने की दृष्टि से मार्ग संवितरण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बहरहाल, यह एयरलाइनों पर निर्भर करता है कि वे यातायात मांग तथा वाणिज्यिक व्यवहार्यता के मद्देनजर विशिष्ट स्थानों को विमान सेवाएं उपलब्ध कराए। इस प्रकार एयरलाइनें सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण दिशा-निर्देशों के अनुपालन के मद्देनजर देश में कहीं भी प्रचालन के लिए मुक्त हैं।

**कर्नाटक में स्मारक**

5751. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ऐसे समय में राष्ट्रीय स्मारक और पुरावस्तु मिशन स्थापित करने का निर्णय लिया है जब ए.एस.आई.. धारवाड़ सर्किल, कर्नाटक उत्तरी कर्नाटक के 11 जिलों में केंद्र द्वारा संरक्षित 391 स्मारकों की सुरक्षा और संरक्षण का ध्यान रख रहा है तथा बढ़ते कार्यभार से निपटने के लिए संघर्ष कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो ए.एस.आई., धारवाड़ सर्किल, कर्नाटक को कितनी सहायता प्रदान की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी):** (क) और (ख) सरकार ने राष्ट्रीय स्मारक तथा पुरावशेष मिशन स्थापित किया है जिसे औपचारिक रूप से मार्च, 2007 में शुरू किया गया था।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का धारवाड़ मंडल कर्नाटक में 391 केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों का संरक्षण और सुरक्षा करता है और उपर्युक्त स्मारकों के संरक्षण, परिरक्षण कार्यों को करने के लिए उसके पास अपेक्षित संख्या में कार्मिक हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान निधियों के आवंटन और मंडल द्वारा किया गया व्यय निम्न प्रकार है:-

(रुपए लाखों में)

| वर्ष | आवंटन | व्यय |
|---|---|---|
| 2004-05 | 491 | 495 |
| 2005-06 | 749 | 749 |
| 2006-07 | 641 | 641 |

**विदेश में तेल शोधक कारखानों को स्थापित किया जाना**

5752. **श्री के.सी. पल्लानी शामी:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रमुख तेल कंपनियों ने विभिन्न देशों में तेल शोधक कारखाने स्थापित किए है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान स्थापित तेल-शोधक कारखानों का ब्यौरा क्या है और अगले तीन वर्षों के लिए क्या प्रस्ताव है, और इनमें से प्रत्येक पर कितना निवेश किया गया है/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इन तेल-शोधक कारखानों से कुल कितना उत्पादन होगा?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल):** (क) से (ग) जी, नहीं। इंडो राज्य नाइजीरिया की सरकार से जनवरी, 2004 में प्राप्त एक अनुरोध के प्रत्युत्तर में इंडियन ऑयल कारपोरेशन (आई.ओ.सी.) ने इंडो राज्य में राज्य सरकार के साथ सहयोग से ग्रासरूट रिफाइनरी स्थापित करने के लिए अपनी इच्छा दर्शाई थी। इंडो राज्य सरकार और आई.ओ.सी. के बीच 10 सितम्बर, 2004 को इंडो राज्य में एक पेट्रोलियम रिफाइनरी के विकास के लिए सहयोग हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। आई.ओ.सी. ने इंडो राज्य सरकार से प्रस्तावित रिफाइनरी में अपने शामिल होने के प्रति नाइजीरिया में तेल ब्लाकों के आबंटन की मांग की थी।

आई.ओ.सी. ने तुर्की में अथवा किसी अन्य तृतीय देश में हाईड्रोकार्बन क्षेत्र में विभिन्न क्रियाकलापों में सहयोग के लिए नवम्बर 2005 में तुर्की की एक कंपनी के लिए एनर्जी के साथ एक एम.ओ.यू. निष्पादित की। एम.ओ.यू. में भी सीहान, तुर्की में एक ग्रासरूट रिफाइनरी की स्थापना की

व्यवस्था थी। आई.ओ.सी. ने अगस्त, 2006 में तुर्की के एनर्जी मार्किट रेगुलेटरी प्राधिकरण (ई.एम.आर.ए.) को सीहान में 15 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एम.एम.टी.पी.ए.) की क्षमता की एकीकृत ग्रासरूट रिफाइनरी सह-पेट्रारसायन परिसर की स्थापना हेतु लाइसेंस दिए जाने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया था। आई.ओ.सी. और केलिक, इ.एम.आर.ए. से अनन्तिम लाइसेंस प्राप्त होने के बाद संयुक्त रूप से विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट (डी.एफ.आर.) तैयार करने के लिए पृथक्-पृथक् परामर्शकों की नियुक्ति संयुक्त रूप से करेंगी। डी.एफ.आर. के आधार पर यदि परियोजना प्रौद्योगिकीय आर्थिक रूप से व्यवहार्य पाई जाती है तो एकीकृत परियोजना की स्थापना आई.ओ.सी. और केलिक एनर्जी के सहयोग से प्रवर्तित की जाने वाली संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा की जाएगी।

*[हिन्दी]*

**चालकों के लिए चेतावनी आदेश**

**5753. श्री राकेश सिंह:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम मध्य रेलवे जोन में चालू अनुरक्षण कार्य के मद्देनजर रेलगाड़ी चालकों को चेतावनी आदेश दिए गए थे और कार्य पूरा होने के बाद चेतावनी आदेश/चेतावनी पट्ट नहीं हटाए गए हैं जिसके कारण रेलगाड़ियों की गति को अनावश्यक रूप से धीमा रखा जाता है और ये अपने गंतव्य पर देर से पहुंचती है; और

(ख) यदि हां, तो रेलवे द्वारा इन अनियमितताओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) कार्य के पूरा होने के बाद जल्दी ही सावधानी आदेशों/सावधानी बोर्डों को हटा लिया जाता है और गाड़ियों के समय पर चालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रतिबंधों की सावधानी से निगरानी की जाती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

**चेन्नई इग्मोर और चेन्नई सेंट्रल के बीच सीधा संपर्क**

**5754. श्री ई.जी. सुगावनम:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को चेन्नई इग्मोर और चेन्नई सेंट्रल के बीच सीधे संपर्क के लिए काफी समय से लंबित मांग की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गई है और सीधे संपर्क की व्यवस्था कब तक किए जाने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) जी हां।

(ख) इस परियोजना के लिए अनुमान 2003 में मंजूर किया गया था। इस परियोजना की तकनीकी संभाव्यता और वाणिज्यिक व्यवहार्यता का कार्य मैसर्स राइट्स को सौंपा गया था। सुझाए गए विभिन्न विकल्पों में से, जिस सुझाव में चेन्नै सेन्ट्रल और मूड़ मार्किट कम्पलेक्स के बीच पूनामलाई हाई रोड पर रेलपथ के ऊपर ओवरहेड क्रासिंग की बात कही गई थी, उसे तकनीकी रूप से व्यावहारिक पाया गया है। इसे तमिलनाडु सरकार के पास स्वीकृति हेतु भेजा गया था। तमिलनाडु सरकार की ओर से उत्तर की प्रतीक्षा है।

*[हिन्दी]*

**अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को मैट्रिक पूर्व/मैट्रिक पश्चात् छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता**

**5755. श्री कैलाश जोशी:**

**श्री राकेश सिंह:**

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को मध्य प्रदेश सरकार और अन्य राज्यों से अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की तर्ज पर मैट्रिक पूर्व तथा मैट्रिक पश्चात् छात्रवृत्ति का शत-प्रतिशत भुगतान करने के लिए आवश्यक धनराशि प्रदान करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन):** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

**आदर्श गांव**

**5756. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा देश में राज्यवार कितने पिछड़े गांवों को आदर्श-गांव के रूप में विकसित करने के लिए निर्दिष्ट किया गया है; और

(ख) इस संबंध में राज्यवार किन-किन स्थानों पर कार्य आरंभ किया गया है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल):** (क) और (ख) ओ.एन.जी.सी. ने आदर्श गांव के रूप में विकसित किए जाने हेतु किसी गांव को निर्दिष्ट नहीं किया है।

**अर्जुन टैंक**

**5757. श्री दलपत सिंह परस्ते:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का विचार अर्जुन टैंक में कमियों को दूर करने हेतु विदेशी प्रौद्योगिकी की सहायता प्राप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अर्जुन टैंक को भारतीय थलसेना में कब तक शामिल किए जाने की संभावना है?

**रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी):** (क) और (ख) जी, नहीं। इस संबंध में विदेशी प्रौद्योगिकी सहायता प्राप्त करने के लिए वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है। अर्जुन टैंक के उत्पादन से संबंधित मुद्दों का समाधान किया जा रहा है।

(ग) भारतीय सेना ने आयुध निर्माणी बोर्ड को मार्च, 2000 में 124 टैंकों के विनिर्माण का एक मांग-पत्र प्रस्तुत किया है। भारतीय सेना को पांच टैंक सौंप दिए गए हैं। नौ और टैंकों का संयुक्त प्राप्ति निरीक्षण किया जा रहा है।

*[हिन्दी]*

**विमानपत्तनों के आधुनिकीकरण हेतु भूमि की बिक्री**

**5758. श्री रघुबीर सिंह कौशल:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मौजूदा विमानपत्तनों तथा इस समय इनके पास उपलब्ध भूमि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार आधुनिकीकरण हेतु विमानपत्तनों की भूमि को बिल्डरों को बेचने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या दिल्ली और मुंबई में भूमि को बेचे जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल):** (क) प्रत्येक घरेलू हवाई अड्डे पर उपलब्ध भूमि (एकड़ में) क्रमशः - त्रिपुरा में, अगरतला-467, कैला शहर-63, कमलपुर-91, खोवाई-90, लक्षद्वीप में अगाती-46, उत्तर प्रदेश में आगरा-14.8, इलाहाबाद-0.7, चाकरी-5.02, गोरखपुर-1, झांसी-197.77, कानपुर-209, ललितपुर-138, लखनऊ-1592, वाराणसी-583, गुजरात में - अहमदाबाद-931, भावनगर-295, भुज-42.16, दीसा (पालनपुर)-77, जामनगर-35.8, कांडला-355, केशाड (जूनागढ़)-335, पोरबंदर-302, राजकोट-250, वडोदरा-828, महाराष्ट्र में अकोला-196, औरंगाबाद-518, हडापसर-50, जुहू-384.5, कोल्हापुर-183, नागपुर (सोने गांव)-1564, पुणे-14, शोलापुर-365, अरुणाचल प्रदेश में अलोग-1, दापरीजो-1, पासीघाट-66, तेजु-3, जीरो-3, पंजाब में अमृतसर-1026, चंडीगढ़-6, लुधियाना-125, पठानकोट-80, पश्चिम बंगाल-23, बलूरघाट-87, बेहाला-222, कूचबिहार-155, मालदा-140, कर्नाटक में बैंगलोर-19.3, बेलगाम-440, हासन-145, हुबली-325, मैगलोर-151, मैसूर-292; मध्य प्रदेश में भोपाल-613, ग्वालियर-30, इंदौर-575, जबलपुर-333, खजुराहो-378, खंडवा-41, पन्ना-106, सतना-452, उड़ीसा में भुवनेश्वर-935, झारसुगुडा-652.6, राजस्थान में बीकानेर (नाल)-20, जयपुर-699.6, जैसलमेर-16.53, जोधपुर-10.9, कोटा-530, उदयपुर-328; छत्तीसगढ़ में विलासपुर-352, रायपुर-544, केरल में कालीकट-440, बिहार में चुकलिया-353, गया-861, जोगबनी-153, मुजफ्फरपुर-102, पटना-254,

रक्सौल-211; तमिलनाडु में कोयम्बटूर-553, मदुरै-442, सेलम-136, त्रिची-656, तूतीकोरीन-180, वेल्लूर-51.5; आंध्र प्रदेश में कुडप्पा-5.33, दाबाकोंडा-137, हैदराबाद-790, नांडिरगुल-261, राजामुंदरी-366, तिरूपति-293, विजयवाडा-671, विशाखापट्टनम-252, वारांगल-775, उत्तरांचल में देहरादून-89, पंतनगर-129, असम में - डिब्रूगढ़-354, गुवाहाटी-634, जोरहाट-10.76, सिल्चर (कुंबीग्राम)-37, तेजपुर-42, उत्तरी लखीमपुर-218, रूपसी-448, नागालैंड में दीमापुर-252, गोवा में गोवा-20.65; मणिपुर में इंफाल-505; जम्मू-90.74, लेह-20, श्रीनगर-53, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा (गग्गल)-14, कुल्लू (भुंतर)-69, शिमला-141; मिजोरम में लैंगपुई (आईजोल)-380, तुरल-35; संघ शासित राज्यों में पांडिचेरी-115, पोर्टब्लेयर-45, दिल्ली में सफदरजंग-253 और झारखंड में रांची-526 हैं। प्रत्येक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उपलब्ध भूमि (एकड़ में) क्रमशः पश्चिम बंगाल में कोलकाता-1651.85, दिल्ली में दिल्ली-5106.43, तमिलनाडु में चैन्नई-1151.72, केरल में तिरूवनन्तपुरम-592.36 तथा महाराष्ट्र में मुंबई 1875 है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

**कानपुर छावनी की भूमि पर अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमण**

**5759. श्री निखिल कुमार:**
**श्री अधीर चौधरी:**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कानपुर छावनी की भूमि पर अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमण हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ग) अनधिकृत निर्माणों और अतिक्रमण को हटाने के लिए कोई कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में की गई/की जाने वाली कार्यवाही क्या है?

**रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी):** (क) से (घ) हाल ही में कानपुर छावनी की हैरिसगंज बस्ती में छह अनधिकृत निर्माणों की सूचना मिली थी। अतिक्रमण/अनधिकृत निर्माम के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए पहले से सांविधिक उपबंध मौजूद हैं। तद्नुसार, छावनी बोर्ड ने अनधिकृत निर्माणों के विरुद्ध छावनी अधिनियम के अधीन कार्रवाई की है।

*[हिन्दी]*

**नशे की लत का परीक्षण**

**5760. श्री अविनाश राय खन्ना:** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार महाविद्यालयों और व्यावसायिक महाविद्यालयों में प्रवेश से पहले सभी छात्रों की नशे की लत का परीक्षण करवाना अनिवार्य करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या केवल निगेटिव रिपोर्ट वाले छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उपाय को कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन):** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

**भारतीय वायु सेना द्वारा "आपरेशन खोज" शुरू किया जाना**

**5761. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:**
**श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वायु सेना ने हाल ही में "आपरेशन खोज" शुरू किया है जैसा कि दिनांक 26 अप्रैल, 2007 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार प्रकाशित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) युवाओं को रक्षा सेवाओं की ओर आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) "आपरेशन खोज" एक अन्योन्यक्रियात्मक खेल है जो जून 2001 से भारतीय वायु सेना के वेब पृष्ठ पर आयोजित किया जाता है। यह ऑनलाइन का इस्तेमाल करने वाले युवाओं को भारतीय वायुसेना के चुनौतीपूर्ण जीवन के बारे में शिक्षित करने हेतु एक रूचिकर बहुमूल्य खोजपूर्ण (ट्रेजर हंट) खेल है। इसे युवाओं के सामने एक पेशेवर ढंग से व्यवस्थित, प्रेरित तथा चुनौतीपूर्ण संगठन के रूप में प्रस्तुत करता था तथा भारतीय वायुसेना में कैरियर का विकल्प चुनने हेतु उन्हें आकर्षित करना था। यह प्रयास आर्थिक रूप से आक्रामक निजी कंपनियों/बहुराष्ट्रीय कंपनियों से मुकाबला भी करने हेतु है जो बेहतर प्रतिभा को अपनी ओर ले जा रहे थे।

(ग) एक चुनौतीपूर्ण तथा संतोषजनक कैरियर अपनाने के फायदों के संबंध में युवाओं में जागरूकता पैदा करने के लिए सशस्त्र सेनाओं ने एक सतत छवि सुधार तथा प्रचार अभियान शुरू किया है। अधिक संख्या में उम्मीदवारों को आकर्षित करने हेतु उम्मीदवार अनुकूल भर्ती प्रक्रियाओं तथा और अधिक संभावनापूर्ण उम्मीदवारों को आकर्षित करने हेतु विभिन्न संस्थाओं में ध्यान केंद्रित प्रचार अभियानों की शुरुआत की गई है। जागरूकता अभियान, कैरियर मेलों तथा प्रदर्शनियों में सहभागिता, प्रिंट तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया में विज्ञापन, स्कूल तथा कॉलेजों में प्रेरणादायक व्याख्यान भी इस दिशा में किए गए उपायों में से कुछेक हैं।

### लो लेवल राडारों की खरीद में विलंब

5762. श्रीमती मनोरमा माधवराज: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कम ऊंचाई पर उड़ने वाले दुश्मन के विमान का पता लगाने के लिए लो लेवल राडारों की खरीद में विलंब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या लड़ाकू बेडों तथा राडार निगरानी प्रणालियों के उन्नयन हेतु निधियों का उपयोग कम हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) वायुसेना की आवश्यकता के आधार पर लो लेवल रेडारों सहित नए रेडार शामिल करना एक सतत् प्रक्रिया है। सरकार ने लो लेवल रेडारों के अर्जन के लिए अनुमोदन दे दिया है और अर्जन की प्रक्रिया अंतिम रूप दिए जाने की विभिन्न अवस्थाओं में है।

(ग) से (ङ) युद्धक बेड़े और रेडार निगरानी प्रणालियों के उन्नयन के लिए धनराशि उपलब्ध है। इस धनराशि का उपयोग उस समय किया जाता है जब भी संविदाओं पर हस्ताक्षर होने पर उन्नयन स्कीमें तैयार की जाती हैं।

### भारतीय सेना के अधिकारियों द्वारा अफगानिस्तान की सेना को प्रशिक्षण

5763. श्री मिलिन्द देवरा: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत जल्दी ही युद्ध से बर्बाद हुए अफगानिस्तान में अनुभवहीन अफगानी सेना को मूलभूत सैन्य कौशल तथा अंग्रेजी दक्षताओं का प्रशिक्षण देने के लिए कम से कम सेना के एक दर्जन अधिकारी भेजेगा जैसाकि दिनांक 26 अप्रैल, 2007 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी है;

(ग) यदि हां, तो सेना के अधिकारियों के कब तक भेजे जाने की आशा है;

(घ) क्या इन अधिकारियों को वहां किसी अनहोनी के मामले में मुआवजा दिया जाएगा तथा सुरक्षा के सभी संभव इंतजाम किए जाएंगे;

(ङ) यदि हां, तो क्या दोनों देशों के बीच किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) भारतीय सेना के अफसरों को अफगान सेना को प्रशिक्षण देने के लिए अफगानिस्तान भेजने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (च) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

**ओ.एन.जी.सी.-बीजी संयुक्त उद्यम**

**5764. श्री अवतार सिंह भडाना:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 3 के-जी बेसिन ब्लॉक के विकास हेतु दिया गया ब्रिटिश गैस तथा ओ.एन.जी.सी. का संयुक्त उद्यम सरकार द्वारा छोड़ दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या संयुक्त उद्यम करने से मनमाने रूप से इंकार करने से वैश्विक निवेशकों में भारतीय सरकार की छवि गिर जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो बीजी तथा ओ.एन.जी.सी. के बीच एक पारदर्शी बोली आमंत्रित करने की प्रक्रिया के माध्यम से संचालित संयुक्त उद्यम की बहाली हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल):** (क) से (घ) सरकार ने कृष्णा-गोदावरी बेसिन में तीन गहरे जल वाले ब्लाकों के अन्वेषण और विकास हेतु ब्रिटिश गैस एक्सप्लोरेशन एण्ड प्रोडक्शन इण्डिया लिमिटेड (बी.जी.ई.पी.आई.एल.) के साथ समझौता करने के आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओ.एन.जी.सी.) के प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं किया है। बी.जी.ई.पी.आई.एल. का फार्म-इन कार्यनीतिक समझौता प्रस्ताव नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एन.ई.एल.पी.) के अधीन खुली बोली प्रक्रिया के दौरान पेश की गई शर्तों की तुलना में पर्याप्त उत्साहवर्द्धक नहीं था। अतः सरकार ने निर्णय लिया कि ऐसे समय पर इस प्रस्ताव को स्वीकार करना उचित नहीं होगा, जबकि पारदर्शी खुली बोली प्रणाली और द्रुत निर्णय प्रक्रिया पर आधारित हमारी एन.इ.एल.पी. प्रक्रिया ने संसार भर में उत्तम विश्वसनीयता और समर्थन अर्जित कर ली है। उपरोक्त ब्लाकों का अन्वेषण काल समाप्त होने पर इन्हें एन.ई.एल.पी. के आगामी दौरों में प्रस्तुत किया जा सकता है। सरकार एन.इ.एल.पी. के अधीन अन्वेषण ब्लाक प्रदान करने के संबंध में लगातार एक पूर्णतः पारदर्शी और खुली विधि अपनाती आई है, जिससे विश्व के निवेशकों में भारती की प्रतिष्ठा बढ़ी है।

**गहरे पानी में अन्वेषण ब्लॉक**

**5765. श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृष्णा-गोदावरी बेसिन में गहरे पानी में तीन अन्वेषण ब्लाकों का विकास करने के लिए ब्रिटिश गैस (बीजी) का ओ.एन.जी.सी. के साथ संयुक्त रूप से चयन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने ओ.एन.जी.सी. के साथ इन ब्लॉकों के विकास का अवसर बीजी को न देकर अगली नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एन.ई.पी.एल.) के अंतर्गत इन ब्लॉकों पर पुनः बोली आमंत्रित करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल):** (क) से (घ) सरकार ने कृष्णा-गोदावरी बेसिन में तीन गहरे जल वाले ब्लाकों के अन्वेषण और विकास हेतु ब्रिटिश गैस एक्सप्लोरेशन एण्ड प्रोडक्शन इण्डिया लिमिटेड (बी.जी.ई.पी.आई.एल.) के साथ समझौता करने के आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओ.एन.जी.सी.) के प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं किया है। बी.जी.ई.पी.आई.एल. का फार्म-इन कार्यनीतिक समझौता प्रस्ताव नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एन.ई.एल.पी.) के अधीन खुली बोली प्रक्रिया के दौरान पेश की गई शर्तों की तुलना में पर्याप्त उत्साहवर्द्धक नहीं था। अतः सरकार ने निर्णय लिया कि ऐसे समय पर इस प्रस्ताव को स्वीकार करना उचित नहीं होगा, जबकि पारदर्शी खुली बोली प्रणाली और द्रुत निर्णय प्रक्रिया पर आधारित हमारी एन.ई.एल.पी. प्रक्रिया ने संसार भर में उत्तम विश्वसनीयता और समर्थन अर्जित कर ली है। उपरोक्त ब्लाकों का अन्वेषण काल समाप्त होने पर इन्हें एन.ई.एल.पी. के आगामी दौरों में प्रस्तुत किया जा सकता है। सरकार एन.ए.एल.पी. के अधीन अन्वेषण ब्लाक प्रदान करने के संबंध में लगातार एक पूर्णतः पारदर्शी और खुली विधि अपनाती आई है, जिससे विश्व के निवेशकों में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है।

**पूर्वोत्तर क्षेत्र के नृत्य**

**5766. डा. अरुण कुमार शर्मा:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में विभिन्न लोक एवं शास्त्रीय नृत्यों तथा कला शैलियों को बढ़ावा देने के लिए कौन-कौन से प्रोत्साहन कार्यक्रम किए जा रहे हैं;

(ख) क्या दिल्ली में सतरिया नृत्य एवं प्रशिक्षण केन्द्र चलाने के लिए एक प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी):** (क) संगीत नाटक अकादमी अपनी विभिन्न स्कीमों के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र की मंचकला परंपराओं को सहायता प्रदान करती है। इसमें निम्नलिखित शामिल है:

(1) अकादमी की अनुदान स्कीम के तहत सांस्कृतिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता।

(2) अनुसंधानपरक परियोजनाओं के लिए व्यक्तियों को परियोजना आधारित अनुदान।

(3) प्रकाशनों हेतु वित्तीय सहायता।

(4) क्षेत्र की मंचकला का प्रलेखन।

(5) संगीत, नृत्य तथा रंगमंच के युवा कलाकारों के उत्सव।

(6) क्षेत्रीय परंपराओं के विषय आधारित उत्सव, सेमिनार तथा कार्यशालाएं।

(7) अंतरराज्य सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के माध्यम से अन्य राज्यों में पूर्वोत्तर की मंच कलाओं की प्रस्तुति।

(8) क्षेत्र के कलाकारों को अकादमी पुरस्कार तथा युवा पुरस्कार।

(9) अनुदानों तथा प्रायोजन आदि के माध्यम से कठपुतली कला को सहायता तथा समर्थन।

(10) जवाहर लाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी, इंफाल मणिपुर नृत्य तथा संगीत परंपराओं में प्रशिक्षण और उनके संवर्द्धन में कार्यरत है। गुवाहाटी में वार्षिक सतरिया उत्सव आयोजित किया जाता है।

(11) सतरिया परंपराओं पर अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सहायता प्रदान की जाती है और देश के विभिन्न भागों में सतरिया कलाकारों को प्रायोजित किया जाता है।

(12) पूर्वोत्तर परंपराओं का राष्ट्रीय उत्सव "ऑक्टेव" 2006 में दिल्ली में तथा 2007 में हैदराबाद में आयोजित किया गया।

पूर्वोत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, दीमापुर भी निम्नलिखित स्कीमों के तहत पूर्वोत्तर की लोक परंपराओं का संवर्द्धन करता है:-

(1) राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम।

(2) गुरू-शिष्य परंपरा।

(3) लुप्त हो रहे कलारूपों का प्रलेखन।

(4) युवा प्रतिभावान छात्रवृत्ति स्कीम।

(5) रंगमंच सुदृढ़ीकरण।

(6) शिल्पग्राम कार्यकलाप।

पूर्वोत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, दीमापुर ने 2006-07 के ऑक्टेव उत्सवों में सक्रिय रूप से भाग भी लिया।

(ख) और (ग) इस संबंध में संगीत नाटक अकादमी को असम एसोसिएशन, दिल्ली से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। यदि असम एसोसिएशन द्वारा दिल्ली में सतरिया नृत्य के लिए प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया जाता है तो संगीत नाटक अकादमी अपनी स्कीम तथा मानदंडों के तहत् सहायता प्रदान करेगी।

**आई.जी.आई. विमानपत्तन पर सुरक्षा घेरा**

**5767. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:**
**श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:**

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्टार न्यूज चैनल के एक कैमरामैन द्वारा एक लाख रुपए रिश्वत देकर आई.जी.आई. विमानपत्तन में नौकरी पाने तथा इसके कार्गो टर्मिनल के लिए सुरक्षा पास प्राप्त करने से आई.जी.आई. विमानपत्तन के सुरक्षा घेरे में दरार उजागर हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए क्या तरीका अपनाया गया;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के

लिए क्या अन्य कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल):** (क) हवाईअड्डे के शहर की ओर वाले क्षेत्र, जिसमें कार्गो कॉम्प्लेक्स भी सम्मिलित है, का संसाधन और अभिगम नियंत्रण हवाईअड्डा प्रचालकों की जिम्मेदारी है। इस मामले में एक अस्थायी लोडर संभलाई एजेंसी मैसर्स एअरोगो ट्रैवल एंड कार्गो प्रा. लि. के द्वारा भेर्ती किया गया था जिसे दिल्ली अन्तरराष्ट्रीय हवाईअड्डा प्रा. लि. (डायल) द्वारा निर्यात कार्गो अनुभाग में कार्गो संभालने का ठेका दिया गया था। कार्गो कम्पाउंड के लिए अस्थायी प्रवेश पत्र अस्थायी लोडर, श्री विकास पांडे, स्टार न्यूज के कथित कैमरामैन को पुलिस सत्यापन की जांच सहित सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद जारी किया गया था।

(ख) उक्त व्यक्ति की भर्ती डायल के ठेकेदार मैसर्स एअरोगो ट्रैवल एंड कार्गो प्रा. लि. द्वारा की गई थी तथा अस्थायी प्रवेश पत्र आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद जारी किया गया था। यह प्रवेश पत्र विशेष रूप से प्रतिबंधित क्षेत्र के लिए था तथा किसी भी स्थिति में कथित व्यक्ति सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील हवाई क्षेत्र में नहीं जा सकता था। लोडर के रूप में उसकी भर्ती के समय संबंधित व्यक्ति ने अपने बायोडाटा में अपेक्षित सूचना दी थी तथा इंटरमीडिएट की अंक तालिका के अलावा अपने मतदाता पहचान पत्र, फोटो तथा पुलिस सत्यापन की रिपोर्ट की प्रतिलिपियां प्रस्तुत की थी।

(ग) और (घ) डायल द्वारा की गई शिकायत के आधार पर अपराध संख्या 205/07 में एक मामला दिनांक 7-5-2007 को दिल्ली पुलिस द्वारा पुलिस स्टेशन, आई.जी.आई.ए. टर्मिनल-II, नई दिल्ली में रजिस्टर्ड किया गया है।

(ङ) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए वर्तमान सुरक्षा उपायों तथा प्रवेश पत्रों के जारी करने की प्रक्रिया को अधिक सघन बनाया गया है।

### श्रेणी 3ए वाली विमान कंपनियां

**5768. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कम रोशनी में अधिक सटीकता तथा विश्वसनीयता के साथ विमानों को उतारने वाली आटो लैण्ड प्रणाली वाले विमानों को ऐसी आधुनिक विमान प्रणाली रहित विमानों के साथ रखा जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या नागर विमानन महानिदेशक ने कम रेशनी में श्रेणी-3ए के ऐसे विमानों को पहले उतारने में प्राथमिकता देने के लिए अनुमति प्रदान की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल):** (क) जी, नहीं। सभी विमानों को हवाईअड्डे में एप्रोच करने की अनुमति दी जाती है परंतु केवल वे विमान भूमि पर इंस्ट्रूमेंट एप्रोच करते हैं, जिनके एरोड्रॉम प्रचालन संबंधी न्यूनतम मापदण्ड वर्तमान दृश्यता/रनवे विजुअल रेंज से कम होते हैं।

(ख) और (ग) उन सभी विमानों को उनके अनुक्रम में एप्रोच करने की अनुमति दी जाती है जो एक विशिष्ट दृश्यता स्थिति में प्रचालन करने में सक्षम होते हैं। जिन विमानों के न्यूनतम मापदण्ड व्याप्त दृश्यता से उच्चतर होते हैं, उन्हें आपातस्थिति के अलावा लैंडिंग या टेक ऑफ की अनुमति नहीं दी जाती।

### नागरिक विमानों का अनुवीक्षण

**5769. श्री एल. राजगोपाल:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विमान क्षेत्र में उड़ने वाले सभी नागरिक विमानों का अब आई.ए.एफ. के राडारों द्वारा अनुवीक्षण किया जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल):** (क) भारतीय वायु सेना भारतीय एयर स्पेस के माध्यम से प्रचालित वायु यातायात को अनुवीक्षण करने के लिए अतिरिक्त एयर रक्षा चिन्हित क्षेत्र निर्धारित किया है।

(ख) ब्यौरा एकत्रित किया जा रहा है।

### विजाग विमानपत्तन

**5770. श्री मधु गौड यास्खी:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विजाग में विमानपत्तन को जनवरी, 2007 में बंद किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके फलस्वरूप यात्रियों को हुई असुविधा को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल):** (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, 18 से 30 जनवरी 2007 के बीच, बड़ी संख्या में उड़ानों को कम दृश्यता की वजह से या तो मार्ग परिवर्तन कर दिया गया था अथवा उन्हें रद्द कर दिया गया था।

(ग) विजाग हवाईअड्डे पर 10000 फुट के एक नए रनवे 10/28 का निर्माण पूरा कर लिया गया है। आई.एल.एस. के उड़ान आशांकन तथा वी.ओ.आर. उपस्कर की संस्थापना पूरी होने वाली है। आई.एल.एस. तथा वी.ओ.आर. उपस्कर एप्रोच के लिए परीक्षण प्रक्रियाएं पहले ही विकसित की जा चुकी हैं। उपरोक्त कदमों से यात्रियों को ऐसी असुविधा की पुनरावृत्ति न होने देना सुनिश्चित होगा।

### विमानपत्तनों पर ई.टी.डी. लगाया जाना

**5771. श्री विजय कृष्ण:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का विचार अगले छः महीनों में देश के सभी विमानपत्तनों पर 200 एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर (ई.टी.डी.) लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन्हें लगाये जाने में अनुमानतः कितनी लागत आएगी?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल):** (क) और (ख) जी, हां। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) सभी प्रचालित हवाई अड्डों पर एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर (ई.टी.डी.) लगायेगी। ई.टी.डी.) एक्सप्लोसिव डिटेक्टिंग तथा नारकोटिक्स सामग्रियों का पता लगाने में सक्षम होंगे। 200 ई.टी.डी. लागत कस्टम ड्यूटी सहित लगभग 91 करोड़ रुपए है।

*[हिन्दी]*

### फ्रेट कोरिडोर परियोजना

**5772. श्री मोहन रावले:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "फ्रेट कोरिडोर" संबंधी योजना के लिए आवश्यक धनराशि यात्रियों से वसूलने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो हर वर्ष इससे कितनी आय होने की संभावना है;

(ग) पश्चिम फ्रेट कोरिडोर परियोजना का व्यापक ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन कोरिडोरों को कब तक निर्मित किए जाने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) और (ख) रेल मंत्रालय ने विनिश्चय किया है कि समर्पित मालभाड़ा गलियारा परियोजना की आंशिक निधि के लिए विकास प्रभार के रूप में वर्तमान संरक्षा प्रभार को अब यात्री भाड़ों में शामिल कर दिया जाए। आशा है कि विकास प्रभार के रूप में प्रति वर्ष 845 करोड़ रुपए एकत्र होंगे। समर्पित मालभाड़ा गलियारा परियोजना निधि के लिए कोई अतिरिक्त कर नहीं लगाया गया है।

(ग) और (घ) पश्चमी समर्पित मालभाड़ा गलियारा जवाहर लाल नेहरू पत्तन से शुरू होगा और बड़ोदरा-अहमदाबाद-पालनपुर-रिवाड़ी से होकर तुगलकाबाद/दादरी के रास्ते होकर जाएगा। वर्तमान आकलन के अनुसार परियोजना का निर्माण कार्य शुरू होने के लगभग 5 वर्ष बाद परियोजना 16,592 करोड़ रुपए की लागत से पूरी की जाएगी।

### पेट्रोल और डीजल पर उपकर

**5773. प्रो. चन्द्र कुमार:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख तक डीजल और पेट्रोल पर उपकर लगाकर कुल कितना राजस्व अर्जित किया गया है; और

(ख) इस उपकर से अर्जित राजस्व में से विकासात्मक कार्यों पर किए गए व्यय का राज्य-वार तथा वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनशा पटेल):** (क) वित्त मंत्रालय ने सूचित किया है कि डीजल और पेट्रोल पर कुल उपकर के सम्बन्ध में वर्ष 2006-07 के लिए संशोधित अनुमान और (अप्रैल-नवम्बर) 2006 (अनन्तिम) के दौरान वास्तविक वसूली के आंकड़े निम्नानुसार है -

| शीर्ष | संशोधित 2006-07 अनुमान | वास्तविक वसूली (अनन्तिम) (अप्रैल-नवम्बर) 2006 |
|---|---|---|
| डीजल | 10140 | 6246 |
| पेट्रोल | 2760 | 1679 |
| योग | 12900 | 7925 |

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

**भारत और दक्षिण कोरिया के बीच संयुक्त उद्यम**

**5774. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण कोरिया ने सैन्य उपकरणों के उत्पादन के लिए भारत के साथ किसी संयुक्त उद्यम का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और संयुक्त उद्यम करार की शर्तें क्या हैं; और

(ग) संयुक्त उद्यम के अंतर्गत बनाए जाने वाले सैन्य उपकरण किस स्वरूप के होंगे?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह):** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

**अहमदनगर फोर्ट - चांद बीबी किले को स्मारक घोषित किया जाना**

**5775. श्री भर्तृहरि महताब:** क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि अहमदनगर फोर्ट - चांद बीबी किले को 1942-45 के दौरान एक जेल में बदल दिया गया था जहां प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानियों को रखा गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इसे ऐतिहासिक महत्व का एक स्मारक घोषित करना है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी):** (क) और (ख) जी, हां। इस किले को स्वतंत्रता संग्राम (1942-45) के दौरान जेल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था जहां प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों को नजरबंद किया गया था। इस किले में कैद किए गए कुछ प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं में: पंडित जवाहर लाल नेहरू (10 अगस्त, 1942 से 28 मार्च, 1945); मौलाना अब्दुल कलाम आजाद (10 अगस्त, 1942 से 17 अप्रैल, 1945); सरदार वल्लभभाई पटेल (10 अगस्त, 1942 से 18 अप्रैल 1945); पंडित गोविन्द वल्लभ पंत (10 अगस्त, 1942 से 28 मार्च, 1945); पंडित हरेकृष्ण मेहाब (10 अगस्त, 1942 से 29 मार्च, 1945); आचार्य जे.बी. कृपलानी (10 अगस्त, 1942 से 27 मार्च, 1945); आचार्य नरेन्द्र देव (10 अगस्त, 1942 से 28 मार्च, 1945); डा. सैय्यद महमूद (10 अगस्त, 1942 से 6 अक्तूबर 1944); डा. बी. पट्टाभि सीतारमय्या (10 अगस्त, 1942 से 5 अप्रैल 1945); श्री सैफ अली (10 अगस्त, 1942 से 3 अप्रैल, 1945); डा. पी.सी. घोष (10 अगस्त, 1942 से 20 मई, 1944); श्री शंकर राव देव (10 अगस्त, 1942 से 18 अप्रैल, 1945) थे।

(ग) और (घ) इस समय यह किला रक्षा मंत्रालय के नियन्त्रण तथा कब्जे में है। सरकार के पास इस समय इस किले को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में घोषित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*[हिन्दी]*

**रेलवे में खान-पान प्रणाली**

**5776. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे में टू-टियर खान-पान प्रणाली प्रचलन में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) खड़गपुर तथा टाटानगर विभागीय खान-पान सेवा के वेन्डरों को अन्य विभागों में नियमित किए जाने के उपरांत अधिशेष सहायकों का पुनर्वास करने के लिए रेलवे की प्रस्तावित कार्य-योजना का ब्यौरा क्या है;

(घ) रेलवे द्वारा सहायकों की वार्षिक चिकित्सा जांच की तरह आई.आर.सी.टी.सी. द्वारा वार्षिक चिकित्सा जांच न कराने के क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त सहायकों की सहकारी समितियों को आई.आर. सी.टी.सी. तथा रेलवे द्वारा स्टॉलों की निविदाओं में किस प्रकार प्राथमिकता दिए जाने का प्रस्ताव है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) और (ख) आजकल भारतीय रेल में खानपान की सेवाएं निजी लाइसेंसधारकों और भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम (आई.आर.सी.टी.सी.) के विभागीय कर्मचारी के माध्यम से प्रदान की जा रही है।

(ग) और (घ) कमीशन वेंडरों/बेयरों द्वारा अपनी स्वयं की शर्तों पर हेल्परों को लगाया जाता है। वे न तो रेलवे कर्मचारी होते हैं और न ही रेलवे के साथ उनका किसी प्रकार का संविदागत संबंध होता है। जैसे ही कमीशन वेंडरों/वेयरों को समाहित अथवा बर्खास्त किया जाता है, इन हेल्परों के क्रियाकलाप बंद हो जाते हैं और कोई बात कहने के लिए उनका अधिकार समाप्त हो जाता है।

(ङ) इस समय, खानपान स्टॉलों के आबंटन में कमीशन वेंडरों/बेयरों के हेल्परों को प्राथमिकता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*[अनुवाद]*

## त्रिवेन्द्रम से दिल्ली तक इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानें

**5777. श्री सी.के. चन्द्रप्पन:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इंडियन एयरलाइन्स की त्रिवेन्द्रम से दिल्ली तक उड़ानों की स्थिति बिगड़ती जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो त्रिवेन्द्रम-दिल्ली क्षेत्र में उड़ानों की स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल):** (क) दिनांक 01 मई, 2006 से प्रचालनात्मक रूकावटों के कारण, दिल्ली-मुम्बई-त्रिवेन्द्रम उड़ान सहित कुल 22 उड़ानें वापिस की गईं। विमान उपलब्धता में सुधार करने से दिल्ली-मुम्बई-त्रिवेन्द्रम उड़ान को 01 अगस्त, 2006 को पुन: चालू किया गया। तथापि, त्रिवेन्द्रम से दिल्ली के लिए उड़ान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

(ख) त्रिवेन्द्रम-मुम्बई-दिल्ली तथा वापसी मार्ग की उड़ान के उपकरणों को 01 मई, 2007 से ए-319 प्रकार के विमानों से अपग्रेड करके ए-320 प्रकार के विमानों के लिए उपयुक्त बना दिया गया है ताकि बिजनेस तथा इकॉनामी दोनों श्रेणियों में ज्यादा सीटें प्रदान की जा सकें।

## तमिलनाडु में ऑटोमोबाइल संयंत्र

**5778. श्री एम. अप्पादुरई:** क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान टू-व्हीलर तथा फोर-व्हीलर के उत्पादन में तमिलनाडु का वास्तविक हिस्सा कितना है;

(ख) क्या हरियाणा अथवा महाराष्ट्र की तुलना में तमिलनाडु का हिस्सा निरंतर घट रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार को तमिलनाडु में नए संयंत्र स्थापित करने के लिए विदेशी ऑटोमोबाइल विनिर्माताओं से अनेक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितने आवेदनों को मंजूरी दी गई तथा कितने प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लम्बित हैं; और

(च) उक्त लम्बित प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव हैं?

**भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह):** (क) भारतीय ऑटोमोबाइल विनिर्माता संघ (एस.आई.ए.एम.) के अनुसार, विगत तीन वर्षों के दौरान दुपहिया तथा चौपहिया वाहनों के उत्पादन में तमिनलाडु का हिस्सा निम्नानुसार है:

कुल उत्पादन में राज्य का हिस्सा (प्रतिशत में)

| राज्य | श्रेणी | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 |
|---|---|---|---|---|
| तमिलनाडु | चौपहिया | 20.11 | 21.64 | 21.95 |
| | दुपहिया | 18.22 | 18.36 | 18.31 |
| हरियाणा | चौपहिया | 34.56 | 33.65 | 32.30 |
| | दुपहिया | 48.66 | 47.48 | 48.80 |
| महाराष्ट्र | चौपहिया | 35.66 | 35.66 | 36.76 |
| | दुपहिया | 8.54 | 7.97 | 8.99 |

(ख) और (ग) उपरोक्त आंकड़ों के अनुसार, चौपहिया के कुल उत्पादन में तमिलनाडु का हिस्सा जो वर्ष 2004-05 में क्रमशः 20.11% तथा 18.22% था, वर्ष 2006-07 में बढ़कर क्रमशः 21.95% तथा 18.31% हो गया।

(घ) से (च) औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के अनुसार, वर्तमान में ऑटोमोबाइल के विनिर्माण में ऑटोमेटिक रूट के तहत 100% तक का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है। परिणामस्वरूप, इस संबंध में ठेकेदारों/निवेशकों को किसी भी प्रकार के सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। एस.आई.ए.एम. के अनुसार तमिलनाडु में ह्यून्दई मोटर इंडिया जैसी मौजूदा कंपनियां तथा बी.एम.डब्ल्यू. और महिन्द्रा-रिनॉल्ट-निसान जैसी नई कंपनियों की क्षमता का विस्तार अथवा सृजन करने की संभावना है।

*[हिन्दी]*

**रिलीजियस कन्वर्जन (अमेन्डमेंट) बिल**

**5779. डा. राजेश मिश्रा: क्या अल्पसंख्यक मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के माध्यम से जैन समुदाय ने गुजरात राज्य सरकार द्वारा पारित रिलीजियस कन्वर्जन (अमेन्डमेंट) बिल पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है तथा जैन समाज ने देश व्यापी आंदोलन शुरू करने की धमकी दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले):** (क) और (ख) गुजरात विधानमंडल द्वारा गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम को संशोधित करने तथा धार्मिक परिवर्तन के उद्देश्यों के लिए बौद्धों व जैनों को हिन्दु घोषित करने के निर्णय पर जैन समुदाय ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को अपनी वेदना का अभिवेदन किया था।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा एक प्रैस नोट जारी किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 25 में धर्म को मानने, आचरण और प्रचार-प्रसार करने की जो गारंटी दी गई है, वह देश के बहु-धार्मिक स्वरूप का एक अनिवार्य अंश है। राज्य सरकार से, इस मूल प्रावधान की पवित्रता को बनाए रखने तथा किसी गलत-फहमी को बातचीत से हल करने का अनुरोध किया गया है।

*[अनुवाद]*

**अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों हेतु नीतियों/कार्यक्रमों को क्रियान्वित न किए जाने संबंधी अभ्यावेदन**

**5780. श्री सुकदेव पासवान:**

**श्री रामदास आठवले:**

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ नीतियों और कार्यक्रमों को क्रियान्वित न किए जाने के संबंध में "दलित मानव अधिकार बुद्धिजीवी मंच" से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अभ्यावेदन में उल्लिखित अनियमितताओं पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार ने अभ्यावेदन में ध्यान में लाए गए तथ्यों के मद्देनजर एकल अभिकरण/विभाग के माध्यम से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सभी अदालती मामलों में बचाव करने का निर्णय लिया है;

(घ) क्या सरकार अभ्यावेदन में दिए गए सुझाव के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के मामले में तथा उन ममलों में जिनमें सरकार तथा अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां उसी मामले के पक्षकार होने, में उसी अधिवक्ता को रखने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन):** (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

**विमानों में बम की अफवाह**

**5781. श्री हेमलाल मुर्मू:**
**श्री रघुराज सिंह शाक्य:**

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले वर्ष के दौरान देश में विमानों में बम रखे जाने की अफवाह के परिणामस्वरूप उड़ानों में हुए व्यवधान की घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या हाल ही में बैंकाक से दिल्ली आ रहे इंडियन एयरलाइन्स के विमान में बम रखे होने की अफवाह की घटना के कारण आतंक पैदा हो गया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विमानों में और विमानपत्तन परिसर में बम रखे जाने की अफवाह फैलाने के दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल):** (क) वर्ष 2006 के दौरान देश में हवाईअड्डों पर कुल 112 बम की कॉलें रिपोर्ट की गईं।

(ख) और (ग) जी, हां। दिनांक 21-3-2007 को लगभग 1415 बजे बैंकाक-दिल्ली उड़ान आई.सी.-854 के कप्तान एस.एस. कोहली ने कोलकाता के ए.टी.सी. को सूचना दी कि एक मैक्सिकन यात्री विमान में उपद्रव (न्यूसेंस) कर रहा था तथा चीख रहा था कि वह उसकी सीट के नीचे रखे बम से विमान को ध्वस्त कर देगा। विमान को दिल्ली के रास्ते में कोलकाता पर उतरने की अनुमति दी गई थी। उक्त यात्री को विमान से उतार दिया गया था। विमान की आतंकवाद विरोधी जांच की गई तथा पूर्ण जांच के उपरांत विमान को टेक ऑफ करने की अनुमति दी गई थी। यात्री को गिरफ्तार किया गया तथा उसके खिलाफ स्थानीय पुलिस स्टेशन पर मामला दर्ज किया गया था।

**स्मारकों और मकबरों का अनुरक्षण**

**5782. श्री सुभाष सुरेशचन्द्र देशमुख:** क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विभिन्न हस्तियों से संबंधित स्मारकों (घाटों) और मकबरों का अनुरक्षण कर रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में शुरू किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन स्मारकों और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों के आस-पास के क्षेत्रों को अतिक्रमण/भीड़-भाड़ से मुक्त रखने और पुन: विकसित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी):** (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

*[अनुवाद]*

**बौद्ध चैत्य और मठ**

**5783. श्री बाडिगा रामकृष्णा:** क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में पहली और दूसरी शताब्दी के तीन बौद्ध चैत्य, एक मठ, एक त्रिआयामी संरचना, टूटी हुई मूर्तियां, स्तम्भ और बर्तन पाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा की गई खोज का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि 1870-71 में बुशवैल द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को कृष्णा जिले के घंटाशाला गांव को पहली बार ऐतिहासिक स्थल बताया गया था; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस क्षेत्र में अधिक से अधिक खोज करने के लिए इस क्षेत्र की खुदाई हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी):** (क) और (ख) जी, हां। फरवरी-मार्च, 2006 में, येरनमपाडु टीला, घंटासाला (जिला कृष्णा, आंध्र प्रदेश) में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की गई वैज्ञानिक सफाई से तीन वर्गाकार ईंट चबूतरों के अवशेषों का पता चला है जिन्हें बौद्ध मूर्तियों को प्रतिष्ठापित करने के काम में प्रयोग किया गया था जो बौद्ध चैत्य के रूप में जाना जाता है। इन चबूतरों को त्रिआयामी संरचनाओं के रूप में जाना जाता था। इसके अलावा, पहली और दूसरी शताब्दी ईस्वी के खंडमय चूनाप्रस्तर स्तम्भों, वास्तुशिल्पी घटकों तथा मृण्पात्र की खोज की गयी थी।

(ग) जी, हां।

(घ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 1984-85 में येरनमपाडु टीला, घंटासाला (जिला कृष्णा, आंध्र प्रदेश) में उत्खनन किए थे। उत्खननों से तीन सांस्कृतिक चरणों तथा अन्य वस्तुओं में बौद्ध मठ के परिसर अवशेषों का पता चला था। 2006 में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यहां वैज्ञानिक सफाई का कार्य किया और उपर्युक्त संरचनात्मक अवशेषों तथा पुरावस्तुओं का पता लगाया। इनका पता लगाने के बाद, महत्वपूर्ण पुरातत्वीय अवशेषों का संरक्षण और परिरक्षण शुरू किया गया था।

## समुद्री खाद्य पदार्थ उद्योग

**5784. श्री सुव्रत बोस:** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार तटीय राज्यों में मौजूद वृहद जनशक्ति और अवसंरचना को ध्यान में रखते हुए तटीय राज्यों में समुद्री खाद्य पदार्थ उद्योग में सुधार करने के लिए किसी विशेष योजना को क्रियान्वित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में समुद्री खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण उद्योगों के माध्यम से अर्जित राजस्व का ब्यौरा क्या है?

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय):** (क) से (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय मछली प्रसंस्करण उद्योग को सामान्य क्षेत्रों में संयंत्र और मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत के 25% की दर से जिसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रु. है, और दुर्गम क्षेत्रों में 33.33% की दर से जिसकी अधिकतम सीमा 75 लाख रु. है, सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता देता है।

देश से समुद्री खाद्य पदार्थ निर्यात में मछलीपालन का प्रमुख योगदान है। मछलीपालन के विकास को बढ़ाने के लिए, कृषि मंत्रालय ने राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड के जरिए नए क्षेत्रों में उत्पादन को बढ़ाने और पहले से विकसित क्षेत्रों में मछलीपालन के विविधीकरण के जरिए उत्पादकता में बढ़ोतरी करके मछलीपालन के विस्तार के लिए पहल की है। समुद्री खाद्य उद्योग को कच्ची सामग्री की आपूर्ति करने हेतु मछलीपालन क्षेत्र के संवर्धन के लिए अधिकतम प्रयास किए जा रहे हैं। तटीय राज्यों में मछलीपालन के विकास से ग्रामीण क्षेत्रों विशेषतया ग्रामीण गरीबों के लिए काफी रोजगार सृजित हुआ है और साथ ही इसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी योगदान दिया है। वर्ष 2005-06 की स्थिति के अनुसार, श्रिम्प खेती के लिए लगभग 1,91,000 हेक्टेयर और स्केम्पी खेती के लिए लगभग 51,500 हेक्टेयर का विकास किया गया है और निर्यात के लिए क्रमशः 1,43,170 मीट्रिक टन श्रिंप और 42,820 मीट्रिक टन स्केम्पी का उत्पादन किया गया। गुजरात, महाराष्ट्र और उड़ीसा के अविकसित और कम उपयोग वाले क्षेत्रों में श्रिंप और स्केम्पी खेती के विस्तार के लिए एक मिशन मॉड कार्यक्रम शुरू किया गया है। सरकार श्रिम्प खेती वाले क्षेत्रों के समूहों में बेहतर प्रबंधन कार्यों के संवर्धन हेतु किसानों को एक्वा क्लब बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है जिसका उद्देश्य उत्पादन, उत्पादकता और प्रतिफल में बढ़ोतरी करना है। यह संकल्पना बीमारियों के जोखिम में कमी करने और उत्पादन को बढ़ाने तथा साथ ही उत्पादन की लागत में कमी करने में अत्यधिक सफल हुई है। आंध्र प्रदेश में किए गए प्रायोगिक स्तर के कार्य का विस्तार अब गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और उड़ीसा जैसे अन्य राज्यों में किया जा रहा है।

इसके अलावा, वाणिज्य मंत्रालय ने भी समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के जरिए समुद्री उत्पादों के निर्यात के लिए उद्योग में सुधार करने/सुसज्जित करने के लिए मछलियों को पकड़ने, मछली पालन, बुनियादी ढांचा विकास संबंधी सुविधाओं के विकास और बाजार संवर्धन के उन्नयन के लिए विभिन्न स्कीमें शुरू की हैं।

(घ) गत पांच वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों द्वारा किए गए निर्यात से प्राप्त राजस्व निम्नलिखित है:-

| अवधि | पश्चिम बंगाल (करोड़ रुपये) | उड़ीसा (करोड़ रुपये) |
|---|---|---|
| 2006-07 | 558.75 | 355.18 |
| 2005-06 | 467.75 | 316.20 |
| 2004-05 | 447.12 | 248.68 |
| 2003-04 | 442.53 | 181.54 |
| 2002-03 | 417.90 | 259.04 |

**इक्कीसवीं शताब्दी में नई योजनाएं**

**5785. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:** क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अनेक नई पद्धतियों को अपनाते हुए इक्कीसवीं शताब्दी को अंगीकार करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पहले के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी):** (क) से (ग) स्मारकों के संरक्षण और पुरातत्वीय उत्खननों के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा ग्राउंड पेनेट्रेटिंग राडार (जी.पी.आर.), ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम (जी.पी.एस.), ज्योग्राफीकल इन्फॉरमेशन सिस्टम (जी.आई.एस.) आदि जैसे आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की विज्ञान शाखा है जिसकी वैज्ञानिक संरक्षण और सामग्री अध्ययनों के लिए देहरादून में एक पूर्ण विकसित प्रयोगशाला है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आई.आई.टी. तथा अन्य राष्ट्रीय संस्थाओं के पास उपलब्ध आधुनिक वैज्ञानिक सुविधाओं का भी उपयोग करता है।

नई तकनीकों तथा वैज्ञानिक उपकरणों के अनुप्रयोग से समस्याओं तथा उनके समाधान को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है।

**तेलुगू भाषा का दर्जा**

**5786. श्री किन्जरपु येरननायडु:** क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार तेलुगू भाषा को तमिल और संस्कृत भाषा के समान दर्जा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी):** (क) से (ग) आंध्र प्रदेश सरकार और कई अन्य संगठनों ने तेलुगू को 'श्रेण्य भाषा' घोषित करने के लिए अभ्यावेदन भेजे हैं। इन सभी अभ्यावेदनों को इस प्रयोजनार्थ गठित भाषा विशेषज्ञों की समिति के विचारार्थ साहित्य अकादमी को भेज दिया गया है। समिति की सिफारिशों की प्रतीक्षा है।

**पंजाब में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन**

**5787. श्री सुखदेव सिंह ढींडसा:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार पंजाब में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन को विकसित करने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रयोजनार्थ किसी स्थान की पहचान की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस परियोजना के लिए कोई तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(च) इस पर आगे क्या कार्रवाई की गई है और इस परियोजना को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल):** (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक सिविल एयर टर्मिनल के लिए हलवारा वायु सेना हवाई क्षेत्र पर एक स्थान को निर्धारित किया गया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) और (च) मामला विचाराधीन है।

**दिल्ली और मुम्बई विमानपत्तनों पर भीड़-भाड़**

**5788. श्री ए. साई प्रताप:**

**श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:**

**श्री एस. अजय कुमार:**

**श्री चन्द्रभूषण सिंह:**

**श्री जसुभाई धानाभाई बारड:**

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली और मुम्बई विमानपत्तनों पर विशेषकर गर्मी के व्यस्त मौसम के दौरान एयर कंजेशन बहुत ज्यादा रहता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन विमानपत्तनों पर एयर-कंजेशन की समस्या को हल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल):** (क) उच्चतम व्यस्ततम घंटों के दौरान दिल्ली तथा मुंबई हवाईअड्डों पर वायु-यातायात भीड़-भाड़ रहती है।

(ख) इन हवाईअड्डों पर भीड़-भाड़ को कम करने के लिए किए गए उपायों में नए तीव्र गति वाले टैक्सी-वे दोनों रनवे का एक साथ प्रयोग, संशोधित ए.टी.सी. प्रक्रियाएं, सामान्य विमानन विमान के आवागमन में प्रतिबंध, ए.टी.सी. ऑटोमेशन प्रणाली इत्यादि शामिल है।

**सैन्य कर्मियों का लापता होना**

**5789. श्री अबु अयीश मंडल:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में लापता हुए सैन्य कर्मियों के संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामले पता चले हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

**रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी):** (क) से (ग) अधिकारी संवर्ग में किसी रक्षाकर्मी की गुमशुदगी की सूचना नहीं है। अधिकारी रैंक से नीचे के रैंकों के गुमशुदा कर्मियों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

| क्र.सं. | वर्ष | सेना | नौसेना | वायु सेना |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2004 | शून्य | – | 08 |
| 2. | 2005 | 02 | – | 04 |
| 3. | 2006 | 04 | 01 | 05 |
| | कुल | 06 | 01 | 17 |

जब कोई रक्षाकर्मी बिना अवकाश के अनुपस्थित रहता है तो उसे तलाशने के प्रयास किए जाते हैं। तत्पश्चात् रक्षा कर्मी के गुम होने की परिस्थितियों की जांच के लिए एक जांच अदालत बिठायी जाती है। यदि जांच अदालत यह सुनिश्चित करती है कि रक्षा कार्मिक भगौड़ा नहीं है अपितु गुम हो गया है, तो उस कार्मिक के गुम होने की सूचना की तारीख से एक वर्ष बाद उसके निकटतम संबंधी को मृत्यु उपदान या अनुग्रह राशि को छोड़कर सेवांत लाभ निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार रिलीज कर दिए जाते हैं। तथापि, यदि जांच अदालत यह स्थापित करती है कि गुमशुदा रक्षा कार्मिक भगौड़ा है, तो सेवांत लाभ रिलीज नहीं किए जाते हैं। सिविल प्राधिकारियों की मदद से भगौड़े कार्मिक को पकड़ने के लिए प्रयास भी किए जाते हैं।

**अजन्ता की गुफाओं में चित्र**

**5790. श्रीमती निवेदिता माने:**

**श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:**

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अजन्ता की गुफाओं में विद्यमान चित्र सुरक्षित नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा अजन्ता की गुफाओं में विद्यमान चित्रों को बचाने के लिए क्या निवरक उपाय किए गए हैं?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी):** (क) और (ख) अजन्ता में चित्र सुरक्षित हैं तथा परिरक्षण की अच्छी स्थिति में हैं।

(ग) और (घ) नियमित संरक्षण, परिरक्षण तथा रखरखाव करने के अलावा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को गुफाओं के भू-तकनीकी अध्ययन करने तथा गुफाओं के संरक्षण और उन्हें प्राकृतिक विघटन से रोकने के लिए तरीकों की सिफारिश करने का कार्य सौंपा है।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण गुफाओं में पानी के रिसाव को रोकने के तरीके की भी सिफारिश करेगा।

जैसाकि विशेषज्ञों के पैनल द्वारा पहले ही सुझाव दिया गया था, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भूतल जल निकासी के प्रावधान के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है जिससे गुफाओ में रिसाव के कम होने की आशा है। यह प्रस्ताव है कि भूतल जल निकासी का डिजाइन केन्द्रीय जल वैद्युत अनुसंधान केन्द्र (सी.डब्ल्यू.पी.आर.एस.), पुणे द्वारा तैयार किया जाएगा।

दीर्घकालिक संरक्षण उपाय वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार कार्यान्वित किए जाते हैं। इनमें चित्रित प्लास्टरों का समेकन, पर्यावरण संबंधी पैरामीटरों की मॉनीटरिंग, चित्रित सतह की धूल झाड़ना, प्लास्टर के बिना चित्र वाले हिस्सों पर कीटनाशकों का छिड़काव करना शामिल है; अन्य निवारक उपायों में सापेक्ष आद्रर्ता को नियंत्रित करने के लिए चित्रित गुफाओं के भीतर पर्यटकों की गतिविधियों को विनियमित करना शामिल है तथा ताप और अन्य अल्ट्रावायलट एण्ड इंफ्रारेड विकिरणों के हानिकारक प्रभावों को दूर करने के लिए पांच चित्रित गुफाओ में फाइवर ऑप्टिक लाइट प्रणाली स्थापित की गई है।

## छोटे रेलवे स्टेशन

**5791. श्री उदय सिंह:**
**श्री अधीर चौधरी:**
**श्री चंद्रकांत खैरे:**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को इस बात की जानकारी है कि देश मे छोटे रेलवे स्टेशन जीर्णावस्था में हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे द्वारा देश में स्थित छोटे रेलवे स्टेशनों के रखरखाव की पूरी तरह से उपेक्षा की जा रही है जिनका लाखों लोग प्रतिदिन उपयोग करते हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(घ) देश में छोटे रेलवे स्टेशनों पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए रेलवे ने क्या योजना बनाई है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) से (ग) जी नहीं। मरम्मत और आवधिक अनुरक्षण गतिविधियों जैसे पुताई/रंग-रोगन, स्टेशन भवन की मरम्मत प्लेटफार्म सतह तैयार करने आदि के लिए स्टेशनों की निरंतर देखभाल की जाती है।

(घ) छोटे स्टेशनों, उनकी कोटि के अनुसार सहित स्टेशनों पर पहले ही न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है।

## पर्यटन पर आतंकवाद का असर

**5792. श्री अब्दुल्लाकुट्टी:** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पर्यटन वृद्धि पर आतंकवादी गतिविधियों के असर के आकलन के संबंध में कोई अध्ययन अथवा सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आतंकवादी गतिविधियों से कौन से क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी):** (क) और (ख) भारत में पर्यटकों के आगमनों के विश्लेषण के अनुसार, 2001 में न्यूयार्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 9/11 की घटना और दिसंबर, 2001 में भारतीय संसद पर हमले जैसी बड़ी आतंकवादी घटनाओं (2002 में अफगान संघर्ष तथा इस अवधि के दौरान भारत-पाक सीमा तनाव के साथ) का पर्यटन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। देश में 2001 में विदेशी पर्यटक आगमनों में 4.2 प्रतिशत की कमी आई और इसके बाद 2002 में इसमें 6.0 प्रतिशत की कमी आई। 2003 के बाद विदेशी पर्यटक आगमनों में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। विश्लेषणों से यह भी पता चला है कि आतंकवाद की छुटपुट घटनाओं का पर्यटन पर तत्काल और स्थानीय प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन पर्यटक प्रवाह में पुनः बढ़ोत्तरी हो जाती है।

(ग) पर्यटन के विभिन्न क्षेत्रों, यथा होटलों, खाद्य एवं पेय, परिवहन, ट्रेवल एजेंसियों आदि का एक सम्मिश्रण होने के कारण, पर्यटक आगमनों में वृद्धि अथवा कमी का इन क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ता है।

(घ) आतंकवादी हमलों के कारण पर्यटक आगमनों पर किसी नकारात्मक प्रचार अथवा प्रतिकूल प्रभाव से निपटने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय ऐसे प्रतिकूल प्रचार के प्रतिरोध

के लिए, विदेश मंत्रालय, स्वदेश तथा विदेश स्थित भारत पर्यटन कार्यालयों तथा व्यापार संगठनों के साथ मामले को समय-समय पर उठाता है।

**बीदर विमानपत्तन (एयरोड्रोम) से निजी विमानों की उड़ान**

**5793. श्री के. विरुपाक्षप्पा:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वायुसेना की भूमि पर स्थित बीदर रनवे विश्व का सबसे अच्छा रनवे है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस विमानपत्तन (एयरोड्रोम) से निजी विमानों के उड़ान भरने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी):** (क) बीदर रनवे में सैन्य विमान के प्रचालन के लिए अपेक्षित उचित सुविधाएं हैं।

(ख) और (ग) वायुसेना मुख्यालय ने बीदर विमान क्षेत्र से सिविल विमानों के प्रचालन के लिए सिद्धांत रूप में सहमति दे दी है बशर्ते कि नागर विमानन मंत्रालय द्वारा सिविल विमान को खड़ा करने के लिए अलग स्थल, सम्बद्ध टैक्सी मार्ग, यात्रियों के आगमन/प्रस्थान के लिए टर्मिनल और यात्री टर्मिनल के लिए अलग से प्रवेश/प्रस्थान मार्ग जैसी आवश्यक अवसंरचना संबंधी सुविधाओं का सृजन किया जाए।

*[हिन्दी]*

**सियाचिन में हेलीकॉप्टर दुर्घटना**

**5794. श्री पारसनाथ यादव:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में सियाचिन में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दो पायलट मारे गए थे;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस हेलीकॉप्टर दुर्घटना के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने और पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी):** (क) और (ख) दिनांक 11-4-2007 को अमर हेलीपैड (सियाचिन) के समीप एक चीता हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था जिसमें दोनों पायलट मारे गए थे।

(ग) यह हेलिकॉप्टर इंजन फेल हो जाने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हुआ था।

(घ) उड़ान सुरक्षा को बढ़ाने और उन्नत करने के लिए रक्षा सेनाओं में सतत् और बहु-आयामी प्रयास निरंतर जारी हैं। पायलटों के दक्षता स्तर को सुधारने के लिए प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने, तथा पायलटों की सही निर्णय करने और स्थितिजन्य जागरूकता का प्रयोग करने की क्षमता बढ़ाने के उपाय किए जा रहे हैं। वायुयान की तकनीकी कमियों को दूर करने के लिए स्वदेशी और विदेशी दोनों ही मूल उपस्कर निर्माताओं के साथ निरंतर बातचीत की जाती है। इसके अतिरिक्त, पक्षी-रोधी उपाय भी किए गए हैं।

मौजूदा सरकारी नीति के अनुसार मृतक कर्मचारी के आश्रित को मुआवजा दिया जाता है।

**हथियारों के उत्पादन में विदेशी कंपनियों की प्रतिभागिता**

**5795. श्री सज्जन कुमार:**
**श्री अवतार सिंह भड़ाना:**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ विदेशी कंपनियों ने देश में आयुध निर्माणियों में हथियारों के कल-पुर्जों के उत्पादन हेतु पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह):** (क) किसी विदेशी कंपनी ने देश की आयुध निर्माणियों में शस्त्रास्त्रों के हिस्सेपुर्जों का उत्पादन करने का प्रस्ताव नहीं किया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

*[अनुवाद]*

**गरीब रथ ट्रेनों में सुविधाएं**

**5796. श्री राम कृपाल यादव:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गरीब रथ ट्रेनों में केवल पचास प्रतिशत बेड-रोल्स और कम्बल मुहैया कराए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे को गरीब रथ ट्रेन के यात्रियों की कठिनाइयों की जानकारी है जिन्हें पचास प्रतिशत की उपलब्धता के कारण बेड-रोल्स और कम्बल देने से मना कर दिया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

**बी.एस.सी.एल. में वी.आर. योजना**

5797. **श्री सुनील खां:** क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बर्न-स्टैन्डर्ड कंपनी लिमिटेड (बी.एस.सी.एल.) प्रबंधन को कंपनी द्वारा पुनरुद्धार योजना को अंतिम रूप दिये जाने के लिए लंबित पड़ी वी.आर. योजना को पुनः शुरू करने के लिए दिशानिर्देश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बी.एस.सी.एल. ने बी.आई.एफ.आर. प्रक्रिया की लंबित अवधि के दौरान कुछ वरिष्ठ तथा कनिष्ठ स्तर के कार्यपालकों की भर्ती की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

**भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह):** (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) उत्पादन में प्रौद्योगिकीय तथा प्रबंधकीय कमियों पर काबू पाने के लिए, वर्ष 2001 से 2007 तक लगभग 13 लोगों को भर्ती किया गया है। इसकी आवश्यकता केवल सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र/मृत्यु इत्यादि के कारण रिक्त हुए महत्वपूर्ण पदों को भरे जाने की थी। हालांकि, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वी.आर.एस.) के कारण रिक्त हुए पदों को कंपनी द्वारा नहीं भरा गया है।

**विमानपत्तनों पर यात्री कार्गो यातायात**

5798. **श्री एन.एस.वी. चित्तन:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के अधिकांश विमानपत्तनों पर उनकी क्षमता से कम उपयोग हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष क्षमता से कम उपयोग में आ रहे प्रत्येक विमानपत्तन पर वास्तव में कितना यात्री एवं कार्गो यातायात रहा; और

(घ) इन विमानपत्तनों के इष्टतम उपयोग के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल):** (क) और (ख) जी, नहीं। अधिकांश हवाईअड्डों का पूर्ण उपयोग होता है। किसी भी स्थिति में हवाईअड्डे की क्षमताओं का निर्माण भावी दृष्टिकोण के साथ किया जाता है। ऐसा सम्भव है कि कुछ हवाईअड्डों पर यात्री/कार्गो की सम्भलाई आने वाले समय में अतिरेकता की स्थिति के लिए नियोजित टर्मिनल क्षमता से कम होती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सरकार ने मार्ग संवितरण दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं जिनमें सभी घरेलू अनुसूचित प्रचालकों से पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू कश्मीर, अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप समूह तथा गैर-प्रमुख मार्गों पर न्यूनतम विनिर्दिष्ट क्षमता की तैनाती अपेक्षित होती है। इसके अतिरिक्त ऐसे हवाईअड्डों पर प्रोत्साहक हवाई प्रचालनों के लिए गैर-प्रमुख हवाईअड्डों पर रियायती प्रभार जैसे पार्किंग तथा हाउसिंग प्रभार वसूल किए जाते हैं।

*[हिन्दी]*

**ओ.एन.जी.सी. द्वारा खोज**

5799. **डा. चिन्ता मोहन:**
**श्री राजीव रंजन सिंह "ललन":**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 अप्रैल, 2007 के "द एकानॉमिक टाइम्स" में "ओ.एन.जी.सी. एडमिट्स नो मेजर डिस्कवरी इन 20 इयर्स" नामक शीर्षक से छपे समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या "नवरत्न" के दर्जे से नवाजी

गई ओ.एन.जी.सी. कोई बड़ा तेल एवं गैस भण्डार खोजने में असफल रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है तथा उक्त कंपनी के कार्यकरण के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या गत वर्षों के दौरान निजी तेल कंपनियों ने तेल एवं गैस के कोई नए भण्डारों की खोज की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा खोज एवं अन्वेषण के क्षेत्र में निजी तेल कंपनियों का स्थल-वार योगदान क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल):** (क) से (ग) जी हां। यह स्पष्ट किया जा सकता है कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओ.एन.जी.सी.) शब्द "बड़ी खोज" को निकासी योग्य भण्डारों के 500 एम.एम.बी.ओ.ई. (मिलियन बैरल तेल के समकक्ष) खोज के रूप में देखती है और ओ.एन.जी.सी. ने मीडिया के लेख में संदर्भित अवधि के दौरान ऐसी कोई खोज नहीं की है। जिसमें वैधता का कोई अंश हो।

तथापि, यह कहा जा सकता है कि ओ.एन.जी.सी. की अन्वेषण नीति अन्वेषण हेतु स्त्रोत उपयोगिता का एक मिश्रण है जबकि यह क्षेत्र वृद्धि की ओर भी अपने प्रयासों पर ध्यान केन्द्रित कर रही है। इस प्रकार ओ.एन.जी.सी. ज्ञात खोजों से जुड़े क्षेत्रों में अन्वेषण पर भी ध्यान संकेन्द्रित कर रही है। यदि लेख में उल्लिखित बीस वर्ष की अवधि (1987-2007) में ओ.एन.जी.सी. द्वारा खोजे गए 20 बड़े क्षेत्रों पर विचार किया गया है, तो वास्तव में ओ.एन.जी.सी. ने निकासी योग्य भण्डारों में 3990 एम.एम.बी.ओ.ई. (ओ+ओ.ई.जी.) की वृद्धि की है जो आठ बड़ी खोजों (विशाल) के समकक्ष हैं। उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं (पी.एस.सीज) की व्यवस्था के दौरान ओ.एन.जी.सी. द्वारा की गई खोजें मूल्यांकन की विभिन्न अवस्थाओं में है। मूल्यांकन के बाद खोजों के आकार का पता लगेगा।

ओ.एन.जी.सी. ने क्षेत्र वृद्धि से संग्रहण के साथ-साथ तत्स्थान तेल व तेल समकक्ष गैस (एम.एम.टी.ओ.ई.) के 2876.98 मिलियन मीट्रिक टन का भंडार सिद्ध किया है, जिसमें पिछले 20 वर्षों के दौरान 1811.21 मिलियन मीट्रिक टन तत्स्थान तेल भंजार शामिल है। (1987-2007)।

(घ) और (ङ) जी, हां। जहां तक निजी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों (जे.वीज) का संबंध है, पिछले वर्षों के दौरान देश में नए तेल व गैस भण्डार पाए गए हैं। 31-3-2006 की स्थिति के अनुसार, निजी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों द्वारा कुछ नई खोजों से सर्वप्रथम तत्स्थान सिद्ध किए गए भण्डारों में 244 मिलियन मीट्रिक टन (एम.एम.टी.) तेल और 408 बिलियन घन मीटर (बी.सी.एम.) गैस शामिल है। अन्य खोजें मूल्यांकन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

निजी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के अन्वेषण अंतर्निवेशों तथा खोजों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

*विवरण*

| राज्य | 31-3-2006 तक भूकंपीय सर्वेक्षण | | 31.3.2006 तक अन्वेषणात्मक कूप (संख्या) | 31.3.2006 तक की गई खोजों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| | द्विआयामी (जी.एल.के.) | त्रिआयामी (वर्ग किलोमीटर) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| असम | 558 | – | 1 | – |
| अरुणाचल प्रदेश | 60 | – | 1 | – |
| आंध्र प्रदेश | 910 | – | – | – |
| राजस्थान | 9272 | 1879 | 118 | 15 |
| गुजरात | 720 | 844 | 29 | 7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| हिमाचल प्रदेश | 164 | – | – | – |
| तमिलनाडु | – | 278 | – | – |
| अपतटीय | 75229 | 57955 | 153 | 43 |

**तेलशोधन शालाओं की उत्पादन क्षमता**

**5800. श्री रामजीलाल सुमन:**
**श्री राजीव रंजन सिंह "ललन":**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2007-08 के दौरान देश की तेलशोधन शालाओं की अनुमानित उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) क्या उत्पादन क्षमता वर्तमान खपत आवश्यकताओं से अधिक है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा किए गए आकलन का ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्ष 2012 तक तेलशोधन शालाओं की अनुमानित उत्पादन क्षमता कितनी होगी;

(ङ) क्या योजना आयोग ने उक्त उत्पादन क्षमता को बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे दी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनशा पटेल):** (क) देश की रिफाइनरियों की वर्तमान शोधन क्षमता 148.97 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है।

(ख) और (ग) शोधन क्षमता वर्तमान खपत आवश्यकता से अधिक है और भारत पेट्रोलियम उत्पादों का निवल निर्यातक है।

घरेलू आवश्यकताओं से अधिक उच्चतर शोधन क्षमता मूल्य योजना के माध्यम से पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात से निर्यात आय बढ़ाएगी और देश की ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि करेगी।

(घ) वर्ष 2011-12 तक रिफाइनरियों की शोधन क्षमता 240.96 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष होने का अनुमान है।

(ङ) और (च) रिफाइनरी क्षेत्र को जून 1998 से लाइसेंसमुक्त किया गया था। तब से निजी या सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा भारत में कहीं भी कोई रिफाइनरी प्रवर्तकों द्वारा इसकी व्यवहार्यता के निर्धारण के आधार पर स्थापित की जा सकती है। केन्द्रीय सरकार नहीं, बल्कि सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के उद्यम नई रिफाइनरियों की स्थापना/क्षमता के विस्तार के प्रस्तावों पर विचार करते हैं।

*[अनुवाद]*

**गुजरात में रेल परियोजनाएं**

**5801. श्री किसनभाई वी. पटेल:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में चल रही/नई रेल परियोजनाओं एवं सर्वेक्षणों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन प्रत्येक परियोजनाओं के लिए आबंटित धनराशि और हुए खर्च तथा ऐसी परियोजनाओं में अब तक हासिल की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को गुजरात में रेल परियोजनाओं के लिए विशेष पैकेज दिए जाने की कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन पर रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) चालू परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) और (ख) गुजरात राज्य में पूर्णत:/अंशत: स्थित चालू/नई रेल परियोजनाओं का ब्यौरा, 2007-08 के दौरान परिव्यय की व्यवस्था और तत्संबंधी उपगत अनुमानित व्यय नीचे लिखे अनुसार हैं:-

| क्र.सं. | परियोजना | लंबाई (किलोमीटर में) | प्रत्याशित लागत | 2007-08 के दौरान परिव्यय | मार्च, 2007 तक अनुमानित व्यय | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **नई लाइन** | | रुपये करोड़ में | | | |
| 1. | गांधीनगर-अदरेज मोती-कलोल | 20.06 | 49.96 | 4.99 | 51.00 | कार्य पूरा हो गया है और अभी खोला जाना है। |
| 2. | दाहोद-इंदौर और देवास-मकसी | 236 | 678.56 | 06.00 | 56.00 | देवास-मकसी नई लाइन खोल दी गई है और शेष कार्य के लिए आवश्यक स्वीकृति प्राप्त हो गई है। प्रारंभिक कार्य जैसे अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण, नक्शे एवं अनुमान बनाना आदि शुरू किये गये हैं। |
| 3. | छोटा उदयपुर-धार | 157 | 570.00 | 0.01 | 0 | 2007-08 के बजट में शामिल नया कार्य है। |
| | **आमान परिवर्तन** | | | | | |
| 1. | मिलडी-समदरी | 223 | 244.74 | 110.00 | 103.00 | यह कार्य रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा निष्पादित किया जा रहा है। मिट्टी संबंधी कार्य और पुल संबंधी कार्य शुरू किए गए हैं। यह कार्य 2008-09 के दौरान पूरा करने के लिए नियोजित है। |
| 2. | भरूच-सामनी-दाहेज | 62.36 | 165.66 | 2.60 | 0 | यह कार्य रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा निष्पादित किया जा रहा है। भरुच-दाहेज रेलवे कंपनी नामक एक विशेष प्रयोजन योजना का गठन किया गया है और शेयरधारक करार पर भी हस्ताक्षर हो गए हैं। रियायत करार पर हस्ताक्षर होने के बाद ठेके देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। |
| 3. | प्रतापनगर-छोटा उदयपुर | 99.27 | 227.52 | 50.00 | 30.00 | मिट्टी संबंधी कार्य और पुल संबंधी कार्य शुरू किए गए हैं। प्रतापनगर-बोडेली खंड को 2007-08 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | वेरावल से सोमनाथ तक नई लाइन सहित राजकोट-वेरावल, वांसजलिया-जेतलसर | 281 | 508.87 | 38.00 | 370.00 | सोमनाथ तक विस्तार सहित राजकोट-वेरावल का कार्य पूरा हो गया है। वांसजलिया-जेतलसर का भी आमान परिवर्तन शुरू किया गया है। |
| 5. | भिलडी-वीरमगाम | 157 | 124.65 | 45.00 | 110.00 | वीरमगाम-मेहसाणा पर कार्य पूरा हो गया है और मेहसाणा-पाटन 2007-08 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है। |
| 6. | फुलेरा-मारवाड़-अहमदाबाद | 654.5 | 517.07 | 5.28 | 497.00 | साबरमती-खोडियार (11 किलोमीटर) को छोड़कर, जिसे शुरू किया गया है, कार्य पूरा हो गया है और खोल दिया गया है। |
| 7. | राजपीपला-अंकलेश्वर | 62.89 | 115.00 | 10.00 | 0 | 2006-07 के बजट में शामिल कार्य। नक्शे एवं अनुमान बनाने का कार्य शुरू किया गया है। |
| 8. | पिपावाव तक विस्तार सहित सुरेंद्रनगर-भावनगर, ढोला-ढासा-महुआ | 387 | 562.27 | 30.00 | 510.00 | मुख्य लाइन का कार्य पूरा हो गया है और खोल दिया गया है। सुरेंद्रनगर-ध्रांगध्रा पर कार्य शुरू किया है और 2007-08 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है। |
| | **दोहरीकरण** | | | | | |
| 1. | सूरत-कौसाम्बा | 35 | 49.00 | 0.1 | 0 | इस परियोजना को निम्न परिचालनिक प्राथमिकता प्रदान की गई है। |

गुजरात राज्य में पूर्णतः/अंशतः स्थित चालू/नए सर्वेक्षणों का ब्यौरा नीचे लिखे अनुसार है:-

| सर्वेक्षण | योजना शीर्ष | लंबाई (किमी. में) |
|---|---|---|
| निंगाला-गडहढ-बाबरा-खिजादिया जंक्शन | नई लाइन | 70 |
| पोरबंदर-वेरावल | नई लाइन | 130 |
| ढासा-जेतलसर | आमान परिवर्तन | 104 |
| नलिया-बरांदा/कोठेश्वर तक विस्तार सहित भुज-नलिया | आमान परिवर्तन | 161 |
| अम्बाजी तक विस्तार सहित महेसाणा-तरांगा हिल | आमान परिवर्तन | 112 |
| फतेहाबाद चंद्रावतीगंज-उज्जैन सहित रतलाम-कोटा | आमान परिवर्तन | 475 |
| कौसाम्बा-उमरपाडा | आमान परिवर्तन | 62 |
| मियागाम-दभोई-सामल्या | आमान परिवर्तन | 79.10 |
| सामनी-जम्बूसर-विश्वामित्री और जम्बूसर-कावि | आमान परिवर्तन | 99.16 |
| वीरमगाम-सुरेंद्रनगर | दोहरीकरण | 65 |
| दिल्ली-अहमदाबाद | दोहरीकरण | 934 |
| रतलाम-वड़ोदरा के बीच तीसरी लाइन | दोहरीकरण | 259 |
| अहमदाबाद-वीरमगाम के बीच तीसरी लाइन और गांधीधाम-वीरमगाम का दोहरीकरण | दोहरीकरण | 300 |

(ग) और (घ) गुजरात राज्य के माननीय सांसदों ने विभिन्न मुद्दों से संबंधित एक ज्ञापन दिया है। 03-04-2007 को अहमदाबाद में उनके साथ एक बैठक की गई थी। उठाए गए मुद्दों केसंबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

(ङ) चालू परियोजनाओं को पूरा करने में तेजी लाने के लिए संसाधनों के संवर्धन हेतु अनेक पहलें की गई हैं। इनमें राज्य सरकारों, वित्त मंत्रालय द्वारा लागत में भागीदारी, सार्वजनिक निजी भागीदारी, रक्षा मंत्रालय द्वारा वित्तपोषण और बजटेतर संसाधनों के माध्यम से रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा परियोजनाओं का क्रियान्वयन शामिल है। राज्य सरकारों से चालू नई लाइन एवं आमान परिवर्तन परियोजनाओं के पूरा होने में तेजी लाने के लिए 50 प्रतिशत या उससे अधिक लागत वहन करने का अनुरोध किया गया है।

**यू.एस. 'थाउजेंड शिप नेवी प्रोग्राम'**

**5802. श्री असादुद्दीन ओवेसी:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय नौसेना ने यू.एस. 'थाउजेंड शिप नेवी (टी.एस.एन.) प्रोग्राम' में रुचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय नौसेना के इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो स्वीकृति कब तक दिए जाने की संभावना है?

**रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी):** (क) से (ङ) 'थाउजेंड

शिप नेवी' (टी.एस.एन.) सितंबर, 2005 में अमरीका में आयोजित संगोष्ठी के दौरान अमरीका के नौसेना आपरेशन प्रमुख द्वारा प्रस्तुत एक संकल्पना है। यह संकल्पना सभी राष्ट्रों के लिए समुद्रों को सुरक्षित बनाने हेतु विभिन्न समुद्री एजेंसियों द्वारा समुद्री क्षेत्र जागरूकता सूचना के आदान-प्रदान करने के बारे में है। संकल्पना होने के कारण इसे अनापत्ति प्रदान करने का प्रश्न नहीं उठता।

**गैस-पाइपलाइन परियोजनाएं**

**5803. एडवोकेट सुरेश कुरूप:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई गैस पाइपलाइन तेल नीति में "गेल" द्वारा अभिकल्पित तथा निष्पादित की गई राष्ट्रीय गैस ग्रिड की अवधारणा का ध्यान रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) उन विभिन्न पाइपलाइन मार्गों का ब्यौरा क्या है जिनके लिए निजी कंपनियां प्रतीक्षा में है; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है कि "गेल" एवं इन कंपनियों के पाइपलाइन मार्गों का दोहरीकरण न हो?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनशा पटेल):** (क) और (ख) यद्यपि राष्ट्रीय गैस ग्रिड की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है, भारत सरकार ने सार्वजनिक के साथ-साथ निजी क्षेत्र से निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियमन बोर्ड अधिनियम, 2006 बनाया है और प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों तथा नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के विकास के लिए नीति अधिसूचित की है। नीति के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं -

(1) बिना भेदभाव के आधार पर पाइपलाइन नेटवर्क के सभी संचालकों के लिए खुली पहुंच को सरल बनाना;

(2) निकायों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, जिसके द्वारा किसी निकाय द्वारा उसकी प्रभावी स्थिति के दुरुपयोग से बचा जा सके;

(3) गैस उपलब्धता तथा उचित प्रशुल्क के रूप में उपभोक्ता हित को सुरक्षित करना।

गेल, देश के विभिन्न भागों को प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए लगभग 130 एम.एम.एस.सी.एम.डी. की क्षमता की 6000 किलोमीटर से अधिक की पाइपलाइनों को पहले ही प्रचालित कर रही है।

1-3-2007 की स्थिति के अनुसार गेल की प्राकृतिक गैस प्रेषण पाइपलाइनें निम्नानुसार है :-

| नेटवर्क/क्षेत्र | लम्बाई (कि.मी. में) |
|---|---|
| दहेज विजयपुर पाइपलाइन | 612 |
| ग्रेप और स्पर लाइनों सहित एच.वी.जे. | 3397 |
| असम | 8 |
| त्रिपुरा | 61 |
| गुजरात और राजस्थान | 742 |
| महाराष्ट्र | 125 |
| आंध्र प्रदेश | 834 |
| तमिलनाडु | 260 |
| योग | 6039 |

गेल ने हाल ही में निम्नलिखित परियोजनाएं पूरी की हैं -

1. केलारस-मालनपुर पाइपलाइन - जुलाई, 2006 में शुरू की गई।
2. विजय पुर-कोटा पाइपलाइन - जनवरी, 2007 में शुरू की गई।
3. जागोती-पीठमपुर पाइपलाइन - मार्च, 2007 में शुरू की गई।

दहेज - उरण पाइपलाइन परियोजना कार्यान्वित की जा रही है।

इसके अतिरिक्त, अलग-अलग क्षेत्रों में गैस की मांग पूरी करने के लिए गैस के परिवहन के लिए निम्नलिखित पाइपलाइनों को बिछाने के लिए रूचि की अभिव्यक्ति

(ई.ओ.आई.) आमंत्रित करने के लिए गेल द्वारा अधिसूचनाएं जारी की गई हैं।

1. जगदीश पुर-हल्दिया पाइपलाइन
2. कोच्चि-कांजिरक्कोड-मंगलोर/बंगलोर पाइपलाइन
3. दाभोल-बंगलोर पाइपलाइन
4. दादरी-बवाना-नांगल पाइपलाइन
5. चैनसा-गुड़गांव-झज्झर-हिसार पाइपलाइन

(ग) सरकार ने निम्नलिखित पाइपलाइनों के लिए रिलायंस गैस ट्रांस्पोर्टेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आर.जी.टी.आई.एल.) को अनुमोदन प्रदान किया है।

1. काकीनाडा-हैदराबाद-उरण-अहमदाबाद पाइपलाइन (1509 कि.मी.)
2. काकीनाडा-चेन्नै पाइपलाइन (445 कि.मी.)

आर.जी.टी.आई.एफ. द्वारा निम्नलिखित के लिए आगे ई.ओ.आई. आमंत्रित की गई है:-

1. काकीनाडा-बासुदेवपुर-हावड़ा पाइपलाइन (1100 कि.मी.)
2. चेन्नै-बंगलौर-मंगलौर पाइपलाइन (660 कि.मी.)
3. चेन्नै-तूतीकोरिन पाइपलाइन (670 कि.मी.)

गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (जी.एस.पी.सी.एल.) ने काकीनाडा अहमदाबाद पाइपलाइन बिछाने के लिए भी ई.ओ.आई. आमंत्रित की है।

(घ) पाइपलाइनें बिछाने के लिए प्राधिकार जारी करते समय, सरकार अपनी छानबीन के जरिए यह सुनिश्चित करती है कि पाइपलाइन मार्गों को दोहराया नहीं जाता है।

*[हिन्दी]*

**रेल मार्गों के दोनों तरफ वनरोपण**

**5804. श्री संजय धोत्रे:**
**श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली:**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने शहरों में से गुजरने वाले रेल मार्गों के दोनों तरफ वनरोपण के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह कार्य महाराष्ट्र में अकोला, अमरावती, जलगांव, अमालनेर तथा भुसावल के लिए पहले ही शुरू किया जा चुका है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) जी नहीं। शहरों में रेलवे लाइनों के किसी भी तरफ वृक्षारोपण हेतु कोई विशेष योजना नहीं है। खाली भूमि पर वृक्षारोपण करने के लिए रेलवे की सामान्य नीति है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

**श्रमिकों को मूलभूत सुविधाएं**

**5805. श्री पुन्नूलाल मोहले:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे के माल गोदामों में कार्य करने वाले श्रमिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए थे?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** क्षेत्रीय रेलों को माल गोदामों में कार्यरत श्रमिकों को निम्नलिखित सुविधाएं मुहैया कराने के लिए कहा गया है:

- पीने का पानी
- शौचालय
- विश्राम सुविधाएं
- नहाने के लिए नलों की संख्या बढ़ाना

*[अनुवाद]*

**हाइड्रोजन मिश्रित प्राकृतिक गैस**

**5806. डा. एम. जगन्नाथ:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ईंधन के रूप में प्रयोग की जा रही प्राकृतिक गैस में हाइड्रोजन मिश्रित करने के लिए कोई प्रायोगिक परियोजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने मिश्रित गैस की वैकल्पिक ईंधन

के रूप में लागत, किफायत तथा क्षमता का आकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल):** (क) और (ख) सोसायटी ऑफ इंडियन आटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (एस.आई.एम.) तथा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.एल.) के सहयोग से नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एम.एन.आर.ई.) ने परीक्षण आधार पर मौजूदा सी.एन.जी. वाहनों में हाइड्रोजन-संपीडित प्राकृतिक गैस (एच.सी.एन.जी.) मिश्रण शुरूआत करने के लिए एक परियोजना की योजना बनाई गई है। परियोजना का उद्देश्य फरीदाबाद स्थित आई.ओ.सी. (आर एण्ड डी) केन्द्र पर लगाए गए मौजूदा हाइड्रोजन डिस्पेंसिंग सुविधा के प्रयोग द्वारा हल्के वाहनों, कारों और तिपहिया वाहनों में ईंधन के रूप में एच.-सी.एन.जी. के मिश्रण की शुरुआत करना है और इसमें पांच अग्रणी भारतीय आटोमोबाइल विनिर्माता नामतः टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, आयशर मोटर्स, महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा तथा बजाज आटो शामिल है। इसके अलावा, निम्नलिखित विकासशील/प्रदर्शन परियोजनाओं के तहत 100% हाइड्रोजन तथा एच.-सी.एन.जी. मिश्रण और चलने वाले वाहनों की पुनः ईंधन भराई के लिए दिल्ली में एम.एन.आर.ई. के साथ मिलकर आई.ओ.सी. (आर एण्ड डी) द्वारा एक अन्य एच.-सी.एन.जी. डिस्पेंसिंग स्टेशन स्थापित किए जाने की योजना है:-

1. "हल्के वाहनों में एच.-सी.एन.जी. मिश्रित ईंधनों के प्रयोग" पर नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी बोर्ड (एन.एच.ई.बी.) द्वारा वित्त पोषित परियोजना।

2. "भारी वाहनों में एच.-सी.एन.जी. मिश्रित ईंधनों के प्रयोग" पर उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र (सी.एच.टी.) द्वारा वित्तपोषित परियोजना।

3. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (बी.एच.यू.) द्वारा विकसित हाइड्रोजन वाहन।

(ग) और (घ) इस स्तर पर, एच.-सी.एन.जी. मिश्रित ईंधन की लागत प्रभावोत्पादकता तथा क्षमता का मूल्यांकनक करना संभव नहीं है। लागत प्रभावोत्पादकता तथा क्षमता आगामी जांचों और पीरक्षणों के निष्कर्ष तथा वाणिज्यिक हाइड्रोजन की उत्पादन लागत पर निर्भर करेगी।

**अनुसूचित जातियों/अनुसूजित जनजातियों को आबंटित किए गए खुदरा बिक्री केन्द्रों का कार्य निष्पादन**

**5807. श्री ब्रह्मानन्द पंडा:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों द्वारा चलाए जा रहे खुदरा बिक्री केन्द्रों के कार्यनिष्पादन को सुधारने के लिए तेल कंपनियां क्या विशेष प्रयास कर रही है;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र की तेल इकाईयों ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के पेट्रोल खुदरा बिक्री केन्द्रों के डीलरों को कोई कामिक निधि आबंटित की है; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष आबंटित की गई ऐसी धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल):** (क) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओ.एम.सीज) नामतः इण्डियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल.) तथा भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बी.पी.सी.एल.) के क्षेत्र अधिकारियों ने संग्रह निधि योजना के तहत खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों के लिए पात्र पैनल/चयनित व्यक्तियों की सिफारिश की है तथा ऐसे डीलरों को डीलरशिप करार तथा विपणन अनुशासन दिशा निर्देशों के अनुसार डीलरशिप के उचित प्रकार से कार्य करने के लिए अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति सचेत करना ताकि डीलरशिप को सुचारू ढंग से चलाया जा सकें। ओ.एम.सीज द्वारा डीलरों के लिए उत्पाद जानकारी, प्रचालन, वित्त तथा सुरक्षा पहलुओं पर भी प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा, ओ.एम.सीज समय-समय पर अ.जा./अ.ज.जा. द्वारा प्रचालित खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरों के क्षमता निर्माण तथा उद्यम संबंधी कौशल बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिए जाते हैं। इनमें नए शामिल हुए डीलरों के लिए विशेष रूप से आयोजित कार्यशालाएं शामिल हैं।

(ख) और (ग) अ.जा./अ.ज.जा. श्रेणियों के लिए आरक्षित स्थलों के सम्बन्ध में संग्रहण निधि योजना के तहत, संबंधित ओ.एम.सी. अपने स्वयं के खर्च पर सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ तैयार खुदरा बिक्री केन्द्र उपलब्ध कराएगा। ओ.एम.सीज डीलरशिपों के प्रचालन के पूर्ण प्रचालन चक्र

के लिए पर्याप्त कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराएगी। डीलरशिप के चालू होने के 13वें माह से 100 समान मासिक किस्तों में कार्यशील पूंजी तथा उस पर 11% प्रति वर्ष ब्याज वसूल किया जाएगा।

गत तीन वर्षों के दौरान ओ.एम.सीज द्वारा आबंटित संग्रह निधि निम्नवत् है:-

| वर्ष | रु. लाख में |
|---|---|
| 2004-05 | 1639.25 |
| 2005-06 | 3182.80 |
| 2006-07 | 3782.30 |

**ओ.वी.एल.-सी.एन.जी. संयुक्त उद्यम**

**5808. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन की चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (सी.एन.पी.सी.) ने अफ्रीका में अपने कुछ अन्वेषण ब्लॉकों में इक्विटी भागीदारी के लिए ओ.एन.जी.सी. विदेश (ओ.वी.एल.) को पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में ओ.वी.एल. द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल):** (क) से (ग) ओ.एन.जी.सी. विदेश लिमिटेड (ओ.वी.एल.) ने हाईड्रोकॉर्बन क्षेत्र में सहयोग के लिए 1 नवंबर, 2005 को चीन की एक राष्ट्रीय तेल कंपनी, चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (सी.एन.पी.सी.) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ओ.वी.एल. और सी.एन.पी.सी., दोनों ही, सूडान की ग्रेटर नाइल ऑयल परियोजना (जी.एन.ओ.पी.) तथा सीरिया की अलफुरात परियोजना में भागीदार हैं और एक दूसरे के साथ अवसरों का आदान-प्रदान करते हैं। वर्तमान में, सी.एन.पी.सी. ने पश्चिम अफ्रीकी देश में भागीदारी की पेशकश की है, जिसमें उसका भी हिस्सा है। ओ.वी.एल. वाणिज्यिक महत्व के आधार पर उचित उद्यमशीलता के पश्चात निवेश संबंधी निर्णय लेती है।

*[हिन्दी]*

**वरिष्ठ नागरिकों तथा महिलाओं को निचला बर्थ**

**5809. श्री पंकज चौधरी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महिलाओं तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए वर्ष 2007-08 के रेल बजट में निचला बर्थ आरक्षित करने के संबंध में घोषणा की गई थी जबकि नई प्रणाली के अंतर्गत निचला बर्थ आरक्षित करने के लिए महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों से 15 से 20 रुपये अतिरिक्त लिए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो अतिरिक्त प्रभार लगाए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में जानकारी में आई घटनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इन पर क्या कार्रवाई की गई है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) यद्यपि 45 वर्ष की आयु और उससे अधिक की आयु वाली महिला यात्रियों, वरिष्ठ नागरिकों और यात्रा कर रही अकेली गर्भवती महिलाओं के लिए निचली बर्थों का एक संयुक्त कोटा निर्धारित करने के लिए अनुदेश पहले ही जारी कर दिए गए हैं। कोई अतिरिक्त प्रभार नहीं लगाया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

**155 एम.एम. तोपों की खरीद**

**5810. श्री संतोष गंगवार:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डेनेल प्रकरण के कारण स्थगित की गई 155 एम.एम. तोपों की खरीद के लिए पुनर्विचार किया जा रहा है/खरीदे जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी):** (क) और (ख) 155 एम.एम. तोपों को अधिप्राप्त करने का निर्णय लिया गया है और अधिप्राप्ति प्रक्रिया पूर्णतया रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया के अनुसार शुरू की गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

**केरल साहित्य अकादमी गोल्डन जुबली कॉम्पलेक्स**

**5811. श्री सी.के. चन्द्रप्पन:** क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल साहित्य अकादमी ने केरल साहित्य अकादमी गोल्डन जुबली काम्पलेक्स स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त करने संबंधी प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी):** (क) से (ग) तिरूअनंतपुरम में 98.00 लाख रु. की लागत से केरल साहित्य अकादमी स्वर्ण जयंती सांस्कृतिक परिसर के निर्माण के लिए एक प्रस्ताव दिसंबर, 2006 में प्राप्त हुआ था। उक्त प्रस्ताव में कई क्षेत्रों में कमी थी जैसे आवेदन-पत्र उपयुक्त फार्मेट में नहीं था, परियोजना का कार्य करने के लिए राज्य सरकार द्वारा स्थापित स्वायत्त निकाय को विनिर्दिष्ट नहीं किया गया था, प्लॉट की संख्या सहित भूमि की उपलब्धता और सही स्थान/मानचित्र इत्यादि संलग्न नहीं किया गया था। अप्रैल 2007 में संशोधित प्रस्ताव प्राप्त होने के समय तक योजना आयोग द्वारा एम.पी.सी.सी. स्कीम बंद कर दी गई है। योजना आयोग से उक्त स्कीम को XI पंचवर्षीय योजना में जारी रखने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है। यदि स्कीम को जारी रखा जाता है तो केरल सरकार को उक्त प्रस्ताव को पुन: प्रस्तुत करने की सलाह दी गई है।

**रेल डिब्बों का भार**

**5812. श्री चन्द्र भूषण सिंह:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे रेल डिब्बे की क्षमता बढ़ाने के लिए रेल के डिब्बों का भार कम करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) और (ख) जी हां। हल्के वजन वाले सवारी डिब्बों का एक डिजाइन मैसर्स लिंक हॉफमैन बुश से प्रौद्योगिकी अंतरण के अंतर्गत प्राप्त किया गया था और रेल कोच फैक्टरी, कपूरथला में ऐसे लगभग 400 सवारी डिब्बे पहले ही तैयार किए जा चुके हैं।

ये सवारी डिब्बे सवारी डिब्बा कारखाना (आई.सी.एफ.) चेन्नै द्वारा बनाए गए मौजूदा सवारी डिब्बों से हल्के हैं जिसका विवरण संलग्न हैं। हल्के होने के अलावा इन सवारी डिब्बों की वहन क्षमता भी आई.सी.एफ. द्वारा निर्मित सवारी डिब्बों से 10-12% अधिक है और कम कर्षण लागत पर इनसे अधिक राजस्व प्राप्त किया जा सकता है।

***विवरण***

*एल.एच.बी. डिजाइन और आई.सी.एफ. डिजाइन वाले सवारी डिब्बों के वजन और बैठने की क्षमता का तुलनात्मक डाटा*

| सवारी डिब्बों के प्रकार | टेयर भार (टन) | | बैठने की क्षमता | |
|---|---|---|---|---|
| | एल.ईच.बी. डिजाइन | आई.सी.एफ. डिजाइन | एल.ईच.बी. डिजाइन | आई.सी.एफ. डिजाइन |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **राजधानी/शताब्दी** | | | | |
| ए.सी. प्रथम | 43.3 | 46.2 | 24 | 18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| ए.सी. 2 टियर | 44.5 | 44.8 | 52 | 48 |
| ए.सी. 3 टियर | 45.6 | 48.3 | 72 | 64 |
| पावर कार | 53 | 60 | 0 | 0 |
| रसोई यान | 40.8 | 47.9 | 0 | 0 |
| द्वितीय ए.सी. चेयर कार | 39 | 43.1 | 78 | 67 |
| प्रथम ए.सी. चेयर कार | 39 | 42.6 | 56 | 46 |
| **मेल/एक्सप्रेस** | | | | |
| ए.सी. प्रथम | 47.5 | 49.7 | 24 | 18 |
| ए.सी. 2 टियर | 48.34 | 49.1 | 52 | 48 |
| ए.सी. 3 टियर | 50.58 | 52.53 | 72 | 64 |
| सामान्य द्वितीय श्रेणी | 37.57 | 36.99 | 99 | 90 |
| द्वितीय शयनयान | 39.6 | 38.3 | 78 | 72 |

**विमानपत्तनों पर चोरी के मामले**

**5813. श्री जोबाकिम बखला:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कोलकाता एवं दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर विमानपत्तन-वार चोरी के कितने मामले सामने आए;

(ख) मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार उनमें से कितने मामले सुलझा लिए गए;

(ग) लंबित मामलों की संख्या कितनी है तथा इन्हें कब तक सुलझा लिए जाने की संभावना है; और

(घ) ऐसी चोरियों को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल):** (क) वर्ष 2005 तथा 2006 के दौरान दिल्ली हवाई अड्डे पर रिपोर्ट किए गए चोरी के मामलों की संख्या क्रमशः 72 तथा 145 थी जबकि इन दो वर्षों के दौरान कोलकाता हवाई अड्डे पर चोरी के किसी मामले की रिपोर्ट नहीं हुई।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) हवाईअड्डा परिसरों में क्लोज सर्किट टेलीविजन कवरेज को व्यापक रूप से बढ़ाने के साथ-साथ सुरक्षा उपकरणों के बेहतर रखरखाव का प्रस्ताव है।

**जटरोफा रोपण की व्यवहार्यता**

**5814. श्री बसुदेव आचार्य:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे रेल इंजनों में प्रयुक्त होने वाले डीजल 10% से 20% की सीमा तक बायो डीजल मिश्रित करने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या रेलवे ने बायो-डीजल की थोक खरीद हेतु निविदाएं आमंत्रित करने पर भी विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा आपूर्तिकर्त्ताओं के नाम क्या-क्या हैं;

(घ) क्या रेलवे ने देश में बायो-डीजल आधारित जटरोफा की उपलब्धता तथा इसकी किफायत का आकलन किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या रेलवे ने जटरोफा की व्यवहार्यता तथा अपनी भारी आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्वयं बायो-डीजल संयंत्र की स्थापना करने पर भी विचार किया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) जी हां। लखनऊ और इलाहाबाद के बीच जन शताब्दी एक्सप्रेस पर बायो-डीजल के 10% ब्लेन्ड के प्रयोग से सफलतापूर्वक फील्ड परीक्षण किया गया है। इसके अलावा, 20% ब्लेन्ड के साथ भी सफलतापूर्वक फील्ड ट्रायल भी आयोजित किया गया है।

(ख) बायो डीजल की थोक खरीददारी के लिए निविदाएं जारी करने के बारे में मामला विचाराधीन है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) बायो-डीजल की उपलब्धता निर्धारित करने के लिए अभिरूचि की अभिव्यक्ति दिनांक 20-2-2007 को आमंत्रित की गई थी और इस बैठक में करीब 25 पार्टियों ने भाग लिया। लागत की दृष्टि से ब्लेन्डिग के किफायती होने के बारे में निर्णय आफर मिलने के बाद ही किया जा सकता है।

(च) और (छ) जी हां। रेलवे ने रेलवे की उपलब्ध खाली भूमि पर वृक्षारोपण किया है और बायो-डीजल उत्पादन के लिए एस्ट्रीफिकेशन वाले 5 संयंत्र स्थापित करने के लिए एक परियोजना तैयार की जा रही है।

**दिल्ली में रसोई गैस की मांग**

**5815. श्री बृज किशोर त्रिपाठी:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों में कितनी रसोई गैस ऐजेंसियां चल रही हैं;

(ख) क्या दिल्ली में पी.एन.जी. की आपूर्ति के बाद ऐसे क्षेत्रों में रसोई गैस की मांग में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार दिल्ली में पी.एन.जी. पाइपलाइन आपूर्ति वाले क्षेत्रों से रसोई गैस एजेंसियों को अन्यत्र ले जाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल):** (क) 31-3-2007 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र की तीन तेल विपणन कम्पनियां (ओ.एम.सीज) नामतः इण्डियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.), भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बी.पी.सी.एल.) और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल.) देश में 9363 एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्रचालित कर रही थीं।

(ख) और (ग) जी नहीं। दिल्ली में जहां पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस (पी.एन.जी.) की आपूर्ति की जाती है, वहां ओ.एम.सीज के एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरों की एल.पी.जी. की कुल बिक्री वर्ष 2005-06 की तुलना में 2006-07 में थोड़ी बढ़ गई है जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

| वर्ष | कुली बिक्री (टी.एम.टी. में) |
|---|---|
| 2005-06 | 566.6 |
| 2006-07 | 585.6 |

(घ) और (ङ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि दिल्ली के जिन क्षेत्रों में पी.एन.जी. की आपूर्ति होती है, उन क्षेत्रों से ओ.एम.सीज की एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को स्थानांतरित कर दिया जाये।

**पंजाब में एस.सी./एस.टी. को खुदरा बिक्री केन्द्रों का आवंटन**

**5816. सरदार सुखदेव सिंह लिब्रा:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल कंपनियों ने पंजाब में खुदरा बिक्री केन्द्रों के डीलरों के चयन के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए निर्धारित 25% कोटे को पूरा कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार जारी किये गए आशय पत्रों और प्रोषित आर.एस.ओ. का ब्यौरा क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल):** (क) जी हां।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान, अर्थात 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों नामतः इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल.) तथा भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बी.पी.सी.एल.) द्वारा पंजाब राज्य में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों (अ.जा./अ.ज.जा.) के पक्ष में 329 आशय पत्र (एल.ओ.आई.) जारी किए गए तथा 144 खुदरा बिक्री केन्द्र चालू किए गए।

**परामर्शदात्री समिति**

**5817. श्री प्रबोध पाण्डा:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे प्रयोक्ता परामर्शदात्री समिति के सदस्यों के नामांकन के लिए रेलवे ने क्या मानदंड निर्धारित किए हैं;

(ख) क्या डी.आर.एम. तथा जोनल रेलवे प्रबंधक की सिफारिश पर डिवीजनल रेल कार्यालय, जोनल रेल कार्यालय आदि से सदस्यों के नामांकन का कोई प्रावधान है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) स्टेशन परामर्श समितियों में चैम्बर्स ऑफ कामर्स, स्थानीय व्यापार और उद्योग, पंजीकृत यात्री एसोसिएशनों, स्थानीय शिक्षा संस्थानों, स्थानीय सरकारी निकायों तथा आम जनता के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। बहरहाल, समिति में सदस्यों की संख्या दस से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**गार्ड लाइन बक्सों को ब्रीफकेस से बदला जाना**

**5818. श्री हरिभाऊ राठौड़:**

**श्री चंद्रकांत खैरे:**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने हाल ही में गार्ड लाइन बक्सों को ब्रीफकेस से प्रतिस्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस प्रतिस्थापना से सुरक्षा उपायों के प्रभावित होने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस संबंध में अखिल भारतीय गार्ड परिषद और रेलवे के अन्य संघों ने भारी आपत्ति जताई;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या बक्सों को ढोने वालों के बेरोजगार होने की संभावना है; और

(ज) यदि हां, तो रेलवे द्वारा उनके हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) से (च) परिचालनिक कुशलता में सुधार करने की दृष्टि से गार्ड लाइन बॉक्स को ब्रीफकेस से बदलने के लिए क्षेत्रीय रेलों को 20-6-2006 को निदेश जारी किए गए थे। बहरहाल, मान्यता प्राप्त महासंघों द्वारा उल्लिखित कतिपय मुश्किलों के कारण, इसे उपर्युक्त रूप से संशोधित होने तक निलंबित रखा गया है। इसके अतिरिक्त लाइन बॉक्स के ब्रीफकेस से बदलने से एक ही तरह के उपस्करों को ढोने के लिए एक तरह के कंटेनर से दूसरे तरह के कंटेनर का परिवर्तन होता है जिससे संरक्षा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

(छ) और (ज) योजना में किसी प्रकार की छंटनी पर विचार नहीं किया जाता है क्योंकि पुनः नियुक्ति पर हमेशा विचार किया जाता है।

**प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ समझौता ज्ञापन**

**5819. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:**

**श्रीमती निवेदिता माने:**

**श्री कीर्ति वर्धन सिंह:**

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को वित्तीय लक्ष्यों के लिए अपने प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अनुमानित लक्ष्यों को प्राप्त करने के अर्थोपाय क्या हैं?

**भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव):** (क) जी नहीं। राजकोषीय लक्ष्यों का सम्बन्ध सरकारी वित्त से जुड़े मामलों (अर्थात सरकारी व्यय, सरकारी राजस्व, सरकारी उधार आदि) से है। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम और प्रशासनिक मंत्रालयों के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन राजकोषीय लक्ष्यों से सम्बन्धित नहीं है; बल्कि इन पर वित्तीय और अन्य लक्ष्यों के सम्बन्ध में हस्ताक्षर किए जाते हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

*[हिन्दी]*

**रेलगाड़ियों में खाद्य वस्तुओं का भंडारण**

**5820. प्रो. महादेवराव शिवनकर:**
**श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को रेलगाड़ियों में खाने के स्थानों, पेयजल और भोजन के भंडारण की अस्वास्थ्यकर और गंदगीपूर्ण स्थिति की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या आई.आर.सी.टी.सी. द्वारा बर्तनों को यात्रियों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले शौचालयों में धोया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) रसोईयानों को साफ-सुथरा बनाए रखने के लिए भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आई.आर.सी.टी.सी.) ने अपने लाइसेंसियों के लिए कड़े मानदंड जारी किए हैं। पैंट्रीकार में साफ-सफाई में सुधार की जांच करने के लिए रेलों तथा भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम के पदाधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण के अलावा तीसरी पार्टी द्वारा भी जांच की जाती है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

**दिल्ली और क्योनझर के बीच यात्री रेलगाड़ी**

**5821. श्री अनन्त नायक:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का दिल्ली और उड़ीसा के क्योनझर के बीच यात्री/एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दायातात्री-बांसपानी लाइन के सवारी यातायात के लिए शुरू होने के पश्चात् टाटानगर से जाने वाली नई दिल्ली-भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस के मार्ग को भी टाटानगर से बदलकर क्योनझर के रास्ते चलाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**रत्नागिरी गैस और विद्युत परियोजना**

**5822. श्री सुग्रीव सिंह:**
**श्री किसनभाई वी. पटेल:**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (गेल) रत्नागिरी गैस और विद्युत परियोजना के लिए अतिरिक्त धनराशि दिए जाने के सरकार के एक प्रस्ताव पर अनुकूल रूप से विचार कर रहा है, जैसा कि दिनांक 30 अप्रैल, 2007 के "बिजनेस लाइंस" में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनशा पटेल):** (क) और (ख) सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि गेल नवम्बर, 2007 तक एल.एन.जी.

टर्मिनल पूरा करने के लिए (पश्चजल को छोड़कर), रत्नागिरि गैस और बिजली परियोजना को सहायता देने पर विचार करेगी।

गेल ने एक स्वतंत्र परामर्शदाता के माध्यम से परियोजना पर उचित उद्यमशीलता शुरू कर दी है। गेल के निदेशक मंडल द्वारा उचित उद्यमशीलता रिपोर्ट के निष्कर्षों पर विचार किया जाएगा।

**आई.आई.टी. के सहयोग में रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा**

**5823. श्री जुएल ओराम:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का उत्तर रेलवे के रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था में सुधार करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.) के सहयोग से राष्ट्रीय राजधानी के सभी स्टेशनों पर सुरक्षा को सुदृढ़ बनाए जाने का प्रस्ताव है, जैसाकि दिनांक 4 मई, 2007 के "द टाइम्स ऑफ इण्डिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) और (ख) जी हां। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली को एक कम्पोजिट सुरक्षा योजना तैयार करने के दृष्टिकोण सहित दिल्ली मेन जंक्शन रेलवे स्टेशन का सुरक्षा ऑडिट संबंधी कार्य सौंपा गया है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त वर्णित परियोजना एक पायलट परियोजना है। भारतीय रेलवे द्वारा पहली बार इस तरह की कोई परियोजना भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली को सौंपा गयी है। इस परियोजना को शुरू करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों एवं निबंधन को रेलवे द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और रेलवे द्वारा एक सम्पर्क अधिकारी को दैनिक समन्वय के लिए नियुक्त कर दिया गया है। इस रिपोर्ट की प्राप्ति होने पर ही आगे कार्रवाई की जाएगी।

**सरकारी क्षेत्र के तेल उपक्रमों को टैंकर किराए पर लेने की स्वतंत्रता**

**5824. श्री रवि प्रकाश वर्मा:**

**श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सरकारी क्षेत्र के तेल उपक्रमों को कच्चे तेल का आयात करने के लिए उनको स्वयं टैंकर किराए पर लेने की स्वतंत्रता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समुद्री पोतों को किराए पर लेने की स्वतंत्रता से सरकारी क्षेत्र के तेल उपक्रमों को अपने समुद्री भाड़ा बिल को कम करने में मदद मिलने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनशा पटेल):** (क) से (घ) जी हां। 29-3-07 को सरकार ने निम्नलिखित के लिए अपनी मंजूरी दे दी है -

(i) इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.एल.) द्वारा ट्रांसचार्ट के माध्यम को छोड़कर सीधे पोतों को किराये पर लेने की प्रणाली जारी रखना;

(ii) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड तेल आयातों के लिए ट्रांसचार्ट के माध्यम को छोड़कर सीधे पोतों को किराये पर ले सकते हैं;

(iii) सभी कंपनियां पोतों को किराये पर लेने के मामले में भारतीय ध्वज और पोत तक निशुल्क के आधार पर नौवहन से संबंधित विनियमों सहित सभी लागू विनियमों का पालन करेंगी।

आई.ओ.सी.एल. द्वारा पोतों को सीधे किराये पर लेने की प्रणाली पिछले एक वर्ष के दौरान आमतौर से कारगर और संतोषजनक रही है।

**तिरूवनन्तपुरम में कार्गो परिसर**

**5825. श्री पी.सी. थामस:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल राज्य औद्योगिक उद्यम (के.एस.आई.ई.)

तिरूवनन्तपुरम विमानपत्तन से जुड़े कार्गो परिसर का संचालन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या के.एस.आई.ई. ने इस कार्गो परिसर को पुरस्थापित करने के लिए तिरूवनन्तपुरम विमानपत्तन के विस्तृत क्षेत्र में स्थान हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल):** (क) जी, हां।

(ख) केरल राज्य औद्योगिक उद्यम (के.एस.आई.ई.) 1993 से त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर कार्गो काम्प्लैक्स के अभिरक्षक के रूप में कार्य कर रहा है। वे काम्प्लैक्स के 45000 वर्ग फुट निर्मित क्षेत्र को प्रचालित कर रहे हैं। उन्होंने ए.पी.ई.डी.ए. के वित्तीय सहयोग से हॉर्टीकल्चर, फ्लोरीकल्चर तथा अन्य विकारी उत्पादों को निर्यात करने हेतु पेरिशेबल कार्गो के लिए एक कला केन्द्र की स्थापना भी की है।

(ग) जी, हां।

(घ) तथापि, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की प्रस्तावित अन्तरराष्ट्रीय टर्मिनल भवन के पास उपलब्ध भूमि के भीतर एक अन्तर्राष्ट्रीय कार्गो सुविधा के निर्माण की योजना है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने के एक आई.ई. के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में अन्तरराष्ट्रीय कार्गो सुविधा को प्रचालित करने का प्रस्ताव रखा है।

*[हिन्दी]*

**अग्रिम रेल आरक्षण**

**5826. श्रीमती करुणा शुक्ला:**
**डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:**
**श्री धर्मेन्द्र प्रधान:**
**श्री संतोष गंगवार:**
**श्रीमती रूपाताई डी. पाटील:**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे के दिशानिर्देशानुसार यात्रीगण अपनी रेल टिकटों को 90 दिन पहले आरक्षित करवा सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या अनेक मामलों में इन दिशानिर्देशों का घोर उल्लंघन करते हुए रेल टिकटों को 90 दिन से भी पहले आरक्षित कराया गया;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस मामले की जांच के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) निहित स्वार्थ के लिए दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने हेतु दोषी रेल अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

**मैला ढोने वालों के लिए नई स्व-रोजगार योजनाएं**

**5827. श्री एस.के. खारवेनथन:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने मैला ढोने वालों के लिए कोई प्रमुख स्व-रोजगार योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस नई योजना को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन):** (क) से (ग) जी, हां। मैन्युअल स्केवैंजरों के पुनर्वास हेतु स्व-रोजगार रोजगार योजना की शुरुआत जनवरी, 2007 में की गई। इस योजना का लक्ष्य, क्षमता निर्माण, रियायती क्रेडिट और पूंजीगत सब्सिडी संबंधी क्रेडिट के माध्यम से बाकी बचे मैन्युअल स्केवैंजरों और उनके आश्रितों का पुनर्वास करना है।

**आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा तेल अन्वेषण**

**5828. श्री मणी कुमार सुब्बा:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2005-06 और चालू वर्ष के दौरान अभी तक

पूर्वोत्तर के असम और अन्य राज्यों में आयल इंडिया लिमिटेड (ओ.आई.एल.) द्वारा शुरू किए गए अन्वेषणों के क्या परिणाम निकले; और

(ख) ओ.आई.एल. द्वारा नए भंडारों से तेल के दोहन के लिए क्या अन्य कदम उठाए जा रहे हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनशा पटेल):** (क) वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा असम में तथा उत्तर पूर्व में अन्य राज्यों में किए गए अन्वेषण प्रयासों के ब्यौरे निम्नवत् हैं -

**असम:**

| क्र.सं. | प्राचल | 2005-06 | 2006-07 |
|---|---|---|---|
| 1. | भूकंपीय सर्वेक्षण, 2डी जी.एल.के.एम. | 651.11 | 361.41 |
| 2. | भूकंपीय सर्वेक्षण, 3डी, वर्ग कि.मी. | 827.40 | 862.01 |
| 3. | अन्वेषी वेधन: | | |
| | मीटर | 45,137 | 34,326 |
| | कूपों की संख्या | 11 | 6 |
| 4. | स्थानिक भंडारों में वृद्धि (मि.मी.टन) | 19.73 | 19.90* |
| 5. | निकासी योग्य भंडारों की वृद्धि (मि.मी.ट.) | 8.50 | 10.50* |

*केवल अनुमानित

**अरुणाचल प्रदेश:**

| क्र.सं. | प्राचल | 2005-06 | 2006-07 |
|---|---|---|---|
| 1. | भूकंपीय सर्वेक्षण, 2डी जे.एल.के.एम. | 492.64 | 53.12 |
| 2. | भूकंपीय सर्वेक्षण, 3डी, वर्ग कि.मी. | – | 61.38 |

(ख) नए भंडारों में तेल भंडारों के दोहन के लिए ओ.आई.एल. द्वारा उठाए गए कदम निम्नवत् हैं -

- शीघ्र मूल्यांकन द्वारा नई खोजों का विकास तथा क्षैतिज कूप क्रियान्वयन/उपयुक्त जलाशयों में जे-मोड वेधन।
- असम और अरुणाचल प्रदेश के ऐसे संभारतंत्रीय रूप से विषय क्षेत्रों से उत्पादन, जहां भूकंपीय सर्वेक्षण पहले किए जा चुके हैं तथा हाइड्रोकार्बनों का पता लगाने के लिए वेधनीय संभावनाओं का पता लगाया गया है।
- कच्चे तेल के दोहन/उत्पादन के लिए नए खोजे गए क्षेत्रों में द्रुत उत्पादन स्थापना (क्यू.पी.एस.), शीघ्र उत्पादन स्थापना (ई.पी.एस.), तेल एकत्रण स्टेशनों (ओ.सी.एस.) की स्थापना।
- उत्तर पूर्व में असम, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में एन.ई.एल.पी./सं. उ. ब्लाकों से अन्वेषण और उत्पादन।

***एयर इंडिया/इंडियन एयरलाइन्स के सेवानिवृत्त अधिकारियों को नि:शुल्क विमान यात्रा टिकटें***

**5829. श्री कुलदीप बिश्नोई:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया (ए.आई.) और इंडियन एयरलाइंस (आई.ए.) अपने सेवानिवृत्त अधिकारियों की कुछेक श्रेणी की नि:शुल्क विमान यात्रा टिकटें उपलब्ध कराते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस कारण से एयर इंडिया/इंडियन एयरलाइंस पर कुल कितना वित्तीय भार पड़ा है;

(घ) इस संबंध में सरकार के निर्देश और एयर इंडिया/ *इंडियन एयरलाइंस के बोर्डों के संकल्पों का ब्यौरा क्या है;* और

(ङ) सरकार द्वारा एयर इंडिया/इंडियन एयरलाइंस के सेवानिवृत्त अधिकारियों की ऐसी असीमित और गैर विनियमित विमान सुविधा को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल):** (क) से (ग) जी, हां। एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स के सेवानिवृत्त अधिकारियों को पैसेज प्रदान किया जाना उनकी सेवा शर्तों का भाग है। तदनुसार, सभी एयरलाइनें अपने यात्रियों को ऐसे पैसेज प्रदान करती हैं। एअर इंडिया निम्नलिखित उपलब्ध कराती हैं:-

| | नि:शुल्क | रियायती | |
|---|---|---|---|
| | | 90% | 95% |
| 20 वर्ष की सेवा पूरी करने पर सेवानिवृत्त कर्मचारी | 02 | अन्तरराष्ट्रीय सेक्टर पर 2 | 90% के स्थान पर घरेलू सेक्टर पर केवल 02 |
| 25 वर्ष की सेवा पूरी करने पर सेवानिवृत्त कर्मचारी | यथोपरि | यथोपरि | स्वयं, पति/पत्नी व बच्चों के लिए घरेलू सेक्टरों पर असीमित |
| 20 वर्ष की सेवा पूरी करने पर सेवानिवृत्त कर्मचारी | वर्ष में एक बार जारी इंडियन एयरलाइंस पर इंटरलाइन पैसेजिस हेतु पात्रता | | |
| उप महाप्रबंधक या ऊपर के स्तर के सेवानिवृत्त कार्यपालक | पारस्परिक आधार पर इंडियन एयरलाइन्स पर निश्चित आधार पर 100% नि:शुल्क पैसेज के लिए पात्रता | | |

इंडियन एयरलाइंस में उनके सेवानिवृत्त यात्रियों को पात्रता निम्नानुसार है:-

| | नि:शुल्क | रियायती (95%) |
|---|---|---|
| 15 वर्ष की सेवा समाप्ति पर सेवानिवृत्त कर्मचारी | 01 | 02 |
| 20 वर्ष की सेवा के पश्चात सेवानिवृत्ति | 01 | 03 |
| 25 वर्ष की सेवा के पश्चात सेवानिवृत्ति | 02 | 04 |
| सेवानिवृत्त उप महाप्रबंधक/महाप्रबंधक/निदेशक (सेवा काल को ध्यान में रखे बिना तथा लोड आधार के मद्देनजर) तथा उप महाप्रबंधक तथा ऊपर (फर्म आधार पर) | 02 | 04 |

सेवानिवृत्त कर्मचारियों को विमान पैसेज पात्रता सीट की उपलब्धता के आधार पर होती है। (एअर इंडिया ने उप महाप्रबंधक तथा ऊपर के तथा इंडियन एयरलाइन्स के उप प्रबंध निदेशक व ऊपर के पद को छोड़कर) इस प्रकार, इस ओर कम्पनी को वास्तविक रूप से राजस्व की कोई हानि नहीं होती है।

(घ) और (ङ) पैसेजों का अनुदान एअर इंडिया कर्मचारी पैसेज विनियम 1987 के अन्तर्गत नियमित होते हैं जो सेवा काल की अवधि आदि के अनुसार कर्मचारियों को प्रदान किए जाने वाले पैसेजों की संख्या निर्धारित करते हैं। एअर इंडिया कर्मचारी पैसेज विनियमों को विमान निगम अधिनियम 1953 की धारा पद द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोक्त करके जारी किए गए थे, जो कि बोर्ड तथा केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से किए गए थे।

इंडियन एयरलाइंस के निदेशक मंडल ने 27-6-1994 तथा 18-6-1997 को आयोजित अपनी बैठकों में उप महाप्रबंधक, महाप्रबंधक तथा निदेशक स्तर के अधिकारियों को पैसेज उपलब्ध कराने तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पैसेज सुविधाओं के संबंध प्रस्ताव पर विचार करके स्वीकृति प्रदान की। नागर विमानन मंत्रालय ने अपने दिनांक 16-12-1996 के पत्र के तहत एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस के निदेशक मंडल को नि:शुल्क पैसेज हेतु प्रमुख निर्देश जारी किए हैं।

*[हिन्दी]*

**मिराज-2000 का उन्नयन**

**5830. श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:**
**श्री कीरेन रिजीजू:**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मिराज-2000 के उन्नयन के लिए एक योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रयोजनार्थ किसी देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है?

**रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी):** (क) और (ख) मिराज-2000 विमान का उन्नयन किए जाने की योजनाओं को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

*(ग) जी, नहीं।*

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

**दाहेज-उरान गैस पाइपलाइन**

**5831. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गेल इंडिया लिमिटेड ने 1.29 बिलियन रु. की लागत से 147 कि.मी. की लंबाई तय करते हुए गुजरात के जलालपुर को महाराष्ट्र के भाइरपाडा से जोड़ने के लिए दाहेज-उरान पाइप लाइन के स्प्रेड-II की स्थापना का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्य को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस उद्यम से गुजरात और अन्य राज्यों को कितनी मात्रा में गैस उपलब्ध होने की संभावना है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनशा पटेल):** (क) से (घ) जी, हां। गेल गुजरात में जलालपुर को महाराष्ट्र में भाइरपाडा से जोड़ने वाली, 147 किलोमीटर लम्बी दहेज-उरण पाइपलाइन (डी.यू.पी.एल.) के विस्तार-2 की स्थापना कर रही है। इस पाइपलाइन से, पाइपलाइन के मार्ग में आने वाले, विभिन्न उपभोक्ताओं को लगभग 12 एम.एम.एस.सी.एम.डी. पुन: गैसीकृति एल.एन.जी. की आपूर्ति होगी। 10-5-2007 की स्थिति के अनुसार, पाइप बिछाने का 99% कार्य पूरा कर लिया गया है।

**नेहरू स्मारक संग्रहालय और ग्रन्थालय**

**5832. श्री के.सी. पल्लानी शामी:** क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का नेहरू स्मारक संग्रहालय और, ग्रन्थालय (एन.एम.एम.एल.) का पुनरूद्धार करने और इसे आधुनिक बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) इसका कब तक पुनरूद्धार किए जाने और इसे कब तक आधुनिक बनाए जाने की संभावना है;

(घ) क्या बच्चों, छात्रों और अनुसंधानकर्त्ताओं के लाभ के लिए देश में अधिक ग्रन्थालयों की स्थापना किए जाने का भी कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी):** (क) जी, हां। हम नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय के आधुनिकीकरण के लिए कार्यविधियां तैयार कर रहे हैं।

(ख) और (ग) वर्ष 2007-08 के लिए 350 लाख रु. के सामान्य योजना आबंटन के अतिरिक्त, माननीय वित्तीय मंत्री ने 2007-08 के बजट भाषण में 20 करोड़ रु. के अनुदान की घोषणा की है। ब्यौरे और पद्धतियां तैयार की जानी हैं। इस प्रकार अभी निश्चित समय-सीमा नहीं बतलाई जा सकती कि कब तक नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय के आधुनिकीकरण का कार्य पूरा हो जाएगा।

(घ) और (ङ) देश में पुस्तकालयों की स्थापना का कोई प्रस्ताव/स्कीम नहीं है। तथापि, राजा राममोहन रॉय पुस्तकालय प्रतिष्ठान (आर.आर.आर.एल.एफ.) के पास मौजूदा सार्वजनिक पुस्तकालयों में बच्चों का कोना (चिल्ड्रेन कॉर्नर) स्थापित करने की एक स्कीम है। इस स्कीम के अंतर्गत, प्रत्येक पुस्तकालय को आर.आर.आर.एल.एफ. बच्चों का कोना स्थापित करने के लिए 1.50 लाख रु. तक की धनराशि मंजूर की जाती है।

## ध्रुव हेलिकॉप्टर

**5833. श्री ई.जी. सुगावनम:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विकसित हल्के हेलिकॉप्टर, ध्रुव को कुछ वर्ष पहले उड़ने से रोक दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड का विचार ध्रुव हेलिकॉप्टरों को पुनः आकाश में उड़ाए जाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्यां है और तत्संबंधी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ङ) इनकी उड़ान कब तक पुनः शुरू किए जाने का प्रस्ताव है?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह):** (क) और (ख) ध्रुव हेलिकॉप्टर के टेल रोटर ब्लेड में खराबी आ जाने की वजह से नवंबर, 2005 में उसे मजबूरीवश उतारने की एक घटना के कारण हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड ने अपने ग्राहकों को तब तक ध्रुव हेलिकॉप्टरों की उड़ान रोकने की सलाह दी है जब तक जांच बोर्ड द्वारा इस घटना के कारण की छानबीन नहीं कर ली जाती।

(ग) से (ङ) इस घटना के होने की तारीख तक भारतीय सशस्त्र सेनाओं को सुपुर्द किए गए सभी ध्रुव हेलिकॉप्टरों के टेल रोटर ब्लेड जांच बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड ने बदल दिए हैं। इन हेलिकॉप्टरों की उड़ान फरवरी, 2006 से शुरू हो गई है।

## अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को उच्च शिक्षा

**5834. श्री के.एस. राव:** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए निजी और व्यावसायिक संस्थाओं में प्रवेश दिया गया और कितनी ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति की गई;

(ख) निजी संस्थाओं में उच्च शिक्षा के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों को वित्त पोषित किए जाने के लिए केन्द्रीय योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को रोजगार के लिए अपेक्षित अर्हता पाने में सहायता हेतु उनको उच्च शिक्षा, विशेषकर निजी व्यावसायिक संस्थाओं में तकनीकी शिक्षा के लिए पूर्ण रूप से वित्त पोषण जारी रखने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन):** (क) से (घ) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय व जनजातीय कार्य मंत्रालय क्रमशः अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों की केन्द्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वित कर रहे हैं। योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त संस्थानों में मैट्रिकोत्तर मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा ब्यौरे का रखरखाव किया जाता है।

अनुसूचित जाति के छात्रों के मामले में छात्रवृत्ति में अनिवार्य अप्रतिदेय फीस की पूरी प्रतिपूर्ति है। तथापि, अनुसूचित जनजाति के छात्रों के मामले में, ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति समान पाठ्यक्रमों के लिए सरकारी संस्थाओं में छात्रों को प्रतिपूर्ति जैसी ही है।

*[हिन्दी]*

**उत्तर प्रदेश में रेल लाइन**

**5835. श्री हरिकेवल प्रसाद:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में कितने किलोमीटर रेल लाइन बिछाने का प्रस्ताव है और उन स्थानों के नाम क्या है; और

(ख) उत्तर प्रदेश में ब्रॉड गेज में बदली जाने वाली प्रस्तावित रेल लाइनों का ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में अंशत:/पूर्णत: पड़ने वाले खंडों और नई लाइन और दोहरीकरण परियोजनाओं के तहत बिछाए जाने वाले रेलपथ की लंबाई का विवरण:

| क्रमांक | योजना शीर्ष | परियोजना का नाम | खंड का नाम | 2007-08 के दौरान लक्ष्य कि.मी. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | नई लाइन | ललितपुर-सतना एवं रीवा-सिंगरौली | महोबा-खजुराहो | 65 |
| 2. | नई लाइन | हथुआ-भटनी | हथुआ-बथुआ बाजार | 22 |
| 3. | दोहरीकरण | कानपुर-पनकी तीसरी लाइन | कानपुर-पनकी तीसरी लाइन | 9 |
| 4. | दोहरीकरण | भीमसेन-जूही | भीमसेन-जूही | 14 |
| 5. | दोहरीकरण | सहजनवां-मुंद्रवा | सहजनवां-खलिलाबाद | 17 |
| 6. | दोहरीकरण | गोरखपुर-सहजनवां | डोमिनगढ़-सहजनवां | 11 |
| 7. | दोहरीकरण | गोरखपुर-बेतालपुर | गोरखपुर-बेतालपुर | 34 |
| 8. | दोहरीकरण | बभनान-मनकापुर कहीं-कहीं दोहरीकरण | बभनान-मनकापुर कहीं-कहीं दोहरीकरण | 30 |
| 9. | दोहरीकरण | जाफराबाद-उतरेतिया | सराय हरक-श्री कृष्णनगर | 8 |
| 10. | दोहरीकरण | उतरेतिया-चंद्रौली एवं सुल्तानपुर-बंधुआ कलां | अनूपगंज-चंद्रौली | 13 |
| 11. | दोहरीकरण | साहिबाबाद-आनन्द विहार तीसरी एवं चौथी लाइन | साहिबाबाद-आनन्द विहार तीसरी एवं चौथी लाइन | 4 |

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य में अंशत:/पूर्णत: पड़ने वाली आमान परिवर्तन परियोजनाओं का विवरण:

| क्रमांक | योजना शीर्ष | परियोजना का नाम | खंड का नाम | 2007-08 के दौरान लक्षित कि.मी. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | आमान परिवर्तन | कप्तानगंज-थावे-सिवान-छपरा | कप्तानगंज-थावे | 100 |
| 2. | आमान परिवर्तन | कानपुर-कासगंज-मथुरा एवं कासगंज-बरेली-लालकुंआ | कासगंज-मथुरा | 107 |

**द्वारका में बैडा की प्राचीन सभ्यता**

**5836. श्री रघुवीर सिंह कौशल:** क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात राज्य के समुद्री तट पर स्थित बैडा द्वारका की प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त में से उन अवशेषों का ब्यौरा क्या है जो समुद्र में और समुद्र से बाहर पाए गए हैं;

(ग) क्या उपरोक्त के संबंध में पुरातात्विक दृष्टिकोण से इनके संरक्षण, अनुसंधान और इससे संबंधित अन्य कार्यों को किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी):** (क) से (घ) राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्थान (एन.आई.ओ.), गोवा ने बेट (बैडा) द्वारका के द्वीप पर दिसम्बर, 2001 से जनवरी, 2002 तक पुरातत्वीय उत्खनन किए थे।

इन उत्खननों से आद्य-ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के निवास का पता चला था। आद्य-ऐतिहासिक काल की महत्वपूर्ण प्राप्तियों में तांबे का मछलीकांटा, सुरमा छड़, शंख चूड़ियों के टुकड़े तथा मृण्पात्र (सादा तथा चित्रित) शामिल हैं। कार्बन 14 और थर्मो-लुमिनेसेंस डेटिंग आद्य-ऐतिहासिक निवास की समय अवधि 1600-1400 ईसा पूर्व सूचित करती है।

*[अनुवाद]*

**जम्मू और कश्मीर में पर्यटकों का आगमन**

**5837. श्री मिलिन्द देवरा:** क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्व के स्विटजरलैंड के रूप में प्रसिद्ध जम्मू और कश्मीर में गत वर्ष की तुलना में श्रीनगर घूमने वाले पर्यटकों की संख्या में लगभग 40% गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वजह से कितनी विदेशी मुद्रा की हानि हुई है;

(ग) जम्मू और कश्मीर में विद्यमान संवेदनशील सुरक्षा स्थिति के अलावा आकर्षण पर्यटक पैकेजों का अभाव इसके लिए किस सीमा तक जिम्मेवार है; और

(घ) जम्मू और कश्मीर में दोनों प्रकार (घरेलू और विदेशी) के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी):** (क) और (ख) जनवरी-अप्रैल 2007 के दौरान, श्रीनगर घूमने आने वाले घरेलू और विदेशी पर्यटकों की कुल संख्या में वर्ष 2006 की इसी अवधि की तुलना में 39% की गिरावट आई है। तथापि घरेलू पर्यटकों के आगमन में गिरावट आई है और विदेशी पर्यटकों के आगमन में वृद्धि हुई है। आंकड़ों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

| अवधि | घरेलू | विदेशी | कुल |
|---|---|---|---|
| जनवरी-अप्रैल 2006 | 118644 | 6128 | 124772 |
| जनवरी-अप्रैल 2007 | 68745 | 7361 | 76106 |
| प्रतिशत्ता में परिवर्तन | (-) 42.1 | + 20.1 | (-) 39.0 |

वर्ष 2006 की इसी अवधि के आंकड़ों की तुलना में, जनवरी-अप्रैल 2007 के दौरान, श्रीनगर में विदेशी पर्यटकों के आगमन में 20% की वृद्धि को देखते हुए, विदेशी मुद्रा की संभावित हानि अपेक्षित नहीं है।

(ग) निजी क्षेत्र एवं जम्मू और कश्मीर पर्यटन विकास निगम (जे.के.टी.डी.सी.) आकर्षक पर्यटक पैकेजों की पेशकश करते हैं। पर्यटकों की संख्या में कमी होना, ऐसे पैकेजों के कम होने का कारण नहीं है।

(घ) पर्यटन विभाग, जम्मू और कश्मीर सरकार ने राज्य में पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु अनेक प्रकार की गतिविधियां प्रारंभ की हैं, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

- भारत से बाहर विभिन्न शहरों में रोड शोज का

आयोजन करना एवं विभिन्न व्यापार बाजारों में भाग लेना।

- 19 से 22 अप्रैल, 2007 तक नई दिल्ली में आयोजित साटे 2007 में पार्टनर स्टेट के रूप में भाग लेना।
- निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भाग लिया:
  - o विश्व बाजार लंदन : 6-9 नवम्बर, 2006
  - 0 आई.टी.बी., बर्लिन : 9-12 मार्च, 2007
  - 0 अरब व्यापार बाजार दुबई : 1-4 मई, 2007
  - o बहरीन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक्सपो : 7-10 मई, 2007
- इलैक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया (राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों) के माध्यम से प्रचार अभियान करना।
- विकास के लिए भारत सरकार की ग्रामीण पर्यटन योजना के अंतर्गत राज्य में 50 पर्यटक गांवों की पहचान करना।
- भारत सरकार की बड़ी गंतव्य विकास योजना के अंतर्गत निम्नलिखित स्थानों में अवसंरचना का सृजन करना:-
  - o कश्मीर गेटवे (काजीगुंड)
  - o ईद-गल (श्रीनगर)
  - o हसन विला (श्रीनगर)
  - o मटन और खीर भवानी पूजा स्थल (श्रीनगर)
  - o मुबारक मंडी अखनूर, शिव खोरी (जम्मू)
- राज्य योजना से निधिकरण और 12वें वित्त आयोग अवाड्र्स से कई अन्य स्थानों पर पर्यटन सुविधाओं का सृजन करना।
- केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत कश्मीर के सिधरा-जम्मू पहलगांव, गुलमर्ग में गोल्फ कोर्स की स्थापना करना।
- राज्य में पैराग्लाइडिंग, स्केटिंग और ट्रेकिंग का संवर्धन करना।

**पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन**

**5838. डा. अरुण कुमार शर्मा:** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में राज्य-वार कौन-कौन से पर्यटन स्थल विकसित किए गए तथा वहां कितने विदेशी और घरेलू पर्यटक पहुंचे;

(ख) मंत्रालय द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में दस प्रतिशत बजटीय प्रावधान के अंतर्गत चल रही विभिन्न परियोजनाओं का कुल परिव्यय, स्वीकृत धनराशि अनुपयुक्त धनराशि दर्शाते हुए ब्यौरा क्या है तथा दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यवार क्या उपलब्धियां रहीं तथा वर्ष 2007-08 हेतु कौन-कौन सी परियोजनाएं प्रस्तावित हैं तथा प्रत्येक परियोजना हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि हेतु किस क्षेत्र पर बल दिए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्षेत्र में शुरू की जाने वाली प्रस्तावित नई योजनाओं का यदि हों, तो ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मंत्रालय द्वारा राज्यवार कौन-कौन से समारोहों का वित्तपोषण किया जा रहा है?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी):** (क) से (ङ) 10वीं योजना अवधि के दौरान, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए, स्वीकृत की गई राशि और अवमुक्त की गई राशि और घरेलू एवं विदेशी पर्यटक आगमनों की संख्या भी दर्शाते हुए, स्वीकृत की गई परियोजनाओं की एक सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

10वीं योजना अवधि के दौरान, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के लिए कुल योजना परिव्यय की राशि, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए चिन्हित कुल परिव्यय के 10% की राशि और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए स्वीकृत की गई राशि/अवमुक्त की गई राशि और राज्य सरकारों द्वारा उपयोग की गई राशि के ब्यौरे संलग्न विवरण II में दिए गए है।

वर्ष 2006-07 के दौरान, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निधिकृत राज्य-वार उत्सव के ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दर्शाए गए हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन का विकास और संवर्धन, अनुमोदित योजनाओं के अनुसार, 11वीं योजना अवधि में जारी रहेगा।

*विवरण-I*

*दसवीं योजनावधि के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए स्वीकृत परियोजनाएं दर्शाता विवरण*

(लाख रुपयों में)

| क्र. सं. | परियोजना का नाम | स्वीकृत राशि | अवमुक्त राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **अरुणाचल प्रदेश** | | | |
| 1. | भलुकपोंग त्वांग पर्यटक परिपथ का विकास | 638.00 | 500.00 |
| 2. | कार्यान्गशा में मार्गस्थ सुविधाएं | 47.54 | 47.54 |
| 3. | गंगानगर झील | 244.06 | 244.06 |
| 4. | त्वांग में टूरिस्ट लॉज | 100.00 | 100.00 |
| 5. | कुपोरजी में सबनसीरी नदी के तट पर अतिथि मार्गस्थ सुविधाएं | 65.40 | 65.40 |
| 6. | ईटानगर में गंगाझील का विकास | 243.00 | 243.00 |
| 7. | अरुणाचल प्रदेश में ईको टूरिज्म परियोजना | 83.29 | 66.00 |
| 8. | पश्चिमी सियांग के अलोंग में गंतव्य विकास | 266.00 | 213.00 |
| 9. | जेमिनथांग का विकास | 384.00 | 307.20 |
| 10. | निचली दिबांग घाटी में जिया में गर्म झरने का विकास | 262.00 | 209.00 |
| 11. | जिला पापुमपरे में तरासो में गेरा झील का विकास | 373.00 | 298.00 |
| 12. | डिब्रूगढ-पासीघाट-डेईंग एरिंग वन्य जीव अभ्यारण्य में पर्यटक परिपथ | 299.00 | 239.20 |
| 13. | सियांग परिपथ का एकीकृत विकास | 778.04 | 623.00 |
| 14. | देवमाली में मल्टीपरपस हॉल और पासीघाट/टूरिस्ट लॉज/देवमाली प्रवेश द्वार के मार्गस्थ सुविधाएं | 161.00 | 128.80 |
| 15. | निचली दिबांग घाटी, डंबुक, याबगो में (स्टोन रैंपपार्ट) विरासत स्थल का संरक्षण | 283.22 | 226.58 |
| 16. | दिराक-वाकरो-तेजू-हायुलियांग-वालोंग का पर्यटक परिपथ | 772.26 | 617.80 |
| 17. | परशुराम कुंड में पर्यटक परिसर का निर्माण | 462.68 | 370.15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 18. | पांकुमपरे में होलांगी में पर्यटक रिजार्ट | 167.14 | 133.71 |
| **असम** | | | |
| 1. | कोहोरा में कैंपिंग स्थल | 142.00 | 142.00 |
| 2. | माजुली में हेरिटेज एंड ईको टूरिस्ट रिजार्ट | 382.25 | 325.21 |
| 3. | भालुकपोंग में एथनिक विलेज | 45.00 | 45.00 |
| 4. | ब्रह्मपुत्र नदी के तट के साथ-साथ नदीतट का विकास | 30.00 | 30.00 |
| 5. | कामाख्या में तीर्थ यात्री सुविधाएं | 80.00 | 64.00 |
| 6. | संकेतक | 25.00 | 25.00 |
| 7. | अगरतोली रेंज, काजीरंगा में पर्यटक परिसर | 158.00 | 158.00 |
| 8. | कामाख्या मंदिर के आस-पास विकास | 151.27 | 151.27 |
| 9. | पर्यटक स्वागत केन्द्र, गुवाहाटी | 384.00 | 284.00 |
| 10. | असम में पर्यटक परिपथ | 437.75 | 350.00 |
| 11. | काजीरंगा में साहसिक पर्यटन | 44.95 | 35.90 |
| 12. | मानस-गुवाहाटी-काजीरंगा का पर्यटक परिपथ | 781.00 | 624.80 |
| 13. | कोकराझार, असम में ईको-पर्यटन का विकास | 460.00 | 368.00 |
| 14. | असम में पूर्वोत्तर परिपथ | 280.00 | 224.00 |
| 15. | धुबरी-गोलपारा-गुवाहाटी-सिल्चर-करीमगंज का पर्यटक परिपथ | 432.28 | 345.82 |
| 16. | होटल ब्रह्मपुत्र अशोक में कंवेंशन सेंटर तथा वेलनेस सेंटर | 454.28 | 363.42 |
| 17. | कामाख्या तथा हाजो का सेटेलाइट पिलग्रिमेज टाउनशिप | 436.54 | 218.27 |
| 18. | शिवसागर का विकास | 369.05 | 295.24 |
| 19. | ओरांग-तेजपुर-भालुकपोंग-विश्वनाथ-चेराली-गोहपुर का पर्यटक परिपथ | 798.00 | 619.87 |
| 20. | ब्रह्मपुत्र नदी तट तथा क्रूज वेसेल्ज | 365.52 | 292.41 |
| **मणिपुर** | | | |
| 1. | मोएरंग में आई.एन.ए. परिसर के आस-पास में सुधार | 82.44 | 66.22 |
| 2. | सेन्द्रा में पर्यटक गृह | 75.50 | 75.50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 3. | इम्फाल में पर्यटक गंतव्य | 418.00 | 334.00 |
| 4. | इम्फाल में ईको-टूरिस्ट पार्क | 345.29 | 172.64 |
| **मेघालय** | | | |
| 1. | नोंगखनुम द्वीप में कुटीरें | 42.40 | 12.70 |
| 2. | विनिया फाल्स, सौंखई के ऊपर सस्पेंशन ब्रिज | 10.89 | 3.27 |
| 3. | ऊमियम में लंबपोनडिंग द्वीप में बोट हाउस कैफेटेरिया एवं अन्य सुविधाएं | 17.06 | 9.43 |
| 4. | गंतव्य लोंगखरुम | 70.85 | 21.20 |
| 5. | पर्यटक परिपथ का विकास | 674.15 | 576.59 |
| 6. | बारापानी का विकास | 289.15 | 231.32 |
| 7. | तुरा में पर्यटक गंतव्य का विकास | 487.00 | 389.60 |
| 8. | मेघालय में विलियमनगर-जकरेन-नतियांग-जोवाई का परिपथ विकास | 800.00 | 640.00 |
| **मिजोरम** | | | |
| 1. | खमरंग में टूरिस्ट लॉज | 31.00 | 31.00 |
| 2 | जोखावथर में टूरिस्ट लॉज | 50.00 | 50.00 |
| 3. | सकावर्दी में टूरिस्ट लॉज | 50.00 | 50.00 |
| 4. | पांच स्थानों (सईचो, तलाबंग, कानूनून, बेरावतलांग) में पर्यटन विकास | 341.00 | 272.50 |
| 5. | हमुईफांग में पर्यटक रिजार्ट | 195.85 | 156.67 |
| 6. | चन्फाई में पर्यटक गंतव्य का विकास | 442.35 | 353.88 |
| 7. | आइजोल के चहितलांग-सेरछिप-नाभथियाल-लुंगी में पर्यटक परिपथ | 634.00 | 507.20 |
| 8. | मिजोरम के उत्तरी भीग में पर्यटक परिपथ | 783.92 | 627.00 |
| 9. | मिजोरम राज्य में गंतव्य विकास | 341.00 | 239.00 |
| 10. | आईजोल में बेरावतियांग तथा रीक में पर्यटक गंतव्य | 478.49 | 383.59 |
| 11. | चलफिलतलांग में पर्यटक गंतव्य | 499.00 | 399.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 12. | आइजोल में चतलांग का विकास | 487.45 | 390.00 |
| 13. | केइटूमी-एन, वनलाइफाई-ईस्ट-जिखाथन-नहलान पर्यटक परिपथ | 782.78 | 601.85 |
| 14. | स्कंगचलकावती-त्वीपुई-लांगतलाई-सेहा-ऊथी-अनिएईथाई में पर्यटक परिपथ | 768.10 | 589.11 |
| **नागालैंड** | | | |
| 1. | खोनोमा में ग्रीन विलेज प्लांट | 300.00 | 300.00 |
| 2. | माउन पाउना रेंज का विकास | 250.00 | 250.00 |
| 3. | टउफेमा ग्राम का विकास | 156.00 | 156.00 |
| 4. | नागा हैरिटेज परिसर का विकास | 300.00 | 300.00 |
| 5. | फीफेमा में ईको-टूरिज्म कंवेंशन सेंटर | 351.00 | 351.00 |
| 6. | फुटसेरो का गंतव्य विकास | 439.24 | 439.24 |
| 7. | पी.एम.एस. पैकेज के अधीन ग्रामीण पर्यटन | 550.00 | 550.00 |
| 8. | नागालैंड में छह स्थानों पर पर्यटक परिपथ का विकास | 766.50 | 613.20 |
| 9. | कोहिमा में मौजूदा पर्यटक लॉज का नवीकरण | 58.95 | 58.95 |
| 10. | दोयांग (वोखा) में पर्यटक रिजार्ट का विकास | 64.00 | 64.00 |
| 11. | नागालैंड में ग्रामीण पर्यटक परियोजना का विकास | 250.00 | 250.00 |
| 12. | जून्हेबोटों सतोई रेंज का विकास | 447.37 | 357.89 |
| 13. | मोकोकुचुंग-लोंगिंग तथा मोन का पर्यटन परिपथ | 747.95 | 598.36 |
| 14. | नागालैंड में पर्यटन हब | 209.65 | 209.65 |
| 15. | जून्हेबोटों-त्वेनसांग कीफीरी का पर्यटक परिपथ | 678.66 | 542.93 |
| 16. | जिला जुन्हेबोटों में आइजूटों का विकास | 438.94 | 351.17 |
| 17. | कोहिमा में पर्यटक यात्रा गंतव्य टूफेमा | 464.72 | 371.77 |
| 18. | वोखा-नुईलैंड-जलूकी-पेरेन का पर्यटक परिपथ | 728.00 | 566.64 |
| **सिक्किम** | | | |
| 1. | ओब्जरवेटरी टावर टाशा प्वायंट | 40.00 | 32.00 |
| 2. | लिचेन में पर्यटक सूचना केन्द्र | 8.87 | 8.87 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 3. | तेनदोंग के लिए ट्रेकिंग ट्रेल का विकास | 18.84 | 7.22 |
| 4. | रूमटेक में पर्यटक अवसंरचना | 74.00 | 74.00 |
| 5. | गंगटोक में फलावर शो पेवेलियन | 32.00 | 32.00 |
| 6. | चोपटा घाटी में पर्यटक लॉज | 63.21 | 63.21 |
| 7. | चेपूंग में दुंपेन्द्रा में पर्यटक अवसंरचना | 82.30 | 82.30 |
| 8. | रंगपो में पर्यटक लॉज | 20.00 | 20.00 |
| 9. | सिक्किम में ट्रेकिंग मार्गों का विकास | 456.55 | 365.00 |
| 10. | ईको तथा एडवेंचर सेंटर, चेमची का निर्माण | 494.00 | 395.00 |
| 11. | ताशिगडिंग में बौद्ध परिपथ का विकास | 181.00 | 144.80 |
| 12. | पश्चिमी सिक्किम का परिपथ विकास | 396.00 | 316.00 |
| 13. | पूर्वी सिक्किम में पर्यटक परिपथ का विकास | 355.00 | 284.00 |
| 14. | पस्चिमी सिक्किम के सोरेंग में गंतव्य विकास कार्यक्रम | 436.17 | 348.94 |
| 15. | पूर्वी सिक्किम में सांग-मारटम के अंतर्गत टूरिस्ट ट्रेकिंग ट्रेल्स तथा अन्य पर्यटक अवसंरचना | 418.42 | 334.73 |
| 16. | पूर्वी सिक्किम में रेकडांग टिनटेक डेल्ट के लिए पर्यटक स्थल विकास योजनाएं | 678.30 | 542.64 |
| 17. | लेपचा हैरिटेज सेंटर का विकास | 171.22 | 136.97 |
| 18. | पूर्वी सिक्किम में सांग में तीर्थ पर्यटन व अन्य अवसंरचना का एकीकृत विकास | 375.55 | 300.40 |
| 19. | सरमसा का गंतव्य विकास कार्यक्रम | 452.55 | 362.04 |
| 20. | यांगयांग/धापर से मैल्ली डुंगा तक ट्रेकिंग ट्रेल का विकास | 115.07 | 92.00 |
| 21. | फोडोंग के अरीतर में पर्यटक अवसंरचना का विकास | 145.17 | 99.20 |
| 22. | गंतव्य विकास के अंतर्गत सोमगो में सौम्दर्यीकरण व अन्य पर्यटक अवसंरचना | 384.64 | 307.71 |
| 23. | हिपुई में वाटर गार्डन तथा बाजोय में कम्युनिटी पार्क का विकास | 441.81 | 9.00 |
| **त्रिपुरा** | | | |
| 1. | त्रिपुरा में विकास परियोजना | 81.96 | 25.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 2. | एम.बी.बी. कालेज में पर्यटक लॉज, ईको पार्क | 276.00 | 80.00 |
| 3. | गाताबारी, उदयपुर (पूर्वोत्तर परिपथ) का विकास | 37.21 | 11.16 |
| 4. | उत्तर पश्चिमी त्रिपुरा परिपथ का एकीकृत विकास | 252.33 | 202.00 |
| 5. | अगरतला का गंतव्य विकास | 459.00 | 367.00 |
| 6. | चतुर्देश देवतावड़ी का गंतव्य विकास | 274.00 | 82.20 |

*पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटक आगमन दर्शाता हुआ विवरण*

| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2002 | | 2003 | | 2004 | | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | घरेलू | विदेशी | घरेलू | विदेशी | घरेलू | विदेशी | घरेलू | विदेश |
| अरुणाचल प्रदेश | 4372 | 187 | 2195 | 123 | 4740 | 269 | 3005 | 289 |
| असम | 1953915 | 6409 | 2156675 | 6610 | 2288093 | 7285 | 2467652 | 10782 |
| मणिपुर | 89633 | 221 | 92923 | 257 | 93476 | 249 | 94299 | 316 |
| मेघालय | 268609 | 3146 | 371953 | 6304 | 433495 | 12407 | 375901 | 5099 |
| मिजोरम | 29417 | 259 | 35129 | 279 | 38598 | 326 | 44715 | 273 |
| नागालैण्ड | 14263 | 657 | 5605 | 743 | 10056 | 1084 | 17470 | 883 |
| सिक्किम | 159342 | 8566 | 179661 | 11966 | 230719 | 14646 | 251744 | 16523 |
| त्रिपुरा | 260586 | 2602 | 257331 | 3196 | 260907 | 3171 | 216330 | 2677 |

***विवरण-II***

*10वीं योजना अवधि के दौरान पर्यटन मंत्रालय का कुल परिव्यय, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए चिन्हित परिव्यय का 10% और पूर्वोत्तर के लिए स्वीकृत की गई राशि दर्शाता हुआ विवरण*

(लाख रुपयों में)

| क्र. सं. | वर्ष | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 1. | पर्यटन मंत्रालय का कुल परिव्यय | 25000.00 | 35000.00 | 50000.00 | 78600.00 | 83000.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए कुल परिव्यय का 10% | 2500.00 | 3500.00 | 5000.00 | 7900.00 | 8300.00 |
| 3. | पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए स्वीकृत की गई राशि | 1807.30 | 4310.68 | 6979.10 | 13230.00 | 14570.22 |

*10वीं योजना अवधि के दौरान स्वीकृत की गई राशि का राज्य-वार ब्रेकअप*

(लाख रुपयों में)

| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2002-03 | | | 2003-2004 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | स्वीकृत राशि | अवमुक्त राशि | राज्य सरकारों द्वारा उपयोग की गई राशि | स्वीकृत राशि | अवमुक्त राशि | राज्य सरकारों द्वारा उपयोग की गई राशि |
| असम | 721.30 | 544.81 | 500.00 | 318.60 | 316.70 | 316.70 |
| अरुणाचल प्रदेश | 100.20 | 78.50 | 78.50 | 1044.60 | 904.60 | 900.00 |
| मणिपुर | 5.24 | 2.62 | 262.00 | 82.44 | 66.22 | 82.44 |
| मेघालय | 193.20 | 72.60 | 72.00 | 40.22 | 24.92 | 24.92 |
| मिजोरम | 141.16 | 140.82 | 141.16 | 567.70 | 457.17 | 500.00 |
| नागालैण्ड | 320.50 | 315.28 | 320.50 | 721.00 | 721.00 | 721.00 |
| सिक्किम | 367.10 | 345.96 | 345.00 | 1151.09 | 931.00 | 1151.09 |
| त्रिपुरा | 171.21 | 54.90 | 171.21 | 405.75 | 125.74 | 405.75 |

(लाख रुपयों में)

| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2004-05 | | | 2005-06 | | | 2006-07 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | स्वीकृत राशि | अवमुक्त राशि | राज्य सरकारों द्वारा उपयोग की गई राशि | स्वीकृत राशि | अवमुक्त राशि | राज्य सरकारों द्वारा उपयोग की गई राशि | स्वीकृत राशि | अवमुक्त राशि | राज्य सरकारों द्वारा उपयोग की गई राशि** |
| असम | 971.03 | 753.42 | 699.25 | 2125.00 | 1706.69 | 976.88 | 2453.39 | 1813.21 | - |
| अरुणाचल प्रदेश | 1041.69 | 894.60 | 801.05 | 2013.56 | 1620.94 | 1108.93 | 1887.80 | 1497.24 | - |
| मणिपुर | 78.10 | 77.45 | 48.45 | 57.30 | 47.34 | 32.18 | 939.35 | 647.48 | - |
| मेघालय | 994.98 | 835.91 | 804.19 | 05.00 | 04.00 | 4.00 | 1435.29 | 1147.93 | - |
| मिजोरम | 1101.37 | 884.60 | 798.08 | 1614.41 | 1259.59 | 918.05 | 2613.38 | 2040.80 | - |
| नागालैण्ड | 2275.69 | 2115.39 | 2000.17 | 1733.97 | 1494.90 | 1411.90 | 2340.32 | 1862.51 | - |
| सिक्किम | 655.81 | 524.33 | 491.81 | 2712.89 | 2174.31 | 2000.00 | 2609.42 | 1647.77 | - |
| त्रिपुरा | 30.00 | 24.00 | 23.19 | 711.33 | 569.00 | 428.11 | 291.27 | 96.01 | - |

**वर्ष 2006-07 के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र अभी देय नहीं है।

*विवरण-III*

*उत्सवों के नाम जिनका वर्ष 2006-07 के दौरान पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निधिकरण किया गया है:*

**अरुणाचल प्रदेश**

1. द्री उत्सव, 2. बुद्ध महोत्सव, 3. सियांग नदी उत्सव, 4. मोपिन/न्योकुम उत्सव।

**असम**

1. रंगोली बिहू उत्सव, 2. चाय पर्यटन उत्सव, 3. हाथी उत्सव, 4. देहिंग पटकई उत्सव।

**मणिपुर**

1. शीत पर्यटन उत्सव, 2. कुट उत्सव, 3. लुई-नगाई-नि उत्सव, 4. मणिपुर पर्यटन उत्सव।

**मेघालय**

1. वांगला नृत्य उत्सव, 2. शरत् उत्सव, 3. शीत उत्सव।

**मिजोरम**

1. चपचार कुट उत्सव, 2. थालफावांग कुट उत्सव, 3. एनथुरियम उत्सव।

**नागालैण्ड**

1. हार्नबिल उत्सव, 2. अहुना उत्सव, 3. नागानाइट उत्सव, 4. एओलिंग उत्सव।

**सिक्किम**

1. नामची महोत्सव, 2. जोरेथांग माथे मेला, 3. गंगटोक शीत उत्सव, 4. मंगन संगीत उत्सव।

**त्रिपुरा**

1. जम्पुई हिल उत्सव, 2. नीरमहल पर्यटन उत्सव, 3. पूर्वोत्तर पर्यटन उत्सव।

**यात्रियों को सीट संख्या का आवंटन**

**5839. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:**
**श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:**

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागर विमानन महानिदेशालय (डी.जी.सी.ए.) की जानकारी में आया है कि कुछ सस्ती विमान कंपनियां यात्रियों की अधिक बुकिंग कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इन विमान कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या डी.जी.सी.ए. ने अब विमान कंपनियों के लिए प्रत्येक यात्री को पंक्ति संख्या तथा सीट संख्या आवंटित करना अनिवार्य कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या कुछ विमान कंपनियां इसका पालन नहीं कर रही हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन विमान कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल):** (क) और (ख) अन्तिम क्षणों में टिकटों को रद्द कराए जाने व नो शो के कारण होने वाली राजस्व हानि से बचने के लिए विश्वभर में एयरलाइन उद्योग में उड़ानों में अति बुकिंग की पद्धति स्वीकार्य है।

(ग) से (ङ) नागर विमानन महानिदेशालय (डी.जी.सी.ए.) ने नागर विमानन अपेक्षा (सी.ए.आर.) जारी की है जिसमें अनुसूचित एयरलाइनों को अनुदेश दिए गए हैं कि वे सभी स्टेशनों पर सभी यात्रियों को पंक्ति संख्या व सीट संख्या जारी करें जो उनके बोर्डिंग पास में इंगित होनी चाहिए।

उपर्युक्त नागर विमानन अपेक्षाएं एयरलाइनों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं।

*[हिन्दी]*

**दिल्ली विमानपत्तन पर सूचना प्रणाली**

**5840. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू विमानपत्तन पर यात्रियों की सुविधा हेतु विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध सूचना प्रणाली का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दिल्ली विमानपत्तन पर सूचना प्रणाली का देश के अन्य स्थानों से आदान-प्रदान आधुनिक प्रौद्योगिकी के अनुरूप नहीं है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल):** (क) इंदिरा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हवाईअड्डा दिल्ली के टर्मिनल में विभिन्न स्थलों पर उड़ान सूचना प्रदर्शन बोर्ड और मॉनीटर उपलब्ध कराए गए हैं। ये बोर्ड और मॉनीटर एअरलाइंस तथा विमान यातायात प्रबंधन विभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर दिल्ली अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राइवेट लिमिटेड के कार्मिकों द्वारा अद्यतन किए जाते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय आगमन स्थल पर एक सूचना कक्ष भी स्थापित किया गया है। इसके अलावा, यहां पर हवाई अड्डा प्रबंधक का एक कार्यालय है जिस तक प्रत्येक टर्मिनल पर शहर के साथ-साथ टर्मिनल के भीतरी छोर से भी पहुंचा जा सकता है। यह कार्यालय 24 घंटे खुला रहता है तथा आयोजित सूचनाएं उपलब्ध करवाता है।

(ख) दिल्ली हवाई अड्डे तथा देश के अन्य हवाई अड्डों के बीच विमान यातायात सेवा (ए.टी.एस.) संदेशों की अदला बदली के लिए एक उत्कृष्ट कम्प्यूटर आधारित स्वचालित संदेश स्विचिंग प्रणाली (ए.एम.एस.एस.) संस्थापित की गई है। ऑप्टीकल फाइबर मीडिया पर प्रचार डाटा वाले उच्च गति डाटा वाले परिपथ (सरकिट) उपलब्ध कराए गए हैं, दिल्ली विमान यातायात नियंत्रण तथा नेटवर्क के अनुसार अन्य स्टेशनों के बीच सीधी वार्ता परिपथ (डीसी) भी उपलब्ध कराए गए हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

*[अनुवाद]*

**वेतन का भुगतान न किया जाना**

**5841. श्री मनोरंजन भक्त:** क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के साथ कार्य कर रहे बड़ी संख्या में कर्मचारियों को उनके वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन कर्मचारियों के वेतन का भुगतान बंद करने के लिए बैंक को कोई निदेश जारी किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी):** (क) और (ख) राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के बैंक खाते के प्रचालन में अस्थायी समस्या होने के कारण माह फरवरी, 2007 के लिए मिशन के कर्मचारियों के वेतन के भुगतान में कुछ विलंब हुआ था। हालांकि, उक्त समस्या का बाद में समाधान कर दिया गया और माह फरवरी, 2007 के लिए कर्मचारियों के वेतन का भुगतान 10 मार्च, 2007 को हो गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**उड़ानों में बाधा**

**5842. श्री अजय चक्रवर्ती:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में सम्पन्न अग्नि-III मिसाइलों की परीक्षण उड़ान के दौरान अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में बाधा पड़ी तथा दुर्घटना होने की स्थिति उत्पन्न हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसका कारण पता लगाने के लिए घटना की कोई जांच कराई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल):** (क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भा.वि.प्रा.) द्वारा समर्पित चैनलों के माध्यम से अन्तरराष्ट्रीय मानदण्डों के अनुसार प्रभावित देशों को भारत द्वारा अग्नि-III के परीक्षण का अग्रिम नोटिस भेजा गया था। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण दिनांक 9-4-2007 को एयरमैन (नोटेम) को प्रभावित विमान क्षेत्र को बन्द करने का नोटिस जारी किया था। सभी एयरलाइनों तथा सभी अन्य प्रभावित देशों को मानक वितरण सूची के अनुसार नोटम वितरित किया गया था। किसी विमान द्वारा समीप से टक्कर की किसी स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।

(ख) अग्नि-III का परीक्षण उचित प्रक्रिया के अनुसार किया गया था और इसलिए किसी जांच की आवश्यकता नहीं है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

**शिविर स्थलों का विकास**

**5843. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख:** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विशेषकर कम बजट वाले घरेलू पर्यटकों हेतु शिविर-स्थलों का विकास करने की कोई योजना चला रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के वित्तपोषण के प्रतिमान क्या हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त योजना के अन्तर्गत आवंटित/जारी निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी):** (क) और (ख) कैम्प स्थलों के विकास के लिए कोई विशेष और विशिष्ट योजना नहीं है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को एक घटक के रूप में कैम्प स्थलों सहित पर्यटन संबंधी परियोजनाओं के लिए, जिनकी पहचान उनके साथ परामर्श से की जाती है, उनके लिए पर्यटक परिपथों के एकीकृत विकास, गंतव्यों के उत्पाद/अवसंरचना विकास की योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(ग) पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, कार्य प्रारम्भ करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को पहली किश्त के रूप में कुल परियोजना लागत का 80% प्रदान करता है। शेष 20% राशि उनसे उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद प्रतिपूर्ति के रूप में जारी की जाती है। सम्पूर्ण राशि अनुदान के रूप में होती है।

(घ) वर्तमान वर्ष तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान, एक घटक के रूप में कैम्प स्थलों सहित स्वीकृत पर्यटन परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

***विवरण***

*वर्ष 2004-05, 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान शिविर स्थलों के लिए स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा*

(लाख रुपयों में)

| वर्ष | राज्य का नाम | परियोजनाओं का नाम | स्वीकृत राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2004-05 | कर्नाटक | 202.48 लाख रुपए से चिकमंगलूर वाइल्डरनेस भद्रा का विकास | |
| | | घटक : कैम्पिंग उपकरण | 8.00 |
| | राजस्थान | 725.10 लाख रुपए से हादोती क्षेत्र के पर्यटक परिपथ का एकीकृत विकास | |
| | | घटक : गावड़ी तालाब में कैम्पिंग स्थल | 65.96 |
| | | कुल | 73.96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 2005-06 | गुजरात | 345.00 लाख रुपए से बालासिनोर में डायनासोर फोसिल पार्क | |
| | | घटक : कैम्पिंग स्थल/लॉग हट्स | 45.00 |
| | हिमाचल प्रदेश | 800.00 लाख रुपए से मण्डी-बिलासपुर परिपथ का एकीकृत विकास | |
| | | घटक : बरोट में कैम्पिंग सुविधाएं | 10.00 |
| | महाराष्ट्र | 685.87 लाख रुपए से कोंकण रिवेरा परिपथ का एकीकृत विकास | |
| | | घटक : | |
| | | (क) रॉयल टेंट रिजॉर्ट की स्थापना और इरांगल में सहायक सुविधाएं प्रदान करना - 191.71 लाख रुपए | 191.71 |
| | | (ख) धामपुर में रॉयल टेंट रिजॉर्ट की व्यवस्था करना | 87.75 |
| | | (ग) उफाडंडा में रॉयल टेंट रिजॉर्ट की स्थापना और व्यवस्था करना | 87.75 |
| | | (घ) अखासी नागांव में 20 रॉयल टेंटों की स्थापना और व्यवस्था करना | 72.96 |
| | उड़ीसा | 389.05 लाख रुपए से एक पर्यटक गंतव्य के रूप में चिल्का झील का विकास करना | |
| | | घटक : कैम्पिंग स्थल | 188.23 |
| | राजस्थान | 434.04 लाख रुपए से एक पर्यटक गंतव्य के रूप में पुष्कर का एकीकृत विकास | |
| | | घटक : पुष्कर में नई कैम्पिंग स्थल | 160.13 |
| | उत्तर प्रदेश | 800.00 लाख रुपए से विंध्य पर्यटक परिपथ के अंतर्गत मिर्जापुर-चुनार-राबर्ट्सगंज का विकास | |
| | | घटक : गोथानी, चतरवार तथा कुदरीदेवी में कैम्पिंग स्थल और कैम्पिंग उपकरण की खरीददारी | 21.00 |
| | उत्तराखण्ड | 653.54 लाख रुपए से जिला चमोली में हेमकुण्ट साहिब-घंघरिया-फूलों की घाटी परिपथ का विकास | 35.00 |
| | | घटक : कैम्पिंग स्थल (घंघरिया-काकभुसंडी) | 35.00 |
| | | 697.51 लाख रुपए से नैनीताल-अलमोड़ा-रानीखेत पर्यटक परिपथ का विकास | |
| | | घटक : मनीला में जंगल कैम्प | 11.00 |
| | | कुल | 910.53 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 2006-07 | छत्तीसगढ़ | 275.73 लाख रुपए से राजमेरगढ़ (अमरकंटक) का अवसंरचना एवं गंतव्य विकास | |
| | | घटक : कैम्पिंग स्थल-शौचालय की सुविधाएं तथा घेराबंदी | 5.00 |
| | उड़ीसा | 692.00 लाख रुपए से कोरापुट परिपथ का एकीकृत विकास | |
| | | घटक : देवमाली में ट्रेकिंग बेस कैम्प | 10.00 |
| | पंजाब | 331.27 लाख रुपए से एक पर्यटक गंतव्य के रूप में रूपनगर (रोपड़) का एकीकृत विकास | |
| | | घटक : फोरेस्ट कैम्पिंग स्थल की बागवानी | 44.46 |
| | उत्तराखण्ड | 481.42 लाख रुपए से एक पर्यटक गंतव्य के रूप में गंगोत्री (जिला उत्तरकाशी) का विकास | |
| | | घटक : चिरवासा में कैम्पिंग | 5.00 |
| | | कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग का विकास तथा एक पर्यटक गंतव्य के रूप में कैम्पिंग स्थलों तथा सुविधाओं में सुधार | 371.15 |
| | | **कुल** | **435.61** |
| 2007-08 | उत्तर प्रदेश | 50.00 लाख रुपए से ग्राम भागुवाला, जिला सहारनपुर में ग्रामीण पर्यटन स्थल | |
| | | घटक : कैम्प स्थल | 4.00 |
| | | **कुल** | **4.00** |

*[अनुवाद]*

**उत्तर प्रदेश में छावनियों में अतिक्रमण**

**5844. श्री निखिल कुमार:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ छावनियों में विशेषकर उत्तर प्रदेश में कई बाहरी लोगों ने क्षेत्रों का अतिक्रमण कर लिया है तथा वे आई.एस.आई. के एजेंटों की सहायता से सक्रिय हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन अतिक्रमणों को रोकने तथा आई.एस.आई. एजेंटों के संपर्कों को समाप्त करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी):** (क) से (घ) आई.एस.आई. तथा जिन लोगों ने कुछ छावनियों, विशेषकर उत्तर प्रदेश, में अतिक्रमण किया हुआ है उनके बीच संपर्क के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

*[हिन्दी]*

**अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण संबंधी प्रगति रिपोर्ट**

**5845. श्री रघुराज सिंह शाक्य:**

**श्री हेमलाल मुर्मू:**

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न मंत्रालय तथा उनके अधीन विभाग/संगठन ने सरकार की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों/अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु योजनाओं की प्रगति तथा उनकी भर्ती के संबंध में आवधिक प्रगति रिपोर्ट भेजते हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन):** (क) और (ख) मंत्रालय/विभाग बीस सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संबंध में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों संबंधी कल्याण योजनाओं पर, अपनी मासिक प्रगति रिपोर्ट सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को भेजते हैं।

*[अनुवाद]*

## मिनारों और टॉवरों का झुकना

**5846. श्री बालासाहिब विखे पाटील:** क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों में कुछ मिनारों और टॉवरों के झुकने का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसका क्या परिणाम निकला; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निवारणात्मक उपाय किए गए हैं?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी):** (क) से (ग) ऐसी कोई सूचना नहीं है कि संरक्षित स्मारकों में से किसी स्मारक की मीनारें तथा टावरें झुक रही हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने देहरादून स्थित भारतीय सर्वेक्षण की भूगणितीय तथा अनुसंधान शाखा द्वारा ताज महल की मीनारों के स्थायित्व के संबंध में विस्तृत अध्ययन किया है। अध्ययन से पता चला है कि मीनारें स्थिर हैं और उनमें कोई झुकाव नहीं था। कुतुब मीनार पर भूकंपीय अध्ययन किए जा रहे हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

## छत्तीसगढ़ में रेल लाइनों का दोहरीकरण/विद्युतीकरण

**5847. श्री अजीत जोगी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छत्तीसगढ़ से प्रतिदिन कितनी रेलगाड़ियां गुजरती हैं;

(ख) क्या रेलवे ने छत्तीसगढ़ में पटरियों के नवीकरण, रेल लाइनों के दोहरीकरण तथा विद्युतीकरण हेतु कोई योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की जा चुकी है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) और (ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

***विवरण***

*छत्तीसगढ़ में अंशत:/पूर्णत: पड़ने वाली विद्युतीकरण सहित विभिन्न नई/चालू दोहरीकरण परियोजनाओं के पूरा होने की लक्ष्य तिथि, जहां-कहीं निर्धारित हो तथा 12007-08 के दौरान किया गया बजट आबंटन के साथ-साथ परियोजनावार विवरण निम्नानुसार है:*

| क्र.सं. | परियोजना का नाम | वर्तमान स्थिति | बजट 2007-08 में मुहैया कराई गई लागत (करोड़ रुपए में) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | बिलासपुर-उरकुरा (तीसरी लाइन) (110 कि.मी.) | बिलासपुर-भाटापाड़ा (55 कि.मी.) पूरा कर दिया गया है और शुरू हो गया है। भाटापाड़ा-उरकुरा (60 कि.मी.) | 74.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | का कार्य रेल विकास निगम लि. द्वारा किया जा रहा है और 2008-09 में पूरा होने की संभावना है। | |
| 2. | बिलासपुर-सालका रोड कहीं-कहीं दोहरीकरण (39.4 कि.मी.) | मिट्टी और पुल संबंधी कार्य शुरू किया गया है। बिलासपुर-उसलापुर (9 कि.मी.)और उसलापुर-कालमितर (15 कि.मी.) को 2007-08 में पूरा करने का लक्ष्य है। | 25.00 |
| 3. | भिलाई-दुर्ग (तीसरी लाइन) (13.15 कि.मी.) | विस्तृत अनुमान स्वीकृत कर दिया गया है। निविदा की प्रक्रिया चल रही है। | 20.00 |
| 4. | सालका रोड-खोंगासारा कहीं-कहीं दोहरीकरण (26 कि.मी.) | नक्शे और अनुमान इत्यादि की तैयारी जैसे प्रारंभिक कार्य शुरू किए गए हैं। यह कार्य आर.वी.एन.एल. द्वारा निष्पादित किया जाएगा। | 10.00 |
| 5. | बिलासपुर में फ्लाईओवर के साथ खोद्री-अनूपपुर (16.6 कि.मी.) | नक्शे और अनुमान इत्यादि की तैयारी जैसे प्रारंभिक कार्य शुरू किए गए हैं। यह कार्य आर.वी.एन.एल. द्वारा निष्पादित किया जाएगा। | 10.00 |
| 6. | कलुमनां-नागपुर दोहरीकरण | 2007.08 के बजट में नए कार्य शामिल किए गए हैं। | 2.00 |
| 7. | अनूपपुर-बाईपास लाइन | नक्शे और अनुमान इत्यादि की तैयारी जैसे प्रारंभिक कार्य शुरू किए गए हैं। यह कार्य आर.वी.एन.एल. द्वारा निष्पादित किया जाएगा। | 5.00 |
| 8. | चम्पा बाईपास लाइन | | 5.00 |

रेलपथ नवीकरण संबंधी कार्य जब कभी नवीकरण के लिए अपेक्षित होते हैं, आयु एवं हालत और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर किए जाते हैं। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

**सरस्वती योजना**

**5848. श्री हंसराज गं. अहीर:** क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरस्वती नदी को ढूंढने की परियोजना बंद कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस परियोजना को बंद किए जाने से पहले इस पर कितना व्यय किया गया;

(घ) क्या परियोजना दल के सदस्य सरस्वती नदी को ढूंढने के संबंध में किसी निष्कर्ष पर पहुंचे थे; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी):** (क) सरकार ने सरस्वती नदी को ढूंढने के लिए कोई परियोजना स्वीकृत नहीं की है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

*[अनुवाद]*

**दिल्ली और भुज के बीच रेल सेवा**

**5849. श्री पी.एस. गढ़वी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजधानी एक्सप्रेस की तर्ज पर दिल्ली और भुज के बीच सुपरफास्ट रेल सेवा रेलवे के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

**रेलवे विनियामक प्राधिकरण**

**5850. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:**
**श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:**
**श्री रवि प्रकाश वर्मा:**

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आपके मंत्रालय द्वारा नामित एक विशेषज्ञ समूह ने सिफारिश की है कि भारतीय रेल को व्यावसायिक रूप से कार्य करना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारतीय रेल का निगमीकरण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रेलवे संबंधी विशेषज्ञ समूह ने रेलवे विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करने की सिफारिश की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) जी हां।

(ख) और (ग) जी नहीं।

(घ) जी हां।

(ङ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

*[हिन्दी]*

**कोडीनार और जूनागढ़ के बीच रेल सेवा**

**5851. श्री वी.के. दुम्मर:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोडीनार और जूनागढ़ के बीच रेल लाइन होने के बावजूद उक्त डिवीजन पर रेल सेवा नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त रेलवे डिवीजन में रेल सेवा शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) प्राची रोड पर गाड़ी बदलकर जूनागढ़ और कोडिनार के बीच गाड़ी सेवा संभव है। कोडिनार-प्राची रोड/तलला/वेरावल, जूनागढ़, देलवाडा/खिजदिया/वेरावल/वीसावदर/प्राची रोड/तलला के बीच भी गाड़ी सेवाएं उपलब्ध हैं।

(ख) और (ग) जूनागढ़ और कोडिनार के बीच गाडी को शुरू करने की जांच की गई है परंतु संसाधनों की कमी के कारण इसे व्यवहार्य नहीं पाया गया है।

*[अनुवाद]*

**समझौता एक्सप्रेस**

**5852. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान की सीमा में समझौता एक्सप्रेस द्वारा रेल-सेवा के आदान-प्रदान हेतु द्विपक्षीय समझौते का विस्तार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी निबंधन एवं शर्तें क्या हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) जी हां।

(ख) भारतीय रेलवे और पाकिस्तान रेलवे के प्रतिनिधि मंडल ने 7-9 अप्रैल, 2007 को मीटिंग की और 20-1-2007 से 19-1-2010 तक तीन वर्षों की आगे की अवधि हेतु अटारी-वाघा के रास्ते समझौता एक्सप्रेस को चलाने हेतु भारत और पाकिस्तान के बीच रेल संपर्क से संबंधित मौजूदा करार को बढ़ाने पर सहमति हुई।

**मिट्टी के तेल की मांग और आपूर्ति**

**5853. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में तेल-शोधन कारखाना-वार मिट्टी के तेल का औसत वार्षिक उत्पादन कितना है;

(ख) क्या देश में आवश्यकता को पूरा करने के लिए मिट्टी के तेल का उत्पादन पर्याप्त है;

(ग) यदि नहीं, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा खुले बाजार के लिए मिट्टी के तेल की कितनी वास्तविक आवश्यकता है;

(घ) क्या सरकार का विचार कमी को पूरा करने के

लिए मिट्टी के तेल का और उत्पादन करने के लिए तेलशोधन कारखानों को निदेश देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो देश में मिट्टी के तेल की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने के लिए तेल शोधन कारखानों द्वारा कितनी मात्रा में मिट्टी के तेल का उत्पादन किया जाएगा?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल):** (क) देश में, वर्ष 2006-07 के लिए मिट्टी तेल का रिफाइनरी-वार उत्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) मिट्टी के तेल का उत्पादन, देश की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त नहीं है, और इसलिए, इसका आयात किया जा रहा है।

(ग) वर्ष 2006-07 के दौरान पी.डी.एस. (तदर्थ आबंटनों के अलावा) के लिए 9160 हजार मीट्रिक टन (टी.एम.टी.) मिट्टी तेल के आबंटन की तुलना में, मिट्टी तेल का वास्तविक उठान लगभग निम्नानुसार है:-

पी.डी.एस. - 9175 टी.एम.टी.

गैर पी.डी.एस. - 206 टी.एम.टी.

(घ) और (ङ) रिफाइनरी क्षेत्र नियंत्रणमुक्त है। रिफाइनरियां वाणिज्यिक विचारों के आधार पर अपने उत्पादन ढांचे का निर्णय करती हैं। मिट्टी तेल के उत्पादन में यदि कोई कमी होती है तो उसे मिट्टी तेल के आयातों से पूरा किया जाता है।

***विवरण***

*एस.के.ओ. उत्पादन, 2006-2007*

मात्रा टी.एम.टी. में

| रिफाइनरियां/प्रभाजक | उत्पादन |
|---|---|
| एच.पी.सी.एल., मुंबई | 239 |
| एच.पी.सी.एल., विशाख | 1016 |
| बी.पी.सी.एल., मुंबई | 1001 |
| बी.पी.सी.एल., कोच्चि | 646 |
| एन.आर.एल., नुमालीगढ़ | 247 |
| आई.ओ.सी.एल., कोयाली | 1126 |
| आई.ओ.सी.एल., मथुरा | 510 |
| आई.ओ.सी.एल., पानीपत | 765 |
| आई.ओ.सी.एल., हल्दिया | 405 |
| आई.ओ.सी.एल., बरौनी | 754 |
| आई.ओ.सी.एल., गुवाहाटी | 56 |
| आई.ओ.सी.एल., डिग्बोई | 42 |
| सी.पी.सी.एल., मनाली | 628 |
| सी.पी.सी.एल., नागापट्टनम | 60 |
| बी.आर.पी.एल., बोंगाईगांव | 187 |
| ओ.एन.जी.सी., तातीपाका | 12 |
| एम.आर.पी.एल., मैंगलोर | 727 |
| आर.आई.एल., जामनगर | 55 |
| एस्सार-जामनगर | 0 |
| ओ.एन.जी.सी., हजीरा | 144 |
| योग | 8621 |

**गरीब रथ रेलगाड़ियों का कार्य-निष्पादन**

**5854. श्री एल. राजगोपाल:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने वर्ष 2006-07 के दौरान शुरू की गई गरीब रथ रेलगाड़ियों के कार्य-निष्पादन का आकलन किया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक गरीब रथ रेलगाड़ी के कार्य-निष्पादन का अलग-अलग ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) और (ख) 2203/2204 सहरसा-अमृतसर गरीब रथ एक्सप्रेस का औसत स्थान ग्रहण 64% से अधिक है और 2353/2354 पटना (राजेन्द्र नगर) - निजामुद्दीन गरीब रथ एक्सप्रेस का औसत स्थान ग्रहण लगभग 55% है। 2611/2612 चेन्नै-निजामुद्दीन गरीब रथ एक्सप्रेस और 2909/2910 निजामुद्दीन-

बांद्रा टर्मिनस गरीब रथ एक्सप्रेस का औसत स्थान ग्रहण क्रमशः 39% से अधिक और 95% है।

**हम्पी और नांदेड़ एक्सप्रेस का द्विभाजन**

**5855. श्री के. विरुपाक्षप्पा:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हम्पी एक्सप्रेस और नांदेड़ एक्सप्रेस को द्विभाजित कर उन्हें स्वतंत्र रेलगाड़ियां बनाने की जनता लगातार मांग कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) से (ग) जी हां। मांग की जांच की गई थी परन्तु परिचालनिक बाधाओं के कारण इसे व्यवहार्य नहीं पाया गया।

**रेलवे स्टेशनों पर महिलाओं को स्टॉलों का आबंटन**

**5856. श्री किन्जरपु येरननायडु:**
**श्री पंकज चौधरी:**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार रेलवे स्टेशनों पर महिला स्व-सहायता समूहों को रियायती दरों पर स्टॉल आबंटित करने तथा टी.टी.ई. और इंजन ड्राइवरों की नियुक्ति में महिलाओं को और पद प्रदान करने के लिए प्रावधान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं तथा इस संबंध में कब तक निर्णय दिए जाने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) जी नहीं। महिलाओं को चल टिकट परीक्षकों, इंजन ड्राइवरों के रूप में भर्ती में प्राथमिकता देने अथवा रियायती दरों पर उन्हें स्टॉल मुहैया कराने के लिए वर्तमान नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

**रूस से हथियारों की खरीद**

**5857. श्री सज्जन कुमार:**
**श्रीमती रूपाताई डी. पाटील:**
**श्री धर्मेन्द्र प्रधान:**
**श्री जे.एम. आरुन रशीद:**
**श्री अवतार सिंह भड़ाना:**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शस्त्र खरीद योजना के अंतर्गत रूस से हथियारों की खरीद में बाधाएं आ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

**रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी):** (क) से (ग) रूस समेत विभिन्न अन्य देशों से अधिप्राप्तियां रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया 2006 (डी.पी.पी.-06) के अंतर्गत की जाती हैं।

मसले, यदि कोई हों तो, सैन्य तकनीकी सहयोग तथा कार्यकारी समूह संबंधी भारत-रूसी अंतर सरकारी आयोग जैसे मंचों के जरिए तथा पारस्परिक बातचीत और राजनयिक माध्यमों के जरिए सुलझाए जाते हैं।

*[अनुवाद]*

**गरीब रथ में खराब स्थिति**

**5858. श्री राम कृपाल यादव:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गरीब रथ के शौचालयों के अधिकांश लॉक काम नहीं कर रहे हैं जिसके फलस्वरूप शौचालय के दरवाजों को बंद नहीं रखा जा सकता है;

(ख) क्या हाल ही में मुंबई गरीब रथ और पटना गरीब रथ में ये समस्याएं देखी गई हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या रेलवे के पास ऐसी खामियों की देखभाल करने तथा जिम्मेदारी निर्धारित करने हेतु कोई उपयुक्त निगरानी प्रणाली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) से (घ) जी नहीं। यात्रा आरंभ करने से पहले रेलों के अनुरक्षण के दौरान सभी आंतरिक जुड़नारों और यात्री सुविधा मदों की जांच की जाती है। बहरहाल, गंतव्य स्टेशन पर आने पर अनुरक्षण के दौरान, चालन के दौरान हुई अचानक कमियों जैसे अनुचित लार्किंग आदि को दूर किया जाता है।

**अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति देना**

**5859. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जातियों के छात्रों को समय पर वृत्ति राशि का संवितरण नहीं किया जा रहा है और शैक्षिक वर्ष की शुरुआत से प्रत्येक माह छात्रवृत्ति की राशि का संवितरण करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को समय पर धनराशि आबंटन सुनिश्चित करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र होना जरूरी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध मे क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन):** (क) और (ख) यह मंत्रालय अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना को संचालित करता है और यह योजना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा भी छात्रों को छात्रवृत्ति की राशि का संवितरण किया जाता है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छात्रवृत्ति समय पर संवितरण करने के लिए समय-समय पर निदेश जारी किए गए हैं।

*[हिन्दी]*

**सच्चर समिति रिपोर्ट पर पांच सूत्री कार्यक्रम**

**5860. डा. चिन्ता मोहन:**
**श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':**

क्या अल्पसंख्यक मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने सरकार को सच्चर समिति की रिपोर्ट के संबंध में 'पांच सूत्री कार्यक्रम' भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो पांच सूत्री कार्यक्रम में शामिल की गई बातों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त पांच सूत्री कार्यक्रम को लागू करने पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले):** (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने सच्चर समिति की रिपोर्ट पर निम्नलिखित पांच मदों पर सिफारिशें भेजी हैं:-

(i) शिक्षा (ii) अर्थ व्यवस्था और रोजगार अवसर (iii) बैंक ऋण तक पहुंच (iv) वास्तविक तथा सामाजिक आधारभूत संरचना एवं सरकारी कार्यक्रमों में प्रवेश और (v) सार्वजनिक रोजगार व भर्ती प्रक्रियाएं।

(ग) सच्चर समिति की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

**आमान परिवर्तन**

**5861. श्री रामजी लाल सुमन:**
**श्री राजीव रंजन सिंह "ललन":**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे के लिए मीटर लाइन और छोटी लाइन पर गाड़ियां चलाना आर्थिक दृष्टि से अव्यवहार्य साबित हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और इससे रेलवे को वार्षिक तौर पर औसतन कितनी हानि होने का अनुमान है; और

(ग) हानि को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) और (ख) जी हां। मीटर लाइन और छोटी लाइन पर गाड़ियों के परिचालन से भारतीय रेलवे ने वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 में क्रमशः 2977 करोड़ रु. एवं 2771 करोड़ रु. की हानि वहन की है।

(ग) उत्तरोत्तर आमान परिवर्तन से हानि में कमी होने की आशा है।

*[अनुवाद]*

**रेलवे में विज्ञापन नीति**

**5862. श्री असादुद्दीन ओवेसी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण पश्चिम रेलवे में विभिन्न कंपनियों द्वारा वैगनों पर प्रायोगिक आधार पर विज्ञापन देना काफी सफल साबित हुआ है;

(ख) यदि हां, इससे रेलवे ने अभी तक कुल कितना राजस्व सृजित किया है;

(ग) क्या रेलवे का विचार योजना की सफलता को देखते हुए और अधिक राजस्व सृजन हेतु योजना का विस्तार देश भर में करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है; और

(ङ) रेलवे द्वारा इस योजना से वर्षवार कुल कितना राजस्व सृजित करने का अनुमान है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

## महाराष्ट्र में रेल लाइन/स्टेशन

**5863. श्री संजय धोत्रे:**
**श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली:**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को महाराष्ट्र सरकार और जन प्रतिनिधियों से राज्य में रेल लाइन बिछाने और रेलवे स्टेशन बनाने आदि के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान और चालू वर्ष का अभी तक का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

## त्रिशूल मिसाइल परियोजना

**5864. श्री राकेश सिंह:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) त्रिशुल मिसाइल परियोजना की विफलता के क्या कारण हैं;

(ख) क्या अग्नि-तीन मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद त्रिशूल मिसाइल परियोजना की कोई आवश्यकता है;

(ग) यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है और त्रिशूल मिसाइल की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार त्रिशूल की तरह की मिसाइल न होने के कारण विदेशों से मिसाइल खरीदने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी):** (क) त्रिशूल मिसाइल प्रणाली असफल नहीं है। तकनीकी रूप से इसने मूल गुणता अपेक्षाओं (क्यू.आर.एस.) के अनुरूप प्रदर्शन उद्देश्यों को पूरा किया है, यद्यपि विलंब हुआ। इस विलंब का मुख्य कारण पूर्ण 3-बीम मार्गदर्शन प्राप्त करने में तकनीकी समस्याएं तथा विदेश से मिलिमिट्रिक तरंग संघटक हासिल करना रहा है।

(ख) और (ग) जी, हां। त्रिशूल मिसाइल कम ऊंचाई, त्वरित-प्रतिक्रिया, अल्प रेंज, वायु लक्ष्यों के प्रति जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जबकि अग्नि-III लंबी रेंज की स्थिर सामरिक लक्ष्यों के प्रति जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है।

(घ) और (ङ) चूंकि त्रिशूल मिसाइल प्रणाली की प्राप्ति में विलंब हो गया, इसलिए प्रयोक्ताओं (सेना, वायुसेना तथा नौसेना) ने विदेश से अर्जन का सहारा लिया क्योंकि गुणता अपेक्षाओं तथा प्रचालनात्मक अपेक्षाओं में इतने समय के बाद संशोधन हो गया।

कतिपय अवस्थितियों में तैनाती हेतु विकसित तथा उत्पादित प्रणाली तथा प्रशिक्षण/फायर नियंत्रण/वायु रक्षा अभ्यासों को स्वीकार करने हेतु वायुसेना से बातचीत अभी भी जारी है।

*[अनुवाद]*

## खराब होने वाली वस्तुओं की ढुलाई हेतु प्रशीतित वैगन

**5865. डा. एम. जगन्नाथ:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने सब्जियों, फलों आदि जैसी खराब होने वाली वस्तुओं की ढुलाई के लिए विशेष प्रशीतित वैगन विकसित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान जोन-वार ऐसे कितने वैगन शुरू किए जाने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) जी नहीं। इस प्रकार के माल डिब्बों के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

**खुदरा बिक्री केन्द्रों के लिए विज्ञापन**

**5866. श्री ब्रह्मानन्द पंडा:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों के लिए खुदरा बिक्री केन्द्र प्रदान करने हेतु आवेदन मांगने वाली सरकारी क्षेत्र की विभिन्न कंपनियों द्वारा प्रकाशित किए गए विज्ञापनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आम तौर पर देश में और विशेष तौर पर उड़ीसा में अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में केवल सामान्य श्रेणी के लोगों के लिए ही विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या हैं;

(घ) क्या सरकार को खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने हेतु विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थियों को पेट्रोल के खुदरा बिक्री केन्द्रों का आबंटन करने हेतु सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट आरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन करने के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार इस उल्लंघन को रोकने हेतु क्या कदम उठा रही है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनशा पटेल):** (क) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों अर्थात इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल.) और भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बी.पी.सी.एल.) द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान दिये गये विज्ञापनों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं -

| वर्ष | विज्ञापित स्थानों की संख्या |
|---|---|
| 2004-05 | 4653 |
| 2005-06 | 17437 |
| 2006-07 | 3775 |

(ख) और (ग) अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों सहित खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों के स्थानों के विज्ञापन उड़ीसा राज्य सहित देश में प्रत्येक राज्य के लिए विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) श्रेणी के लिए आरक्षण मानदण्ड के अनुरूप दिए जाते हैं। उड़ीसा राज्य के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए 25% आरक्षण में से 14% अनुसूचित जनजातियों के लिए नियत है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

**नाइट विजन उपकरणों की खरीद**

**5867. श्री अधीर चौधरी:**
**श्री निखिल कुमार:**

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा बलों का विचार रात में लड़ने की क्षमता को बढ़ाने के लिए नाइट विजन उपकरणों की खरीद करने का है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे उपकरण किस देश से खरीदे जाएंगे और उनकी अनुमानित लागत क्या होगी;

(ग) क्या ऐसे नाइट विजन उपकरणों का परीक्षण कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी परीक्षण रिपोर्ट क्या है और रक्षा बलों के लिए इनके किस सीमा तक लाभकारी होने की संभावना है?

**रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी):** (क) से (घ) जी, हां। रक्षा बलों का रात्रि दृश्य उपकरणों (नाइट विजन डिवाइसेज) को अर्जित करने का विचार है। इनका अर्जन, प्रस्तावों हेतु वैश्विक अनुरोध जारी करके विदेशी सैन्य बिक्री मार्ग के माध्यम से किए जाने का विचार है।

कुछेक मामलों में मूल्यांकन/परीक्षण जारी है। इससे संबंधित ब्यौरों को सदन में प्रकट करना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा।

इन उपकरणों की अधिप्राप्ति से सशस्त्र सेनाओं की रात्रि में युद्ध करने की क्षमता में वृद्धि होगी।

**भारत-मलेशिया सैन्य सहयोग**

**5868. श्री बाडिगा रामकृष्णा:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मलेशिया के रक्षा मंत्री ने हाल ही में भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो चर्चा किए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समय भारत और मलेशिया के बीच सैन्य सहयोग की स्थिति क्या है?

**रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी):** (क) मलेशिया के उप प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री महामहिम दातो श्री मोहम्मद नजीब ने 06 से 12 जून, 2006 तक भारत का दौरा किया।

(ख) यात्रा के दौरान मलेशाई मंत्री ने रक्षा मंत्री के साथ मुलाकात की। दोनों पक्षों ने पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा की तथा दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और अधिक बढ़ाने पर सहमति हुई।

(ग) रक्षा सहयोग के मुख्य क्षेत्र सैन्य प्रशिक्षण, दौरों का आदान-प्रदान तथा पोत दौरे हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग की मानीटरी मलेशिया-भारत रक्षा सहयोग बैठकों के तंत्र के माध्यम से समय-समय पर की जाती है और यह संतोषजनक ढंग से आगे बढ़ रहा है।

*[हिन्दी]*

**आश्रित सदस्य हेतु रोजगार**

**5869. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने रेल लाइन निर्माण से प्रभावित हुए परिवारों के एक सदस्य को रोजगार देने तथा उन्हें स्टेशनों पर जलपान स्टॉल के आवंटन में प्राथमिकता देने हेतु कोई योजना बनायी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) और (ख) यदि परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए भूमिहीन हुए लोगों का बड़ा क्षेत्र या घर अथवा जीविका उपार्जन का जरिया छिन जाता है तभी उन्हें रेलवे में ग्रुप-'घ' में नियुक्ति की पेशकश करने की रेल मंत्रालय की नीति है। जहां तक खानपान/वेंडिंग स्टॉलों के आबंटन में प्राथमिकता देने का संबंध हैं, रेलवे द्वारा अपने प्रयोग के लिए जिन व्यक्तियों की भूमि पर कब्जा करके उनकी भूमि से बेदखल/विस्थापित किया गया है, उन्हें कुछ प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान है।

*[अनुवाद]*

**केरल में माल डिब्बा कारखाना**

**5870. श्री सी.के. चन्द्रप्पन:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे और केरल राज्य के सरकारी क्षेत्र के उपक्रम ऑटोकास्ट के बीच रेल बजट में यथा प्रस्तावित चुरथुला, केरल में माल-डिब्बा बनाने हेतु प्रस्तावित सहयोग पर कोई चर्चा हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

**कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र**

**5871. श्री बृज किशोर त्रिपाठी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार विभिन्न राज्यों में और कंप्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे केन्द्र खोलने हेतु स्थानों के चयन के क्या मानदंड हैं; और

(घ) वर्ष 2006-07 के दौरान ऐसे केन्द्र खोलने हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गयी और अभी तक कितनी धनराशि आवंटित की गयी और अभी तक कितनी धनराशि का उपयोग किया गया तथा 2007-08 हेतु क्या प्रस्ताव है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) और (ख) जी हां। 126 और स्थानों पर विशेष कंप्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्रों की मंजूरी प्रदान की गयी है। ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए है।

(ग) कंप्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र खोलने के लिए स्थलों का चुनाव करने के लिए मानदंड के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) वित्त वर्ष 2006-07 में, कंप्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र

खोलने के लिए लगभग 6.89 करोड़ रु. मंजूर किए गए हैं। इसमें से लगभग 3.16 करोड़ रुपए का उपयोग किया जा चुका है। वित्त वर्ष 2007-08 के लिए अब तक लगभग 24 लाख रु. आबंटित किए गए हैं।

*विवरण-I*

| क्र. सं. | राज्य | स्थलों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 1 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 14 |
| 3. | असम | 6 |
| 4. | बिहार | 3 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 2 |
| 6. | दिल्ली | 3 |
| 7. | गुजरात | 1 |
| 8. | हरियाणा | 3 |
| 9. | जम्मू-कश्मीर | 8 |
| 10. | झारखंड | 3 |
| 11. | कर्नाटक | 4 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 3 |
| 13. | महाराष्ट्र | 2 |
| 14. | मणिपुर | 9 |
| 15. | मेघालय | 6 |
| 16. | मिजोरम | 7 |
| 17. | नागालैंड | 9 |
| 18. | उड़ीसा | 6 |
| 19. | पंजाब | 0 |
| 20. | राजस्थान | 8 |
| 21. | सिक्किम | 4 |
| 22. | तमिलनाडु | 3 |
| 23. | त्रिपुरा | 3 |
| 24. | केन्द्र शासित प्रदेश | 1 |
| 25. | उत्तर प्रदेश | 11 |
| 26. | उत्तरांचल | 3 |
| 27. | पश्चिम बंगाल | 3 |
| | जोड़ | 126 |

*विवरण-II*

*कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र*

(i) ऐसे सभी स्टेशन जिन पर आरक्षण संबंधी कार्यभार है, पी.आर.एस. सुविधा मुहैया कराये जाने के लिए अर्हक हैं।

(ii) इस बात पर ध्यान दिए बिना कि कोई स्थान जिला मुख्यालय में है या नहीं, प्रत्येक जिले में कम से कम एक पी.आर.एस., रेलशीर्ष या गैर-रेलशीर्ष, मुहैया कराया जाना आवश्यक है। जिला मुख्यालयों से इतर स्थानों पर पी.आर.एस. संबंधित जिलाधीश और क्षेत्रीय रेलवे की सिफारिश पर मुहैया कराए जायेंगे। जिला प्राधिकरण को गैर-रेलशीर्ष स्थलों पर पी.आर.एस. मुहैया कराने के लिए मुफ्त जगह उपलब्ध करानी होगी। वातानुकूलन, चैनल और उपकरण आदि लगाने के लिए संपूर्ण लागत रेलवे द्वारा वहन की जायेगी।

(iii) महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल या हिल स्टेशन और तीर्थ स्थल आदि भी पी.आर.एस. सुविधाएं मुहैया कराए जाने के लिए अर्हक हैं।

(iv) ऐसे रेलवे स्टेशन, जहां 50 कि.मी. के दायरे में कोई पी.आर.एस. नहीं हैं, वहां संबंधित रेलवे द्वारा पर्याप्त औचित्य सिद्ध किए जाने पर पी.आर.एस. एवं यू.टी.एस. के मिश्रित केन्द्र स्थापित किए जाने के लिए विचार किया जा सकता है।

(v) ऐसे मैट्रो शहर जो चार लाख या उससे अधिक घनी आबादी वाले शहर हैं और जहां 15 कि.मी. के दायरे में कोई पी.आर.एस. नहीं है, ऐसे शहरों में सैटेलाइट लोकेशनों पर अतिरिक्त पी.आर.एस खोले जा सकते हैं। रेलवे ऐसे मैट्रो तथा अन्य बड़े शहरों, जहां शहरी आबादी लगातार बढ़ रही है और जिसके कारण मौजूदा पी.आर.एस. केन्द्रों में भीड़ बढ़ रही है, वहां अतिरिक्त पी.आर.एस. खोलने की भी सिफारिश कर सकती है।

(vi) केवल अत्यधिक अपवादिक मामलों को छोड़कर, विश्वविद्यालयों, संस्थानों, हवाई अड्डों, न्यायालयों आदि में सामान्यतः या विशेष रूप से कोई नया पारंपरिक पी.आर.एस. केन्द्र नहीं खोला जायेगा। उन्हें कारपोरेट हाउस के पैटर्न पर आई.आर.सी.टी.सी. से संपर्क करने के लिए कहा जा सकता है या विकल्प के तौर पर वे अपने परिसर में इंटरनेट बुकिंग के लिए इंटरनेट किओस्क लगा सकते हैं।

**नि:शक्तों के लिए पुनर्वास सेवा**

**5872. श्री जी. करूणाकर रेड्डी:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दृश्य, श्रव्य, अस्थि और मानसिक अक्षमता वाले व्यक्तियों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने हेतु कोई कार्यक्रम/योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस संबंध में सरकार की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार क्या उपलब्धियां रहीं?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन):** (क) से (ग) विभिन्न राष्ट्रीय पुनर्वास जनशक्ति विकास संस्थानों को सहायता देने के अतिरिक्त दो प्रमुख योजनाएं अर्थात् एडिप एवं दीनदयाल पुनर्वास योजनाएं विकलांग व्यक्तियों को सेवा प्रदान करने हेतु कार्यान्वित की गई हैं। एडिप योजना के अंतर्गत, गैर-सरकारी संगठनों या सरकारी संगठनों के माध्यम से जरूरतमंद व्यक्तियों को उनकी आय के अनुसार निःशुल्क या रियायती दर पर सहायक यंत्र मुहैया कराए जाते हैं। दीनदयाल पुनर्वास योजना के अंतर्गत विशेष स्कूल, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, शीघ्र हस्तक्षेप परियोजनाएं, हाफ-वे होम्स आदि चलाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता दी जाती है। इन दो योजनाओं के लिए पिछले तीन वर्षों में शामिल किए गए लाभार्थियों की राज्यवार, संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

***विवरण***

*दीनदयाल विकलांगजन पुनर्वास योजनाएं और एडिप योजना*

**राज्यवार लाभार्थी/छमाही**

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2003-04 लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या | 2004-05 लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या | 2005-06 लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 43618 | 51271 | 35605 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 462 | 166 | 551 |
| 3. | असम | 900 | 1230 | 1445 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 4. | बिहार | 3585 | 4376 | 8659 |
| 5. | चंडीगढ़ | 871 | 117 | 1505 |
| 6. | छतीसगढ़ | 1807 | 3244 | 12105 |
| 7. | दादर व नगर हवेली | 0 | 0 | 210 |
| 8. | दिल्ली | 46811 | 32288 | 29917 |
| 9. | गोवा | 286 | 529 | 203 |
| 10. | गुजरात | 44192 | 42056 | 18262 |
| 11. | हरियाणा | 13125 | 6737 | 6013 |
| 12. | हिमाचल प्रदेश | 633 | 769 | 6399 |
| 13. | जम्मू-कश्मीर | 94 | 87 | 293 |
| 14. | झारखंड | 709 | 387 | 442 |
| 15. | कर्नाटक | 18092 | 11116 | 16680 |
| 16. | केरल | 18890 | 9923 | 4732 |
| 17. | मध्य प्रदेश | 3133 | 2597 | 6228 |
| 18. | महाराष्ट्र | 26824 | 25713 | 27790 |
| 19. | मणिपुर | 844 | 840 | 809 |
| 20. | मेघालय | 832 | 467 | 682 |
| 21. | मिजोरम | 1540 | 225 | 152 |
| 22. | उड़ीसा | 16464 | 23602 | 23346 |
| 23. | पांडिचेरी | 71 | 81 | 89 |
| 24. | पंजाब | 3798 | 7740 | 9402 |
| 25. | राजस्थान | 29032 | 26211 | 35939 |
| 26. | तमिलनाडु | 14618 | 19240 | 43508 |
| 27. | त्रिपुरा | 150 | 460 | 65 |
| 28. | उत्तर प्रदेश | 101081 | 135676 | 165580 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 29. | उत्तरांचल | 15975 | 11645 | 1186 |
| 30. | पश्चिम बंगाल | 28900 | 30722 | 37865 |
| | कुल | 437337 | 449515 | 495662 |

*[हिन्दी]*

**ओ.एन.जी.सी. में स्थानान्तरण नीति**

**5873. चौ. मुनव्वर हसन:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ओ.एन.जी.सी. में अधिकारियों, उप महाप्रबंधकों की स्थानान्तरण नीति क्या है;

(ख) क्या ओ.एन.जी.सी. में उप महाप्रबंधक और उससे ऊपर के रैंक के कई अधिकारी गत कई वर्षों से एक ही स्थान पर विशेषकर अहमदाबाद में कार्यरत हैं;

(ग) यदि हां. तो ओ.एन.जी.सी. कार्यालयों और विभिन्न राज्यों में स्थित रिफाइनरियों में स्थानान्तरण नीति को उचित ढंग से लागू न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा ओ.एन.जी.सी. में स्थानान्तरण नीति को उचित रूप से लागू कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनशा पटेल):** (क) अधिकारियों का स्थानान्तरण बारी-बारी से काम और स्थानान्तरण नीति (जे.आर.टी.पी.) के अनुरूप किया जाता है। नैगम कायाकल्प अभियान (सी.आर.सी.) के अधीन संगठनात्मक पुनर्गठन के कार्यान्वयन के साथ कंपनी में वरिष्ठ पदों और उनकी शक्तियों को परिभाषित कर दिया गया है। अत: वरिष्ठ अधिकारियों का स्थानान्तरण उपयुक्त स्थानों की उपलब्धता और कार्य-अपेक्षाओं से जुड़ा हुआ है। उक्त नीति में निम्न प्रावधान हैं -

(i) एक काम/स्थान से दूसरे काम/स्थान पर कर्मचारियों का सुयोजित स्थानान्तरण, जिससे प्रचालन/प्रशासनिक जरूरतों की पूर्ति हो और कर्मचारी की नौकरी में तरक्की सुनिश्चित हो।

(ii) किसी स्थान पर वरिष्ठता, कार्य अपेक्षाओं, विशेष विशेषज्ञता, पूर्व तैनाती, पूर्वोत्तर में तैनाती की अवधि आदि के आधार पर स्थानान्तरण करना।

(iii) नैगम स्तर से नीचे के कार्यकारियों को नौकरी में तरक्की के लिए समुचित उद्भासन प्रदान करने हेतु पदोन्नति से पहले उनसे कम से कम तीन कार्य केन्द्रों (पूर्वोत्तर सहित) पर काम करने की अपेक्षा की जाती है।

(iv) सामान्यतया पूर्वोत्तर में 3 वर्ष का कार्यकाल (न्यूनतम) और अन्य कार्य केन्द्रों पर 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो जाने के बाद कर्मचारी स्थानान्तरण हेतु विचार के लिए अर्ह हो जाते हैं। किन्तु, कार्य, प्रचालन जरूरतों और वैयक्तिक अनुरोध के आधार पर उक्त अवधियां घट-बढ़ सकती हैं।

(ख) केवल एक महाप्रबंक और पन्द्रह उप महाप्रबंधक (डी.जी.एम.) पांच वर्षों से अधिक समय से अहमदाबाद में काम कर रहे हैं, जिनमें से दस डी.जी.एम. 7 से अधिक वर्षों से काम कर रहे हैं।

(ग) ओ.एन.जी.सी. के कर्मचारियों के स्थानान्तरण के मामले में बारी-बारी से काम और स्थानान्तरण नीति का कड़ाई से पालन किया जाता है।

(घ) ओ.एन.जी.सी. में कर्मचारियों का स्थानान्तरण बारी-बारी से काम और स्थानान्तरण नीति से शासित होता है।

**विदर्भ क्षेत्र में रेलवे स्टेशन और मार्ग**

**5874. प्रो. महादेवराव शिवनकर:**
**श्री शिशुपाल एन. पटले:**

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में उन रेलवे स्टेशनों और मार्गों की पहचान की है जहां पर घोषणा किए जाने के बावजूद भी कार्य करना शुरू नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे रेलवे स्टेशनों और मार्गों को कब तक प्रचालनात्मक बनाए जाने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

*विवरण*

*महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में चल रही रेलवे परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है*

| क्र. सं. | परियोजना का नाम | कि.मी. | प्रत्याशित लागत | 2007-08 के दौरान परिव्यय | वर्तमान स्थिति और लक्ष्य, जहां कहीं निर्धारित किया गया है |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | अमरावती-नारखेड़ नई लाइन | 138 | 284.27 | 7.00 | अमरावती से चंदूबाजार (44 कि.मी.) खंड पूरा हो चुका है। चंदूरबाजार-नारखेड़ खंड में मिट्टी संबंधी कार्य, पुलों के कार्य और गिट्टी संग्रहण कार्य शुरू किया जा चुका है। |
| 2. | अकोला-पूर्णा आमान परिवर्तन | 210 | 245.22 | 150.00 | मिट्टी संबंधी, पुलों के कार्य और गिट्टी संग्रहण कार्य शुरू किया जा चुका है। कार्य को 2007-08 के दौरान पूरा किए जाने का लक्ष्य है। |
| 3. | छिंदवाड़ा-नागपुर आमान परिवर्तन | 149.52 | 383.79 | 70.00 | अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है। मिट्टी संबंधी और पुलों के कार्य शुरू किए जा चुके हैं। |

[अनुवाद]

**शान-ए-पंजाब का करतारपुर स्टेशन पर ठहराव**

**5875. श्रीमती निवेदिता माने:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली से अमृतसर जाने वाली गाड़ी 'शान-ए-पंजाब' अमृतसर और जालंधर सिटी के बीच आने वाले करतारपुर स्टेशन पर नहीं रूकती है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे का विचार काफी तीर्थयात्रियों को हो रही कठिनाई को देखते हुए उक्त गाड़ी का ठहराव करतारपुर स्टेशन पर करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) जी हां।

(ख) और (ग) जी नहीं। करतारपुर स्टेशन पर 2497/2498 हजरत निजामुद्दीन-अमृतसर शान-ए-पंजाब एक्सप्रैस का ठहराव देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, यह सुपर फास्ट गाड़ी पहले ही जालंधर सिटी पर रूकती है जो करतारपुर स्टेशन से 15 कि.मी. पर है।

**बहरामपुर से फूलबनी के बीच रेल लाइन**

**5876. श्री भर्तृहरि महताब:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बहरामपुर से फूलबनी के बीच एक रेल लाइन स्वीकृत करने संबंधी प्रस्ताव रेलवे के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) रेलवे द्वारा उक्त परियोजना को समय पर पूरा करने हेतु क्या उठाए गए हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) से (ग) बहरामपुर और फूलबनी के बीच एक नई लाइन के निर्माण हेतु 2002-03 में एक सर्वेक्षण पूरा किया गया था। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, ऋणात्मक प्रतिफल की दर पर इस 170 कि.मी. लंबी नई लाइन की लागत 500.42 करोड़ रु. आंकी गयी थी। परियोजना की अलाभप्रद प्रकृति, चालू परियोजनाओं के भारी थ्रो फारवर्ड और संसाधनों की अत्यधिक तंगी के दृष्टिगत प्रस्तावित लाइन को शुरू नहीं किया जा सका।

**सैन्य क्षमता विकसित करने की योजना**

**5877. श्री रवि प्रकाश वर्मा:**
**श्री अधराव पाटील शिवाजीराव:**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की बढ़ती भू-राजनैतिक आकांक्षाओं के अनुरूप एक व्यवस्थित तरीके से सैन्य क्षमता विकसित करने हेतु अभी तक कोई ठोस उपाय नहीं किए जाने से दीर्घकालीन रक्षा और सामरिक योजनाएं विफल हो रही हैं जैसाकि दिनांक 1 मई, 2007 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मात्र हथियार प्रणाली खरीदने की बजाय अति किफायती तरीके से सैन्य क्षमता विकसित करने की व्यवस्थित योजनाओं का अभाव निश्चित रूप से कुछ और ही संकेत करता है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

**रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी):** (क) और (ख) जी, नहीं। एक दीर्घकालीन रक्षा और सामरिक आयोजना मौजूद है जिसमें देश की भू-राजनैतिक आकांक्षाओं तथा रक्षा बलों द्वारा अपेक्षित क्षमताओं के आधार पर पंद्रह वर्ष की अवधि के लिए एक दीर्घकालीन एकीकृत संदर्शी योजना तैयार की जाती है। इस योजना को परिवर्तन की आवश्यकताओं के मद्देनजर प्रत्येक पांच वर्ष में संशोधित किया जाता है। मौजूदा दीर्घकालीन एकीकृत संदर्शी योजना वर्ष 2002-2017 तक के लिए है।

(ग) और (घ) रक्षा मदों की अधिप्राप्ति पूंजीगत तथा राजस्व अधिप्राप्तियों के लिए क्रमश: रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया-2006 तथा रक्षा अधिप्राप्ति मैनुअल 2007 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। इन प्रक्रियाओं का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि क्षमताओं की अधिप्राप्ति अधिकतम लागत प्रभावी तरीके से की जाए।

**अंतर्राष्ट्रीय रेल कॉरीडोर**

**5878. श्री किसनभाई वी. पटेल:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार अंतर्राष्ट्रीय रेल कॉरीडोर

विकसित करने का है जैसाकि दिनांक 30 अप्रैल, 2007 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' समाचार में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने इस संबंध में पड़ोसी देशों के साथ बातचीत की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) पड़ोसी देशों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) अंतर्राष्ट्रीय रेल कॉरीडोर को कब तक कार्यशील बनाए जाने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) और (ख) अंतरराष्ट्रीय कॉरीडोर के विकास के लिए यू.एन. इस्कैप के अंतर्गत ट्रांस एशियन रेलवे पर एक इंटर शासकीय समझौते की पहल की गयी है। करार पर हस्ताक्षर करने के लिए नवंबर, 2006 में प्रस्तुत किया गया है। भारत और म्यांमार के बीच एक मिसिंग लिंक है जिसका निर्माण कॉरीडोर के परिचालन के लिए अपेक्षित होगा। राइट्स द्वारा भारत-म्यांमार रेल संपर्क के लिए एक संभाव्यता अध्ययन किया गया है। उस रिपोर्ट को म्यांमार सरकार को सौंप दिया गया था। संभाव्यता अध्ययन के आधार पर भारत में जीरीबाम-मोरे और म्यांमार में तामू-कालेय-सेगई के बीच नये रेल संपर्क के निर्माण पर 4,280 करोड़ रु. खर्च होने का अनुमान लगाया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) इस परियोजना को शुरू करने के लिए कोई विनिर्दिष्ट समय-सीमा निर्धारित नहीं की गयी है।

**गांधीवादी अध्ययन के लिए सहायता**

**5879. श्री एस.के. खारवेनथन:** क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गांधीवादी अध्ययन के लिए कितनी धानराशि आवंटित की गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार गांधीवादी अध्ययनों को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं को और अधिक सहायता प्रदान करने का है और चालू वर्ष के दौरान इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी):** (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, उक्त प्रयोजन हेतु कोई विशिष्ट आबंटन नहीं किया गया। तथापि, मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन, गांधी स्मृति और दर्शन समिति विभिन्न सामाजिक-शैक्षिक-सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से महात्मा गांधी के विचारों और मूल्यों का प्रसार करती रही है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने वित्त वर्ष 2005-06 में साबरमती आश्रम, अहमदाबाद को 10.50 करोड़ रु. और वर्ष 2006-07 के दौरान निम्नलिखित गांधीवादी संस्थाओं को 23.00 करोड़ रु. की धनराशि मंजूर की है:-

1. राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय, नई दिल्ली - 5.00 करोड़ रु.
2. कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक न्यास, इंदौर - 5.00 करोड़ रु.
3. सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठान, वर्धा - 5.00 करोड़ रु.
4. मगन संग्रहालय समिति, वर्धा - 4.00 करोड़ रु.
5. गांधी स्मारक संग्रहालय, मदुरई - 1.00 करोड़ रु.
6. गांधी स्मारक संग्रहालय, बैरकपुर - 1.00 करोड़ रु.
7. गांधी संग्रहालय, पटना - 1.00 करोड़ रु.
8. मणि भवन गांधी संग्रहालय, मुंबई - 1.00 करोड़ रु.

चालू वित्त वर्ष 2007-08 के दौरान, वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2007-08 प्रस्तुत करते समय, निम्नलिखित गांधीवादी संस्थाओं के लिए 30 करोड़ रु. के अनुदान की घोषणा की है:

1. साबरमती आश्रम, अहमदाबाद
2. सेवाग्राम आश्रम, वर्धा
3. भंडारकर प्राच्य शोध संस्थान, पुणे
4. राजेन्द्र स्मृति संग्रहालय, पटना

**ए.आई. के लिए सुरक्षा संबंधी लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र**

**5880. श्री कुलदीप बिश्नोई:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आई.ए.टी.ए.) ने लेखापरीक्षा मानकों को पूरा करने में विफल रहने पर एयर इंडिया के आपरेशन्स सेफ्टी प्रमाणपत्र को रद्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आइ.ए.टी.ए. के सुरक्षा संबंधी लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र को प्राप्त करने के लिए ए.आई. द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले कदम क्या है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल):** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

*[हिन्दी]*

**मिट्टी के तेल की खुली बिक्री**

**5881. श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:**
**डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल विपणन कंपनियां खुले बाजार में मिट्टी के तेल की बिक्री की योजना बना रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और खुले बाजार में मिट्टी के तेल की बिक्री किस दर पर किये जाने की संभावना है;

(ग) खुले बाजार में मिट्टी का तेल कब तक पहुंचने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो पी.डी.एस. पर उपलब्ध और बाजार में गैर-पी.डी.एस. मिट्टी के तेल की कीमतों में अंतर को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनशा पटेल):** (क) से (ग) इंडियन आयल कारपोरेशन (आई.ओ.सी.), भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बी.पी.सी.) और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.) खुले बाजार में गैर-पी.डी.एस. मिट्टी तेल बेच रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सीज) द्वारा गैर-पी.डी.एस. मिट्टी तेल को बेचने के लिए अपनाई जा रही मौजूदा प्रणाली के अनुसार, ऐसे वास्तविक औद्योगिक और गैर घरेलू ग्राहकों, जिनकी एक समय में एक टैंक लारी वजन से अधिक की मांग है, को सीधे ही आपूर्ति की जा रही है और छोटे ग्राहकों, जिनकी मांग पूरे टैंक लारी वजन से कम की है, को गैर राजसहायता प्राप्त दर पर वर्तमान एस.के.ओ.-एल.डी.ओ. डीलरशिप नेटवर्क के माध्यम से आपूर्ति की जा रही है।

शुरू में आजमाइशी आधार पर मिट्टी तेल की छोटे-छोटे पैकेटों में बिक्री शुरू करने की भी योजना बनाई जा रही है ताकि ग्राहकों द्वारा उत्पाद की छोटे पैकेटों में स्वीकार्यता का जायजा लिया जा सके। जो ग्राहक सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) के अंतर्गत नहीं आते उन्हें एक लीटर के छोटे पैकटों में मिट्टी तेल उपलब्ध कराने की संकल्पना की गई है।

मिट्टी तेल (उपयोग पर प्रतिबंध और उच्चतम कीमत का नियतन) आदेश, 1993 के उपबंधों के अधीन सरकार ने आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन (ओ.एन.जी.सी.), मंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड (एम.आर.पी.एल.) और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आर.आई.एल.) को पी.डी.एस. मिट्टी तेल की मांग पूरी करने के बाद, गैर-पी.डी.एस. ग्राहकों को स्वदेशी तौर पर उत्पादित मिट्टी तेल बेचने की अनुमति दी है। तेल कंपनियां मांग के अनुसार, मुक्त बिक्री मिट्टी तेल की बिक्री बाजार भाव पर करती हैं।

(घ) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

**स्मारकों के आस-पास का क्षेत्र**

**5882. श्री के.सी. पल्लानी शामी:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के सभी स्मारकों के आस-पास के क्षेत्र में सुधार के लिए केन्द्र सरकार के विचारार्थ कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा होने की सम्भावना है?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी):** (क) से (ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वार्षिक संरक्षण

योजना में केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के परिवेशों के विकास की व्यवस्था है। चालू वर्ष के लिए इस प्रयोजन के लिए 13.30 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं।

संरक्षण तथा पर्यावरण संबंधी विकास एक सतत् प्रक्रिया है जो संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

**आमान परिवर्तन**

**5883. श्री ई.जी. सुगावनम:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को इस बात की जानकारी है कि मयीलादुथुरई-पिरालम-त्रिरूथुरई पूंडी-अधीरापट्टीनम-पट्टुकोट्टई-कराइकुडी के बीच मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की मांग काफी समय से लंबित है;

(ख) यदि हां, तो इस पर रेलवे ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) मीटर गेज लाइन को कब तक बड़ी लाइन में परिवर्तित किए जाने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) जी हां।

(ख) 2007-08 के बजट में इस कार्य को शामिल कर लिया गया है।

(ग) इस परियोजना को पूरा करने के लिए कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गयी है।

*[हिन्दी]*

**रेलवे रेकों के लिए मापदण्ड**

**5884. श्रीमती करुणा शुक्ला:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने रेल की पटरियों की प्राथमिकता को निर्धारित करने के लिए कोई मापदण्ड निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या छत्तीसगढ़ सरकार ने नमक की ढुलाई के लिए रेकों की मांग प्रेषित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) अब तक राज्य को रेक प्रदान नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(च) राज्य को ये रेक कब तक उपलब्ध होने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) जी हां।

(ख) वर्तमान अधिमान्यता यातायात अनुसूची सामान्य आदेश संख्या 81 के अनुसार विभिन्न पण्यों के लिए रेकों के आवंटन की प्राथमिकता मुख्यत: निम्न क्रम में तय की जाती है:

प्राथमिकता 'क' - सैन्य सहायता।

प्राथमिकता 'ख' - (i) राष्ट्रीय आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप आदि के पीड़ितों के लिए आपातकालीन राहत कार्य के लिए सामान।

(ii) भारतीय खाद्य निगम द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली अथवा अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए प्रायोजित खाद्यान और लेवी शुगर।

प्राथमिकता 'ग' - कोयले, खाने योग्य नमक, इस्पात संयंत्रों के लिए कच्चा माल, उर्वरक, पेट्रोल, तेल एवं स्नेहक जब सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रायोजित हों और रेलवे प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत हों।

प्राथमिकता 'घ' - 'क' से 'ग' में शामिल नहीं किए गए सभी यातायात।

(ग) जी नहीं।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

**रेलवे में योग्य अभियंताओं की कमी**

**5885. श्री के.सी. पल्लानी शामी:**
**श्री कैलाश मेघवाल:**
**श्री चंद्रकांत खैरे:**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे चालू परियोजनाओं में योग्य अभियंताओं की कमी से जूझ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इंडियन रेलवे इंस्टीच्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग (आई.आर.आई.सी.ई.एल.) अभियंताओं को प्रशिक्षण दे रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस कमी को पूरा करने हेतु निजी कंपनियों एवं सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अभियंताओं को प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां।

(घ) सिविल इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारियों को भर्ती के बाद 78 सप्ताह का प्रोबेशनरी प्रशिक्षण दिया जाता है और तत्पश्चात् प्रोफेसनल क्षेत्रों में समय-समय पर सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाता है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

## पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए नई योजनाएं

**5886. डा. अरुण कुमार शर्मा:** क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 10 प्रतिशत बजटीय प्रावधान के अन्तर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र में मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही विभिन्न परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और दसवीं योजना अवधि के दौरान राज्य-वार कुल परिव्यय, अप्रयुक्त अनुमोदित धनराशि और उपलब्धियां क्या रहीं तथा 2007-08 के दौरान प्रत्येक परियोजना के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं;

(ख) 11वीं योजना अवधि में किन-किन क्षेत्रों पर बल दिया जायेगा;

(ग) 11वीं योजना अवधि के दौरान इस क्षेत्र में आरम्भ की जाने वाली, यदि कोई हो, नई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या गुवाहाटी में क्रियान्वित की जा रही शिल्पग्राम परियोजना पूर्ण सुविधाओं से लैस है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी):** (क) संस्कृति मंत्रालय अपनी विभिन्न योजनागत स्कीमों तथा साथ-साथ अपने संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों तथा स्वायत्त संगठनों के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु विभिन्न कार्यकलाप करता आ रहा है।

10वीं योजना अवधि (2002-2007) के दौरान संस्कृति मंत्रालय के कुल योजनागत परिव्यय का 10 प्रतिशत भाग, जो 179.56 करोड़ रु. बैठता है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्यकलापों के लिए उद्दिष्ट किया गया था। उक्त प्रावधान के तहत 134.19 करोड़ रु. की राशि का उपयोग किया गया और इस प्रकार 45.37 करोड़ रु. की राशि अप्रयुक्त रह गई। मंत्रालय द्वारा शुरू किये गये कार्यकलापों में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लगभग सभी राज्य शामिल हैं। 2007-08 के दौरान, पूर्वोत्तर क्षेत्र में विभिन्न कार्यकलापों के लिए वार्षिक योजना आबंटन का 10 प्रतिशत भाग अर्थात् 55.70 करोड़ रु. उद्दिष्ट किया गया है। इस राशि में कला और संस्कृति के संवर्धन एवं प्रसार हेतु 20.15 करोड़ रु., पुरातत्व हेतु 5.00 करोड़ रु., संग्रहालयों हेतु 16.65 करोड़ रु., इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र हेतु 5.00 करोड़ रु., सार्वजनिक पुस्तकालयों हेतु 4.10 करोड़रु., अन्य व्यय (स्मारक) हेतु 1.70 करोड़ रु., मानव-विज्ञान एवं नृजाति विज्ञान हेतु 1.60 करोड़ रु. अभिलेखागारों हेतु 0.80 करोड़ रु. तथा बौद्ध एवं तिब्बती अध्ययनों हेतु 0.70 करोड़ रु. शामिल है।

(ख) 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) के लिए मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित प्रमुख महत्वपूर्ण क्षेत्र इस प्रकार हैं:-

- देश की विरासत, प्राचीन स्मारकों तथा एतिहासिक स्थलों का अनुरक्षण तथा संरक्षण।
- मंच कलाओं के क्षेत्र में कार्यकलापों का सुदृढ़ीकरण।
- ज्ञान-परक समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पुस्तकालय क्षेत्र का कायापलट।
- संग्रहालयों का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण।
- बौद्ध एवं तिब्बती संस्थानों के कार्यकलापों को प्रोत्साहन।
- शिक्षा एवं जागरूकता संबंधी कार्यक्रम।
- सांस्कृतिक एवं सृजनात्मक उद्योगों का विकास।

- भारतीय संस्कृति तथा विरासत के बारे में जानकारी का संवर्धन एवं प्रसार।

(ग) संस्कृति मंत्रालय का 11वीं योजनावधि के दौरान, पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपने मौजूदा कार्यकलापों का सुदृढ़ीकरण करके इस क्षेत्र की संस्कृति का संरक्षण, विकास तथा संवर्धन करने के लिए सभी प्रयास करने का प्रस्ताव है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अनन्य रूप से कोई नई स्कीम नहीं है। तथापि, संस्कृति मंत्रालय की प्रस्तावित नई स्कीमों में पूर्वोत्तर क्षेत्र भी शामिल होगा।

(घ) और (ङ) जी, हां। पूर्वोत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, दीमापुर (नागालैण्ड) के तत्वावधान में गुवाहाटी स्थित शिल्पग्राम परिसर का कार्य पूरा हो गया है और 17 जनवरी, 2006 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया जा चुका है। इस शिल्प ग्राम परिसर में 45 शिल्प स्टॉल, 8 खान-पान स्टॉल, 8 राज्य मंडप, 1 प्रेक्षागृह, 1 प्रशासनिक भवन, 180 बिस्तरों की क्षमता वाला एक शयनागार तथा कैन्टीन और मुक्ताकाश मंच जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

**पायलट प्रशिक्षण पाठ्यक्रम**

**5887. श्री बालासोबरी वल्लभनेनी:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय ने कोई पायलट प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आरम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में मंजूरी दे दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश के किसी अन्य विश्वविद्यालय ने भी इस प्रकार का पाठ्यक्रम आरम्भ किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल):** (क) नागर विमानन महानिदेशालय को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

**शिल्पकार स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता**

**5888. श्री पी.बी. थामस:** क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने शिल्पकार स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी):** (क) कोई ऐसा प्रस्ताव मंत्रालय को प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

**सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में आरक्षण कोटा**

**5889. श्री हरिकेवल प्रसाद:** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के अनेक उपक्रमों में उच्च पदों पर आरक्षण कोटा का क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन उपक्रमों के नाम क्या हैं;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या आरक्षण से संबंधित कानून का अनुपालन इसके उद्देश्यों के अनुरूप किया जा रहा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्मी जगदीशन):** (क) से (ङ) बोर्ड-स्तरीय पदों पर नियुक्ति, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड की सिफारिश पर की जाती है। बोर्ड-स्तरीय पदों के संबंध में कोई आरक्षण नहीं है। बोर्ड-स्तरीय पदों से नीचे के पदों पर नियुक्ति, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम प्रबंधन (सी.पी.एस.ई.) द्वारा की जाती

है। सेवाओं में आरक्षण के मामले में, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी अनुदेशों का विस्तार, अनुपालन हेतु केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों तक किया गया है और संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा उनके कार्यान्वयन की मॉनीटरी की जाती है।

*[अनुवाद]*

**महत्वपूर्ण खंडों में अवरोध**

**5890. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:**
**श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:**
**श्री कैलाश मेघवाल:**
**श्री चंद्रकांत खैरे:**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कतिपय अवरोध महत्वपूर्ण खंडों में रेलवे के विकास को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे ने उन परियोजनाओं की पहचान की है जिन्हें महत्वपूर्ण खंडों की क्षमता में वृद्धि करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर चलाया जाएगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) से (ग) विभिन्न मार्गों पर संवहन क्षमता का आवर्धन एक सतत् प्रक्रिया है और यातायत की आवश्यकताओं के अनुसार निर्माण कार्य शुरू किये जा रहे हैं। उच्च घनत्व नेटवर्क की पहचान की गयी है जिसमें 7 मुख्य मार्ग शामिल है और इन मार्गों पर क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न निर्माण कार्य शुरू किए गए हैं। इन कार्यों में प्रमुखत: दोहरीकरण/बहु लाइनें, यातायात सुविधाएं और अन्य सिगनल संबंधी कार्य शामिल हैं। एच.डी.एन. के अतिरिक्त, अन्य संतृप्त खंडों पर क्षमता बढ़ाने के लिए निर्माण कार्य भी शुरू किए गए हैं। प्रस्तावित समर्पित मालभाड़ा गलियारे भी संतृप्त गलियारे की अतिरिक्त क्षमता का सृजन करेंगे।

(घ) 2-3 वर्ष की समय-सीमा में थ्रूपुट संवर्धन कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक धनराशि का भी आबंटन किया जा रहा है। समय पर कार्य पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए कार्य की प्रगति पर निगरानी रखी जा रही है।

**सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम**

**5891. श्री के.एस. राव:** क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.) के कार्य करने के क्षेत्र/इलाके के अनुरूप सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम चलाने तथा राज्य द्वारा चलायी जा रही समान परियोजनाओं के साथ उन्हें सम्बद्ध करते हुए परियोजनाओं के निष्पादन का विनियमन करने के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों हेतु एक नीति तैयार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव):** (क) और (ख) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के सामाजिक दायित्व संबंधी वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक सरकारी उद्यम अपने सामाजिक दायित्वों का निर्धारण व क्रियान्वयन ऐसे सामाजिक दायित्वों को जारी रख पाने की अपनी वित्तीय क्षमता, प्रचालन परिवेश तथा अपने संस्था ज्ञापन/संविधि के प्रावधानों के अनुसार कर सकता है। केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डलों को अपने सामाजिक दायित्वों का निर्धारण करने तथा उन्हें क्रियान्वित करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है।

**अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में कार्गो हैण्डलिंग करने वाले विमानपत्तन**

**5892. श्री मनोरंजन भक्त:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह स्थित उन विमानपत्तनों का विमानपत्तन-वार ब्यौरा क्या है जहां वर्तमान में कार्गो हैण्डलिंग सुविधाएं हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष प्रत्येक विमानपत्तन द्वारा हैण्डल किए गए कार्गो का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन द्वीपों में स्थित उन विमानपत्तनों का ब्यौरा क्या है जहां अगले कुछ वर्षों के भीतर कार्गो हैण्डलिंग सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल):** (क) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के एकमात्र हवाई अड्डे, पोर्टब्लेयर हवाईअड्डे पर वर्तमान में अन्तर्राष्ट्रीय कार्गो

की संभलाई हेतु कोई सुविधा नहीं है। घरेलू कार्गो की संभलाई इंडियन और जेट एयरवेज द्वारा टर्मिनल भवन के माध्यम से होती है।

(ख) वर्ष 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान पोर्टब्लेयर हवाईअड्डे पर क्रमशः 1736, 1442 तथा 1658 (टनों में) कार्गो की संभलाई हुई थी।

(ग) उपरोक्त के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

**विज्ञान नगरों की स्थापना**

**5893. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर:**
**श्री सुखदेव सिंह ढींडसा:**

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अभी तक स्थापित किए गए विज्ञान नगरों का ब्यौरा क्या है तथा इसके उद्देश्य एवं इसका दायरा क्या है;

(ख) क्या देश के विभिन्न भागों में कुछ और विज्ञान नगरों की स्थापना की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके स्थलों के नाम सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ङ) क्या इस योजना के अंतर्गत सभी राज्यों को शामिल किया जाएगा ताकि इन विज्ञान नगरों के माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों के बीच पारस्परिक विचार-विमर्श हो सके; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी):** (क) से (घ) 1997 में कोलकाता में 60.00 करोड़ रु. के पूंजी निवेश से एक विज्ञान शहर की स्थापना की गई है। जालंधर में पुष्पा गुजराल विज्ञान शहर और गांधीनगर के निकट गुजरात में एक अन्य विज्ञान शहर की स्थापना भी की जा रही है। वार्षिक योजना 2007-08 के दौरान, विज्ञान शहर स्कीम के अंतर्गत 13 करोड़ रु. की धनराशि उपलब्ध कराई गई है।

(ङ) और (च) एक विज्ञान शहर किसी भी राज्य में स्थापित किया जा सकता है, बशर्ते कि निधियां उपलब्ध हों और स्कीम के अनुमोदित प्रतिमानक और दिशानिर्देश पूरे होते हों।

**द्वितीय 'पैलेस ऑन व्हील्स'**

**5894. श्री ई.जी. सुगावनम:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'पैलेस ऑन व्हील्स' रेलगाड़ी में वर्ष 2009 तक कोई स्थान उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस रेलगाड़ी की लोकप्रिय मांग को पूरा करने हेतु द्वितीय 'पैलेस ऑन व्हील्स' चलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक चलाने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) और (ख) जी हां। राजस्थान पर्यटन विकास निगम (आर.टी.डी.सी.) जो गाड़ी हेतु पर्यटकों की बुकिंग हेतु प्रमुख एजेंसी है, ने 7380 अनुरोध दर्ज किए हैं और इनमें से 30-04-2009 तक 'पैलेस ऑन व्हील्स' हेतु 4120 पुष्टिशुदा बुकिंग की है।

(ग) और (घ) राजस्थान पर्यटन विकास निगम और इस मंत्रालय ने उसी क्षेत्र में दूसरी 'पैलेस ऑन व्हील्स' गाड़ी, जैसे विदेशी और घरेलू पर्यटकों की मांगों को पूरा करने के लिए मौजूदा 'पैलेस ऑन व्हील्स' चल रही है, शुरू करने का निर्णय लिया है। गाड़ी को शुरू करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गयी है। बहरहाल, जब कभी गाड़ी चलाने हेतु रेक तैयार होंगे, उन्हें प्रचालित किया जायेगा।

**कोप्पाला-भोग्यनगर में उपरि-पुल**

**5895. श्री के. विरुपाक्षप्पा:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोप्पाला-भोग्यनगर (कर्नाटक) में गेट संख्या 62 अथवा 64 पर उपरि-पुल का तत्काल निर्माण किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि इस क्षेत्र के लोगों को ट्रैफिक जाम के कारण काफी कठिनाइयां हो रही हैं;

(ख) क्या कर्नाटक सरकार इस उपरि-पुल के निर्माण

के लिए 50 प्रतिशत व्यय का भुगतान करने के लिए सहमत हो गयी है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) जी हां। मौजूदा बताये गये तीन समपार स्थान संख्याओं 62, 64 और 66 के स्थान पर सड़क उपरि पुल के निर्माण की आवश्यकता है।

(ख) जी हां।

(ग) रेलवे निर्माण कार्यक्रम 2008-09 में शामिल करने हेतु समपार संख्या 62, 64 और 66 के बदले सड़क उपरि पुल के प्रस्ताव की जांच की जा रही है और आवश्यक हुआ तो वर्ष के बीच अनुदानों हेतु पूरक मांगों के दौरान विचार किया जा सकता है।

## माल ढुलाई टर्मिनल

**5896. श्री राम कृपाल यादव:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे द्वारा कितने नए माल ढुलाई टर्मिनल बनाए जा रहे हैं तथा ये किन-किन स्थानों पर बनाए जा रहे हैं;

(ख) नए माल ढुलाई टर्मिनल बनाने के लिए कितने निवेश की आवश्यकता है;

(ग) इन नए माल ढुलाई टर्मिनलों से कितना अतिरिक्त राजस्व सृजित होने की संभावना है;

(घ) क्या कतिपय माल ढुलाई टर्मिनलों का प्रबंध कार्य निजी कंपनियों को सौंपने के लिए रेलवे के पास कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) से (ग) मांग और धन की उपलब्धता के अनुसार नई लाइनों के साथ-साथ नये फ्रेट टर्मिनलों का विकास किया जा रहा है। नये फ्रेट टर्मिनलों हेतु अतिरिक्त माल भाड़े का लेखा-जोखा अलग से नहीं रखा जाता। 2006-07 (अनंतिम) में माल भाड़ा राजस्व में 17.5% की समग्र वृद्धि हुई है।

(घ) और (ङ) 20-12-2003 को केन्द्रीय वेयरहाउसिंग निगम (सी.डब्ल्यू.सी.) के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार भारतीय रेलवे सी.डब्ल्यू.सी. के सहयोग से 22 स्थानों पर वेयरहाउसिंग परिसरों का विकास कर रही है।

## हैदराबाद में नए विमानपत्तन का निर्माण

**5897. श्री असादुद्दीन ओवेसी:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हैदराबाद में समसाबाद के निकट राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन का निर्माण किया जा रहा है जो कि शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है;

(ख) यदि हां, तो क्या विमानपत्तन का विकास करने वाले जी.एम.आर. ग्रुप ने विमानपत्तन तथा शहर के केन्द्र के बीच डेडिकेटेड एक्सप्रेस रेल लिंक के लिए आंध्र प्रदेश सरकार से संपर्क किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या राजीव गांधी विमानपत्तन के शुरू होने के पश्चात् बेगमपेट विमानपत्तन की भूमि खाली कराए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं पर बेगमपेट विमानपत्तन के समुचित उपयोग के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल):** (क) और (ख) जी, हां।

(ग) प्रस्ताव में शमशाबाद के नए हवाई अड्डे तथा बेगमपेट के बीच समर्पित एक्सप्रेस रेल सम्पर्कता वांछित है। राज्य सरकार ने इस अति महत्वपूर्ण सम्पर्कता परियोजना के क्रियान्वयन में सहायता के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है और इस प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

(घ) और (ङ) भारतीय विमानपत्तन, प्राधिकरण एक बार नए हवाई अड्डे के प्रचालनिक हो जाने के बाद मौजूदा हैदराबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक एकीकृत विमानन अकादमी अथवा विमानन विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ-साथ एयरलाइनों के लिए अनुरक्षण, मरम्मत तथा ओवरहाल (एम.आर.ओ.) सुविधाएं स्थापित करने पर भी विचार कर रही है।

*[हिन्दी]*

**रेलवे हाल्टों को बंद किया जाना**

**5898. श्री संजय धोत्रे:**
**श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली:**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार महाराष्ट्र में हाल्ट स्टेशनों की जिला-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) गत एक वर्ष के दौरान इस हाल्ट स्टेशनों से रेलवे द्वारा कितना राजस्व अर्जित किया गया;

(ग) क्या राज्य में कुछ रेलवे हाल्ट स्टेशन घाटे में चल रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या रेलवे ऐसे हाल्टों को बंद करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) महाराष्ट्र में 125 हाल्ट स्टेशन हैं (जिलावार सूची नहीं रखी जाती है।)

(ख) पिछले एक वर्ष के दौरान इन हाल्ट स्टेशनों से लगभग 3.3 करोड़ रु. की आमदनी हुई।

(ग) से (ङ) एक हाल्ट स्टेशन को अलाभप्रद समझा जाता है जब शाखा लाइन पर यात्रियों की औसत संख्या प्रतिदिन 25 से कम हो (जावक) और मुख्य लाइन पर प्रति दिन 50 से कम हो (जावक)। उन हाल्ट स्टेशनों को जहां पर यात्रियों की संख्या कम हो, समय-समय पर बंद कर दिया जाता है। बहरहाल, इस प्रकार के निर्णय लेने से पहले राज्य सरकार से अनुरोध और यात्री सुविधाओं जैसे कारकों को ध्यान में रखा जाता है।

*[अनुवाद]*

**गैस हाइड्रेट्स**

**5899. डा. एम. जगन्नाथ:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बंगाल की खाड़ी के अपतटीय क्षेत्र में "गैस हाइड्रेट्स" नामक नए गैस भंडारों की खोज की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पाए गए गैस हाइड्रेट्स भण्डारों की मोटे तौर पर कितनी मात्रा का अनुमान लगाया गया है;

(ग) क्या गैस हाईड्रेट्स के दोहन के लिए भारत के पास अपेक्षित प्रौद्योगिकी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गैस हाइड्रेट्स के दोहन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनशा पटेल):** (क) और (ख) जी, हां। बंगाल की खाड़ी में पूर्वी अपतटीय क्षेत्र में के.जी. बेसिन में दो स्थानों के वेधन और कोरिंग के दौरान गैस हाइड्रेट्स की खोज की गई है। अभी तक किसी गैस हाइड्रेट्स भंडार का अनुमान नहीं लगाया गया है। तथापि, खोजी गई गैस हाइड्रेट्स का आयतनी अनुमान लगाने के लिए विशिष्ट अध्ययन करने की योजना बनाई जा रही है।

(ग) से (ङ) गैस हाइड्रेट्स से गैस का उत्पादन करने के लिए विश्व में कोई उत्पादन प्रौद्योगिकी/सुविज्ञता नहीं है। राष्ट्रीय गैस हाइड्रेट्स कार्यक्रम (एन.जी.एच.पी.) के अंतर्गत, गैस हाइड्रेट्स के अन्वेषण और दोहन के लिए जानकारी बांटने के निमित्त सहयोग करने हेतु हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय ने जापान, कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका से समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) किया है।

**अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को पेट्रोल पंपों का आबंटन**

**5900. श्री ब्रह्मानन्द पंडा:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में खुदरा पेट्रोल बिक्री केन्द्रों का संभावित उम्मीदवारों को किस आधार पर आबंटन किया जाता है तथा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों सहित विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों को पेट्रोल पंपों/खुदरा बिक्री केन्द्रों के आबंटन के लिए आरक्षण की बेंचमार्किंग का आधार क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष विभिन्न श्रेणियों के आवेदकों को राज्य-वार एवं वर्ष-वार कितने पेट्रोल बिक्री केन्द्रों का आबंटन किया गया;

(ग) क्या सरकार वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान

किन्हीं खुदरा पेट्रोल बिक्री केन्द्रों के आबंटन पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार तथा श्रेणी-वार ऐसे कुल कितने बिक्री केन्द्र आबंटित किए जाने हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनसा पटेल):** (क) सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ.एन.सीज) को सुझाए गए कतिपय व्यापक प्राचलों के आधार पर ओ.एम.सीज ने देश में व्यवहार्य स्थानों के लिए खुदरा बिक्री डीलरशिपों, एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपों और एस.के.ओ. - एल.डी.ओ. डीलरशिपों के चयन के लिए अपने दिशानिर्देश तैयार किये हैं और वह दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसी डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के चयन और आबंटन करती रही हैं। लोगों की विभिन्न श्रेणियों अर्थात रक्षा कार्मिक, स्वतंत्रता सेनानियों श्रेष्ठ खिलाड़ियों, अर्ध सैनिक/पुलिस/सरकारी कार्मिक, शारीरिक रूप से विकलांगों, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की श्रेणियों को पेट्रोल पम्पों/खुदरा बिक्री केन्द्रों के आबंटन हेतु बेंचमार्किंग रिजर्वेशन दिशानिर्देशों के अनुसार 100 प्वाइंट रोस्टर के अनुरूप किया जाता है।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और प्रस्तुत कर दी जाएगी।

### रेलवे क्वार्टर

**5901. श्री हेमलाल मुर्मू:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में परित्यक्त रेलवे क्वार्टरों/भवनों/परिसरों की मंडल-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) कुल कितने रेलवे कर्मिकों को आवासीय सुविधाएं दी गयी हैं तथा प्रत्येक मंडल में कुल कितने कर्मचारियों को आवासीय सुविधा नहीं मिल पा रही है;

(ग) क्या बड़ी संख्या में रेलवे क्वार्टरों पर बाहरी व्यक्तियों द्वारा अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है;

(ङ) क्या सभी रेलवे कर्मचारियों को वर्ष 2007-08 तक आवासीय सुविधाएं प्रदान करने की कोई योजना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) और (ख) क्षेत्रीय रेलों का मण्डल-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिए गए है।

(ग) और (घ) कुछ क्षेत्रीय रेलों में कुछ क्वार्टरों में अनाधिकृत रूप से बाहरी व्यक्ति रह रहे हैं, जिन्हें वहां से निकाले जाने के लिए सार्वजनिक परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 और रेलवे अधिनियम, 1989 में निहित प्रचलित नियमों/प्रक्रिया के अनुसार लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

*विवरण*

| रेलवे | मंडल | छोड़े गए क्वार्टर, भवन परिसर आदि | कर्मचारी जिन्हें क्वार्टर दिए गए | कर्मचारी जिन्हें क्वार्टर नहीं दिया गया |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| मध्य | मुंबई | 713 | 13153 | 39255 |
| | भुसावल | 1986 | 12421 | 11766 |
| | नागपुर | 733 | 8774 | 4254 |
| | पुणे | 832 | 2292 | 6597 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | शोलापुर | 1084 | 8469 | 1141 |
| जोड़ | | 5348 | 45109 | 63013 |
| पूर्व | हावड़ा | 280 | 14285 | शून्य |
| | सियालदह | 298 | 11217 | 12116 |
| | आसनसोल | 440 | 8800 | 2558 |
| | मालदा | 42 | 5444 | 2377 |
| जोड़ | | 1060 | 39746 | 17051 |
| पूर्व मध्य | दानापुर | 231 | 7088 | 6649 |
| | धनबाद | 282 | 13014 | 10856 |
| | मुगलसराय | 51 | 8544 | 5531 |
| | समस्तीपुर | 474 | 6185 | 4646 |
| | सोनपुर | 22 | 6087 | 5252 |
| जोड़ | | 1060 | 40918 | 32934 |
| पूर्व तट | खुर्दा रोड | 58 | 9001 | 5361 |
| | संबलपुर | 166 | 2829 | 2681 |
| | वाल्टेयर | 585 | 11042 | 10956 |
| जोड़ | | 809 | 22872 | 18998 |
| उत्तर | दिल्ली | 470 | 15444 | 49732 |
| | फिरोजपुर | 703 | 18784 | 11977 |
| | लखनऊ | 84 | 14882 | 11888 |
| | मुरादाबाद | 109 | 676 | 7451 |
| | अंबाला | 178 | 15504 | 10786 |
| जोड़ | | 1544 | 75290 | 91834 |
| उत्तर मध्य | इलाहाबाद | 597 | 16821 | 18787 |
| | आगरा | 750 | 3585 | 5480 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | झांसी | 617 | 5199 | 14811 |
| **जोड़** | | **1964** | **25605** | **39078** |
| **पूर्वोत्तर** | इज्जतनगर | 30 | 8435 | 1656 |
| | लखनऊ सिटी | 38 | 7986 | 9046 |
| | वाराणसी | 45 | 6589 | 8034 |
| | गोरखपुर | 7 | 5794 | 12184 |
| **जोड़** | | **120** | **28804** | **30920** |
| **पूर्वोत्तर सीमांत** | अलीपुरद्वार | शून्य | 7675 | 874 |
| | कटिहार | 30 | 11663 | 5857 |
| | लांबडिंग | 63 | 18569 | 5596 |
| | रंगिया | 8 | 6451 | 4390 |
| | तिनसुकिया | शून्य | 7288 | 1824 |
| **जोड़** | | **101** | **51646** | **18541** |
| **उत्तर पश्चिम** | जयपुर | 128 | 7250 | 3644 |
| | अजमेर | 656 | 4636 | 4598 |
| | बीकानेर | 481 | 8985 | 3286 |
| | जोधपुर | 173 | 8137 | 4292 |
| **जोड़** | | **1438** | **29008** | **15820** |
| **दक्षिण** | चेन्नै | 18 | 10985 | 45288 |
| | मदुरै | 26 | 4409 | 6108 |
| | पालघाट | 11 | 6006 | 11426 |
| | तिरूचिरापल्ली | 21 | 7712 | 10465 |
| | त्रिवेन्द्रम | 9 | 2498 | 8878 |
| **जोड़** | | **85** | **31610** | **82165** |
| **दक्षिण मध्य** | सिकंदराबाद | 100 | 2339 | 4517 |
| | हैदराबाद | 90 | 2645 | 4060 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | गुंटकल | 1401 | 6280 | 9250 |
| | गुंटूर | 481 | 1319 | 2599 |
| | नांदेड़ | 153 | 2248 | 2650 |
| | विजयवाड़ा | 61 | 8000 | 12000 |
| **जोड़** | | **2286** | **22831** | **35076** |
| **दक्षिण पूर्व** | आद्रा | 546 | 10296 | 5560 |
| | चक्रधरपुर | 420 | 13781 | 9334 |
| | खड़गपुर | 949 | 19676 | 8602 |
| | रांची | 66 | 3163 | 2716 |
| **जोड़** | | **1981** | **46916** | **26212** |
| **दक्षिण पूर्व मध्य** | बिलासपुर | 387 | 9468 | 10131 |
| | नागपुर | 676 | 6250 | 7672 |
| | रायपुर | 234 | 5246 | 4236 |
| **जोड़** | | **1297** | **20964** | **22039** |
| **दक्षिण पश्चिम** | हुबली | 125 | 3894 | 532 |
| | बंगलौर | 158 | 3455 | 937 |
| | मैसूर | 103 | 3988 | 3801 |
| **जोड़** | | **386** | **11337** | **5270** |
| **पश्चिम** | मुंबई | 7540 | 6863 | 294 |
| | बड़ोदरा | 606 | 7484 | 9126 |
| | रतलाम | 1395 | 8026 | 8231 |
| | अहमदाबाद | 740 | 10757 | 1721 |
| | राजकोट | 196 | 3446 | 3085 |
| | भावनगर | 317 | 5087 | 2741 |
| **जोड़** | | **10794** | **36963** | **25198** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| पश्चिम मध्य | जबलपुर | 60 | 9343 | 12825 |
| | भोपाल | 882 | 7422 | 12255 |
| | कोटा | 361 | 8384 | 1124 |
| जोड़ | | 1303 | 25149 | 26204 |

**कोलकाता में रेलवे भूमि का अतिक्रमण**

**5902. श्री अजय चक्रवर्ती:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोलकाता में रेलवे भूमि के कुल कितने क्षेत्र का अतिक्रमण किया गया है;

(ख) इस भूमि का अतिक्रमण कब से किया गया है; और

(ग) अतिक्रमण हटाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) लगभग 8 हेक्टेयर।

(ख) भूमि का अतिक्रमण विभिन्न वर्षों में किया गया।

(ग) रेलवे सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के प्रावधानों और रेलवे अधिनियम, 1989 के अनुसार अतिक्रमण वाली अपनी भूमि को मुक्त कराने के लिए एक सतत् प्रक्रिया में लगी हुई है। इस क्रम में रेलवे यह जांच करने के लिए उपचारात्मक कदम भी उठाती है कि रेलवे भूमि का अतिक्रमण अधिक क्षेत्र में न होने पाए। जोनल/क्षेत्रीय मुख्यालयों और रेलवे बोर्ड स्तर पर नियमित निगरानी रखी जाती है। बहरहाल, अतिक्रमकों से खाली कराने का प्रयास करते समय रेलवे को कानून एवं व्यवस्था की समस्याओं, मुकदमेबाजी इत्यादि का सामना करने की संभावना होती है। अतिक्रमकों से खाली कराने के लिए रेलवे को कानून एवं व्यवस्था की समस्याओं से बचने के लिए पुलिस सहित राज्य सरकार के प्राधिकारियों के सहयोग पर निर्भर रहना पड़ता है। इन बाधाओं के अलावा, अतिक्रमकों से रेलवे भूमि की सुरक्षा के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं।

*[हिन्दी]*

**पुराने सिलिंडरों का परिचलन**

**5903. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार देश के विभिन्न भागों में बाजार में 'इण्डेन' तथा अन्य कंपनियों के कितने रसोई गैस सिलिंडर परिचलन में हैं;

(ख) कंपनी-वार कुल कितने ऐसे रसोई गैस सिलिंडर अभी भी परिचलन में हैं जिनके उपयोग की अवधि समाप्त हो गयी है;

(ग) क्या सरकार ने बाजार से ऐसे सिलिंडरों को वापस लेने की कोई योजना तैयार की है अथवा ऐसी कोई योजना तैयार किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में जन प्रतिनिधियों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनशा पटेल):** (क) वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र की 3 तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सीज), नामत: इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.), भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बी.पी.सी.एल.) और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल.) के लगभग 15.17 करोड़ सिलेन्डर, देश में परिचालन में हैं।

(ख) एल.पी.जी. सिलेन्डरों के लिए कोई नियत समयावधि नहीं है। गैस सिलेन्डर नियमावली के अनुसार सिलेन्डरों का आवधिक रूप से परीक्षण किया जाता है और ठीक पाए

जाने पर उन्हें परिचालन में वापस ले लिया जाता है। नए एल.पी.जी. सिलेन्डर ओ.एम.सीज द्वारा नियमित रूप से सम्मिलित किए जा रहे हैं। पता लगने पर घटिया/नकली सिलेन्डर जब्त कर लिए जाते हैं और इसके बाद इनका पुनर्परिचालन रोकने के लिए इनका आकार बिगाड़ दिया जाता है/इन्हें कुचल दिया जाता है।

(ग) से (च) ओ.एम.सीज उन सिलेन्डर विनिर्माताओं से एल.पी.जी. सिलेन्डर प्राप्त कर रही हैं, जो तेल उद्योग तकनीकी समिति (ओ.आई.टी.सी.) द्वारा अनुमोदित हैं और जिनके पास भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) और मुख्य विस्फोटक नियंत्रक (सी.सी.ओ.ई.) से मान्य विनिर्माण लाइसेंस हैं। बी.आई.एस. विनिर्माण प्रक्रिया पर कड़ा नियंत्रण करता है। ओ.एम.सीज द्वारा प्राप्त किए गए एल.पी.जी. सिलेन्डर आवश्यक गुणवत्ता मानकों को पूरा करते हैं।

एल.पी.जी. सिलेन्डर एक तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसी अर्थात बी.आई.एस. की पैनी निगरानी के अंतर्गत निर्मित किए जाते हैं जो, विनिर्माण प्रक्रिया पर कड़ा नियंत्रण करता है। ओ.आई.टी.सी. सिलेन्डरों के गुणवत्ता मानकों का पता लगाने के लिए सिलेन्डर विनिर्माण इकाइयों की औचक जांच भी करती है। भरण संयंत्रों में डिस्ट्रीब्यूटरों/परिवहनकर्ताओं से प्राप्त सिलेंडरों की गुणवत्ता और वास्तविकता के लिए अनिवार्य रूप से जांच की जाती है जिससे परिचालन में नकली और पुराने सिलेन्डरों के प्रवेश को रोका जा सके।

गैस सिलेन्डर नियमावली के अनुसार नए सिलेन्डर संबंधित आई.एस. कोडों के मुताबिक व्यापक निरीक्षण और परीक्षण के लिए नियमित अंतरालों पर परिचालन से हटा लिए जाते हैं। पता लगने पर घटिया/नकली सिलेन्डर जब्त कर लिए जाते हैं और इसके बाद इनके पुनर्परिचालन को रोकने के लिए इनका आकार बिगाड़ दिया जाता है/इन्हें कुचल दिया जाता है। इसके अलावा, इनके उपयोग के दौरान अगर कोई बड़े दोष या रिसाव देखे जाते हैं, तब उन सिलेन्डरों को मरम्मत के लिए हटा लिया जाता है या नष्ट कर दिया जाता है। तेल विपणन कंपनियों द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत अधिक सावधानी बरती जाती है कि केवल बढ़िया सिलेंडर ही ग्राहकों को भेजे जाएं।

नकली एल.पी.जी. उपकरण के किसी अपूर्तिकर्ता के विरुद्ध की जा सकने वाली किसी कनूनी कार्रवाई के अलावा अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर के कब्जे में नकली उपकरण पाए जाते हैं या वह ऐसे उपकरण को वितरण प्रणाली में सम्मिलित करता है, जो विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ पहले और दूसरे अपराधों पर उपकरण को जब्त करने, जुर्माना लगाने और दंडात्मक दरों पर वसूली करने और तीसरे अपराध पर डिस्ट्रीब्यूटरशिप की समाप्ति का प्रावधान है।

*[अनुवाद]*

**कार्गो काम्प्लेक्स में संयुक्त उद्यम**

**5904. श्री सी.के. चन्द्रप्पन:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) का प्रस्ताव त्रिवेन्द्रम स्थित नवनिर्मित विमानपत्तन कार्गो टर्मिनल काम्प्लेक्स में एक नए कार्गो काम्प्लेक्स के लिए संयुक्त उद्यम कार्यक्रम चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ए.ए.आई. ने इस संबंध में केरल सरकार से परामर्श किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल):** (क) से (ङ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर एक नये अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल भवन का निर्माण कर रही है। इसकी टर्मिनल भवन से सटी हुई एक कार्गो टर्मिनल सुविधाओं के निर्माण की भी योजनाएं हैं। इस समय, यह हवाई अड्डे का प्रबंधन, सीमा शुल्क विभाग द्वारा नियुक्त कस्टोडियम, के रूप में केरल राज्य औद्योगिक उपक्रम द्वारा किया जा रहा है। तथापि, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने केरल राज्य औद्योगिक उपक्रम के साथ संयुक्त उपक्रम में नये अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल भवन के निकट उपलब्ध भूमि के टुकड़े पर इसकी प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय कार्गो सुविधा के विकास तथा प्रचालन का ऑफर दिया है।

**डिजिटल कोच इंडिकेटर प्रणाली**

**5905. श्री बृज किशोर त्रिपाठी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने देश के रेलवे स्टेशनों पर डिजिटल कोच इंडिकेटर प्रणाली संस्थापित की है;

(ख) यदि हां, तो अभी तक उड़ीसा के किन-किन स्टेशनों पर उक्त प्रणाली संस्थापित की गयी है;

(ग) उड़ीसा के सभी स्टेशनों पर उक्त प्रणाली कब तक संस्थापित किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस पर अभी तक व्यय की गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) जी हां।

(ख) उपर्युक्त प्रणाली को अभी तक उड़ीसा में भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर, पुरी, संबलपुर, राऊरकेला और बालासोर स्टेशनों पर संस्थापित किया गया है।

(ग) वर्तमान में उड़ीसा के सभी स्टेशनों पर लागू करने की कोई योजना नहीं है।

(घ) अभी तक उड़ीसा राज्य में इस प्रणाली पर 48.6 लाख रु. व्यय किए गए हैं।

*[हिन्दी]*

**तेल टैंकरों के आवाजाही की निगरानी**

**5906. प्रो. महादेवराव शिवनकर:**
**श्री शिशुपाल एन. पटले:**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने टैंकरों/ट्रकों में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जी.एस.पी.) संस्थापित करने की कोई योजना बनाई है ताकि पेट्रोल/डीजल में मिलावट को रोका जा सके;

(ख) यदि हां, तो क्या डीजल तथा पेट्रोल में मिलावट में कमी होने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा पेट्रोल पंपों को सीधे कितनी मात्रा में तेल की आपूर्ति की जा रही है;

(घ) क्या बड़े पेट्रोल पंपों को आटोमैटिक पेट्रोल पंपों में बदलने के लिए कोई योजना शुरू की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल):** (क) और (ख) जी, हां। रियायती मिट्टी तेल का विपथन रोकने के मद्देनजर और पेट्रोलियम उत्पादों का परिवहन करने वाले टैंक ट्रकों के संचलन की निगरानी करने हेतु सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को सभी टैंक ट्रकों पर वैश्विक अवस्थिति प्रणाली (जी.पी.एस.) आधारित वाहन ट्रेकिंग प्रणाली स्थापित करने का परामर्श दिया है। ओ.एम.सीज ने टैंक ट्रकों को चरणबद्ध तरीके से जी.पी.एस. प्रदान कराने का कार्य हाथ में लिया है। इस प्रणाली की अनिवार्य विशेषता यह है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली वाले एस.के.ओ. को ले जाने वाले वाहन पर एक उपकरण लगा होता है और इसके आपूर्ति स्थान से जाने और गन्तव्य तक पहुंचने तक इसका वास्तविक समय आधार पर पता लगाया जा सकता है।

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के ओ.एम.सीज खुदरा बिक्री केन्द्रों को पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति डीलरों, ठेकेदारों व ओ.एम.सीज के स्वामित्व वाले टैंक ट्रकों के माध्यम से सुपुर्द आधार पर करते हैं। वर्ष 2006-07 के दौरान, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.एल.)। हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल.) तथा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बी.पी.सी.एल.) ने अपने खुदरा बिक्री केन्द्रों को 8686 हजार मीट्रिक टन (टी.एम.टी.) पेट्रोल तथा 31367 टी.एम.टी. डीजल की आपूर्ति की है।

(घ) और (ङ) खुदरा बिक्री केन्द्रों में, गतिविधियों पर नवीनतम प्रौद्योगिकीय सुधारों को अपनाते हुए, निगरानी करने के लिए, सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र ओ.एम.सीज को 200 किलोलीटर प्रति माह से अधिक बिक्री करने वाले खुदरा बिक्री केन्द्रों का स्वचलन करने के निर्देश दिए हैं। ओ.एम.सीज ने पहले ही चरणबद्ध तरीके से इन बिक्री केन्द्रों का स्वचलन कार्य आरम्भ कर दिया है और उसकी 2007-08 के दौरान पूरा होने की संभावना है।

*[अनुवाद]*

**हरिदासपुर-पारादीप रेलवे लाइन**

**5907. श्री भर्तृहरि महताब:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हरिदासपुर-पारादीप रेलवे लाइन के निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण करने हेतु रेल विकास निगम लिमिटेड (आर.वी.एन.एल.) द्वारा कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है;

(ख) क्या भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी हो गयी है;

(ग) यदि नहीं, तो इसमें कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए तथा उक्त लाइन का निर्माण शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) विस्तृत अनुमान में भूमि अधिग्रहण हेतु कुल मंजूर राशि 23.67 करोड़ रु. है।

(ख) जी नहीं।

(ग) परियोजना हेतु कुल आवश्यक भूमि अधिग्रहण 668 हैक्टेयर है। इसमें से 345.86 हैक्टेयर पर अधिग्रहण कर लिया गया है।

(घ) भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को निष्पादित करने के लिए राज्य स्तर पर आवधिक बैठकें की जाती हैं। लूना और महानदी नदियों के ऊपर दो प्रमुख पुलों पर प्रत्यक्ष निर्माण कार्य पहले ही शुरू किया जा चुका है। रोडबैड, पुलों और अन्य कार्यों हेतु निविदाएं प्रक्रियाधीन है।

**अनूसूचित जाति की बालिकाओं के लिए छात्रावासों का निर्माण**

**5908. श्री रवि प्रकाश वर्मा:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार अनुसूचित जाति की बालिकाओं के लिए छात्रावासों के निर्माण के लिए राज्यों की 50 प्रतिशत हिस्सेदारी का वहन करने का है, जैसा कि दिनांक 1 मई, 2007 के 'द टाइम्स ऑफ इण्डिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनुसूचित जाति के बालकों के छात्रावासों के लिए राज्यों की 50 प्रतिशत हिस्सेदारी का वहन करने का भी कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) अनूसुचित जाति समुदायों के निर्धन बालकों की सहायता के लिए केन्द्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन):** (क) से (घ) अनुसूचित जाति की बालिकाओं और बालकों में साक्षरता स्तरों में अधिक अन्तर के मद्देनजर, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति की बालिकाओं के लिए छात्रावासों के निर्माण हेतु मौजूदा 50% केन्द्रीय सहायता को बढ़ाकर, राज्य सरकारों को 100% सहायता करने के प्रस्ताव को तैयार किया गया है, ताकि बालिकाओं के नामांकनों को प्रोत्साहित किया जा सके और बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर रुके। तथापि, अनुसूचित जाति के बालकों के लिए छात्रावासों का निर्माण के मामले में, 50% केन्द्रीय सहायता का विद्यमान स्तर ही जारी रहेगा।

(ङ) सरकार अनुसूचित जाति के बालकों और बालिकाओं के लिए विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित कर रही हैं, जिसमें शामिल हैं:

(i) अनुसूचित जाति के छात्रों की प्रतिभा का उन्नयन;

(ii) बी.पी.ओ. उद्योग हेतु काल सेंटर ट्रेनिंग सहित निःशुल्क कोचिंग;

(iii) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना;

(iv) राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति;

(v) राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना; और

(vi) स्कूलों और ट्रेनिंग सेंटरों को संचालित करने के लिए गैर-सरकारी संगठन की योजनाएं।

**वाइन और बीयर संबंधी नीति**

**5909. श्री किसनभाई वी. पटेल:**
**श्री सुग्रीव सिंह:**

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वाइन और बीयर उद्योग के लिए एक नई नीति घोषित की है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नई नीति द्वारा रोजगार और राजस्व में कितनी वृद्धि होने की संभावना है?

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय):** (क) से (ग) भारत सरकार द्वारा वाइन और बीयर के लिए कोई राष्ट्रीय नीति घोषित नहीं की गई है। संविधान के तहत वाइन और बीयर समेत मादक पेय राज्य के क्षेत्राधिकार में आते हैं।

तथापि मंत्रालय का प्रस्ताव वाइन और बीयर विनिर्माण यूनिटों के निवेश और आधुनिकीकरण को समर्थन देने का है।

### तिरूवरूर-नागोर के बीच आमान परिवर्तन

**5910. श्री एस.के. खारवेन्थनः** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तिरूवरूर-नागोर के बीच आमान परिवर्तन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या रेलवे का चैन्नई-नागोर और अन्य गंतव्यों के बीच रेलगाड़ी सेवाएं शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नई सेवाओं के कब तक शुरू होने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) पुलों सहित तल्प संबंधी कार्य और रेलपथ को जोड़ने का कार्य शुरू कर दिया गया है ताकि आमान परिवर्तन संबंधी कार्य 2007-08 के दौरान पूरा कर लिया जाए।

(ख) और (ग) 2007-08 के दौरान चेन्ने-एग्मूर-नागौर एक्सप्रेस को चलाने का विनिश्चय किया गया है।

*[हिन्दी]*

### गाजियाबाद स्टेशन पर रेलगाड़ियों का ठहराव

**5911. श्री चन्द्र मणि त्रिपाठीः** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या रेलवे का विचार नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ के मद्देनजर गाजियाबाद स्टेशन पर कतिपय रेलगाड़ियों का ठहराव उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे ने इस संबंध में कुछ प्रस्ताव भी प्राप्त किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या रेलवे का विचार गाजियाबाद-मुगलसराय-गया खण्ड पर चलने वाली महाबोधि एक्सप्रेस (2397-2398) जैसी रेलगाड़ियों का गाजियाबाद स्टेशन पर ठहराव देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) से (ग) जी हां। गाजियाबाद में 13 जोड़ी अतिरिक्त गाड़ियों के ठहराव हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्रस्तावों की जांच की जा रही है और व्यवहार्य और उचित पाए जाने पर कार्रवाई की जायेगी।

(घ) जी नहीं। इस समय, गाजियाबाद में 2397/2398 गया-नई दिल्ली महाबोधि एक्सप्रेस के ठहराव की व्यवस्था हेतु कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

### रेलगाड़ियों में गर्भवती महिलाओं को सुविधाएं/पैकेज

**5912. श्री के.सी. पल्लानी शामीः** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या रेलवे में रेल यात्रा के दौरान बैठने की अपर्याप्त व्यवस्था तथा चिकित्सा सुविधाओं के कारण गर्भवती महिलाओं तथा उनके परिजनों को हो रही समस्याओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे का उन्हें विशेष सुविधाएं/पैकेज देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) यात्रा के लिए सक्षम गर्भवती महिलाओं को गाड़ियों में स्थान मुहैया कराया जाता है। बहरहाल, चलती गाड़ियों में गर्भवती महिलाओं को किसी प्रकार की विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं नहीं दी जाती हैं।

स्टेशन मार्ग में आपातकालीन स्थिति में, गर्भवती महिला को नजदीकी अस्पताल में शिफ्ट करने के लिए जरूरत पड़ने पर गाड़ी को अनियमित ठहराव दिया जा सकता है। स्टेशन मास्टर के पास स्टेशन के आसपास वाले सरकारी और निजी डॉक्टरों, क्लीनिकों और अस्पतालों का ब्यौरा होता है जहां गर्भवती महिला को ले जाया जा सकता है। रेल यात्री के रूप में यात्रा करने वाले एलोपैथिक डॉक्टरों को प्रोत्साहन के रूप में रेलगाड़ी के किराये में 10% की

रियायत दी जाती है ताकि वे किसी आपातकाल में यात्रा कर रहे व्यक्ति को चिकित्सा सहायता मुहैया करने के लिए प्रेरित हो सकें। उनकी सेवाएं गर्भवती महिला की सहायता करने के लिए ली जा सरती हैं। इसके साथ-साथ जरूरतमंद यात्रियों को देखने के लिए रेलवे चिकित्सा अधिकारी को बुलाने हेतु स्टेशन कर्मचारी को प्राधिकृत किया जाता है। इसके अलावा, राजधानी/शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों और लम्बी दूरी की मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में तैनात गाड़ी पर्यवेक्षकों/ पैंट्री कार के मैनेजरों के पास विभिन्न प्रकार की दवाइयों डिस्पोजल चिकित्सा सामग्रियों आदि सहित संवर्धित प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स उपलब्ध रहता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**नैमित्तिक कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित किया जाना**

**5913. डा. अरुण कुमार शर्मा:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुवाहाटी विमानपत्तन पर इंडियन एयरलाईंस में कार्यरत नैमित्तिक कर्मचारियों की श्रेणी-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन नैमित्तिक कर्मचारियों के स्थायी रूप से समामेलन हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा वर्ष 1999 में दिए गए आदेश का कार्यान्वयन किया जाना शेष है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार का विचार इन कर्मचारियों की सेवा शर्तों को किस प्रकार सुधारू बनाने का है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल):** (क) औसतन, गुवाहाटी हवाई अड्डे पर प्रतिदिन 19 नैमेत्तिक कर्मचारियों को लगाया जा रहा है जिनमें 4 नैमेत्तिक सफाईवालों के रूप में, 1 ड्राइवर के रूप में तथा शेष नैमेत्तिक कर्मचारी विभिन्न विभागों में हेल्परों के रूप में हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) औद्योगिक अधिकरण, गुवाहाटी ने 1999 में एक आदेश पारित किया था कि जब कभी भी नियमित रिक्तियां उत्पन्न हों गुवाहाटी हवाई अड्डे पर नैमेत्तिक कामगारों की सेवाओं के वरिष्ठता आधार पर और चरणबद्ध तरीके से नियमित किया जाए। जनवरी, 2000 से, श्रमशक्ति और विमान के बीच के अनुपात को कम करने के प्रयोजन से, प्रचालनिक तथा अति महत्वपूर्ण क्षेत्रों को छोड़कर, नई भर्ती पर पूर्ण रोक लगी हुई है।

(च) जब कभी भी पदों को भरने का निर्णय किया जाएगा, औद्योगिक अधिकरण गुवाहाटी के आदेश के अनुसार, नैमेत्तिक कामगारों के दावों पर विचार किया जाएगा।

*[हिन्दी]*

**शहीदों के परिजनों को पेट्रोल पंपों का आबंटन**

**5914. श्रीमती करुणा शुक्ला:**

**डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर शहीदों के परिजनों को खुदरा पेट्रोल बिक्री केन्द्र अथवा गैस एजेन्सी का आबंटन करने की योजना को समाप्त कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त कोटा के अंतर्गत खुदरा बिक्री केन्द्रों अथवा गैस एजेन्सियों में आबंटन हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या कितनी है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान राज्यवार कितने आवेदकों को खुदरा बिक्री केन्द्रों तथा गैस एजेंसियों का आबंटन किया गया है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनशा पटेल):** (क) और (ख) खुदरा बिक्री केन्द्र (आर.ओ.) डीलरशिपों/एस.के.ओ.-एल.डी.ओ. डीलरशिपों/एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के आबंटन हेतु एक पृथक विवेकाधीन कोटा योजना की युक्तिसंगतता की पुनरीक्षा के पश्चात सरकार ने दिनांक 26-12-2006 के अपने आदेश द्वारा इसे समाप्त करने का निर्णय लिया है, क्योंकि सभी पात्र आवेदक जो विवेकाधीन कोटा योजना के तहत आते हैं वे आर.ओ./

एस.के.ओ.-एल.डी.ओ. डीलरशिपों/एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की सामान्य चयन प्रक्रिया के अंतर्गत भी आवेदन कर सकते हैं, जिसमें 'रक्षा' (डी.सी.) वर्ग के लिए 8% और एक अन्य 8% आरक्षण का प्रावधान अर्द्ध-सैनिक/पुलिस/सरकारी कार्मिक (पी.एम.पी.) वर्ग के लिए रखा गया है।

(ग) आर.ओ. डीलरशिपों तथा एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के आबंटन हेतु वर्ष 2001 में योजना के पुन: चालू होने से अब तक विवेकाधीन कोटा योजना के तहत क्रमश: 1742 तथा 457 आवेदन प्राप्त हुए थे।

(घ) पिछले तीन वर्षों अर्थात 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणनप कंपनियों (ओ.एम.सीज) नामत: इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.) तथा भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बी.पी.सी.एल.) द्वारा विवेकाधीन कोटा योजना के तहत 32 आर.ओ. डीलरशिपों तथा 11 एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें आबंटित की गई हैं।

*[अनुवाद]*

## सबरीमाला का विकास

**5915. श्री पी.सी. थामस:** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान केरल में सबरीमाला और इरूमेली के विकास के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु प्रस्तावों को वरीयता दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गयी है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) वहां तीर्थ यात्रियों के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी):** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पर्यटक रूचि वाले स्थानों/तार्थ केन्द्रों का संवर्धन और विकास मुख्यत: राज्य सरकारों द्वारा स्वयं किया जाता है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों/तीर्थ केन्द्रों में सुविधाओं के सृजन के लिए निधियां भी प्रदान करता है। 1998-99 में पर्यटन मंत्रालय ने 104.89 लाख रुपए की राशि से सबरीमाला में तीर्थ सुविधा केन्द्र के निर्माण के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी है। परियोजना पूरी हो चुकी है।

## रेलवे नीति फ्रेमवर्क

**5916. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:**
**श्री कैलाश मेघवाल:**
**श्री चंद्रकांत खैरे:**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे के उद्देश्यों में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए जाने की आवश्यकता है जिससे कि यह पिछले कुछ दशकों में यातायात के अन्य प्रतिस्पर्धी माध्यमों से खोए हुए बाजार के कुछ हिस्से को प्राप्त कर सके;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे नीति फ्रेमवर्क में कुछ अंतर्निहित खामियां हैं जो इसके स्वस्थकर वृद्धि में बाधा डालती है और रेलवे को सड़क क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा करने से रोकती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय करने का प्रस्ताव है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) जी हां।

(ख) और (ग) रेलें थोक कैरिअर्स हैं और लंबी दूरी तक माल ढोने के लिए सक्षम हैं। कम दूरियों के यातायात की मल्टिपल हैंडलिंग रेलों को गैर-किफायती बना देता है।

(घ) रेलें कंटेनर मूवमेंट, रेल साइडिंग निर्माण सुलभता, रेल टर्मिनलों पर वेयर हाउसिंग के विकास के माध्यम से मल्टी मॉडल लाजिस्टिक के लिए कार्यरत हैं। परिवहन के अन्य साधनों के साथ इसे सक्षम बनाने के लिए, रैकों को खाली प्रवाह दिशा में रियायतें भी दी जाती हैं।

## मंदबुद्धि आवारा बच्चों का कल्याण

**5917. श्री मनोरंजन भक्त:** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में मंदबुद्धि आवारा बच्चों के कल्याण हेतु किसी योजना को क्रियान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) योजना के क्रियान्वयन में राज्य सरकारों द्वारा कितनी सहायता दी जा रही है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन):** (क) से (ग) "बेसहारा बच्चों के लिए समेकित कार्यक्रम" की कल्याण योजना, जिसमें मंदबुद्धि बेसहारा बच्चे शामिल हैं, को आश्रय, पोषण, स्वास्थ्य देखरेख, शिक्षा और मनोरंजनात्मक सुविधाएं प्रदान करने के लिए कार्यान्वित की जाती है। राज्य सरकारों द्वारा योजना का मानीटरिंग किया जाता है।

## निजामुद्दीन-हुबली एक्सप्रेस का हास्पेट तक विस्तार

**5918. श्री के. विरुपाक्षप्पा:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तरी कर्नाटक के लोगों द्वारा निजामुद्दीन-हुबली एक्सप्रेस का हास्पेट तक विस्तार करने की लगातार मांग की जाती रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) से (ग) जी हां। वर्तमान में परिचालनिक बाधाओं के कारण निजामुद्दीन-हुबली एक्सप्रेस का हॉस्पेट तक विस्तार व्यवहार्य नहीं है।

*[हिन्दी]*

## रेल कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं

**5919. श्री हेमलाल मुर्मू:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने रेलवे कर्मचारियों को उनके आश्रितों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के मद्देनजर प्रत्येक रेल मंडल में अस्पताल एवं चिकित्सा सुविधा हेतु व्यवस्था की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न रेल मंडलों के अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या रेलवे ने रेलवे कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों को रेलवे अस्पतालों के अलावा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना एवं मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) रेलवे अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को निम्नलिखित दो स्कीमों द्वारा पूरा किया जा रहा है।

1. अवैतनिक विजिटिंग विशेषज्ञ:- निजी क्षेत्र से विशेषज्ञ डॉक्टरों को सप्ताह में 6 या 4 या 2 दिन के लिए दिन में दो घंटे रेलवे अस्पताल में विशेषज्ञ के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

2. मामला-दर-मामला आधार पर निजी विशेषज्ञ सेवाओं से विशेषज्ञ डॉक्टरों को बुलाने के लिए अस्पतालों के प्रभारियों को प्राधिकृत किया गया है।

(ङ) जी हां। केवल निजी मान्यताप्राप्त अस्पतालों के माध्यम से।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

**विवरण**

*रेल कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधाओं*

| रेलवे | मंडल का नाम | सेंट्रल अस्पताल और अन्य मंडलेतर अस्पतालों सहित जो मंडल के कार्यक्षेत्र में स्थित हैं, रेल अस्पतालों की संख्या | रेल अस्पताल का नाम | अंतरंग बिस्तरों की संख्या | मंडलेतर स्वास्थ्य इकाइयों सहित जो मंडल के कार्यक्षेत्र में स्थित हैं, स्वास्थ्य इकाइयों की संख्या | मान्यताप्राप्त निजी अस्पतालों के नाम जहां मान्यत: मंडल के रोगियों को रेफर किया जाता है |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| मध्य रेलवे | मुंबई | 3 | डा. बाबा साहेब अम्बेडकर मेमोरियल- सेंट्रल अस्पताल/ भायकुल | 366 | | 1. टाटा मेमोरियल अस्पताल/पारेल |
| मध्य रेलवे | मुंबई | | मंडल अस्पताल/कल्याण | 120 | | 2. जसलोक अस्पताल/मुंबई |
| मध्य रेलवे | मुंबई | | उपमंडल अस्पताल/इगतपुरी | 40 | | 3. चरक क्लीनिक नर्सिंग होम/मुंबई |
| | | | | | 11 | 4. वॉकहार्ड अस्पताल/कल्याण |
| | | | | | | 5. जयराम अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर/ नासिक रोड |
| | | | | | | 6. श्रद्धा अस्पताल/लोणावला |
| मध्य रेलवे | भुसावल | | मंडल अस्पताल/भुसावल | 250 | | 1. जयराम अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर/ नासिक रोड |
| | | 2 | उपमंडल अस्पताल/मनमाड़ | 32 | 10 | 2. इन्डो अमेरिकन कार्डियोवैस्कुलर सेंटर/जलगांव |
| मध्य रेलवे | नागपुर | | मंडल अस्पताल/नागपुर | 185 | | 1. अरनेजा हार्ट इंस्टीट्यूट/नागपुर |
| | | 2 | उपमंडल अस्पताल/अमला | 20 | 6 | 2. राष्ट्र संत तुकोडजी रीजनल कैंसर अस्पताल |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मध्य रेलवे | पुणे | 1 | मंडल अस्पताल/पुणे | 50 | 3 | 1. किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल/ पुणे |
| मध्य रेलवे | सोलापुर | | मंडल अस्पताल/सोलापुर | 89 | | 1. अश्वनी सहकारी रुग्णालय एवं रिसर्च सेंटर/सोलापुर |
| | | 3 | उपमंडल अस्पताल/कुर्डूवाडि | 34 | | |
| | | | उपमंडल अस्पताल/दौंड | 30 | | |
| पूर्व रेलवे | सियालदाह | | बी.आर. सिंह अस्पताल-सेंट्रल अस्पताल/सियालदाह | 461 | 14 | 1. अपोलो ग्लेनइगल्स अस्पताल/ कोलकाता |
| | | 2 | रेल कारखाना अस्पताल/कांचरापाड़ा | 220 | 4 | 2. पीयरलेस अस्पताल/कोलकाता |
| | | | | | | 3. रबीन्द्र नाथ टैगोर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियेक साइन्सिस/कोलकाता |
| पूर्व रेलवे | हावड़ा | 2 | (अस्थि अस्पताल) हवड़ा मंडल अस्पताल/हवड़ा | 179 | 12 | |
| | | | कारखाना अस्पताल/लिलुआ | 101 | 1 | |
| पूर्व रेलवे | आसनसोल | | मंडल अस्पताल/आसनसोल | 220 | 6 | |
| | | 2 | उपमंडल अस्पताल/आंदल | 50 | 2 | |
| पूर्व रेलवे | माल्दा | | मंडल अस्पताल/माल्दा | 100 | 3 | |
| | | 2 | कारखाना अस्पताल/जमालपुर | 252 | 4 | |
| पूर्व रेलवे | चित्तरंजन | 1 | चित्तरंजन रेलइंजन कारखाना/ उत्पादन कारखाना अस्पताल/ चित्तरंजन | 197 | 6 | |
| पूर्व मध्य रेलवे | दानापुर | 1 | मंडल अस्पताल/दानापुर | 202 | 8 | 1. जीवक अस्पताल/पटना |
| | | | | | | 2. डा. रुबन मेमोरियल अस्पताल/पटना |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| पूर्व मध्य रेलवे | मुगलसराय | 2 | मंडल अस्पताल/मुगलसराय | 160 | 6 | |
| | | | उपमंडल अस्पताल/गया | 57 | | |
| पूर्व मध्य रेलवे | धनबाद | 2 | मंडल अस्पताल/धनबाद | 130 | 16 | |
| | | | उपमंडल अस्पताल/पत्तरातू | 30 | | |
| पूर्व मध्य रेलवे | सोनपुर | 2 | मंडल अस्पताल/सोनपुर | 80 | | |
| | | | उपमंडल अस्पताल/गडहरा | 56 | 5 | |
| पूर्व मध्य रेलवे | समस्तीपुर | 1 | मंडल अस्पताल/समस्तीपुर | 163 | 5 | |
| पूर्व तटीय रेलवे | खोरधा रोड | 2 | सेंट्रल अस्पताल/मांचेश्वर/भुवनेश्वर | 20 | 1 | 1. कालिंग अस्पताल/भुवनेश्वर |
| | | | मंडल अस्पताल/खोरधा रोड | 80 | 9 | 2. यशोदा अस्पताल/सिकंदराबाद |
| | | | | | | 3. सेवन हिल्स अस्पताल/विशाखापत्तनम |
| | | | | | | 4. नेहरू शताब्दी अस्पताल/एम.सी. आई. तेचेर |
| पूर्वी तटीय रेलवे | वाल्टेयर | 1 | मंडल अस्पताल/विशाखापत्तनम | 154 | 14 | 1. कालिंग अस्पताल/भुवनेश्वर |
| | | | | | | 2. यशोदा अस्पताल/सिकंदराबाद |
| | | | | | | 3. सेवन हिल्स अस्पताल/विशाखापत्तनम |
| | | | | | | 4. अपोलो अस्पताल/विशाखापत्तनम |
| | | | | | | 5. एन.एम.डी.सी. अस्पताल, किरनदूल |
| | | | | | | 6. एन.एम.डी.सी. - अपोलो अस्पताल, बछेली |
| पूर्व तटीय रेलवे | संबलपुर | 1 | मंडल अस्पताल, संबलपुर | 35 | 4 | 1. कालिंग अस्पताल/भुवनेश्वर |
| | | | | | | 2. यशोदा अस्पताल/सिकंदराबाद |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 3. सेवन हिल्स अस्पताल/विशाखापत्तनम |
| | | | | | | 4. क्रिश्चियन अस्पताल/बिसाम कटक |
| उत्तर रेलवे | दिल्ली | 2 | उत्तर रेलवे सेंट्रल अस्पताल/ नई दिल्ली | 392 | 23 | 1. आर जी. कैंसर अस्पताल |
| | | | मंडल अस्पताल/दिल्ली | 50 | | 2. आनंद अस्पताल |
| | | | | | | 3. धर्मशिला कैंसर इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली |
| | | | | | | 4. अपोलो, अस्पताल, दिल्ली |
| | | | | | | 5. बत्रा अस्पताल/दिल्ली |
| | | | | | | 6. लायन्स/फोर्टीस हैमोडायलिसस अस्पताल दिल्ली |
| | | | | | | 7. मैक्स अस्पताल, साकेत/दिल्ली |
| | | | | | | 8. फोर्टीस अस्पताल/नौएडा |
| | | | | | | 9. एस्कॉर्ट्स अस्पताल/नई दिल्ली |
| | | | | | | 10. कैलाश अस्पताल, नौएडा |
| | | | | | | 11. मेट्रो अस्पताल/नई दिल्ली |
| | | | | | | 12. दिल्ली हार्ट एवं लंग इंस्टीट्यूट/ नई दिल्ली |
| | | | | | | 13. नार्थ प्वाइंट अस्पताल/नई दिल्ली |
| | | | | | | 14. गणेश अस्पताल/गाजियाबाद |
| | | | | | | 15. पुष्पांजिल अस्पताल/गुड़गांव |
| उत्तर रेलवे | अम्बाला | 4 | मंडल अस्पताल/अंबाला | 60 | 4 | 1. अनेजा अस्पताल/अंबाला |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | उपमंडल अस्पताल/सहारनपुर | 15 | | 2. मोगाश अस्पताल/अंबाला |
| | | | कारखाना अस्पताल/जगाधरी | 55 | | 3. जे.एन. शोरी अस्पताल/कालका |
| | | | उत्पादन कारखाना अस्पताल/ डी.एम.डब्ल्यू./पटियाला | 30 | | 4. बी.बी.सी. हार्ट केयर/जालंधर |
| | | | | | | 5. क्रिश्चियन मिशन अस्पताल/जगाधरी |
| | | | | | | 6. गाबा अस्पताल, यमुना गनर/जगाधरी |
| | | | | | | 7. सदभावना अस्पताल/पटियाला |
| उत्तर रेलवे | लखनऊ | 2 | मंडल अस्पताल/लखनऊ | 275 | 12 | शून्य |
| | | | मंडलेतर अस्पताल/अ.आमसं | 30 | | |
| उत्तर रेलवे | मुरादाबाद | 1 | मंडल अस्पताल/मुरादाबाद | 119 | 13 | 1. साईं अस्पताल/मुरादाबाद |
| उत्तर रेलवे | फिरोजपुर | 3 | मंडल अस्पताल/फिरोजपुर | 85 | 10 | 2. बी.बी.सी. हार्ट केयर/जालंधर |
| | | | उपमंडल अस्पताल/अमृतसर | 50 | | 3. टैगारे अस्पताल/जालंधर |
| | | | लाला लाजपत राय अस्पताल/रेल डिब्बा कारखाना, कपूरथला | 60 | | 4. पूथी अस्पताल/जालंधर |
| | | | | | | 5. सत गुरू प्रताप अपोलो अस्पताल/ लुधियाना |
| | | | | | | 6. सी.एम.सी. अस्पताल, लुधियाना |
| उत्तर मध्य रेलवे | इलाहाबाद | 1 | सेंट्रल अस्पताल/इलाहाबाद | 175 | 0 | 1. दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली |
| | | | | | | 2. अपोलो अस्पताल/नई दिल्ली |
| उत्तर मध्य रेलवे | झांसी | 1 | मंडल अस्पताल/झांसी | 205 | 11 | 1. दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली |
| | | | | | | 2. अपोलो अस्पताल/नई दिल्ली |
| | | | | | | 3. बिड़ला इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर/ ग्वालियर |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| उत्तर मध्य रेलवे | इलाहाबाद | 2 | उपमंडल अस्पताल/कानपुर | 71 | 12 | 1. दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली |
| | | | उपमंडल अस्पताल/टूंडला | 75 | | 2. अपोलो अस्पताल/नई दिल्ली |
| उत्तर मध्य रेलवे | आगरा | 1 | मंडल अस्पताल/आगरा | 6 | | 1. दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली |
| | | | | | | 2. अपोलो अस्पताल/नई दिल्ली |
| | | | | | | 3. जी.जी. हेल्थ केयर/आगरा |
| उत्तर पूर्व रेलवे | गोरखपुर | 1 | ललित नारायण मिश्रा सेंट्रल अस्पताल/गोरखपुर | 366 | 3 | |
| उत्तर पूर्व रेलवे | इज्जतनगर | 1 | मंडल अस्पताल/इज्जतनगर | 136 | 10 | 1. श्री राम मूर्ति सम्पर्क इंस्टीट्यूट ऑफ मेडीकल साइन्सिस/बरेली |
| उत्तर पूर्व रेलवे | लखनऊ | 2 | मंडल अस्पताल/लखनऊ | 82 | 7 | 1. दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली |
| | | | उपमंडल अस्पताल/गोंडा | 70 | | |
| उत्तर पूर्व रेलवे | वाराणसी | 2 | कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट/वाराणसी | 137 | 7 | 1. टाटा मेमोरियल/मुंबई |
| | | | मंडल अस्पताल/वाराणसी | 166 | | |
| | | 1 | डीजल रेलइंजन कारखाना/वाराणसी | 105 | 2 | |
| उत्तर पूर्व रेलवे | मालीगांव | 1 | सेंट्रल अस्पताल, गुवाहाटी | 317 | 6 | 1. गुवाहाटी न्यूरोलॉजिकल रिसर्च सेंटर/गुवाहाटी |
| | | | | | | 2. शंकरदेव नेत्रालय अस्पताल/गुवाहाटी |
| पूर्वोत्तर सीमा रेलवे | कटिहार | 3 | मंडल अस्पताल/कटिहार | 130 | 4 | |
| | | | उपमंडल अस्पताल/न्यू जलपाईगुडी | 100 | 5 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 20 बिस्तर का अस्पताल/तीनदरिया | 20 | 0 | |
| पूर्वोत्तर सीमा रेलवे | अलीपुरद्वार | 1 | मंडल अस्पताल/अलीपुरद्वार | 111 | 5 | |
| पूर्वोत्तर सीमा रेलवे | रंगिया | 2 | मंडल अस्पताल/न्यू बोंगाईगांव | 75 | 6 | |
| | | | उपमंडल अस्पताल/रंगापाडा | 40 | 2 | |
| पूर्वोत्तर सीमा रेलवे | लमडिंग | 2 | मंडल अस्पताल/लमडिंग | 142 | 5 | |
| | | | उपमंडल अस्पताल/बदरपुर | 57 | 6 | |
| पूर्वोत्तर सीमा रेलवे | तिनसुकिया | 2 | मंडल अस्पताल/डिब्रूगढ़ | 90 | 6 | |
| | | | उपमंडल अस्पताल/न्यू तिनसुकिया | 25 | 0 | |
| उत्तर पश्चिम रेलवे | जयपुर | 3 | सेंट्रल अस्पताल/जयपुर | 86 | 4 | 1. टोंगिया हार्ट एंड जनरल अस्पताल, जयपुर |
| | | | उपमंडल अस्पताल/रेवाड़ी | 20 | | 2. संतोखबा दुर्लभजी मेमोरियल अस्पताल/जयपुर |
| | | | उपमंडल अस्पताल/बांदीकुई | 18 | | 3. भगवान महावीर कैंसर एंड रिसर्च अस्पताल/जयपुर |
| उत्तर पश्चिम रेलवे | अजमेर | 3 | मंडल अस्पताल/अजमेर | 230 | 11 | 1. ग्लोबल अस्पताल, माउंट आबू |
| | | | उपमंडल अस्पताल/आबू रोड | 24 | | |
| | | | उपमंडल अस्पताल/राणा प्रताप नगर | 9 | | 1. दिल्ली हार्ट एवं लंग अस्पताल, नई दिल्ली |
| उत्तर पश्चिम रेलवे | बीकानेर | 1 | मंडल अस्पताल/बीकानेर | 100 | 8 | 1. दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली |
| उत्तर पश्चिम रेलवे | जोधपुर | 1 | मंडल अस्पताल/जोधपुर | 117 | 8 | 1. डा. राय मेमोरियल अस्पताल |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| दक्षिण रेलवे | चेन्नै | 2 | सेंट्रल अस्पताल/पेराम्बूर/चेन्नै | 505 | | 2. वॉलियेंटरी हेल्थ सर्विसेज |
| | | | सवारी डिब्बा कारखाना अस्पताल/ पेराम्बूर | 101 | | 3. शंकर नेत्रालय |
| | | | | | | 4. गेरूट अस्पताल |
| | | | | | | 5. श्री रामचंद्र मेडीकल कालेज अस्पताल |
| | | | | | | 6. चेन्नै कालीप्पा अस्पताल |
| | | | | | | 7. कैंसर इंस्टीट्यूट, अडयार |
| दक्षिण रेलवे | चेन्नै | 1 | मंडल अस्पताल/अरक्कोणम | 50 | 11 | 1. जी.वी.एन. कैंसर इंस्टीट्यूट |
| दक्षिण रेलवे | तिरुचिरापल्लि | 2 | मंडल अस्पताल/तिरूचिरापल्लि | 197 | 8 | |
| | | | उपमंडल अस्पताल/विषुपरुम | 26 | | |
| दक्षिण रेलवे | मदुरै | 1 | मंडल अस्पताल/मदुरै | 115 | 10 | |
| दक्षिण रेलवे | पालघाट | 4 | मंडल अस्पताल/पालघाट | 106 | 7 | |
| | | | उपमंडल अस्पताल/शोरण्णूर | 24 | | |
| | | | उपमंडल अस्पताल/इरोड | 30 | | |
| | | | उपमंडल अस्पताल/पोदानूर | 28 | | |
| दक्षिण रेलवे | त्रिवेंद्रम | | मंडल अस्पताल/त्रिवेंद्रम | 50 | 6 | 1. लिसी अस्पताल/एर्णाकुलम |
| | | | | | | 2. विजयकुमारमेनन अस्पताल/ एर्णाकुलम |
| | | | | | | 3. कोचीन पोर्ट ट्रस्ट अस्पताल/कोचीन |
| | | | | | | 4. बिशप बेंजीगर अस्पताल/कोल्लम |
| | | | | | | 5. त्रिचूर हार्ट अस्पताल/त्रिचूर |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 6. पी.आर.एस. अस्पताल/त्रिवेंद्रम |
| | | | | | | 7. लक्ष्मी अस्पताल/एर्णाकुलम |
| दक्षिण मध्य रेलवे | लालगुडा/ सिकंदराबाद | 1 | सेंट्रल अस्पताल/लालागुडा/ सिकंदराबाद | 300 | 1 | 1. एन.आई.एम.एस./हैदराबाद |
| | | | | | | 2. अपोलो अस्पताल/हैदराबाद |
| | | | | | | 3. केयर अस्पताल/हैदराबाद |
| | | | | | | 4. इंडो-अमेरिकन कैंसर |
| | | | | | | 5. कमीननी अस्पताल/हैदराबाद |
| | | | | | | 6. एल.वी. प्रसाद अस्पताल |
| | | | | | | 7. इमेज अस्पताल, हैदराबाद |
| | | | | | | 8. यशोदा अस्पताल/हैदराबाद |
| दक्षिण मध्य रेलवे | विजयवाड़ा | 1 | रेल अस्पताल/विजयवाड़ा | 203 | 10 | 1. सिटी कार्डियाक सेंटर/विजयवाड़ा |
| | | 1 | उपमंडल अस्पताल/रायनपाडु | 25 | 1 | 2. अरुण किडनी सेंटर/विजयवाड़ा |
| | | | | | | 3. नागार्जुन अस्पताल/विजयवाड़ा |
| | | | | | | 4. स्वतंत्र अस्पताल/राजामुंद्री |
| दक्षिण मध्य रेलवे | गुंतकल | 1 | रेल अस्पताल/गुंतकल | 131 | 10 | 1. स्वामी वेंकटेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडीकल साइन्सिस/तिरुपति |
| दक्षिण मध्य रेलवे | नांदेड़ | 1 | उपमंडल अस्पताल/पूर्णा | 25 | 4 | 1. जय अस्पताल, काजीपेट |
| दक्षिण मध्य रेलवे | सिकंदराबाद | | | | 9 | 1. सेंट जोसेफ अस्पताल/गुंतूर |
| दक्षिण मध्य रेलवे | गुंतूर | | | | 9 | 2. ललिता सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल |
| दक्षिण पूर्व रेलवे | गार्डन रीच | 1 | सेंट्रल अस्पताल/गार्डन रीच | 303 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| दक्षिण पूर्व रेलवे | खड़गपुर | 1 | मंडल अस्पताल/खड़गपुर | 340 | | 1. शंकर नेत्रालय/चेन्नै |
| दक्षिण पूर्व रेलवे | चक्रधरपुर | 1 | मंडल अस्पताल/चक्रधरपुर | 100 | | 2. इस्पता जनरल अस्पताल/राउरकेला |
| दक्षिण पूर्व रेलवे | आद्रा | 1 | मंडल अस्पताल/आद्रा | 198 | 38 | 3. टेलको अस्पताल/जमशेदपुर |
| दक्षिण पूर्व रेलवे | रांची | 1 | उपमंडल अस्पताल/टाटा | 55 | | 4. कीरीबूरू सेल अस्पताल/चक्रधरपुर |
| | | 1 | उपमंडल अस्पताल/बोंडामुंडा | 65 | | 5. रबीन्द्रनाथ टैगोर मेमोरियल इंटर-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियेक साइन्सिस/कोलकाता |
| | | | | | | 6. एच.ई.सी. अस्पताल/रांची |
| दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे | बिलासपुर | 1 | सेंट्रल अस्पताल/बिलासपुर | 104 | | 1. अपोलो अस्पताल/बिलासपुर |
| दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे | बिलासपुर | 1 | उपमंडल अस्पताल/शहडोल | 10 | 6 | 1. एस.ई.सी.एल. अस्पताल, के.आर. बी.ए. एवं जेवेरा रोड/बिलासपुर |
| | | | | | | 2. क्रिश्चियन अस्पताल, बिलासपुर |
| | | | | | | 3. सी.आई.सी. क्षेत्र में एस.ई.सी.एल. अस्पताल, बिलासपुर |
| | | | | | | 4. मंडल अस्पताल/बिश्रामपुर |
| | | | | | | 5. सेंट्रल अस्पताल/महेन्द्रगढ़ |
| | | | | | | 6. रीजनल अस्पताल/कुर्चा कोयलरी |
| | | | | | | 7. रीजनल अस्पताल/खुरसिया |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 8. इन्डोर अस्पताल, कोरिया |
| | | | | | | 9. रीजनल अस्पताल/जमुना एवं कोटमा |
| दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे | रायपुर | 1 | उपमंडलअस्पताल/रायपुर/भिलाई विन्यास बोर्ड | 30 | 4 | 1. एम.एम.आई. अस्पताल, रायपुर |
| | | | | | | 2. एम.जीएम आई इंस्टीट्यूट, रायपुर |
| | | | | | | 3. सेल अस्पताल, स्केटर 9, भिलाई |
| | | | | | | 4. एस्कॉर्ट्स हार्ट सेंटर/रायपुर |
| दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे | नागपुर | 1 | उपमंडल अस्पताल/नैनपुर | 10 | 8 | 1. अरनेजा हार्ड इंस्टीट्यूट, नागपुर |
| | | | | | | 2. क्रिस्टानंद अस्पताल, ब्रह्मपुरी/नागपुर |
| | | | | | | 3. आर.एस.टी. कैंसर अस्पताल नागपुर |
| | | | | | | 4. एम.जी.एम.आई. इंस्टीट्यूट, रायपुर |
| दक्षिण पश्चिम रेलवे | हुबली | 1 | सेंट्रल अस्पताल/हुबली | 149 | 10 | 1. कर्नाटक कैंसर थेरेपी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट नवनगर हुबली |
| | | | | | | 2. एम.एम. जोशी आई अस्पताल, हुबली |
| दक्षिण पशिचम रेलवे | बेंगलुरु | 1 | मंडल अस्पताल, बेंगलुरु | 50 | 4 | 1. एम.एस. रमैया मेडीकल कालेज अस्पताल, बेंगलुरु |
| | | | | | | 2. विठाला इंस्टीट्यूट ऑफ ऑथ्यामो-लॉजी, बेंगलुरु |
| दक्षिण पश्चिम रेलवे | मैसूर | 1 | मंडल अस्पताल, मैसूर | 101 | 7 | 1. जे.एस.एस. अस्पताल, मैसूर |
| | | | | | | 2. विक्रम अस्पताल, मैसूर |
| | | | | | | 3. भारत कैंसर अस्पताल, मैसूर |
| दक्षिण पश्चिम रेलवे | रेल पहिया कारखाना यलहंका | 1 | उत्पादन कारखाना अस्पताल, यलहंका | 46 | | 1. एम.एस. रमैया मेडीकल कालेज अस्पताल, अस्पताल/बेंगलुरु |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2. भगवान महावीर जैन अस्पताल, बेंगलुरु<br>3. सेंट जॉन मेडीकल कालेज अस्पताल, बेंगलुरु |
| पश्चिम रेलवे | मुंबई | 1 | जगजीवन राम अस्पताल/मुंबई सेंट्रल | 330 | | 1. टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल/ मुंबई<br>2. जसलोक अस्पताल/मुंबई |
| पश्चिम रेलवे | मुंबई | 1 | उपमंडल अस्पताल/वालसाड़ | 42 | 12 | |
| पश्चिम रेलवे | बड़ौदा | 1 | रेल मंडल अस्पताल/प्रतापनगर | 96 | 7 | 1. भाईलाल अमीन जनरल अस्पताल/ बड़ौदा |
| पश्चिम रेलवे | रतलाम | 1 | रेल मंडल अस्पताल/रतलाम | 125 | 9 | 1. चौयथराम अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर/रतलाम<br>2. भाईलाल अमीन जनरल अस्पताल/ बड़ौदा |
| पश्चिम रेलवे | अहमदाबाद | 2 | रेल मंडल अस्पताल/साबरमती | 50 | 12 | 1. अपोलो अस्पताल/गांधीनगर |
| | | | रेल उपमंडल/गांधीधाम | 17 | | 2. इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीसिस एंड रिसर्च सेंटर/अहमदाबाद |
| पश्चिम रेलवे | भावनगर | 1 | रेल मंडल अस्पताल, भावनगर | 107 | 10 | |
| पश्चिम रेलवे | राजकोट | 1 | रेल मंडल अस्पताल/राजकोट | 79 | 5 | 1. नाथलाल पारेख कैंसर इंस्टीट्यूट/ राजकोट<br>2. बी.टी. सावनी किडनी अस्पताल/ राजकोट |
| पश्चिम रेलवे | दाहोद | 1 | मुख्य अस्पताल/दाहोद | 130 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| पश्चिम मध्य रेलवे | जबलपुर | 2 | सेंट्रल अस्पताल, जबलपुर | 125 | 7 | 1. जबलपुर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जबलपुर |
| | | | उपमंडल अस्पताल/न्यू कटनी जं. | 25 | | 2. जामदार अस्पताल, जहलपुर |
| | | | | | | 3. एम.जी.एम. अस्पताल, कटनी |
| पश्चिम मध्य रेलवे | भोपाल | | मंडल अस्पताल, निशातपुरा, भोपाल | 60 | | 1. जवाहर लाल नेहरू कैंसर अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर, भोपाल |
| | | 3 | उपमंडल अस्पताल, इटारसी | 25 | 5 | 2. भोपाल मेमोरियल अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर भोपाल |
| | | | उपमंडल अस्पताल, बीना | 37 | | 3. भेल कस्तूरबा अस्पताल, भोपाल |
| पश्चिम मध्य रेलवे | कोटा | 2 | | 104 | 7 | 1. सुधा अस्पताल, कोटा |
| | | | उपमंडल अस्पताल/गंगापुर सिटी | 50 | | |
| जोड़ | | 121 | | 13562 | 586 | |

*[अनुवाद]*

**बांग्लादेश से प्राकृतिक गैस का आयात**

**5920. श्री अजय चक्रवर्ती:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पश्चिम बंगाल एवं अन्य पूर्वी राज्यों की औद्योगिक इकाइयों में उपयोग करने हेतु बांग्लादेश से प्राकृतिक गैस आयात करने पर सक्रियता से विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल):** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

**यात्री निवास**

**5921. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख:** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार विशेषकर पिछडे एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 'यात्री निवास' की संख्या कितनी है;

(ख) क्या इस वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में और अधिक संख्या में 'यात्री निवास' निर्मित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी):** (क) 8वीं और 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत यात्री निवास के राज्य-वार और स्थान-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) यात्री निवास के निर्माण के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता देने हेतु पर्यटन मंत्रालय की योजना 10वीं योजना से आगे बंद कर दी गई है।

***विवरण***

*8वीं और 9वीं योजनाओं के दौरान यात्री निवास के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण*

| क्र. सं. | राज्य का नाम | परियोजनाओं की संख्या | स्थान |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | अंडमान एवं निकोबार | 1 | (i) करमतांग |
| 2. | आंध्र प्रदेश | 7 | (i) अराकू घाटी (ii) विशाखापत्तनम (iii) तिरूपति (iv) योदागिरीगुट्टा (v) हार्सली हिल्स (vi) तिरूमाला-तिरूपति (vii) नागार्जुन सागर |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | 2 | (i) बामेंग (ii) रूईंग (दिबांग) घाटी |
| 4. | असम | 3 | (i) बारपेटा (ii) भुबन हिल्स सिल्चर (iii) बाटाद्रावा |
| 5. | हिमाचल प्रदेश | 4 | (i) दियोत्रिद (ii) ज्वालामुखी (iii) भारमौर (iv) धर्मशाला |
| 6. | जम्मू-कश्मीर | 3 | (i) वैष्णों देवी (ii) बाबा ऋषि (iii) पटनीटाप |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 7. | कर्नाटक | 10 | (i) धारवार (ii) गुलबर्गा (iii) बीजापुर (iv) मारावांथे (v) उदीपी (vi) हम्पी (vii) हसन (viii) येलामानागुड्डा (ix) श्रवणबेलागोला (x) तालाकाड, मैसूर |
| 8. | केरल | 6 | (i) पीरमेडू (ii) कालीकट (iii) माल्याट्टूर (iv) अल्लेपी (v) कांडोट्टी (vi) कुमीली |
| 9. | मध्य प्रदेश | 1 | (i) होशंगाबाद |
| 10. | महाराष्ट्र | 1 | (i) जोतिबा, कोल्हापुर |
| 11. | मणिपुर | 1 | (i) इम्फाल |
| 12. | उड़ीसा | 4 | (i) पुरी (ii) चांदीपुर (iii) सतपुडा (चिल्का झील) (iv) कोणार्क |
| 13. | पंजाब | 1 | (i) फतेहगढ़ साहिब |
| 14. | तगिलनाडु | 3 | (i) रामेश्वरम (ii) सामयापुरम (iii) तिरूवेननमलाई |
| 15. | उत्तराखण्ड | 2 | (i) गोचर (ii) गुप्तकाशी (रूद्रप्रयाग) |
| 16. | पश्चिम बंगाल | 1 | (i) न्यू जलपाईगुड़ी |

*[अनुवाद]*

**बंगलोर और एर्नाकुलम के बीच रेल सेवा**

**5922. श्री सी.के. चन्द्रप्पन:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे दैनिक यात्रियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बंगलोर से एर्नाकुलम को जोड़ने वाली केवल कुर्सीयान सुविधा वाली दैनिक सुपरफास्ट इन्टरसिटी रेलगाड़ी चलाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) जी नहीं। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

**अल्प लागत वाले पेट्रोल पम्प**

**5923. श्री ब्रिज किशोर त्रिपाठी:**

**डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां विशेषकर इंडियन आयल कारपोरेशन का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में अल्प लागत वाले खुदरा बिक्री केन्द्रों को खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार, कंपनीवार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में उक्त बिक्री केन्द्रों हेतु स्थानों का चयन करने एवं उन्हें खोलने के मानदंड क्या हैं; और

(घ) देश में वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 के दौरान खोले गए एवं खोले जाने वाले उक्त बिक्री केन्द्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल):** (क) से (ग) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओ.एम.सीज) अर्थात इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल.) और भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बी.पी.सी.एल.) किसानों, कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों और ग्रामीण क्षेत्रों में पेट्रोल और डीजली के अन्य उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संपूर्ण देश में ग्रामीण खुदरा बिक्री केन्द्रों (जैसे किसान सेवा केन्द्र, हमारा पम्प आदि) स्थापित कर रही हैं। ऐसा, ग्रामीण कृषि संबंधी मांग को पूरा करने के लिए दूर-दराज क्षेत्रों में गुणवत्ता और सही मूल्य सुनिश्चित करने के लिए उत्पाद, मुख्य रूप से एच.एस.डी. पहुंचाने के इरादे से किया गया है। ये खुदरा बिक्री केन्द्र ऐसे पहचान किए गए ग्रामीण स्थानो पर स्थापित किए जाते हैं जहां पर्याप्त सम्भावनाएं हों और सर्वेक्षण और व्यवहार्यता अध्ययनों के आधार पर आर्थिक रूप से लाभप्रद पाए गए हों।

(घ) वर्ष 2006-07 के दौरान, ओ.एम.सीज ने 1319 ऐसे खुदरा बिक्री केन्द्र चलाए हैं और वर्ष 2007-08 के दौरान 2038 ऐसे बिक्री केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है।

**विमानपत्तनों पर वाई-फाई सेवा**

**5924. श्री ई.जी. सुगावनम:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के सभी घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर वाई-फाई सुविधा युक्त लैप टॉप रखने वाले यात्रियों को नि:शुल्क वाई-फाई सेवा उपलब्ध कराने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त सेवा कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल):** (क) इस समय, सरकार देश में हवाई अड्डों पर नि:शुल्क लागत पर वाई-फाई सेवाएं उपलब्ध करवाने की सरकार की कोई योजना नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

**पारादीप, गोपालपुर एवं विशाखापत्तनम पत्तनों का आधुनिकीकरण**

**5925. श्री भर्तृहरि महताब:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्व तटीय रेलवे ने पारादीप, गोपालपुर एवं विशाखापत्तनम पत्तनों का आधुनिकीकरण करने हेतु सहायता देने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो इन पत्तनों में पूर्व तटीय रेलवे द्वारा किस प्रकार आधुनिकीकरण कार्य किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) उक्त कार्य को कब तक आरंभ करने एवं पूरा करने की संभावना है; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ पूर्व तटीय रेलवे द्वारा कितनी निधियों का प्रावधान किया गया है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

**विमान वाहक पोत गोर्शकोव की सुपुर्दगी में विलंब**

**5926. श्री रवि प्रकाश वर्मा:**
**श्रीमती मनोरमा माधवराज:**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विमान वाहक पोत गोर्शकोव की सुपुर्दगी में काफी विलंब हुआ है जैसाकि दिनांक 2 मई, 2007 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो विमान वाहक पोत की सुपुर्दगी की वास्तविक समय-सीमा क्या थी;

(ग) क्या गोर्शकोव की री-कंडीशनिंग एवं सुपुर्दगी में इस विलंब से लागत में 113 मिलियन डालर की वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी):** (क) से (घ) जी, नहीं। विमान वाहक को सन् 2008 के अंत तक सुपुर्द किए जाने का कार्यक्रम है। रूसी पक्ष ने उच्चतम स्तर पर आश्वस्त किया है कि पोत की सुपुर्दगी संविदा के अनुसार की जाएगी। विमान वाहक का इस समय रूस में आवश्यक मरम्मत/ रूपांतरण किया जा रहा है।

रक्षा सचिव की अध्यक्षता में शक्तिप्राप्त शीर्ष समिति और युद्धपोत उत्पादन और अर्जन नियंत्रक की अध्यक्षता में

संचालन समिति द्वारा परियोजना की गहन रूप से मॉनिटरी की जा रही है।

**सीमा सड़क संगठन द्वारा सुरंगों का निर्माण**

**5927. श्री एस.के. खारवेनथन:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमा सड़क संगठन ने लद्दाख को पूरे साल सुगम्य बनाने हेतु सुरंग बनाने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) इन सुरंगों का निर्माण कब तक किए जाने की संभावना है और इसके क्या लाभ होंगे?

**रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी):** (क) और (ख) 1355.82 करोड़ रु. की लागत पर दारचा-पदम-नीमु के बरास्ते लेह तक पहुंच सड़कों तथा वैकल्पिक सड़क सहित रोहतांग में 8.82 कि.मी. लम्बी सुरंग के निर्माण संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई है।

(ग) यह कार्य वर्ष 2013-14 तक पूरा किए जाने का प्रस्ताव है। इस कार्य के पूरा होने पर मनाली तथा लेह के बीच की दूरी 47 कि.मी. तक कम हो जाएगी तथा यह सड़क उसका इस्तेमाल करने वालों के लिए वर्ष में अधिकतर समय तक उपलब्ध रहेगी। इसके परिणामस्वरूप सभी उपभोक्ताओं के लिए वाहन चलाने की लागत में बचत होगी तथा सेना के लिए हवाई रखरखाव हेतु लागत में बचत होगी। इससे हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू-कश्मीर के भागों में पर्यटन, कृषि तथा बागबानी से संबद्ध उद्योगों में वृद्धि के माध्यम से इस क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

**बोगीबील पुल परियोजना**

**5928. डा. अरुण कुमार शर्मा:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे द्वारा केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय परियोजना के रूप में निष्पादित करने हेतु पूर्वोत्तर क्षेत्र में बोगीबील पुल परियोजना, रांगिया-मुरकोंगसेलक का आमान परिवर्तन, अजरा-बइरीनिहट नयी लाइन एवं दिमापुर-कोहिमा नई लाइन नामक चार रेल परियोजनाओं के संबंध में संसाधन जुटाने को अंतिम रूप देना अभी बाकी है;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इन योजनाओं के निष्पादन में अत्यधिक विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं को रेलवे द्वारा कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) से (घ) जी हां। बहरहाल, परियोजनाओं के वित्तपोषण से संबंधित मामले पर विचार किया गया है। इस स्तर पर निर्णय लेने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित करना व्यवहारिक नहीं है। बहरहाल, बजटीय सहायता के माध्यम से संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कार्य प्रगति पर है। इन परियोजनाओं की प्रगति निम्नानुसार है:

| परियोजना का नाम | स्थिति |
|---|---|
| बोगीबील पुल | उत्तर और दक्षिणी किनारों पर भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू हो चुका है। मिट्टी संबंधी कार्य, पुल संबंधी कार्य, गिट्टी जुटाना और रेलपथ को जोड़ने का कार्य शुरू हो चुका है। |
| रंगिया-मुरकोंगसेलक आमान परिवर्तन | रंगिया-रंगपाड़ा नार्थ सैक्शन के लिए विस्तृत अनुमान की आंशिक स्वीकृति दे दी गयी है। मिट्टी निकालना और नक्शों आदि को तैयार करने से संबंधित कार्य शुरू हो चुका है। रंगिया-रंगपाड़ा नार्थ सैक्शन पर पुलों के निर्माण करने के लिए निविदाएं मांगी जा रही हैं। |
| अजरा-बिरनीहाट नई लाइन | प्रारंभिक कार्य शुरू हो चुका है। |
| दीमापुर-कोहिमा नई लाइन | प्रारंभिक कार्य शुरू हो चुका है। |

**खजुराहो के मंदिर**

**5929. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:**
**श्री दलपत सिंह परस्ते:**
**श्री मिलिन्द देवरा:**

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खजुराहो के प्राचीन मंदिरों के ऊपर कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों से इन विश्व विरासत स्मारकों को क्षति पहुंच रही है जैसाकि दिनांक 15 अप्रैल, 2007 के 'द टाइम्स ऑफ इंड़िया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इन विश्व विरासत स्मारकों को विमानों के कंपन से बचाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी):** (क) और (ख) ऐसी आशंकाएं थीं कि कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों से उत्पन्न कम्पन से खजुराहो के ऐतिहासिक मंदिरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यह मामला एअरलाइन्स तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एअरपोर्ट अथारिटी ऑफ इण्डिया) के साथ भी उठाया गया था।

(ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एअरपोर्ट अथारिटी ऑफ इण्डिया) ने विमानों के उतरने और उड़ान भरने की प्रक्रिया में परिवर्तन करने तथा वायु यातायात नियंत्रण (ए.टी.सी.) प्रक्रिया में विभिन्न संशोधन करने जैसे उपचारात्मक उपाय किए हैं जिससे इन स्मारकों के ऊपर उड़ने वाले विमान की संभावना कम होगी।

*[हिन्दी]*

**जैव ईंधन उत्पादन**

**5930. श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:**
**श्रीमती रूपाताई डी. पाटील:**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ विदेशी कंपनियों ने देश में जत्रोपा से जैव-ईंधन का उत्पादन करने के प्रति रुचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस जैव ईंधन का निर्यात करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल):** (क) जी नहीं। ग्रामीण विकास मंत्रालय, जो बायोडीजल के उत्पादन के लिए नोडल मंत्रालय है, ने रिपोर्ट दी है कि देश में, जटरोफा बीज से निर्मित बायो-ईंधन के निर्माण में किसी विदेशी कंपनी ने अभिरुचि नहीं दिखाई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, जो बायो-ईंधन के लिए नोडल मंत्रालय है, का बायो ईंधन निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

**बंगाल की खाड़ी में प्राकृतिक गैस की खोज**

**5931. श्री अजय चक्रवर्ती:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बंगाल की खाड़ी में विशेषकर पश्चिम बंगाल के अपतटीय क्षेत्र में प्राकृतिक गैस की खोज करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल):** (क) से (ग) जी हां। भारत सरकार ने नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एन.ई.एल.पी.) पूर्व और एन.ई.एल.पी. व्यवस्था के अधीन कृष्णा गोदावरी, बेसिन, कावेरी बेसिन, महानदी बेसिन, प्राणहिता गोदावरी बेसिन, बंगाल अपतट और बंगाल की खाड़ी में अण्डमान बेसिन में 64 ब्लाक प्रदान किए हैं।

भारत सरकार ने बंगाल की खाड़ी में, बंगाल अपतट क्षेत्र में, एन.ई.एल.पी. के दूसरे दौर के अधीन डब्ल्यू.बी.-

ओ.एस.एन.-2000/1 नामक अन्वेषण ब्लाक मैसर्स ओ.एन.जी.सी. को ठेके पर दिया है, जहां अभी तक एक अन्वेषण कुआं खोदा गया है। ब्लाक में तेल और गैस की कोई खोज नहीं हुई है।

ओ.एन.जी.सी. ने इस ब्लाक में खुदाई पूरी करने के लिए समय बढ़ाने का पुनः अनुरोध किया है, जो सरकार के विचाराधीन है।

---

**मध्याह्न 12.00 बजे**

## सभा पटल पर रखे गए पत्र

*[अनुवाद]*

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** मैं श्री लालू प्रसाद की ओर से भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2007-2008 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6585/07]

**रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी):** मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं -

(1) (एक) हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टिट्यूट, दार्जिलिंग के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टिट्यूट, दार्जिलिंग के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों का सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6586/07]

(3) (एक) जवाहर इंस्टिट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स, पहलगाम के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जवाहर इंस्टिट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स, पहलगाम के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(4) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6587/07]

**अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले):** मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं -

(1) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 13 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नई दिल्ली का वर्ष 1998-1999 का वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1998-1999 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई ज्ञापन।

(तीन) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1998-1999 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6588/07]

(ख) (एक) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नई दिल्ली का वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई ज्ञापन।

(तीन) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[श्री ए.आर. अंतुले]

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 6589/07]

(3) भारत के मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति संबंधी प्रधानमंत्री की उच्चस्तरीय समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति (केवल हिन्दी संस्करण)।*

(4) प्रतिवेदन के हिन्दी संस्करण को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6590/07]

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी):** मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) (एक) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज, सारनाथ के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज, सारनाथ के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज, सारनाथ के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6591/07]

(3) (एक) नार्थ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर, इलाहाबाद के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नार्थ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर, इलाहाबाद के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6592/07]

(5) (एक) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6593/07]

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल):** मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 कीधारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) एयरलाइन एलाइड सर्विसेज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) एयरलाइन एलाइड सर्विसेज लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल

*प्रतिवेदन का अंग्रेजी संस्करण 30-11-2006 को सभा पटल पर रखा गया था।

पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6594/07]

*[हिन्दी]*

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नारनभाई रठवा):** अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2007-2008 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6595/07]

(दो) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2007-2008 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6596/07]

(तीन) राइट्स लिमिटेड और रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2007-2008 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6597/07]

(चार) कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड और रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2007-2008 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6598/07]

(2) 31 मार्च, 2005 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रेलवे में भर्ती और पदोन्नति वर्गों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर उनको नियुक्त किए जाने में हुई प्रगति के बारे में प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6599/07]

(3) रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 30 की उपधारा (3) के अंतर्गत रेल दावा अधिकरण (प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2007 जो 11 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 283(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6600/07]

(4) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अंतर्गत भारतीय रेल (खुली लाइनें) सामान्य (संशोधन) नियम, 2007 जो 26 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 311(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6601/07]

*[अनुवाद]*

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक):** श्री पृथ्वीराज चव्हाण की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2007-2008 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6602/07]

(दो) इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2007-2008 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6603/07]

(तीन) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2007-2008 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6604/07]

(चार) इंडियन रेअर अर्थ लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2007-2008 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6605/07]

[श्री विजय हान्डिक]

(पांच) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2007-2008 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6606/07]

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी):** मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) राजस्थान काउंसिल ऑफ प्राइमरी एजुकेशन (सर्वशिक्षा अभियान और जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम), जयपुर के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजस्थान काउंसिल ऑफ प्राइमरी एजुकेशन (सर्वशिक्षा अभियान और जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम), जयपुर के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6607/07]

(3) (एक) राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 6608/07]

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम):** मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) मार्च, 2006 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार (सिविल) (2007 का संख्यांक 16) त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (विद्युत मंत्रालय) का निष्पादन लेखापरीक्षा।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6609/07]

(दो) मार्च, 2006 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार (2007 का संख्यांक 13) चुनिंदा केन्द्रीय मंत्रालयों में आंतरिक नियंत्रण का निष्पादन लेखापरीक्षा।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6610/07]

(तीन) मार्च, 2006 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार (सिविल) (2007 का संख्यांक 12) - पासपोर्ट, वीजा और कांसुलर सेवाएं (विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय) का निष्पादन लेखापरीक्षा।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6611/07]

(चार) मार्च, 2006 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार (सिविल) (2007 का संख्यांक 15) - औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 और संविदा श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (श्रम और रोजगार मंत्रालय) का निष्पादन लेखापरीक्षा।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6612/07]

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन):** मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फार द विजुअली हैंडिकैप्ड, देहरादून के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रदिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फार द विजुअली हैंडिकैप्ड, देहरादून के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 6613/07]

**भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह):** मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग के बीच वर्ष 2006-2007 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6614/07]

(दो) सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग के बीच वर्ष 2007-2008 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6615/07]

(तीन) एच.एम.टी. लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2007-2008 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6616/07]

(चार) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2007-2008 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6617/07]

(पांच) भारत ऑप्थैल्मिक ग्लास लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2007-2008 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6618/07]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारत ऑप्थैल्मिक ग्लास लिमिटेड, दुर्गापुर के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत ऑप्थैल्मिक ग्लास लिमिटेड, दुर्गापुर के वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6619/07]

---

**अपराह्न 12.01 बजे**

## राज्य सभा से संदेश

*[अनुवाद]*

**महासचिव:** मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त सन्देश की सूचना सभा को देनी है:-

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे लोकसभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 16 मई, 2007 को हुई अपनी बैठक में लोकसभा द्वारा 7 मई, 2007 को हुई अपनी बैठक में पारित किए गये विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2007 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

---

**अपराह्न 12.02 बजे**

## अन्तरसंसदीय संघ (आई.पी.यू.) की 115वीं सभा में भारतीय संसदीय भागीदारी

### प्रतिवेदन

*[अनुवाद]*

**महासचिव:** महोदय, मैं अन्तरसंसदीय संघ की जेनेवा (स्विट्जरलैंड) में 16 से 18 अक्तूबर, 2006 को हुई 115वीं सभा में भारतीय संसदीय भागीदारी संबंधी प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6620/07]

---

**अध्यक्ष महोदय:** माननीय सदस्यगण, मुझे विश्वास है कि आपने इस खोज पर गौर किया होगा। अब, सम्मेलन के प्रतिवेदन सभा पटल पर रख दिए गए हैं। मैं आशा करता हूं कि कोई इसे पढ देगा।

**अपराह्न 12.02½ बजे**

## सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

### बारहवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

*[अनुवाद]*

**श्री हन्नान मोल्लाह** (उलूबेरिया): महोदय, मैं सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों संबंधी समिति (2006-2007) का बारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) और उससे संबंधित कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

---

**अपराह्न 12.03 बजे**

## रेल संबंधी स्थायी समिति

### विवरण

*[अनुवाद]*

**श्री बसुदेव आचार्य** (बांकुरा): महोदय, मैं रेल संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित की गई कार्यवाही प्रतिवेदनों के अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में अध्याय एक और अंतिम उत्तरों में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा आगे की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) रेल भर्ती नीति संबंधी तीसरा प्रतिवेदन।

(2) 'भारतीय रेल खान-पान और पर्यटन निगम' संबंधी बाइसवां प्रतिवेदन।

(3) माल डिब्बों की खरीद संबंधी पच्चीसवां प्रतिवेदन।

---

**अपराह्न 12.04 बजे**

## रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति

### 18वां और 19वां प्रतिवेदन

*[अनुवाद]*

**श्री अनंत गंगाराम गीते** (रत्नगिरि): महोदय, मैं रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) 'पेट्रोरसायनों की मांग और उपलब्धता' संबंधी अठारहवां प्रतिवेदन; और

(2) 'उर्वरकों का उत्पादन, खरीद और संचलन' संबंधी उन्नीसवां प्रतिवेदन।

---

**अपराह्न 12.05 बजे**

## मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

**(एक) रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 8वें, 10वें और 11वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति***

[अनुवाद]

**रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी):** महोदय, मैं लोक सभा बुलेटिन - भाग-2, दिनांक 1 सितंबर, 2004 के तहत माननीय

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6621/07।

लोक सभा अध्यक्ष के निदेश 73-क के अनुसारण में मैं रक्षा संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) की 8वीं, 10वीं और 11वीं रिपोर्टों में समाविष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर यह वक्तव्य दे रहा हूं।

रक्षा संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) की 8वीं रिपोर्ट 'रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2005-2006 की अनुदान मांगों पर इस समिति की दूसरी रिपोर्ट (14वीं लोक सभा) में समाविष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई' से संबंधित है। यह रिपोर्ट 20 मार्च, 2006 को लोक सभा को प्रस्तुत की गई थी और उसी दिन राज्य सभा के पटल पर रख दी गई थी। समिति की 8वीं रिपोर्ट में समाविष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई का विवरण रक्षा संबंधी स्थायी समिति को 17 अगस्त, 2006 को भेजा गया था।

रक्षा संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) की 10वीं रिपोर्ट का संबंध "सशस्त्र सेना न्याधिकरण विधेयक" से है। विधेयक का मसौदा राज्य सभा में मूलतः 20 दिसंबर, 2005 को पेश किया गया था और 23 दिसंबर, 2005 को माननीय अध्यक्ष द्वारा इसे रक्षा संबंधी स्थायी समिति को भेज दिया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट लोक सभा में 23 मई, 2006 को प्रस्तुत कर दी थी और उसने अपनी रिपोर्ट उसी दिन राज्य सभा के पटल पर रख दी थी।

चूंकि 10वीं रिपोर्ट एक विधेयक से संबंधित है, इसलिए कोई औपचारिक की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट रक्षा संबंधी स्थायी समिति को भेजना अपेक्षित नहीं है क्योंकि रक्षा संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशों के आधार पर कोई संशोधन नोटिस लाना इस मामले में की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट होगी। रक्षा संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशों पर सेना मुख्यालय से परामर्श करके कार्रवाई की गई है और मंत्रिमंडल के विचारार्थ प्रस्ताव का प्रारूप परिचालित किया गया था। विधि तथा न्याय मंत्रालय सहित अन्यों से टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं। विधि तथा न्याय मंत्रालय द्वारा उठाए गए मुद्दों को भारत के विद्वान महान्यायवादी को उनके विशेषज्ञतापूर्ण विचार जानने के लिए उनके पास भेज दिया गया है। विद्वान महान्यायवादी के परामर्श और अन्यों से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर संशोधित मंत्रिमंडल के विचारार्थ प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया जाएगा और तदनुसार संशोधन नोटिस लाया जाएगा।

रक्षा संबंधी स्थायी समिति की 11वीं रिपोर्ट रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2006-07 के लिए अनुदान मांगों से संबंधित है। यह रिपोर्ट लोक सभा में 23 मई, 2006 को पेश की गई थी तथा उसी दिन राज्य सभा में भी सदन के पटल पर रखी गई थी। रक्षा संबंधी स्थायी समिति की 11वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों पर की गई कार्रवाई संबंधी विवरण समयावधि बढ़वाए जाने के पश्चात 14 दिसंबर, 2006 को समिति को भेजा गया था और की गई कार्रवाई संबंधी अद्यतन विवरण पनः 15 फरवरी, 2007 को भेज दिए गए थे।

समिति द्वारा अपनी 8वीं और 11वीं रिपोर्ट में की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की मौजूदा स्थिति का उल्लेख सदन के पटल पर रखे गए मेरे वक्तव्य के अनुबंध I तथा II में किया गया है। मैं अनुबंधों में दिए गए विवरण पढ़कर सदन का अमूल्य समय नहीं लेना चाहूंगा मेरा अनुरोध है कि उसे पढ़ा गया मान लिया जाए।

**अपराह्न 12.05¼ बजे**

**(दो) खान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2006-07) के संबंध में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 16वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति***

*[हिन्दी]*

**खान मंत्री (श्री शीश राम ओला):** अध्यक्ष महोदय, मैं, लोक सभा के माननीय अध्यक्ष के निदेशानुसार, कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति की 16वीं रिपोर्ट में शामिल, खान मंत्रालय से संबंधित सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में यह वक्तव्य दे रहा हूं।

कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति की 16वीं रिपोर्ट, लोक सभा में 23-05-2006 को प्रस्तुत की गई है जो खान मंत्रालय की वर्ष 2006-07 की अनुदान मांगों के लिए थी। इस पर की गई कार्रवाई का विवरण दिनांक 21-11-06 और 12-12-06 को समिति कार्यालय को भेज दिया गया है। समिति की 16वीं रिपोर्ट में 13 सिफारिशें थीं जिन पर सरकार की ओर से कार्रवाई करना अपेक्षित था।

इनके कार्यान्वयन की स्थिति मेरे वक्तव्य के अनुबंध-I में बतायी गई है, जिसे सदन के पटल पर रख दिया गया है। मैं इस अनुबंध को पढ़ने में सदन का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहूंगा और यह अनुरोध करता हूं कि इन्हें पढ़ा गया मान लिया जाए।

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6622/07।

**अपराह्न 12.05½ बजे**

**(तीन) पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (पोत परिवहन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2005-06 और 2006-07) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 94वें और 105वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति***

*[अनुवाद]*

**पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा):** मैं अपनी सहयोगी श्री टी.आर. बालू की ओर से विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 389 (ग्यारहवां संस्करण) और लोक सभा के दिनांक 1 सितम्बर, 2004 के बुलेटिन भाग-2 के अंतर्गत जारी निदेश 73क के अनुसरण में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 94वें और 105वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति से संबंधित वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

दिनाकं 22 फरवरी, 2006 और 10 मई, 2006 को 94वें और 105वें प्रतिवेदन पर क्रमशः विचार करने के लिए परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति की बैठक हुई। समिति ने विभाग के अधिकारियों के मौखिक साक्ष्य भी लिए। राज्यसभा में 27-02-06 को 94वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था और इसे 27-02-06 को लोक सभा के सभा पटल पर रखा गया था। राज्य सभा में 22-5-06 को 105वें प्रतिवेदन को प्रस्तुत किया गया था और इसे 22-05-06 को लोक सभा के सभा पटल पर रखा गया था।

मैं 94वें और 105वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट उन सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति का वर्णन करने वाले वक्तव्य के (भाग-I और भाग-II) को भी सभा पटल पर रख रहा हूं जिसमें कार्रवाई पूरी होनी है।

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6623/07।

**अपराह्न 12.05¼ बजे**

**(चार) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2006-07) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 21वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति***

*[अनुवाद]*

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय):** महोदय, मैं दिनांक 01 सितम्बर, 2004 के लोकसभा बुलेटिन - भाग II के तहत माननीय अध्यक्ष, लोकसभा के निदेश 73क के अनुसरण में कृषि संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोकसभा) की 21वीं रिपोर्ट में वर्णित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर यह वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

कृषि संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोकसभा) की 21वीं रिपोर्ट दिनांक 19-5-2006 को लोकसभा में प्रस्तुत की गई थी। यह रिपोर्ट वर्ष 2006-07 के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की अनुदान-मांगों की जांच से संबंधित है।

समिति की रिपोर्ट में निहित सिफारिशों/टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणी दिनांक 19-12-2006 को कृषि संबंधी स्थायी समिति को भेजी गई है। की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणी को अद्यतन किया गया है और संशोधित की गई कार्रवाई टिप्पणी अनुलग्नक में दी गई है।

उक्त रिपोर्ट में समिति द्वारा की गई 8 सिफारिशें हैं जिन पर सरकार द्वारा कार्रवाई की जानी अपेक्षित है। ये सिफारिशें मुख्यतः खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के संवर्धन से जुड़े विभिन्न मुद्दों जैसे कि आवश्यक बुनियादी ढांचा विकास संबंधी प्रावधान, मंत्रालय को आबंटित बजट और व्यय तथा बुनियादी ढांचा विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन, गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज तथा सामान्य विज्ञापन आदि संबंधी स्कीमों से संबंधित हैं।

समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति तथा समिति को दी गई सूचना मेरे वक्तव्य के अनुलग्नक में दर्शाई गई है और उसे सभा-पटल पर रख दिया गया है। मैं अनुलग्नक में दी गई सारी सामग्री पढ़कर सदन का मूल्यवान समय नष्ट नहीं करना

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6624/07।

चाहूंगा। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

**अपराह्न 12.06 बजे**

**(पांच) कोयला मंत्रालय स संबंधित कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 15वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति***

*[अनुवाद]*

**कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव):** महोदय, मैं दिनांक 1 सितम्बर, 2004 लोक सभा संसदीय बुलेटिन भाग-II, के तहत जारी लोक सभा के माननीय अध्यक्ष के निदेश 73ए के अनुसरण में कोयला तथा इस्पात से सम्बद्ध संसदीय स्थायी समिति की 15वीं रिपोर्ट में उल्लिखित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में मैं यह वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

कोयला तथा इस्पात से सम्बद्ध स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) की 15वीं रिपोर्ट 23-5-2006 को लोक सभा में प्रस्तुत की गई थी। समिति की रिपोर्ट में उल्लिखित सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में कृत कार्रवाई के विवरण कोयला तथा इस्पात से सम्बद्ध स्थायी समिति को 21-8-2006 को भेज दिए गए थे।

उक्त रिपोर्ट में समिति ने 12 सिफारिशें की हैं जिनमें सरकार की ओर से कार्रवाई की मांग की गई है। ये सिफारिशें मुख्यत: निधियों के उपयोग, परियोजनाओं के कार्यान्वयन, परियोजनाओं के प्रतिपादन, वाशरियों के आधुनिकीकरण, नयी वाशरियों की स्थापना, नार्थ ईस्टर्न कोलफील्डों के विकास, पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति का प्रतिपादन तथा हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी के उपयोग से संबंधित है।

समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की मौजूदा स्थिति मेरे वक्तव्य के अनुबंध में दी गई हैं जिसे सदन के पटल पर रख दिया गया है। मैं इस अनुबंध के सभी विषयों को पढ़कर सदन का बहुमूल्य समय बर्बाद नहीं करना चाहूंगा। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6625/07।

**अपराह्न 12.06¼ बजे**

**(छह) रेल संबंधी स्थायी समिति के 21वें और 24वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति***

*[अनुवाद]*

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** महोदय, मैं दिनांक 01 सितम्बर, 2004 को लोक सभा बुलेटिन भाग-2 के अंतर्गत माननीय लोक सभा अध्यक्ष के निदेश 73क के अनुसरण में रेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति की 21वीं और 24वीं रिपोर्टों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति संबंधी वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

"महानगरों में टर्मिनल सुविधाएं" पर समिति की 21वीं रिपोर्ट राज्य सभा में 25-7-2006 को सभा पटल पर रख दी गई थी जिसमें 11 सिफारिशें थीं और उन पर की गई कार्रवाई संबंधी नोट समिति के समक्ष 27-2-2007 (अंग्रेजी पाठ) और 06-03-2007 (हिन्दी पाठ) को प्रस्तुत कर दिया गया था।

"भूमि प्रबंधन" पर समिति की 24वीं रिपोर्ट राज्य सभा में 28-11-2006 को प्रस्तुत कर दी गई थी जिसमें 11 सिफारिशें थीं और उन पर की गई कार्रवाई संबंधी नोट समिति के समक्ष 18-01-2007 (अंग्रेजी और हिन्दी पाठ) को प्रस्तुत कर दिया गया था।

रिपोर्टों में अंतर्विष्ट सभी सिफारिशों का सार दर्शाने वाला विवरण और उनकी कार्यान्वयन स्थिति संलग्न है। चूंकि विवरण काफी विस्तृत है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसे पढ़ा हुआ माना जाए।

**अपराह्न 12.06½ बजे**

**(सात) वित्त संबंधी स्थायी समिति के 44वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति***

*[अनुवाद]*

**कंपनी कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता):** महोदय, मैं लोक सभा के दिनांक 01-09-2004 के बुलेटिन - भाग-II के अनुसार, माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निदेश 73क के अनुसरण में वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति की 44वीं रिपोर्ट में

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6622/07 और 6626/07।

[श्री प्रेमचंद गुप्ता]

शामिल सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर अपना वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

वित्त संबंधी स्थायी समिति ने प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक, 2006 की जांच की तथा अपनी 44वीं रिपोर्ट लोक सभा में दिनांक 12 दिसम्बर, 2006 को प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में उक्त विधेयक में उल्लिखित प्रस्ताव के संबंध में कई सिफारिशें सम्मिलित हैं। समिति की उक्त विधेयक से संबंधित सिफारिशों पर कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा अन्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके विचार किया गया है। समुचित अनुमोदनों के पश्चात् प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक, 2006 को वापस लेने के साथ ही प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 में संशोधन पुनरीक्षित संशोधित विधेयक के माध्यम से पेश किए जाएंगे।

---

**अपराह्न 12.07 बजे**

## सदस्यों द्वारा निवेदन

## (एक) डेरा सच्चा सौदा के बारे में

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** अब हम महत्वपूर्ण मामले पर आते हैं। अब डा. रतन सिंह अजनाला बोलेंगे।

***डा. रतन सिंह अजनाला** (तरनतारन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे पंजाब से संबंधित इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका आभारी हूं।

महोदय, गत तीन दिनों से पंजाब जल रहा है। सच्चा सौदा पंथ ** के प्रभारी आज पंजाब में विस्फोटक परिस्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने हमारे माननीय दसवें गुरू गोविंद सिंह जी की वेशभूषा को धारण किया तथा अपने अनुयाइयों को गुमराह किया कि वे गुरू गोविंद सिंह की तरह ही उन्हें अमृत दे रहे हैं। इस घटना ने सिख भावनाओं को न केवल पंजाब तथा भारत में बल्कि पूरे विश्व में आहत किया। सिखों में इस घटना को लेकर रोष व्याप्त है। यह सिखों का अपमान है। इसलिए सिख विश्वभर में प्रदर्शन कर रहे हैं।

*महोदय, यह व्यक्ति कौन है ** कृपया मुझे बताने दें,* महोदय, वे सच्चा सौदा पंथ के प्रभारी हैं * तथा उनके खिलाफ केन्द्रीय जांच ब्यूरो का मामला लंबित है...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। इसकी एक प्रक्रिया होती है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आप किसी घटना का संदर्भ ले सकते हैं। आप किसी का नाम ऐसे कैसे ले सकते हैं?

*(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय:** इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाए।

****डा. रतन सिंह अजनाला:** महोदय, उनके खिलाफ केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच चल रही है।...*(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय:** यदि आप लोग एक साथ बोलेंगे तो मैं कैसे सुन पाऊंगा? मैं नहीं जानता कि समस्या क्या है।

*...(व्यवधान)*

****डा. रतन सिंह अजनाला:** महोदय, पंजाब में हाल के चुनाव में, कांग्रेस पार्टी ने उनका समर्थन मांगा। उन्होंने खुलकर कांग्रेस का समर्थन किया। उन्होंने फरमान जारी किया कि लोग कांग्रेस को पंजाब में चुनाव जीतने में मदद करें।

**अध्यक्ष महोदय:** माननीय सदस्यों, क्या मैं आपसे अनुरोध करूं कि आप एक-एक कर के बोलें ताकि मैं सुन सकूं? आप सभी खड़े क्यों हैं? कृपया बैठ जाइए।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** मैं उन्हें सुनना चाहता हूं। यदि आप सभी खड़े हो जाएंगे तो मैं उन्हें कैसे सुनूंगा? *[हिन्दी]* आप बैठ जाइए, उनको बोलने दीजिए।

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

****डा. रतन सिंह अजनाला:** महोदय, कांग्रेस पार्टी इस व्यक्ति को समर्थन दे रही है। यदि पंजाब आज जल रहा है तो कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार है। लोग पंजाब में मर रहे हैं।

---

*मूलत: पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**मूलत: पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

**अध्यक्ष महोदय:** क्या आप चाहते हैं कि सभा चले? यदि आप चाहते हैं कि सभा चले तो कृपया सहयोग करें। मैं नहीं जानता कि ऐसा कैसे किया जा सकता है।

*...(व्यवधान)*

***डा. रतन सिंह अजनाला:** महोदय, केन्द्रीय जांच ब्यूरो के मामले इस व्यक्ति के खिलाफ लंबित हैं।

**अध्यक्ष महोदय:** मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूं। *[हिन्दी]* आप लोग बैठिए।

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** मुझे सुनने दें कि वे क्या कर रहे हैं। मैं उन्हें नहीं सुन सकता हूं।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** अपने मित्रों को बैठ जाने के लिए कहें। अपने माननीय सदस्यों को स्थान ग्रहण करने को कहें। मैं आपको नहीं सुन सकता हूं।

*...(व्यवधान)*

***डा. रतन सिंह अजनाला:** महोदय, पंजाब में बीस साल से खून-खराबा होता रहा। **

**अध्यक्ष महोदय:** नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता है। इसे कार्यवाही वृत्तांत से बाहर निकाल दिया जाएगा। आप अनुमेय सीमा से आगे जा रहे हैं। उसे कार्यवाही वृत्तांत से बाहर किया जाता है।

*(व्यवधान)...***

***डा. रतन सिंह अजनाला:** महोदय, मैं आपसे अपील करता हूं कि आप उनके खिलाफ जांच करने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो के ईमानदार अफसर नियुक्त करें ** उन्हें जेल में डाला जाना चाहिए ताकि पंजाब में फिर परिस्थितियां सामान्य हो सकें। को उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।

---

*मूलत: पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्ष महोदय:** श्री बृज किशोर त्रिपाठी।

*[हिन्दी]*

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा** (दक्षिण दिल्ली): *(व्यवधान)**...

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** मैंने आपका नाम नहीं लिया है।

*...(व्यवधान)*

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी):** वे नहीं जानते हैं...*(व्यवधान)* वे खड़े होते हैं...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** नहीं, मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी है। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। केवल श्री बृज किशोर त्रिपाठी का भाषण कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जायगा।

*(व्यवधान)**...

*[हिन्दी]*

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** (झंझारपुर): बिहारी मजदूरों का चुन-चुनकर कत्ल हो रहा है।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** आप लोग बैठिए। एक-एक करके बोलिए।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** आप बैठ जाइए।

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

*...(व्यवधान)*

**श्री पी.सी. थामस** (मुवत्तुपुजा): एक विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना दी गई है।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** नहीं, आप इस मामले से संबंधित नहीं है। एक प्रक्रिया है।

*...(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्ष महोदय:** आप मुझे अपना नाम तुरंत बुलाने के लिए विवश नहीं कर सकते हैं।

**एडवोकेट सुरेश कुरुप** (कोट्टायम): महोदय, मैं गत तीन या चार दिनों से सूचना देता रहा हूं। *(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** तो क्या हुआ? व्यवधान उपस्थित करके आप अपना मामला कठिन बना रहे हैं।

*...(व्यवधान)*

**श्री पी.सी. थामस:** महोदय, विशेषाधिकार का एक प्रस्ताव है...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** मैं नहीं जानता कि कोई इस सभा के प्रति गंभीर है। कोई भी किसी समय खड़ा हो सकता है तथा कोई वक्तव्य दे सकता है।

*...(व्यवधान)*

**श्री पी.सी. थामस:** महोदय, मैं आपकी अनुमति, आपकी स्वीकृति चाहता हूं...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** आप सभा चले ऐसा चाहते हैं या नहीं? कृपया मुझे बताएं।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** प्रत्येक दिन सभा स्थगित करनी पड़ रही है। मामलों पर विचार नहीं किया जा सकता है। सूची पर विचार नहीं किया जा सकता है। मैं नहीं जानता कि इस सभा में क्या हो रहा है। आप सभा को कार्य करने नहीं देना चाहते हैं।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** आप क्या कर रहे हैं?

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। एक भी शब्द कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। केवल श्री बृज किशोर त्रिपाठी का भाषण कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

*(व्यवधान)**...

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**श्री बृज किशोर त्रिपाठी** (पुरी): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** मैं देखूंगा, यदि कोई असंसदीय बात होगी तो उसे कार्यवाही-वृत्तांत से हटा दिया जाएगा। मैं आपकी बात तक नहीं सुन सकता। मैं यह निर्णय कैसे ले सकता हूं कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं वह प्रासंगिक है अथवा अप्रासंगिक।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** मैं उन्हें उत्तर देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** क्या आप कृपया बैठेंगे?

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** यह निर्णय कौन लेगा? आप अपना हुक्म चला रहे हैं। कृपया बैठ जाइए।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** मैं कैसे जान सकता हूं कि मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं। मैं उनको देख रहा हूं। मैं यह कैसे जान सकता हूं कि वह उत्तर देना चाहते हैं? आप लगातार शोर कर रहे हैं।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** माननीय मंत्री महोदय, अब आप बोल सकते हैं। मुझे पता नहीं था कि आप उत्तर देने को इच्छुक हैं।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** किसी भी चीज की हद होती है।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** तब यदि आप इतना ही इच्छुक हैं तो मंत्री जी की बात सुनिये।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील):** श्रीमन्, सिख धर्म बहुत ही आदरणीय धर्म है। केवल सिख धर्म के लोग ही

उसका आदर करते हैं, ऐसा नहीं है। हम सब लोग, दूसरे धर्म को मानने वाले लोग भी उसका आदर करते हैं। सिर्फ अपने देश में ही नहीं, बल्कि बाहर के देशों में भी इसी प्रकार से इस धर्म का आदर होता है। ऐसे धर्म के खिलाफ या ऐसे धर्म के जो माननीय और आदरणीय गुरू हैं, उनके खिलाफ अगर कोई बात होती है, तो सब लोगों के दिल पर चोट होती है और इस बात को हम समझ सकते हैं। इसी दृष्टि से हमें काम करना जरूरी है। यहां पर जो कुछ हुआ, इसका कोई भी समर्थन नहीं कर सकता, मगर हम यह कहेंगे कि आज की जरूरत यह है कि सिख धर्म के गुरू गोविन्द सिंह जी और हम सब लोगों की जो एकता और आदर की भावना है, उसे कायम रखने के लिए समझदारी से और बहुत ही इफेक्टिव तरीके से इसके खिलाफ जो भी करना है, वह जरूर किया जाना चाहिए। इसके बारे में हमने पंजाब और हरियाणा की गवर्नमेंट से, दूसरी गवर्नमेंट से और उनके चीफ मिनिस्टर्स से भी बात की है। उन्होंने भी कहा है कि हम जो कुछ भी करना आवश्यक है, वह करेंगे। दोनों प्रदेशों के चीफ मिनिस्टर्स ने ऐसा कहा है। कानून के हिसाब से जो कुछ करना जरूरी है, वे करेंगे और जब वे ऐसा करेंगे, तो हमारी तरफ से जो मदद करने की जरूरत होगी, वह हम जरूर करेंगे।

**अध्यक्ष महोदय:** बैठ जाइए।

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** आप क्या कर रहे हैं? कृपया बैठ जाइए। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**...

**मोहम्मद सलीम** (कलकत्ता-उत्तर पूर्व): कृपया भावुक मत होइए।...*(व्यवधान)*...

*[हिन्दी]*

**श्री शिवराज वि. पाटील:** महोदय, चाहे स्टेट पुलिस का मामला हो, सी.बी.आई. का मामला हो, या कहीं का भी मामला हो, कानून अपने तरीके से काम करेगा और जो कानून के हिसाब से जो करना जरूरी है, वह जरूर किया जाएगा।

महोदय, मैं अपील करना चाहता हूं कि ऐसी हालत में किसी व्यक्ति, धर्म या पार्टी का नाम लेकर, अगर हम लोगों में कुछ इस प्रकार का वाद निर्माण हो जाता है, तो उसके दूर करने की हमारी कोशिश रहनी चाहिए और वैसा ही हमने किया है। पंजाब के भाइयों ने किया है, वैसा ही हमारे देश के दूसरे भाइयों ने भी किया है और ऐसा ही होना चाहिए। हमारी तरफ से इसी प्रकार की अपील है और इस संबंध में जो भी योग्य कार्यवाही जरूरी है, वह हम करेंगे। जिन्होंने भी गलती की है, उनके खिलाफ क्या किया जा सकता है, इसे भी देखा जाएगा।

---

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** यदि आपने सहयोग किया होता तो यह काफी पहले किया जा सकता था। श्री बृज कशोर त्रिपाठी।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय:** कृपया आप सुनने दीजिए।

*...(व्यवधान)*

**अपराह्न 12.17 बजे**

## (दो) देश भर की रेल गाड़ियों में तमिल भाषा के अलावा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के गंतव्य बोर्डों को हटाए जाने के बारे में

*[अनुवाद]*

**श्री बृज किशोर त्रिपाठी** (पुरी): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम देश में धर्म, भाषा आदि के मुद्दे पर लोगों के बीच बार-बार लड़ाई-झगड़े होते देख रहे हैं। ये बातें हमारी एकता और अखंडता में हमेशा बाधक रही हैं। कभी-कभी सरकार की कार्रवाई भी देश में ऐसी घटनाओं को बढ़ावा देती है। हाल ही में रेल मंत्रालय में ऐसा ही एक मामला हुआ है।

रेल मंत्रालय ने अपने पत्र सं. 87/एम.सी./202/10 खंड II दिनांक 22-11-2006 के माध्यम से एक को छोड़कर सभी क्षेत्रीय भाषाओं का विलोपन करने के सरकार के निर्णय की जानकारी दी है...*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्ष महोदय:** कृपया यह मत कहिए। भाषण का यह भाग कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

*...(व्यवधान)*

**श्री बृज किशोर त्रिपाठी:** महोदय, इस पत्र में तमिल को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रीय भाषाओं का विलोप किए जाने का उल्लेख है।...*(व्यवधान)*

**श्री ए. कृष्णास्वामी** (श्रीपेरुम्बुदूर): महोदय, वह तमिल भाषा और मंत्री जी के बारे में क्यों बोल रहे है?...*(व्यवधान)* महोदय, इस बात की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** मैंने इस अंश को हटा दिया है।

*...(व्यवधान)*

**श्री बृज किशोर त्रिपाठी:** महोदय, मैं पत्र से मात्र उद्धृत कर रहा हूं।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** श्री कृष्णास्वामी, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

*...(व्यवधान)*

**श्री अर्जुन सेठी** (भद्रक): श्री त्रिपाठी, आप कृपया पत्र को पढ़ें।...*(व्यवधान)*

**श्री बृज किशोर त्रिपाठी:** महोदय, मैं इसे सभा पटल पर रख सकता हूं। मैं पत्र से ही पढ़ रहा हूं।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** श्री त्रिपाठी, क्या आप सरकारी अधिसूचना से पढ़ रहे हैं?

*...(व्यवधान)*

**श्री बृज किशोर त्रिपाठी:** हां, महोदय। मैं इस पत्र को प्रामाणिक ठहराता हूं।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** अन्यथा, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

*...(व्यवधान)*

**श्री बृज किशोर त्रिपाठी:** भारतीय रेलवे के सभी महाप्रबंधकों के लिए रेल मंत्रालय का यह पत्र है। दिया गया विषय है: "रेलगाड़ियों में गन्तव्य बोर्ड - प्रयोग की जाने वाली भाषाएं"। पत्र में लिखा है कि:

"बोर्ड ने निर्णय लिया है कि रेलगाड़ियों के सभी गन्तव्य बोर्डों पर मात्र हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में लिखा जाएगा/पेंट किया जाएगा/मुद्रित किया जाएगा...*(व्यवधान)* हालांकि तमिलनाडु राज्य में स्थित कोच डिपुओं में प्राथमिक अनुरक्षण हेतु आधारित रेलगाड़ियों के लिए गन्तव्य बोर्डों पर अंग्रेजी और हिन्दी के अलावा क्षेत्रीय भाषा अर्थात् तमिल भाषा में भी लिखा जाएगा।"...*(व्यवधान)*

रेल मंत्रालय का यह अनुदेश है।...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री अनंत गंगाराम गीते** (रत्नागिरि): महोदय, यह भारतीय रेल है, राज्यों की रेल नहीं है।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** इस सभा में यह सब क्या हो रहा है। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि कृपया बैठ जाएं।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** श्री अनंत कुमार, कृपया बैठ जाइए।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** आपको बोलने का अवसर दिया गया है। यदि आप इसी तरह बाधा उपस्थित करते रहेंगे तो मैं सभा स्थगित कर दूंगा। यदि कोई बाधा उपस्थित की जाती है तो मैं शीघ्र ही सभा को स्थगित कर दूंगा। आप किसी भी मामले के प्रति गंभीर नहीं हैं।

**श्री बसुदेव आचार्य** (बांकुरा): महोदय, हम लोग गंभीर हैं।

**अध्यक्ष महोदय:** यह गंभीरता नहीं दर्शाता है। श्री अनंत कुमार, क्या आप एक नियुक्त सलाहकार हैं?

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री अनंत गंगाराम गीते:** अध्यक्ष महोदय, यह भारतीय रेल है किसी राज्य की रेल नहीं है।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** आप बैठ जाइए।

*...(व्यवधान)*"

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय:** प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक दूसरे व्यक्ति को सलाह दे रहा है।

**श्री बृज किशोर त्रिपाठी:** हमारे पास एक राजभाषा नीति है। यह अधिनियम इसी संसद में पारित हुआ है। इसका क्रियान्वयन किसी सरकार की दया पर निर्भर नहीं है। त्रिभाषा नीति सरकार की स्थायी नीति है।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** आप इस मुद्दे को उठा चुके हैं। मैंने इस अति महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने हेतु आपको अनुमति दी है।

*...(व्यवधान)*

**श्री बृज किशोर त्रिपाठी:** मुझे अपनी बात पूरी करने दें।...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय:** ठीक है, आपने अपनी बात कह दी।

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** यह काफी विचित्र बात है। क्या सभा इस तरीके से चलेगी?

*...(व्यवधान)*

**श्री बृज किशोर त्रिपाठी:** रेलवे बोर्ड को यह पत्र तत्काल वापस ले लेना चाहिए। इस संबंध में मैंने पहले ही एक माह पूर्व पत्र लिखा है। मैंने एक महीने पहले माननीय मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी को पत्र लिखा है जिसमें मैंने अनुरोध किया है कि इस पत्र को वापस ले लिया जाए ...*(व्यवधान)*। परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की है।

**अध्यक्ष महोदय:** सभा अपहाह्न 1 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अपराह्न 12.21 बजे**

*तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न एक बजे तक के लिए स्थगित हुई।*

---

**अपराह्न 1.00 बजे**

*लोक सभा अपराह्न एक बजे पुनः समवेत हुई।*

**[अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए]*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** श्री राम कृपाल यादव कृपया आप अपने स्थान पर जाएं। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)*...*

**अध्यक्ष महोदय:** कृपया मुझे सुनने तो दें जो आप कह रहे हैं।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय:** अगर आप यहां खड़े रहे, तो हम आपकी बात नहीं सुनेंगे।

**श्री राम कृपाल यादव** (पटना): ठीक है, हम वापस जा रहे हैं।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** मैं आपको रोक नहीं रहा।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री राम कृपाल यादव:** अध्यक्ष महोदय, आसाम में कल फिर तीन आदमियों को मार दिया गया।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** आप सुनिये।

*...(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्ष महोदय:** मिस्टर देवेन्द्र प्रसाद, आप बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव जी मुझे घर जाना है। कृपया यहां आएं।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** श्री राम कृपाल यादव जी मैंने आपको नहीं बुलाया है।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** यदि मैं अनुमति न दूं तो आप इसे उठा सकते है। मुझे 'हा' या 'न' कहने का कोई मौका ही नहीं मिला है। माननीय सदस्य आप सच्चे हैं।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** यह एक अत्यंत संवेदनशील मामला है। इसके महत्व के कारण मैंने श्री बृज किशोर त्रिपाठी को अनुमति दी है। सभा के सभी वर्गों में चिन्ता है। मैं समझता हूं कि मंत्री जी इस पर कुछ कहना चाहते है। पहले उनकी बात सुन लेते हैं।

...*(व्यवधान)*

**श्री अनंत कुमार** (बंगलौर दक्षिण): हमने यह मुद्दा उठाया है...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** आपने अपना मुद्दा उठाया है और आपने विपक्ष को बता दया है कि क्या किया गया है।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** मंत्री जी की बात सुनते हैं।

...*(व्यवधान)*

**अपराह्न 1.02 बजे**

## सदस्यों द्वारा निवेदन - *जारी*

### (दो) देश भर की रेलगाड़ियों में तमिल भाषा के अलावा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के गन्तव्य बोर्डों का हटाए जाने के संबंध में - *जारी*

**संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रियरंजन दासमुंशी):** यह मामला 'शून्य काल' में सभा में श्री बृज किशोर त्रिपाठी द्वारा सामने लाया गया था। हमने माननीय सदस्य की बात सुनी है और सरकार का दृष्टिकोण इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट है। हम भारतीय संविधान द्वारा स्वीकृत सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं। सभी भाषाओं का सम्मान बिना भेदभाव के किया जाता है।...*(व्यवधान)*

**श्री अनंत गंगाराम गीते** (रत्नागिरि): फिर अधिसूचना वापस ले लीजिए...*(व्यवधान)*

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी:** जहां तक माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय विशेष का संबंध है, उस संबंध में मेरा कहना है कि हम समुचित स्तर पर सक्रिय रूप से इस मामले का निपटारा करेंगे। इस संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की आशंका नहीं होनी चाहिए...*(व्यवधान)* मैंने कहा है कि मैं रेल मंत्री नहीं हूं। मैं उचित उपाय करने के लिए रेल मंत्रालय में इसे उचित प्राधिकारी के सामने लाऊंगा। इससे ज्यादा और मैं क्या कह सकता हूं?...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** मुझे कुछ कहने दें। मुझे इसकी अनुमति दें। माननीय सदस्यो, विपक्ष के नेता यहां पर हैं।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** एक मिनट दीजिए। मुझे बोलने तो दें।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय:** मेहरबानी करके आप बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। आप जोर नहीं डाल सकते। मैं सभा को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ऐसा कुछ कहने वाला हूं जिससे सभी को मदद मिलेगी।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** माननीय सदस्य मुझे यह मामला समाप्त करने दें। मैं आपकी बात पर भी आऊंगा।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय:** अभी आपको बोलने का टाइम नहीं दिया है।

*[अनुवाद]*

यह एक अत्यंत विचित्र स्थिति है। हर कोई एक साथ बोलना चाहता है।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** माननीय सदस्यो, विपक्ष के नेता यहां पर हैं; माननीय रेल मंत्री यहां हैं। मैं समझता हूं कि इस मामले पर सभा के सभी वर्गों की भावनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

इस देश में तीन-भाषा सूत्र पहले ही स्थापित है और मुझे विश्वास है कि सरकार इस पर उचित रूप से विचार करेगी ताकि संवैधानिक अधिदेश का पालन हो सके।

*[हिन्दी]*

**रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद):** महोदय, हमने अपनी तरफ से किसी भी राज्य की भाषा की उपेक्षा नहीं की है और न यह आदेश हमारे समय का है। होम डिपार्टमेंट की पहले से ही यह व्यवस्था चली आ रही है कि तमिलनाडु में जो लोकल गाड़ियां हैं, उन पर यहां की भाषा - तमिल - को लिखा जाएगा और विगत साल कर्नाटक में भी, चूंकि गाड़ी उनके ज्युरिस्डिक्शन में जाने पर उनका नाम आया था, इसलिए विवाद हुआ था। रेलवे ने अपनी तरफ से चाहे नाम का मामला हो या रेल के मामले में नामकरण नहीं करता है। आपके दिशा-निर्देश का आदर करते हुए, चूंकि हम देश में विवाद नहीं खड़ा करना चाहते हैं, इस लिए सभी को कांफिडेंस में लेते हुए, हम इसे विदड्रॉ करते हैं और नए सिरे से इस पर विचार किया जाएगा।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** धन्यवाद मेरे विचार से सभा माननीय रेल मंत्री की भावना की सराहना करेगी क्योंकि वह स्वयं आए और यह कहा कि वे सभी आभाओं का आदर करते हैं। हमें माननीय रेल मंत्री के इस कार्य की सराहना करनी चाहिए।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** ठीक है वे तेलगु सहित सभी भाषाओं का आदर करेंगे।

*...(व्यवधान)*

---

**श्री किन्जरपु येरननायडु** (श्रीकाकुलम): धन्यवाद, महोदय।

*[हिन्दी]*

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है।*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** आप थोड़ी मेहरबानी करके मुझे दो मिनट का समय दे दीजिए।

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव:** महोदय, उल्फा के उग्रवादियों द्वारा असम में बिहार के लोगों पर हमला हो रहा है। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** यदि आप मेरी बात नहीं मानेंगे, तो मैं आपको अपना विषय उठाने की अनुमति नहीं दूंगा; यदि आप चाहें तो सभा की कार्यवाही रूकवा सकते हैं। परन्तु मुझे सहयोग चाहिए और मुझे इस सभा के प्रत्येक माननीय सदस्य से सहयोग की अपेक्षा करने का हक है। अतः मुझ पर दबाव न डालें और मुझे डराने का प्रयास न करें; मैं काफी समय से यह कह रहा हूं।

मैं आपको डा. शर्मा द्वारा अपने विषय को उठाए जाने के बाद आमंत्रित करूंगा।

*[हिन्दी]*

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव:** अध्यक्ष महोदय, यह राष्ट्रीय महत्व का मामला है। राष्ट्रीय एकता पर आघात हो रहा है। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री बसुदेव आचार्य** (बांकुरा): महोदय मेरा मामला भी है।

**अध्यक्ष महोदय:** अपना हाथ ऊपर उठाने वाले अथवा 'मेरा मामला' कहने वाले किसी माननीय सदस्य का नाम नहीं पुकारा जाएगा।

*...(व्यवधान)*

**डा. अरुण कुमार शर्मा** (लखीमपुर): मैं सरकार का ध्यान 5 मई को सेना द्वारा फर्जी मुठभेड़ में निर्दोष लड़के श्री बुधेश्वर मोरन की हत्या के कारण असम में उत्पन्न स्थिति के बारे में आकर्षित कराना चाहता हूं। राष्ट्रीय खेल होने के बाद असम में सामान्य होती जा रही स्थिति पुनः बिगड़ गई है।

निर्दोष लड़के श्री बुधेश्वर मोरन को कार्य करते समय चाय बागान से उठा लिया गया था और अगली सुबह उसके शव को जिला प्रशासन को सौंप दिया गया था। जनता ने सामान्य उग्रवाद-विरोधी अभियान का विरोध नहीं किया? जनता बहुत अधिक क्रुद्ध थी और लगभग 10,000 व्यक्तियों के साथ पांच दिनों से विरोधस्वरूप धरना दिया जा रहा था; और राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवागमन को अवरुद्ध कर दिया गया था?

जनता की मांग थी कि मुख्यमंत्री को वहां आना चाहिए और यह आश्वासन देना चाहिए कि निर्दोष व्यक्तियों का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा और उनकी हत्या नहीं की जाएगी। परंतु यह अकेली घटना नहीं है।

पिछले वर्ष भी, श्री अजीत मोहंत की सेना द्वारा हत्या कर दी गई थी। वह निर्दोष व्यक्ति थे। इस बार, सेना ने स्वीकार किया था कि श्री बुधेश्वर मोरन नाम के लड़के की हत्या एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी क्योंकि वह उल्फा संगठन का सदस्य नहीं था।

मुख्यमंत्री जनता की मांग पर कार्रवाई करने के बजाय इस स्थिति से बचे हैं और आखिरकार इसके परिणामस्वरूप तीसरे पक्ष ने पड़ोस के चाय बागान कर्मकारों को उकसाया है। चाय बागान कार्मकारों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुईं; और पुलिस को फायरिंग का सहारा लेना पड़ा जिसमें कुछ और युवक मारे गए थे। चाय बागान कर्मकारों ने धरना देने वाले कुछ व्यक्तियों को जिंदा जला दिया।

इस प्रकार से स्थिति और बिगड़ी है। असम सरकार कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में पूरी तरह से असफल रही है।

**अध्यक्ष महोदय:** यहां राज्य के विषय का उल्लेख नहीं किया जा सकता है।

**डा. अरुण कुमार शर्मा:** सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि सरकार के इस स्थिति से निपटने में विफल रहने के कारण इस मुद्दे का ध्यान मूल मुद्दे से हटाकर पुनः हिंदी भाषी व्यक्तियों की ओर केंद्रित कर दिया गया है।

**अध्यक्ष महोदय:** आप इस मामले का उल्लेख यहां नहीं कर सकते हैं।

**डा. अरुण कुमार शर्मा:** असम में वर्तमान कांग्रेस सरकार असफल हो गई है। अतः, स्थिति बदतर हो गई है, फिर से हिंसा और बम विस्फोटों का सिलसिला शुरू हो गया है, स्थिति ने सांप्रदायिक मोड़ ले लिया है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि केंद्र सरकार द्वारा हस्तक्षेप करके स्थिति को नियंत्रित किया जाना चाहिए और माननीय गृह मंत्री जी को इस मुद्दे पर श्वेत पत्र सभा पटल पर रखना चाहिए और सभा को इससे अवगत कराना चाहिए कि असम में क्या चल रहा है।

**श्री सर्वानन्द सोनोवाल** (डिब्रूगढ़): महोदय, जो कुछ इन्होंने कहा है मैं अपने आपको उससे संबद्ध करता हूं।

**अध्यक्ष महोदय:** *ठीक है*, आपका नाम कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित कर दिया जाएगा।

हमें संवेदनशील मुद्दों पर इस प्रकार से चर्चा करनी चाहिए जो इस देश के सर्वोच्च मंच, संसद के अनुसार उचित हों। हमें ऐसे मुद्दों पर गंभीरतापूर्वक चर्चा करनी चाहिए।

**अपराह्न 1.10 बजे**

**(तीन) असम में उल्फा द्वारा छह हिन्दी भाषी लोगों की हत्या के बारे में**

*[हिन्दी]*

**श्री राम कृपाल यादव** (पटना): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका, सदन और सरकार का ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। 15 और 16 तारीख को असम में शिवसागर और डिब्रूगढ़ जिलों में पहले दिन छः और दूसरे दिन तीन हिन्दी भाषी लोगों को मार डाला गया। ये लोग बिहार के मजदूर थे, जो वहां जाकर मजदूरी करते थे। इससे पहले भी सदन को जानकारी होगी कि 60 हिन्दी भाषी लोगों की हत्या कर दी गई थी। उससे पहले भी बिहार आदि राज्यों के कुछ छात्र जहां वहां नियुक्ति पत्र लेकर गए थे, तो उन्हें भी मारा गया था। इस तरह से असम में लगातार बिहार के गरीब मजदूरों को मारने का काम किया जा रहा है। पिछले दिनों जिस तरह से उल्फा के माध्यम से, उग्रवादियों के माध्यम से इन लोगों की नृशंस हत्या हुई, उससे वहां आतंक का वातावरण छाया हुआ है और वहां रह रहे हिन्दी भाषी लोग अपने असुरक्षित

महसूस कर रहे हैं। मैं गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उनकी सुरक्षा के लिए आप कौन से उपाय करने जा रहे हैं या उन्हें अपने हालात पर छोड़ने का काम किया जा रहा है? मेरा आरोप है कि केन्द्र सरकार सीधे तौर पर इस मामले को गम्भीरता से नहीं ले रही है, जिस वजह से ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं। हमारे नेता और रेल मंत्री जी पिछले दिनों वहां गए थे और अन्य दलों के नेता भी वहां गए थे। उन्होंने वहां स्थिति को सम्भालने का काम किया था। असम में बिहार और कुछ अन्य राज्यों से आए गरीब मजदूर जीविकोपार्जन के लिए काम करते हैं। वे लोग वहां एक-दो साल से नहीं, 40-50 सालों से वहां रह रहे हैं। अगर ऐसे हालात रहते हैं तो वे कहां जाएंगे? उन्हें इस तरह से मारने का काम किया जा रहा है इससे देश की एकता और अखण्डता को खतरा पैदा हो गया है। इसलिए इस गम्भीर विषय पर सरकार को विचार करना चाहिए कि आखिर वे गरीब लोग कब तक इस तरह मारे जाएंगे। इसलिए सरकार को तुरंत इस विषय पर हस्तक्षेप करना चाहिए।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** हो गया, अब आप बैठ जाएं। *[अनुवाद]* आपने इसे अनुचित तरीके से उठाया है।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री राम कृपाल यादव:** गृह मंत्री जी कौन सी सकारात्मक कार्रवाई इस मामले में कर रहे हैं, यह बताएं?...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** आप बैठ जाएं, आपको मैंने अलाऊ किया था और आपने अपनी बात कह दी।

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव:** यह गम्भीर मामला है। इससे एक असाधारण परिस्थिति पैदा होगी।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** यह समय वाद-विवाद के लिए नहीं बल्कि मामले को उठाने के लिए है। मैंने आपको मामले को सरकार की अनुपस्थिति में उठाने की अनुमति दी है। इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं?

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव:** यह जहर सब राज्यों में फैल सकता है और इससे देश की एकता और अखण्डता को खतरा पैदा हो सकता है।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** आप बैठ जाएं, आपने मामला उठा दिया है। माननीय सदस्य श्री विजय कृष्ण, श्री धीरेंद्र अग्रवाल, श्री सीताराम सिंह, श्री गणेश प्रसाद सिंह, श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, श्री आलोक मेहता और श्री घुरन राम भी अपने को इस मुद्दे से सम्बद्ध करते हैं।

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** मैंने कहा है कि यह एक गंभीर मामला है; सरकार इसकी जांच करेगी।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** एक भी शब्द कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)*...*

**अध्यक्ष महोदय:** आप क्या कर रहे हैं? माननीय मंत्री जी उत्तर देना चाहते हैं परंतु आप उन्हें बोलने नहीं दे रहे हैं। यह क्या है? सभा में पूर्ण अव्यवस्था की स्थिति चल रही है।

*...(व्यवधान)*

**संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रियरंजन दासमुंशी:** यह एक गंभीर मुद्दा है जिसे यहां आज उठाया गया है। एक समय, हमारे विशिष्ट नेता श्री लालू प्रसाद जी स्वयं देश के इस भाग में शांति लाने के लिए गए थे। हमारे गृह मंत्री असम के मुख्यमंत्री के लगातार संपर्क में हैं। जो हुआ है वह अच्छा नहीं हुआ। हम सब इसकी भर्त्सना करते हैं। इस संबंध में सरकार आतंकवादियों और समाज को बांटने वाले लोगों के विरुद्ध अत्यंत कठोर कदम उठाएगी। वहां काम करने वाले मजदूरों को पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए। मैं इस बात की जानकारी न केवल गृहमंत्री जी को दूंगा बल्कि आज सभा के विसर्जन के बाद *...(व्यवधान)* व्यक्तिगत रूप से इस संबंध में माननीय प्रधानमंत्री से बात करूंगा। *(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** धन्यवाद। मुझे लगता है कि यह एक उपयुक्त उत्तर है।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*[हिन्दी]*

**श्रीमती रूपाताई डी. पाटील** (लातूर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने की अनुमति दी। देश के कतिपय राज्यों विशेषकर महाराष्ट्र में गन्ना उत्पादक किसानों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। राज्य के सहकारिता क्षेत्र के चीनी मिलों द्वारा इस वर्ष गन्ना उत्पादकों से गन्ना खरीद में आनाकानी करने से गन्ना उत्पादक किसान अपने खेत में खड़ी गन्ने की फसल को सूखता हुआ देखने के लिए मजबूर हैं। इसी मजबूरी के चलते राज्य के कई जिले और विशेषकर मराठवाड़ा के किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं।

किसानों को पिछले वर्ष के मुकाबले, गन्ने की फसल के कम दाम मिले हैं। कम दाम मिलने के कारण किसान अपने फसल कर्जों की अदायगी कैसे करेंगे? लाभकारी मूल्य न मिलने के कारण उसकी आजीविका का क्या होगा? इसका उत्तर केन्द्र और राज्य सरकार को देना होगा। गन्ने की अधिक पैदावार होने के कारण राज्य के चीनी मिलों द्वारा उसके दाम घटाकर खरीद में हो रहे पक्षपात पर केन्द्र सरकार हस्तक्षेप करे और सभी गन्ना किसानों के गन्ने की खरीद अच्छे मूल्य पर हो, इस बात को सरकार सुनिश्चित करे। महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि यदि चीनी मिलों द्वारा गन्ने की खरीद नहीं की जाती है तो गन्ना किसानों को प्रति एकड़ 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी जबकि किसान का एक एकड़ जमीन में गन्ना पैदा करने का खर्च 25 हजार रुपये से ज्यादा होता है। किसान बाकी के 15 हजार रुपये कहां से लाएगा, उसे कौन देगा? अतः मेरी मांग है कि गन्ना किसानों को प्रति एकड़ पर 50 हजार रुपये आर्थिक सहायता के रूप में दिये जाएं। मेरे संसदीय क्षेत्र लातूर के गन्ना किसानों पर लगभग 125 करोड़ रुपये का कर्ज बाकी है और पूरे प्रदेश के गन्ना किसानों की स्थिति क्या होगी, इसका अनुमान माननीय कृषि मंत्री जी लगा सकते हैं। अंत में मेरी मांग है कि गन्ना उत्पादक किसानों के कर्जे केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा माफ कर दिये जाएं। किसानों बहुत बड़ी तादाद में आत्महत्याएं कर रहे हैं। अभी सरकार ने विदर्भ के उन किसानों को पैकेज दिया है जो आत्महत्याएं करते हैं।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** इसीलिए मैंने आपको महत्वपूर्ण मामले को उठाने की अनुमति दी है।

*[हिन्दी]*

**श्रीमती रूपाताई डी. पाटील:** आत्महत्याएं करने के बाद आप पैकेज देते हैं, पहले पैकेज दें तो अच्छा हो। मैं आपकी बहुत आभारी हूं जो आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

**अध्यक्ष महोदय:** हम तो आपको मौका देते हैं, फिर भी आप लोग गुस्सा करते हैं।

*[अनुवाद]*

श्री बसुदेव आचार्य सिर्फ एम्स से संबंधित मामले को उठाएंगे, किसी अन्य मुद्दे को नहीं।

**श्री बसुदेव आचार्य** (बांकुरा): महोदय, मुझे पहले मुद्दे को उठाने की अनुमति क्यों नहीं दी गई है।

**अध्यक्ष महोदय:** इसीलिए मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। राज्यों के काफी मामलों पर चर्चा की जा रही है।

**श्री बसुदेव आचार्य:** महोदय, सभा में यह मुद्दा उठाया गया था कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओ.बी.सी. के छात्रों के साथ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में किस प्रकार से भेदभाव किया जाता है। महोदय, सभी छात्रों को अलग-अलग छात्रावास में रखा जाता है। छह महीने पहले सामान्य और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओ.बी.सी. श्रेणी के सभी छात्रों को एक ही छात्रावास में रखा जाता था। जब अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में आरक्षण का विरोध शुरू हुआ तो यह संस्थान स्वयं आरक्षण विरोधी आंदोलन का केंद्र बन गया। तब से इन छात्रों के साथ भेदभाव किया जा रहा है।

महोदय, भारत सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर सुखदेव थोराट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट से यह बात स्पष्ट है कि इन छात्रों के साथ भेदभाव किया जाता है।

महोदय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओ.बी.सी. छात्रों को प्रशिक्षण और विशेष कोचिंग देने का प्रावधान है परंतु अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में इस दिशा-निर्देश का पालन नहीं किया जाता था। प्रोफेसर थोराट की अध्यक्षता वाली इस समिति ने अनेक सिफारिशें की हैं। मेरी मांग है कि थोराट समिति की सिफारिशों को तत्काल कार्यान्वित किया जाना चाहिए। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान

संस्थान, संस्थान के शासी निकाय और निदेशक को थोराट समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के आदेश दिए जाने चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओ.बी.सी. छात्रों के साथ अब तक जारी भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिए। थोराट समिति ने स्पष्ट कर दिया है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है और इस संस्थान के डीन का कुल लोगों द्वारा कैसे अपमान किया गया था...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** आप क्या कर रहे हैं? आप कानूनी सलाहकार भी बन चुके हैं।

**श्री बसुदेव आचार्य:** महोदय, इनके विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए और इस भेदभाव को अब तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए। थोराट समिति की सिफारिशों को पूर्णतः कार्यान्वित किया जाना चाहिए...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** सभी सदस्य अपने आपको इस मामले से संबद्ध कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** श्री खान, इस मामले से अपने आपको जोड़ने के लिए आपको सभा का समय लेने की आवश्यकता नहीं है। आप पर्चियां भेजिए और सारे नामों को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** श्री सांताश्री चटर्जी तथा श्री ए.वी. बेल्लारमिन ने श्री बसुदेव आचार्य के द्वारा उठाए गए मामले के साथ स्वयं को संबद्ध किया है।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** आप सभी नई प्रक्रियाएं स्थापित कर रहे हैं। श्री महताब, आप आदर्श सदस्य हैं। कृपया ऐसा मत कीजिए।

*[हिन्दी]*

**श्री मोहन सिंह** (देवरिया): महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

**अध्यक्ष महोदय:** आप लोग ज्वाइन कर लीजिए।

*[अनुवाद]*

**श्री चेंगरा सुरेन्द्रन** (अडूर): महोदय, यह मुद्दा खाड़ी देशों में अवैध रूप से नियुक्ति के बारे में है जो कि केरल में काफी प्रचलित है, यद्यपि 30 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं की नियुक्ति पर प्रतिबंध है। राज्य में ऐसी कई एजेंसियां हैं जो इस उम्र के नीचे की महिलाओं की नियुक्ति खाड़ी देशों में करती है। अधिकांश नियुक्तियां नौकरानी के रूप में काम करने की पेशकश सहित सउदी अरब में की जाती हैं लेकिन जब ये महिलाएं वहां पहुंचती हैं तो उन्हें पेशकश किए गए रोजगार, वेतन, आवास, चिकित्सा सुविधाएं नहीं दिए जाते हैं। कुछ मामलों में महिलाओं को देह व्यापार के लिए बाध्य किया जाता है। अतः, मैं यह कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है जबकि खाड़ी देशों में इस आयु वर्ग से कम की महिलाओं की नियुक्ति पर प्रतिबंध लगाने हेतु कानून लागू किया जाए।

*[हिन्दी]*

**योगी आदित्यनाथ** (गोरखपुर): महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान अमरीका की एक कम्पनी द्वारा भारत की प्राचीन विरासत योग को पेटेंट कराने की तरफ समाचार पत्रों तथा मीडिया के चैनल्स में जो समाचार प्रकाशित हुए हैं, उनकी ओर आकर्षित कराना चाहता हूं।

महोदय, अगर यह मामला सही है, तो अत्यंत गंभीर और आपत्तिजनक है। योग भारत की प्राचीन धरोहर है। भारतीय परम्परा में ऋषियों, मुनियों ने हमारे शास्त्रों, वेदों, उपनिषदों में योग के बारे में, उसकी अनेक विधियों के बारे में, उसके अनेक आयामों और अनेक योगिक क्रियाओं के बारे में जो कुछ भी बताया है, अगर कोई विदेशी ताकत, कोई विदेशी कम्पनी उसे अपने नाम पर पेटेंट कराती है, तो सीधे-सीधे भारत की बौद्धिक सम्पदा पर एक विदेशी हमला है, जिसे सीधे-सीधे डकैती कह सकते हैं।

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए अनुरोध करना चाहता हूं कि पूर्व में इस प्रकार की शरारत अमेरिकी कम्पनियों ने की थी। उन्होंने कभी हल्दी, नीम, जामुन और अन्य आयुर्वेदिक दवाइयों को पेटेंट करवाया है। योग भारत की प्राचीन विधा है और भारतीय संस्कृति की देन है। अगर इस प्रकार की शरारतपूर्ण कार्रवाई अमेरिकी कम्पनी या किसी अन्य द्वारा करवायी जा रही है तो उस पर अविलम्ब रोक लगानी चाहिए। भारत सरकार अपनी बौद्धिक सम्पदा और विरासत को बचाने का प्रयास करे।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है उससे निम्नांकित सदस्यों के नाम सम्बद्ध किए जाएं।

[अध्यक्ष महोदय]

(एक) श्री प्रहलाद जोशी

(दो) श्री विक्रम केशरी देव

(तीन) डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी

(चार) श्री अविनाश राय खन्ना

(पांच) श्रीमती सुशीला बंगारू लक्ष्मण

(छः) श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी

(सात) श्री पी.एस. गढ़वी

**डा. सी. कृष्णन** (पोल्लाची): महोदय, यह मौका देने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं श्री वायको की अध्यक्षता वाली एम.डी.एम.के. पार्टी की ओर से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

चुनावों के समय सर्वेक्षण रिपोर्टों तथा एक्जिट पोल रिपोर्टों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। मैं यह अनुरोध करता हूं कि जब चुनाव नजदीक नहीं भी हों उस समय भी बिना किसी पूर्वाग्रह के इन रिपोर्टों पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। ऐसा इस कारण है कि इन रिपोर्टों के परिणामस्वरूप अवांछित घटनाएं होती हैं तथा इससे जनभावनाएं भड़कती हैं। ये रिपोर्टें जिन लोगों के पक्ष में नहीं होती हैं वे हिंसक हो जाते हैं तथा ऐसी रिपोर्टें जारी करने वाले प्रेस के ऊपर आक्रमण करते हैं।

**अध्यक्ष महोदय:** आपका मामला एक्जिट पॉल पर प्रतिबंध लगाने के बारे में है।

**डा. सी. कृष्णन:** ऐसी रिपोर्टों को प्रकाशित करने से बचा जाना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूं। तमिलनाडु में मदुरई में दिनकरन के कार्यालय में तीन लोग मारे गए ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** आपने मामले का उल्लेख किया है। मैं इससे इतर बोलने की अनुमति नहीं दूंगा।

**पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा):** महोदय, इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** अगर कुछ आपत्तिजनक है तो मैं उस पर विचार करूंगा।

डा. कृष्णन, कृपया अवसर का दुरुपयोग नहीं करें। आपने एक्जिट पॉल पर प्रतिबंध लगाने हेतु नोटिस दिया है।

...*(व्यवधान)*

**श्री प्रसन्न आचार्य** (सम्बलपुर): महोदय, राष्ट्र भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम युद्ध की 150वीं जयंती मना रहा है तथा राष्ट्र उस युद्ध में शहीद हुए राष्ट्रीय वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। लेकिन मुझे यह कहते हुए दुःख हो रहा है कि उस ऐतिहासिक युद्ध के एक महानतम नायक वीर सुरेन्द्र सहाय को पूर्णतया भुला दिया गया है। मैं सभा को यह सूचित करना चाहता हूं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम युद्ध के 30 वर्ष पहले मात्र 19 वर्ष की आयु में उन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष आरम्भ किया था। उन्होंने मानवता की स्वतंत्रता के संघर्ष के सम्पूर्ण इतिहास में दो चरणों में सबसे लंबी अवधि तक जेल में रहे। वे 36 वर्षों तक कारावास में रहे। असुरगढ़ जेल में उनकी मृत्यु हुई। उन्हें अंधा कर दिया गया था। ब्रिटिश लोगों ने उन्हें जहर दिया था। जेल के अंदर उनकी हत्या कर दी गई। उनके परिवार के लगभग सभी सदस्यों को या तो फांसी दे दी गई अथवा उन्हें कालापानी भेज दिया गया। उन्होंने गुरिल्ला संघर्ष आरम्भ किया था तथा उड़ीसा के पश्चिमी भाग में बिन्जल समुदाय तथा गन समुदाय जैसे जनजातीय समुदायों को संगठित किया था। उन्होंने ब्रिटिश लोगों को करारा सबक सिखाया। आज जब राष्ट्र भारत की स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध के वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, वीर सुरेन्द्र सहाय का नाम भुला दिया गया है।

**अध्यक्ष महोदय:** मेरा मानना है कि आपने सही मुद्दे को उठाया है। मुझे विश्वास है कि राष्ट्र को उन्हें तथा राष्ट्र को उनके योगदान को स्मरण करेगा।

**श्री प्रसन्न आचार्य:** संस्कृति मंत्रालय इन सबकी मॉनिटरिंग कर रहा है। आपके माध्यम से मैं संस्कृति मंत्री को यह अनुरोध करना चाहूंगा कि उनके सम्मान में उड़ीसा के किसी भाग में एक स्मारक बनाया जाए।

**अध्यक्ष महोदय:** इस सर्वोच्च मंच से हम एक महान स्वतंत्रता सेनानी को अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मुझे आपके राज्य में वहां जाने का अवसर प्राप्त हुआ था।

**श्री प्रसन्न आचार्य:** महोदय, वीर सुरेन्द्र सहाय की एक मूर्ति संसद भवन में भी लगाई जा सकती है। मैं आपसे ऐसा अनुरोध करूंगा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने यह वचन

दिया है कि मूर्ति की पूरी लागत का वहन उड़ीसा सरकार करेगी।

**अध्यक्ष महोदय:** हम इस पर विचार करेंगे। जो कुछ भी संसद कर सकती है, हम करेंगे।

**श्री भर्तृहरि महताब** (कटक): महोदय, मैं उनसे सम्बद्ध होना चाहूंगा...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय:** आप सब स्लिप भेज दीजिए। आपके नाम जरूर रिकॉर्डिड होंगे।

...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** जो भी सदस्य उनकी बात से सम्बद्ध होना चाहते हैं उन्हें सम्बद्ध किया जाएगा। मैंने स्वयं को भी उनसे सम्बद्ध किया है। श्रीमती अर्चना नायक भी इस मामले से सम्बद्ध हैं।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री चंद्रकांत खैरे** (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): अध्यक्ष महोदय, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में जेम्स लेन की विवादास्पद पुस्तक - शिवाजी, हिंदू किंग इन इस्लामिक इंडिया में लिखा है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इसमें छत्रपति महाराज जी के पिताजी, माताजी और उनके कुटुम्ब के बारे में बहुत बुरा लिखा है और अन्य संतों के बारे में भी बुरा लिखा है। ऐसी किताब को महाराष्ट्र सरकार ने बैन भी किया था लेकिन उसका वितरण फिर से चालू हुआ है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह पुस्तक महाराष्ट्र और पूरे देश में बिक्री होने के बाद कई जगह वातावरण खराब होता जा रहा है और महाराष्ट्र में आंदोलन हो रहे हैं। कई संगठनों ने इस किताब की बिक्री फिर से चालू होने के कारण महाराष्ट्र और कई जगह आंदोलन किया है। छत्रपति महाराज जी की प्रतिमा को खराब करने की यह साजिश हो रही है। उच्चतम न्यायालय ने भी आदेश दिया है कि महात्मा या युगपुरुष के बारे में अगर किसी ने आक्षेप लिखा है तो उसे बैन करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि ऐसी किताब निकले ही नहीं क्योंकि इसमें छत्रपति महाराज जी के बारे में निंदा की गई है।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** यह राज्य का मामला है।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री चंद्रकांत खैरे:** मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वे युगपुरुष हैं और अपने संगठन में उनकी प्रतिमा लगाई गई है।...*(व्यवधान)* इस पर बैन होना चाहिए।

**श्री मोहन रावले** (मुम्बई दक्षिण-मध्य): यह हम सब लोगों की भावना है।...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय:** यह काफी गलत आदत है। आप बगैर किसी नोटिस के बोल रहे हैं। मैं इस मामले पर आपको और बोलने की अनुमति नहीं दूंगा।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय:** आपकी भावना रिकॉर्ड हो गई है।

...*(व्यवधान)*

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, ब्रज क्षेत्र में चार मजदूर मारे गए हैं।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** आप किसी राज्य की कानून और व्यवस्था से संबंधित मामले को नहीं उठा सकते हैं। मैं आपको इस मामले को उठाने की अनुमति नहीं दूंगा।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव:** चार गरीब मजदूर मारे गए। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** माननीय रेल मंत्री कुछ कहना चाहते हैं।

*...(व्यवधान)*

**श्री पी.सी. चाको** (मुवत्तुपुजा): महोदय, मुझे एक महत्वपूर्ण मामला उठाना है...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** कृपया बैठिए। मैंने आपको नहीं बुलाया है।

*[हिन्दी]*

**रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद):** अध्यक्ष महोदय, सदन की भावना को ध्यान में रखते हुए आपके इन्टरफेरेंस दिशानिर्देशन में भाषा के सवाल पर मैंने कहा कि इसे तत्काल विड्रॉ कर लेते हैं, हमने जो विड्रॉ करने की बात कही है यह पॉर्लियामेंट के एक्ट के तहत है। पॉर्लियामेंट ने कानून बनाया इसलिए तमिलनाडु में त्रिभाषी फार्मूला का समर्थन करते हैं। इसे अन्यथा न लें और विवाद भी न बने। त्रिभाषी फार्मूले का, हर राज्य की भाषाओं का कैसे आदर कर सकें, क्योंकि यह एक्ट है, इसे विड्रॉ करना मुझे अच्छा नहीं लगता है इसलिए सब पार्टियों को बुला लीजिए और अगले सत्र में देखेंगे।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** इसे सुधारा जाना चाहिए। उन्होंने त्रि-भाषा फार्मूले के लिए अपने समर्थन को दुहराया है।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव:** डायनामाइट से चार मजदूर मारे गए हैं।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** कोई आधार नहीं बताया गया है। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। अब यह समाप्त हो गया है।

नियम 377 के अधीन मामलों को सभा-पटल पर रखा हुआ माना जाएगा।

*...(व्यवधान)*

---

**अपराह्न 1.31 बजे**

## नियम 377 के अधीन मामले*

### (एक) छोटे विक्रेताओं के हितों की रक्षा हेतु रेलवे खान-पान नीति में आवश्यक परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता

*[हिन्दी]*

**श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी** (रीवा): महोदय, वर्ष 2004 तक सभी श्रेणियों के लोग देश के विभिन्न रेलवे प्लेटफार्मों पर रेलवे विभाग को सामान्य लाईसेंस फीस देकर स्टॉल्स, ट्राली आदि के लायसेंस लेकर अपने परिवारों का पालन-पोषण कर रहे थे। रेलवे प्लेटफार्मों पर कार्य करने वाले छोटे-छोटे स्टॉल्स वाले लोगों के हितों को ध्यान में रखकर यह नीति बनाई गई थी।

इसके बाद वर्ष 2004 में नई कैटरिंग नीति बनाई गई किंतु छोटे छोटे लायसेंसियों के हित में नहीं होने के कारण उस पर अमल नहीं हुआ। वर्ष 2005 में जो नीति लागू की गई उसमें छोटे लायसेंसियों के हितों को अनदेखा किया गया है। छोटे वैंडरों पर बहुत ज्यादा लायसेंस फीस समय समय पर लगाई जा रही है। जबकि रेल मंत्री महोदय ने आश्वस्त किया था कि छोटे कैटरिंग स्टॉल्स, वैंडर्स जो कि आरक्षित कैटेगरी द्वारा चलाये जा रहे हैं उनके साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होगी। बहुत ज्यादा लायसेंस फीस होने के कारण छोटे वैडर्स पर बहुत ज्यादा आर्थिक बोझ पड़ रहा है जिस कारण से वे पलायन कर रहे हैं और उनका अपना और अपने परिवार का पालन-पोषण करने में भारी कठिनाई हो रही है।

नई कैटरिंग नीति को पूरी तरह से वाणिज्यिक और भारतीय रेल की आय बढ़ाने की दृष्टि से बनाया गया है इसमें छोटे एवं गरीब ठेकेदारों के लिए कोई स्थान नहीं है। यही कारण है कि प्लेटफार्मों पर छोटे स्टॉल, वैंडर्स आदि के लिए जो भी टेंडर निकाले जा रहे हैं और लायसेंस फीस महंगी होने के कारण छोटे वैंडर्सों को यह नहीं मिल पाते और धीरे-धीरे सभी जगह बहुराष्ट्रीय कंपनियों का कब्जा होता जा रहा है और देश में रेल से यात्रा करने वाले यात्रियों में से 80 प्रतिशत यात्री जिनको इडली, वड़ा आदि सस्ती दरों पर मिलता था उसके स्थान पर नाश्ता ही 60 से 80 रुपए में मिल रहा है जो छोटे ठेकेदारों के साथ साथ इस देश की गरीब जनता के साथ भी अन्याय है।

---

*सभा पटल पर रखे गये।

अतः मेरी रेल मंत्री जी से मांग है कि छोटे लायसेंसियों को जैसे ट्रॉली, स्टॉल्स, खोमचा वालों को फिर से ए, बी, सी श्रेणी में रेलवे स्टेशनों पर व्यापार करने दिया जाये। वार्षिक बिक्री का 12 प्रतिशत ही लायसेंस के रूप में लिया जाये। छोटे स्टॉल वालों को भी फास्ट फूड आयटम बेचने की अनुमति दी जाये। इससे न केवल वार्षिक आय बढ़ेगी बल्कि रेलवे की आय में भी बढ़ोत्तरी होगी। मुझे विश्वास है कि रेल मंत्री महोदय छोटे लायसेंसियों के हितों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक निर्देश प्रदान करने का कष्ट करेंगे।

*[अनुवाद]*

**(दो) मध्य प्रदेश में आदिवासियों को उनके नैसर्गिक निवास स्थानों से हटाए जाने पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता**

**डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:** (मंदसौर) महोदय, देश में कई राज्यों में जहां सघन वन हैं, अभ्यारण्य स्थापित हैं, इन अभ्यारण्यों की शृंखला में राजस्थान व मध्य प्रदेश जहां बड़े-बड़े वन हैं, अच्छे व लंबे, चौड़े आकार (विस्तृत भूभाग) में अभ्यारण्य हैं, किंतु देखने में आया है कि इन अभ्यारण्यों की पर्याप्त देखभाल व सामयिक समस्याओं के चलते बड़ी मात्रा में या बड़े भूभाग में वनों की कटाई होकर प्रायः कई भाग वृक्षहीन हो गए हैं, इन अभ्यारण्यों से वन क्षेत्र में वर्षानुवर्ष से मुख्यत आदिवासी व दूसरे ग्रामीण रहते आये हैं व वहां कृषि व पशुपालन से अपना जीवनयापन करते हैं, इनके द्वारा वनों को कभी भी किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाई गई है। किंतु, विगत कुछ समय से इन्हें वहां से बेदखल किये जाने के प्रयास हो रहे हैं और इसके पीछे अधिकारियों का तर्क है कि वनभूमि में इनका अतिक्रमण है जो सर्वथा तथ्यहीन है, क्योंकि ऐसे सभी आदिवासी पीढ़ी दर पीढ़ी से व अन्य भी वहां रहकर अपना जीवनयापन करते हैं। हाल ही में राजस्व व वनभूमि को रेखांकित कर विभाजित करने का क्रम मध्य प्रदेश के कई अभ्यारण्य व अन्य वन क्षेत्रों में चला है। इससे उन हजारों आदिवासियों के परिवारों के समक्ष जीवनयावन का तथा निवास आदि का संकट उपस्थित हो गया है। उनमें काफी चिंताएं हैं।

अतः मेरा पर्यावरण व वन मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस मामले को गंभीरता से मानवीय दृष्टिकोण से अपनायें ताकि वनों की सुरक्षा भी हो तथा आदिवासी संकट में न पड़े, क्योंकि मध्य प्रदेश में जहां पर ऐसी बसाहटें हैं वहां इन आदिवासियों द्वारा यह मानकर की वन हमारे देवता हैं, उनकी रक्षा की है। अतः उन्हें वन एवं राजस्व भूमि के रेखांकन को लेकर बेदखल न किया जाये।

**(तीन) इंग्लैंड छोड़ने के लिए मजबूर भारतीय चिकित्सकों का पुनर्वास किए जाने की आवश्यकता**

*[अनुवाद]*

**श्री अविनाश राय खन्ना** (होशियारपुर): मैं सभा और सरकार का ध्यान इंग्लैंड में फंसे भारतीय चिकित्सकों की वयनीय स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं। हालांकि हम सभी यह जानते हैं कि भारत में योग्यता प्राप्त चिकित्सकों की भारी कमी है और देश को जितने चिकित्सकों की आवश्यकता है, हम उसका एक छोटा-सा अंश भी उपलब्ध नहीं कर पा रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप लोग झोला छाप डॉक्टरों तथा अन्य से उपचार कराने को विवश हो जाते हैं जो बीमारियों का उपचार करने के स्थान पर स्थिति बिगाड़ देते हैं। यह भारतीय चिकित्सक, जो कि इंग्लैंड में एम.आर.सी.पी., आर.एफ.सी.एस. जैसे पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने गए थे, आज वे बहुत कठिन स्थिति का सामना कर रहे हैं, उन्हें बेरोजगारी प्रताड़ना और भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है। उनकी सेवाओं का उपयोग किए जाने और उन्हें इस कठिन स्थिति से निकाले जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। सरकार को भारत में उनका पुनर्वास करने के प्रयास करने चाहिएं और उनकी डिग्रियों को मान्यता देने के लिए व्यवस्था/प्रावधान किए जाने चाहिएं ताकि वे भारत में बस कर राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान दे सकें।

**(चार) उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना और भारत निर्माण योजना में कथित अनियमितताओं की जांच किए जाने की आवश्यकता**

*[हिन्दी]*

**श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा** (जालौन): महोदय, प्रधानमंत्री सड़क योजना व भारत निर्माण योजना के अंतर्गत सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश तथा बुंदेलखंड के जनपद जालौन, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, महोवा एवं बांदा में क्षतिग्रस्त मार्गों के निर्माण हेतु अपग्रेडेशन हेतु चयन की जा रही सड़कों की (पी.सी.आई.) उसकी मनमाने ढंग से कम दिखाकर विगत वर्षों में विभिन्न विभागों द्वारा पूर्व से निर्मित लेपन स्तर तक सड़कों के (डी.सी.आई.) स्वीकृत करा लिये हैं जबकि विभिन्न विभागों द्वारा राज्य सरकार की विभिन्न निधियों से बनाये गये सड़कों पर करोड़ों रुपये का नुकसान करके पुनः बनाये जाने का प्रस्ताव किया जा रहा है।

[श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा]

अतः पूर्व अपग्रेडेशन प्रायरटी लिस्ट जो कार्यदायी संस्था द्वारा बनाई गयी है उसकी जांच कराई जाये तथा दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाये जिससे केन्द्र सरकार का करोड़ों रुपये का नुकसान बचाया जा सके।

**(पांच) उत्तर प्रदेश के बरेली में लोगों के लाभ हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 24 की लंबित परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता**

**श्री संतोष गंगवार** (बरेली): महोदय, भूतल परिवहन मंत्रालय में राष्ट्रीय राजमार्ग 24 के ऊपर निम्न कार्य पिछले कई वर्षों से लंबित है। प्रक्रिया चल रही है, परन्तु अभी तक कार्य प्रारंभ नहीं हो पा रहा है।

1. राष्ट्रीय राजमार्ग 24 महानगर बरेली के ऊपर बाईपास के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण हो चुकी है। कार्य पिछले 5 वर्षों से प्रारंभ होना प्रस्तावित है।

2. राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर मुरादाबाद से बरेली तक प्राथमिकता के आधार पर चार लेन का बनाया जाना।

3. उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर मीरगंज व फतेहगंज पश्चिमी स्थानों पर उपरिगामी सेतु के निर्माण की स्वीकृति की जाये।

**(छह) बोलनगीर (उड़ीसा) से इलाहाबाद तक सीधी ट्रेन चलाए जाने तथा हावड़ा-सम्बलपुर हावड़ा इस्पात एक्सप्रेस को तितलागढ़ तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता**

*[अनुवाद]*

**श्री प्रसन्न आचार्य** (सम्बलपुर): सम्बलपुर झारसुगुड़ा, बारगढ़, बरपाली, बोलानगीर आदि जैसे उड़ीसा के पश्चिमी भागों से हजारों लोग अपने परिवार के स्वर्गवासी सदस्यों के श्राद्ध कार्य तथा इससे संबंधित रीति-रिवाज निभाने के लिए इलाहाबाद जाते हैं। चूंकि इन स्थानों से इलाहाबाद के लिए कोई सीधी रेलगाड़ी नहीं है इससे यात्रियों को इलाहाबाद पहुंचने में बहुत कठिनाई होती है। विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं को सबसे अधिक कठिनाई होती है क्योंकि सीधी रेल सेवा न होने के कारण यात्रियों को इलाहाबाद पहुंचने के लिए रेलगाड़ी बदलनी पड़ती है। सम्बलपुर अथवा बोलनगीर से इलाहाबाद के लिए सीधी रेल सेवा से रेल यात्रियों को न केवल इलाहाबाद व मार्ग में पड़ने वाले अन्य स्थानों पर पहुंचने में आसानी होगी बल्कि इससे रेलवे को अच्छा राजस्व भी प्राप्त होगा। इसलिए मैं रेल मंत्री जी से इस क्षेत्र के लोगों के लाभार्थ बोलानगीर से इलाहाबाद तक एक रेलगाड़ी चलाने की तत्काल प्रभाव से मंजूरी देने का अनुरोध करता हूं।

2871 यूपी/2872 डीएन हावड़ा-सम्बलपुर-हावड़ा इस्पात एक्सप्रैस हावड़ा और सम्बलपुर के बीच चलती है, यात्रा अवधि केवल 10 घंटे होने के कारण इन रेलगाड़ियों का हावड़ा और सम्बलपुर रेलवे स्टेशनों पर ठहराव दिया जा सकता है। अगर इसके मार्ग को 180 किलोमीटर अतिरिक्त बढ़ाकर सम्बलपुर से तीतलागढ़ कर दिया जाए तो बड़ी संख्या में पश्चिमी उड़ीसा के यात्रियों को लाभ होगा और हावड़ा के लिए उन्हें सीधा संपर्क मिलेगा। मैं रेल मंत्री महोदय से उपरोक्त दोनों प्रस्तावों पर विचार करने और शीघ्रतापूर्वक उन्हें क्रियान्वित करने का अनुरोध करता हूं।

**(सात) श्री नारायण गुरू के योगदान को मान्यता देने हेतु हाल ही में जारी किए गए 5 रुपए के सिक्के उपलब्ध कराए जाने और राजधानी में किसी प्रमुख स्थान पर उनकी मूर्ति स्थापित किए जाने की आवश्यकता**

**श्री पी.सी. थामस** (मुवत्तुपुजा): भारत सरकार ने महान जगत गुरू श्री नारायण गुरू के योगदान को मान्यता देते हुए पांच रुपए मूल्य का सिक्का जारी किया है। परन्तु एक अरब से अधिक जनसंख्या वाले देश में ढाले और परिचालित सिक्कों की संख्या बहुत कम है। सिक्के अब परिचालन के लिए उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि जो सिक्के उपलब्ध हैं, वे उन लोगों ने अपने पास सुरक्षित रखे हुए हैं, जो गुरू को अत्यन्त श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। सरकार को कम से कम एक करोड़ सिक्के बनाकर उन्हें परिचालन के लिए उपलब्ध कराना चाहिए। आज के रुपये में 'एक जाति, एक धर्म और मानव जाति हेतु एक ईश्वर' बहुत ही प्रासंगिक है। राजधानी में किसी प्रमुख स्थान पर श्री नारायण गुरू की मूर्ति लगाना भी बहुत आवश्यक है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस संबंध में वह तत्काल कदम उठाए।

**अपराह्न 1.33 बजे**

## टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (स्वामित्व का अपविनिधान) विधेयक, 2007*

*[अनुवाद]*

**भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव):** महोदय, मैं टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में सरकार की हिस्सेदारी के अपविनिधान की व्यवस्था तथा उससे संबंधित मामलों संबंधी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति चाहता हूं।

**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है:

"कि टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में सरकार की हिस्सेदारी के अपविनिधान की व्यवस्था तथा उससे संबंधित मामलों हेतु विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

**श्री संतोष मोहन देव:** मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

**श्री वरकला राधाकृष्णन** (चिरायिंकिल)**:** मैं विधेयक को पुरःस्थापित करने का विरोध करता हूं...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** कोई आधार बताए बिना ऐसा करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आपने कोई आधार नहीं बताया है। मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। आप जो भी करना चाहें, कर सकते हैं।

*...(व्यवधान)*

**श्री वरकला राधाकृष्णन:** मुझे विधेयक की पुरःस्थापना का विरोध करने का अधिकार है।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। श्री राधाकृष्णन, आपको नियमों की जानकारी है, परन्तु आपको नियमों की विषय-सूची की जानकारी नहीं है।

*...(व्यवधान)*

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-2 दिनांक 17-5-07 में प्रकाशित।

**अध्यक्ष महोदय:** इस सभा का अध्यक्ष होने के आधार पर मैं इसका खंडन करता हूं। मैं पीठासीन अधिकारी हूं।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** श्री राधाकृष्णन, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। कृपया पहले शांत हो जाइए। मेरी बात सुनिए। नियम के अनुसार "विधेयक की पुरःस्थापना को पारित करने का नोटिस महासचिव को संबोधित होना चाहिए, जिसमें उठाई जाने वाली आपत्तियों का स्पष्ट उल्लेख हो।"

अपने नोटिस में आपने किन नियमनिष्ठ आपत्तियों का उल्लेख किया था?

**श्री वरकला राधाकृष्णन:** मैं आपको बताता हूं...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** बताने से कुछ नहीं होगा।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** कृपया इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित मत कीजिए।

*(व्यवधान)**...

---

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** शून्य काल के दौरान असीमित संख्या में मामले उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। दल इस बात पर सहमत हैं कि केवल पांच मामलों की अनुमति दी जानी चाहिए। सभा में कुछ अनुशासन भी होना चाहिए। तेज आवाज में चिल्लाकर आप सभा में मनमानी नहीं कर सकते।

*...(व्यवधान)*

**अपराह्न 1.38 बजे**

## मिजोरम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007

*[अनुवाद]*

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी):** महोदय, श्री अर्जुन सिंह की ओर से मैं प्रस्ताव करती हूं:

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी]

"कि मिजोरम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 में संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाए।"

**अध्यक्ष महोदय:** प्रस्ताव यह है:

"कि मिजोरम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 में संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाए।"

**श्री तापिर गाव** (अरुणाचल-पूर्व): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मिजोरम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं पूर्वोत्तर की जनता की ओर से उन माननीय मंत्रियों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने संशोधन के लिए यह विधेयक प्रस्तुत किया है।

**अपराह्न 1.38 बजे**

[**श्री मोहन सिंह** *पीठासीन हुए*]

सभापति महोदय, मिजोरम विश्वविद्यालय अधिनियम वर्ष 2000 में पारित हुआ था और वर्ष 2000 में ही 2 जुलाई को इस विश्वविद्यालय की स्थापना हो गयी थी। मिजोरम की जनता को अच्छी अवस्थापना के साथ एक विश्वविद्यालय की आवश्यकता है, न सिर्फ मिजोरम बल्कि पूरे पूर्वोत्तर को ऐसे विश्वविद्यालयों की आवश्यकता है। यू.पी.ए. सरकार ने अनेक पूर्वोत्तर राज्यों में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की है। हमें अपने बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए अच्छी अवसंरचना की आवश्यकता है।

इस मिजोरम विश्वविद्यालय में 26 कॉलेज संबद्ध किए गए हैं जिनमें 7,000 छात्र अध्ययन कर रहे हैं। स्नात्तकोत्तर शिक्षा पा रहे छात्रों की संख्या 1,840 है। परन्तु विश्वविद्यालय के 39 विभागों में केवल 27 विभाग ही अस्तित्व में हैं।

अत: माननीय मंत्री और सरकार से मिजोरम विश्वविद्यालय में सभी 39 आवश्यक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त विभागों की स्थापना करने का अनुरोध करता हूं। यहां मैं माननीय मंत्री जी और सभा को सूचित करना चाहता हूं कि दसवीं योजना में मिजोरम विश्वविद्यालय को केवल 76,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। यह मिजोरम और पूर्वोत्तर राज्यों में एक अच्छे विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अपर्याप्त है। इसलिए मिजोरम सरकार ने विश्वविद्यालय में अवसंरचना का विकास किए जाने के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रस्ताव भेजे हैं। अत:, मिजोरम की जनता की ओर से मेरा यह विनम्र निवेदन है कि ग्यारहवीं योजना में मिजोरम सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी अपेक्षित प्रस्तावों को मिजोरम के लिए स्वीकृत किया जाए ताकि मिजोरम विश्वविद्यालय में आवश्यक सभी 39 विभागों की स्थापना की जा सके।

महोदय, सौभाग्य से, यू.जी.सी. ने मिजोरम विश्वविद्यालय को स्कूल ऑफ मैनेजमेंट और स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग दिए हैं। इसमें अधिक सुविधाओं की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस विश्वविद्यालय के बारे में बहुत अधिक सचेत है। न केवल मिजोरम विश्वविद्यालय में बल्कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में बेहतर शिक्षा के लिए सभी नवसृजित विश्वविद्यालयों पर अधिक बल दिया जाना चाहिए।

महोदय, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में अवसंरचना विकास के लिए अधिक धनराशि की आवश्यकता है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों के छात्र दिल्ली, मुंबई और कोलकत्ता जैसे महानगरों के विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इसलिए, मिजोरम विश्वविद्यालय में अधिक विभागों, विशेषकर आई.आई.टी. जैसे विभागों की भी स्थापना की जानी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि मिजोरम सरकार ने मिजोरम विश्वविद्यालय के लिए अपेक्षित सभी प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं।

इसलिए, मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इस विश्वविद्यालय का ध्यान रखें। महोदय, इस संशोधन से, मिजोरम के मेरे भाई और बहन वास्तव में लाभान्वित होंगे और विश्वविद्यालय को अनेक सुविधाएं प्राप्त होंगी। इसलिए यहां, मैं मिजोरम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

**डा. टोकचोम मैन्या** (आंतरिक मणिपुर): सभापति महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मैं मिजोरम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह विधेयक 15 मई, 2007 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था। मैं माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री को यह संशोधन लाने के लिए बधाई देते हुए अपने माननीय मंत्री श्री तापिर गाव से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

महोदय, मैं स्पष्ट तौर पर आपको यह बताना चाहता हूं कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में राज्य के उस हिस्से में यह मिजोरम विश्वविद्यालय विधेयक ऐसे विधेयकों में

पहला विधेयक है। सर्वप्रथम, इस विधेयक में केन्द्रीय विश्वविद्यालय को सभी अपेक्षित जरूरतें मौजूद हैं। जहां राज्य के राज्यपाल की भूमिका सीमित है। लेकिन जब अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना हो रही है, उदाहरण के तौर पर, जब हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय और मणिपुर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में बदलना चाहते थे तब भी हमने विश्वविद्यालय प्रणाली में राज्यपाल की भूमिका के बारे में चर्चा की थी। उस संदर्भ में, मिजोरम विश्वविद्यालय के मूल विधेयक में कहीं भी राज्यपाल की भूमिका नहीं थी। आम तौर पर, केन्द्रीय विश्वविद्यालय में राज्यपाल की भूमिका नहीं होती है। हमारे यहां विजिटर होते हैं, उसके पश्चात्, कुलपति, उपकुलपति होते हैं और इस प्रकार पूरी प्रणाली कार्य कर रही थी। लेकिन हम राज्यपाल की भूमिका तय करना चाहते थे क्योंकि अनेक केन्द्रीय विश्वविद्यालय राज्यवार क्षेत्र में स्थित नहीं हैं। पूर्वोत्तर भारत में, हमने केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की शुरुआत की है अथवा अनेक विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। ऐसी स्थिति में, हम एक जिम्मेदारी तय करना चाहते हैं।

हम चाहते हैं कि इस प्रणाली में राज्यपाल की भूमिका हो। इसलिए प्रमुख प्रचार्य के पद अथवा कार्यालय की शुरुआत की गई। राज्यपाल को पदानुक्रम में विजिटर के पश्चात् आना चाहिए। कदाचित् इस भूलचूक को सुधारा जाना चाहिए था। अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यह संशोधन पेश किया है। यह उपयुक्त समय है कि देश के संबंधित राज्यों में स्थित केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की प्रणाली में राज्यपाल को शामिल किया जाए, जिसकी इस प्रणाली में कुछ भूमिका होनी चाहिए। इसलिए, मैं इस संशोधन का स्वागत करता हूं। यह न केवल एकरूपता लाने बल्कि विश्वविद्यालय के प्रशासन में राज्यपाल की नियमित भागीदारी सुनिश्चित करने की दृष्टि से भी एक अच्छा विधान है।

संशोधन के बारे में चर्चा और इसका समर्थन करते हुए, मैं माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री का ध्यान एक पहलु की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। इनमें से कुछेक केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में प्रशासन की बागडोर उपकुलपति में निहित है। लेकिन चूंकि विजिटर महामहिम भारत के राष्ट्रपति हैं, इसलिए कभी कभार संपर्क का अभाव हो जाता है। मैं प्रणाली को दोष नहीं दे रहा हूं। ऐसा अक्सर होता है। भले ही सूचना प्रौद्योगिकी की प्रणाली इन दिनों इतनी तेजी से विकसित हो रही है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं, जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए। मैं इस विधेयक के दायरे से बाहर नहीं जा रहा हूं।

उदाहरणस्वरूप, मणिपुर विश्वविद्यालय लगभग एक वर्ष पहले ही केन्द्रीय विश्वविद्यालय बना है। आप जानते हैं कि वहां काफी कम स्टाफ है। रजिस्ट्रार और वित्त अधिकारी के पदों के लिए साक्षात्कार बहुत पहले हो चुके हैं, लेकिन परिणाम अभी भी आने बाकी हैं। इस प्रकार की स्थिति नहीं होनी चाहिए क्योंकि वहां के प्रशासन को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि पूर्वोत्तर के सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में सुधार होना चाहिए। पूर्वोत्तर के लगभग हरेक राज्य में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है। मिजोरम विश्वविद्यालय अपने प्रकार का प्रथम विश्वविद्यालय है। इस प्रणाली में राज्यपाल की भूमिका के लोप की भूलचूक को अब सुधारा जा रहा है। हम मंत्रालय और माननीय मंत्री महोदय को इस संबंध में बधाई देते हैं। बधाई देते हुए, मैं यह इच्छा व्यक्त करता हूं कि प्रशासन में सुधार किया जाए ताकि जिस उद्देश्य से राज्य विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में बदला गया है, वह पूर्ण रूप से पूरा हो सके। यह एक बात है, जिसका मैं अनुरोध करता हूं।

साथ ही साथ, इन क्षेत्रों में उच्चतर शिक्षा का मानदंड भी महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि हमें उस पहलू पर भी ध्यान आकृष्ट करना चाहिए। अब मैं ऐसा कहता हूं, तो माननीय केन्द्रीय मंत्री मुझे वास्तव में बताएंगे कि शिक्षा समवर्ती सूची में आती है। फिर भी, यदि यह केन्द्रीय विश्वविद्यालय बन जाता है, तो उन्हें उचित कार्रवाई करनी चाहिए। देश के उस हिस्से में ऐसे महाविद्यालय भी हैं, जहां अध्यापकों की संख्या छात्रों की संख्या से ज्यादा है। ऐसी स्थिति सरकारी महाविद्यालयों में भी है। अतः, प्रणाली बहुत ही खराब हो चुकी है। मैं समझता हूं कि केन्द्र सरकार केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को चलाते हुए इसका भी ध्यान रखेगी क्योंकि ये ऐसे महाविद्यालय हैं, जो विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय हैं। इसलिए जब, अध्यापकों की संख्या छात्रों की संख्या से ज्यादा हो, तो आपको देखना चाहिए कि यह उच्चतर शिक्षा के विकास की कीमत पर न हो।

इन कुछ शब्दों के साथ, मैं मंत्रालय और माननीय मंत्री महोदय को एक बार फिर बधाई देता हूं और संशोधनकारी विधेयक का समर्थन करता हूं।

**श्री वरकला राधाकृष्णन** (चिरायिंकिल): महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। यह एक सरल विधेयक है जो मिजोरम विश्वविद्यालय के एक विशेष खण्ड में रेक्टर का दर्जा देता है।

[श्री वरकला राधाकृष्णन]

इससे संबंधित हमारे विधायी कार्य के संबंध में मुझे कुछ टिप्पणियां करनी है। जैसा कि हमने देखा, सभा में दिक्कतें आई अव्यवस्था फैली, हमारा संसद विधान बनाती है। इसलिए अच्छी तरह चर्चा किए जाने के बाद ही कानून बनाया जाना चाहिए। कम से कम इस सप्ताह तो सभा में कोई चर्चा नहीं हुई थी। बिना कोई विचार-विमर्श किए तीन या चार विधेयक पारित कर दिए गए। सभा में एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई थी। सरकार को एक बात स्पष्ट कर देनी चाहिए। मेरा कहना है कि स्थिति का लाभ उठाकर और बिना किसी चर्चा के विधेयक को पारित नहीं कराना चाहिए। सभा में दिक्कतें हो सकती हैं। यह स्वभाविक बात है। परन्तु सरकार का कुछ दायित्व है। यह सुनिश्चित करना उनका दायित्व है कि विधेयक उचित चर्चा के बाद ही पारित हो। परन्तु पिछले तीन या चार दिनों से सभा में उचित चर्चा नहीं हुई है। महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए थे। मैंने नोटिस दिया था। मुझे चर्चा में भाग लेने का अवसर नहीं मिला।

यह एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं संप्रग सरकार को इस मामले के प्रति सावधान रहने की सलाह देता हूं। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह विधि निर्माण निकाय सभा में उचित चर्चा के बाद ही कानून बनाए। उदाहरण के लिए टायर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया बिल का मामला लें। टायर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया को संसद के एक अधिनियम द्वारा बनाया गया था। सरकार को इसे सुबह सदस्यों में परिचालित होने वाली पुनरीक्षित कार्य सूची में शामिल करने का ध्यान रखना चाहिए परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया। यदि इसे आज ही संशोधित कार्य सूची में शामिल किया गया होता तो मैं संविधान के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए कतिपय आपत्ति उठाने के लिए उचित नोटिस दे देता। संप्रग सरकार की नीति क्या है? क्या वे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण को समर्थन दे रहे हैं? यदि वे ऐसा नहीं कर रहे तो वे अपनी ही नीति के खिलाफ जा रहे हैं। मैं इस बात पर सहमत हूं कि स्थितियों के अनुरूप सरकार कभी-कभी उदारवादी निर्णय ले सकती है। परन्तु उसे उचित परामर्श के बाद ही लिया जाना चाहिए। सरकार को इस विधेयक को पुनरीक्षित कार्य सूची में शामिल करके हमें अपने विचार प्रकट करने का अवसर देना चाहिए था परन्तु ऐसा नहीं किया गया। सभा के स्थगित होने के उपरांत मध्यान्तर के दौरान हमें एक अनुपूरक कार्य सूची मिली जिसमें इस विधेयक को मद सं. 23 के रूप में शामिल किया गया था। यह ठीक नहीं है।

**सभापति महोदय:** श्री राधाकृष्णन जी इस सभा के समक्ष विषय है मिजोरम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक। आप कृपया उसके बारे में बोलें।

**श्री वरकला राधाकृष्णन:** मैं सभा के सामने विधायी कार्य के संबंध में सरकार के व्यवहार के बारे में बात कर रहा हूं। वह जो कर रहे हैं वह सही नहीं है। एक विधायक के रूप में मुझे 30 से अधिक वर्षों का अनुभव प्राप्त है। मैं केरल विधान सभा का अध्यक्ष रहा हूं और तीन बार इस सभा का सदस्य रहा हूं। परन्तु मैंने पूरी जिन्दगी ऐसी स्थिति नहीं देखी कि जहां सरकार सभा की कार्यवाही के दौरान एक अनुपूरक कार्य सूची के माध्यम से सभा में एक विधेयक को शामिल कर रही है।

जहां तक मिजोरम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक का प्रश्न है तो मैं सार्वजनिक चर्चा हेतु कुछ मुद्दों पर प्रकाश डालना चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री जी, जो इस विधेयक को लाए हैं, का ध्यान कल उच्चतम न्यायालय द्वारा उच्चतर शिक्षा संस्थानों में रैंगिंग के बारे में दिए गए निर्देशों की ओर आकर्षित करवाना चाहूंगा। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि रैंगिंग एक दण्डनीय अपराध है। सभी व्यावसायिक कॉलेजों तथा अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थानों में रैंगिंग की समस्या व्याप्त है। यह न केवल एक दण्डनीय अपराध है बल्कि यह हमारी संस्कृति के विरुद्ध भी है। चूंकि रैंगिंग लगभग सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों में आम बात बन गई है, उच्चतम न्यायालय ने यह निर्देश देना उचित समझा कि यदि रैंगिंग होती है तो संबद्ध शिक्षा संस्थान कारर्वाई करने के प्रति उत्तरदायी होंगे।

महोदय, हम जानते हैं कि शिक्षा एक समवर्ती विषय है। कानून बनाने का विधिक अधिकार भी केन्द्र सरकार के पास है। अत: केन्द्र सरकार को एक ऐसा विधान लाना चाहिए जिसमें सभी राज्य सरकारों को विधान बनाने को कहा जाना चाहिए जिनमें यह प्रावधान हो कि सभी शैक्षणिक संस्थाओं में रैंगिंग पर प्रतिबंध होगा। अत: इस बात की आवश्यकता है कि उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार एक केन्द्रीय विधान बनाया जाए।

उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के संबंध में एक अन्य समस्या है। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय का एक अलग दृष्टिकोण है। परन्तु हमारा दृष्टिकोण उच्चतम न्यायालय के दृष्टिकोण से पूरी तरह अलग है। हम चाहते हैं कि सभी उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को समुचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।

इसके लिए भी, सरकार को हमारे शीर्ष न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण के विरुद्ध एक ठोस दृष्टिकोण अपनाना होगा और मिजोरम विश्वविद्यलय विधेयक पर हम जब भी विचार करें, यह मामला संबद्ध मंत्रालय को अपने ध्यान में भी रखना चाहिए और उन्हें उच्च शिक्षा में अन्य पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के अधिकारों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाना चाहिए। इस प्रयोजनार्थ यदि किसी विधान की आवश्यकता है, तो सरकार को आवश्यकता पड़ने पर एक विधान लाना चाहिए।

इन टिप्पणियों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

*[हिन्दी]*

**श्री गणेश प्रसाद सिंह** (जहानाबाद): सभापति महोदय, मैं मिजोरम विश्वविद्यालय विधेयक, 2007 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। बिल को देखने से बिल्कुल ही स्पष्ट है कि बिल काफी संक्षेप में है, सिर्फ मिजोरम विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा-9 में एक पंक्ति जोड़ती है और वह यह है कि मिजोरम के राज्यपाल इस विश्वविद्यालय के कुलाधिसचिव अधिसचिव होंगे। यह कोई जटिल समस्या नहीं है। आप देखते होंगे कि अन्य प्रदेशों में भी जो विश्वविद्यालय होते हैं, उनके कुल सचिव या कुलाधिपति राज्यपाल महोदय हुआ करते हैं।

सभापति महोदय, मिजोरम विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी और उसके बाद वर्ष 2001 में महामहिम राष्ट्रपति जी इसके विजिटर के रूप में आसीन हुए थे। मिजोरम काफी पिछड़ा क्षेत्र है, इसके विकास एवं उच्च शिक्षा के प्रचार और प्रसार के लिए यह विश्वविद्यालय वहां चल रहा है। पहले इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं था, इसलिए इसके भवन वगैरह नहीं थे, लेकिन अब इसके भवन वगैरह बन कर तैयार हो गए हैं। इसके अधीन काफी डिग्री कॉलेज हैं, इसमें इसकी आवश्यकता थी। इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

*[अनुवाद]*

**श्री अजय चक्रवर्ती** (बसीरहाट): धन्यवाद सभापति महोदय। मुझे इस बात की खुशी है कि इस विधेयक को पारित करने से पहले हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। मैं मिजोरम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूं हालांकि इस विषय पर चर्चा करने का हमारे पास सीमित दायरा है क्योंकि यह विधेयक काफी छोटा है।

महोदय, इस विधेयक को पारित करने के बारे में कोई भिन्न राय नहीं है। परन्तु मैं यह कहूंगा कि मिजोरम देश के उन सात बहनों वाले प्रदेश में से एक है जोकि वित्तीय रूप से काफी कमजोर और पिछड़ा है। हर बार हम इसके बारे में कुछ कहते हैं तथा विभिन्न राजनैतिक दलों तथा मोर्चों से प्रधान मंत्रियों ने कहा है कि सरकार हमारे देश के पूर्वोत्तर राज्यों, सात बहनों को मुख्य धारा में लाना चाहती है।

महोदय, मिजोरम राज्य वित्तीय रूप से एक कमजोर राज्य है। यहां पर अवसंरचनात्मक सुविधाओं की कमी है। मिजोरम राज्य सरकार ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना राज्य में विद्यार्थियों को उचित तथा उच्च शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की थी। परन्तु गरीब राज्य होने के कारण यहां अवसंरचनात्मक सुविधाएं काफी कम हैं।

महोदय, शिक्षा समवर्ती सूची में है। परन्तु लोगों को शिक्षा देना राज्य का भी दायित्व है साथ ही भारत सरकार का यह परम कर्तव्य हो जाता है कि किसी राज्य विशेष के लोगों मुख्य रूप से विद्यार्थियों के उत्थान हेतु राज्य सरकार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए।

जहां तक विश्वविद्यालय का सवाल है, राज्यपाल को कुछ अधिकार दिए गए हैं। कुछ विश्वविद्यालयों, जैसे विश्व भारती विश्वविद्यालय को छोड़कर जहां तक मैं जानता हूं अधिकांश विश्वविद्यालयों में राज्यपाल ही उस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है। अतः राज्यपाल को विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होना चाहिए। इसके बारे में कोई भिन्न राज्य नहीं है।

**अपराह्न 2.00 बजे**

मैं माननीय मंत्री जी तथा इस सम्माननीय सभा के समक्ष विनम्रतापूर्ण यह निवेदन करता हूं कि मिजोरम वित्तीय रूप से कमजोर तथा पिछड़ा राज्य है - यह पहाड़ी क्षेत्र है - भारत सरकार को मिजोरम की शिक्षा प्रणाली के विकास हेतु सभी संभव वित्तीय सहायता तथा अन्य तरह की सहायता देने के लिए आगे आना चाहिए। इसे उनकी वित्तीय रूप से सहायता करनी चाहिए; इसे अवसंरचनात्मक सुविधाएं देकर उनकी मदद करनी चाहिए ताकि वे अन्य बड़े और पुराने विश्वविद्यालयों की तरह ही अपने विश्वविद्यालय के छात्रों को विभिन्न विषय पढ़ने का अवसर दे सके।

[श्री अजय चक्रवर्ती]

मैं आशा करता हूं कि सरकार इस मामले पर विचार करेगी तथा शिक्षा सुविधाओं में सुधार लाने, वहां अवसंरचनात्मक सुविधाओं में सुधार लाने के लिए उचित कदम उठाएगी तथा कार्यवाही करेगी ताकि देश के अन्य विकसित राज्य की तरह ही मिजोरम तथा अम्य पूर्वोत्तर राज्यों के छात्रों को उच्च शिक्षा मिल सके।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं।

**सभापति महोदय:** श्री फ्रांसिस फैन्थम - उपस्थित नहीं।

श्री मणि चारेनामै।

**श्री मणि चारेनामै** (बाहरी मणिपुर): सभापति महोदय, मैं मिजोरम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007 का समर्थन करता हूं। मिजोरम आकार की दृष्टि से एक छोटा राज्य है। यह आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ राज्य है। परंतु शिक्षा और साक्षरता के मामले में यह केरल के बाद दूसरे स्थान पर है। पूर्वोत्तर राज्यों के बीच यह पूर्णत: जनजातीय राज्य है और इसने इस देश में अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत उन्नति की है। इसने देश को मेधावी छात्र और कार्यकुशल व्यक्ति दिए हैं और इनमें से अनेक व्यक्ति अब अखिल भारतीय सेवाओं में हैं तथा वे राष्ट्र को अच्छी सेवा प्रदान कर रहे हैं।

इस विश्वविद्यालय को मात्र न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं ही उपलब्ध नहीं करवानी चाहिए अपितु उसे ऐसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए जो देश के अन्य अच्छे विश्वविद्यालयों को उपलब्ध करायी जा रही हैं क्योंकि इन विश्वविद्यालयों में पर्याप्त शिक्षित व्यक्ति हैं और ये विश्वविद्यालय का संचालन कुशलतापूर्वक कर सकते हैं। परंतु समस्या इस बात की है कि वहां अच्छे प्रोफेसर और शिक्षक मिलने में बहुत कठिनाई होती है। केंद्रीय विश्वविद्यालय होने के कारण वहां पर शिक्षकों की नियुक्ति भी केंद्रीय मानदंडों के अनुसार की जाती है। परंतु एस.टी. कोटा केवल 7.5 प्रतिशत होने के कारण कभी-कभी हमें कठिनाई होती है। कोटा अति सीमित होने के कारण कभी-कभी सिर्फ राज्य के व्यक्तियों को भी नौकरी नहीं दी जा सकती है। हम पाते हैं कि इन दूरस्थ क्षेत्रों में लोग आना भी नहीं चाहते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में शिक्षकों की कमी सबसे बड़ी समस्या है। मैं मणिपुर विश्वविद्यालय के कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं कि गत वर्ष मणिपुर विश्वविद्यालय में 70 शिक्षकों की भर्ती की गई थी जिनमें से 23 प्रोफेसर, 26 रीडर और 21 लेक्चरर थे। प्रोफेसर और रीडर वाली शुरू की श्रेणी में एस.सी./एस.टी. के लिए आरक्षण नहीं था। केवल लेक्चर के मामले में - 21 लेक्चरर-एस.सी./एस.टी. और ओ.बी.सी. के लिए आरक्षण था। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इस प्रकार का भेदभाव किया जा रहा है।

यही कारण है कि हमें राज्य के राज्यपाल अथवा किसी निष्पक्ष प्राधिकारी को इसमें शामिल किए जाने की आवश्यकता है ताकि वह न्याय कर सकें। मणिपुर जैसे राज्य में अनेक समुदाय के लोग एक साथ रहते हैं वहां पर जनजातीय जनसंख्या राज्य की जनसंख्या का 33 प्रतिशत हिस्सा है तो ऐसे में विश्वविद्यालय और साथ ही छात्रों के हित में सभी व्यक्तियों के साथ न्याय करने के लिए निष्पक्ष प्राधिकरण की भूमिका अति महत्वपूर्ण है।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं मिजोरम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

**श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी** (नालगौंडा): सभापति महोदय, मुझे इस विधेयक के बारे में भ्रम है। जहां तक मैं समझता हूं तो पूरे देश में राज्यपाल, जोकि संवैधानिक प्रमुख हैं वे विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं जबकि यहां यह प्रस्ताव है कि मिजोरम राज्य के राज्यपाल विश्वविद्यालय के चीफ रेक्टर होंगे। यदि ऐसा ही है तो मुझे मालूम नहीं है कि इस पद का नाम कुलाधिपति क्यों नहीं रखा जाता है। इसका पदनाम चीफ रेक्टर क्यों है? अधिकांश विश्वविद्यालयों में चीफ रेक्टर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर होते हैं। मुझे नहीं मालूम कि चीफ रेक्टर क्या है। जिस समय माननीय मंत्री जी विधेयक को पुर:स्थापित कर रहे थे तो उस समय विघ्न के कारण कुछ भी नहीं सुना जा सका। मुझे पता नहीं है कि इस बारे में कोई स्पष्टीकरण है।

निसंदेह, मैं इसका विरोध नहीं करता हूं क्योंकि राज्यपाल को विश्वविद्यालय का चीफ रेक्टर बनाने वाले इस संशोधन का कारण मेरी समझ नहीं आता है। मैं उनका स्पष्टीकरण सुनना चाहूंगा।

मैं इस अवसर पर कुछ मुद्दों को प्रस्तुत करना चाहूंगा।

एक महान और बड़ा देश होने के नाते भारत, विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में अधिक से अधिक विश्वविद्यालय, खोले जाने

की आवश्यकता है, विश्वविद्यालय इन क्षेत्रों में शिक्षा के विशेषीकरण का विस्तार करने में सहायता करेंगे। यदि सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र में नए विश्वविद्यालय खोलने की स्थिति में है तो उसे और नए विश्वविद्यालय खोलने चाहिए।

यद्यपि सरकार शिक्षा पर दिनोंदिन अधिक व्यय कर रही है तथापि लोगों का यह मानना है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार अपनी जवाबदेही से पीछे हट रही है। यह सच है कि हमें प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के लिए अधिक धन राशि खर्च करनी होगी और ऐसे में हमारे देश में जहां 300 मिलियन व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं वहां हमें उच्च शिक्षा पर भी अच्छी खासी धनराशि खर्च करने की आवश्यकता है। हम इसे केवल निजी क्षेत्र नहीं छोड़ सकते हैं। तथाकथित निजी विश्वविद्यालय और विदेशी विश्वविद्यालय हमारी शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा नहींकर रहे हैं। वे यहां लोगों की भलाई करने और शिक्षा को प्रोन्नत करने की दृष्टि से नहीं बल्कि धन कमाने आए हैं। अतः भारत सरकार को उच्च शिक्षा के विस्तार, अधिक धनराशि खर्च करने तथा और विश्वविद्यालय स्थापित करने की अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना चाहिए। हमारे देश में अनेक अन्य देशों की तुलना में विश्वविद्यालयों की संख्या काफी कम है। इसके लिए यह आवश्यक है कि हम इसके ऊपर अधिक धन व्यय करें तथा नए विश्वविद्यालयों की स्थापना करें। ऐसे में, हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि इन विश्वविद्यालयों से शिक्षा पाकर निकलने वाले छात्रों को विशेषज्ञ के रूप में स्वीकार किया जाए।

महोदय, इस अवसर पर माननीय मंत्री से मेरी अपील है कि मेरे संसदीय क्षेत्र नालगौंडा, आंध्र प्रदेश में एक प्रसिद्ध स्वामी रामानन्द तीर्थ ग्रामीण संस्थान है। माननीय मंत्री इस संस्थान के बारे में अवश्य जानती होंगी क्योंकि वह आंध्र प्रदेश से है। प्रारंभ में इसे ग्रामीण विश्वविद्यालय के रूप में शुरू करने का प्रस्ताव था किंतु किसी स्नातक पाठ्यक्रमों और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की अनुमति नहीं दिए जाने के कारण यह अभी भी संस्थान ही है। इसके पास वे सभी आवश्यक संसाधन तथा योग्यताएं मौजूद हैं जो किसी विश्वविद्यालय की आवश्यकता हैं।

मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि इस संस्थान को स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए विशेष धन आबंटित किया जाए तथा इसे पूर्ण विश्वविद्यालय घोषित किया जाए।

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी):** सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं अपने उन सभी मित्रों को धन्यवाद देना चाहती हूं जन्होंने इस चर्चा में भाग लिया और इस विधेयक का समर्थन किया।

जैसा कि मेरे कुछ मित्रों ने ठीक ही कहा है कि उन उन राज्यों में, जहां केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं, वहां राज्यपाल की अभी भी भागीदारी है। परंतु मिजोरम में ऐसा नहीं है, इसलिए इस विधेयक के माध्यम से वहां भी राज्यपाल की महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित की गई है। मैं संक्षेप में कुछ कारण बताना चाहती हूं कि जिनकी वजह से मिजोरम विश्वविद्यालय के कार्यकरण में राज्यपाल की भूमिका को सम्मिलित किए जाने की मांग की गई थी।

यद्यपि चीफ रेक्टर की विश्वविद्यालय की कोर्ट में कतिपय सदस्यों को नामित करने के अतिरिक्त केंद्रीय विश्वविद्यालय के कार्यकरण में प्रत्यक्ष रूप से कोई भूमिका नहीं होती है तथापि, वह विश्वविद्यालय को विशेषकर, ऐसी स्थितियों में, जहां एक अनुभवी व्यक्ति के रूप में उसकी सलाह मांगी जाती है सलाह देकर अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निर्णायक महत्व वाले मामलों में, जहां मुद्दे बहुत संवेदनशील होते हैं, उनकी सलाह बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए केंद्रीय विश्वविद्यालय के कार्यकरण में राज्यपाल की भूमिका अति महत्वपूर्ण है।

महोदय, इसके अतिरिक्त, मानव संसाधन विकास संबंधी विभागीय स्थायी समिति ने भी मणिपुर विश्वविद्यालय, विधेयक, 2005 संबंधी अपने प्रतिवेदन में टिप्पणी की थी कि राज्यपाल को केंद्रीय विश्वविद्यालयों विशेषकर, सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित विश्वविद्यालयों में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी, केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच महत्वपूर्ण कड़ी होने के नाते यह आवश्यक समझा गया कि इन विश्वविद्यालयों में राज्यपालों की भूमिका को और अधिक महत्वपूर्ण और अनिवार्य बनाया जाए?

इसीलिए, यह प्रस्ताव किया गया है कि मिजोरम के राज्यपाल को मिजोरम के चीफ रेक्टर के रूप में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी और यही कारण है कि आज इस सम्मानीय सभा में मिजोरम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक लाया गया है।

मैं माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त कुछ शंकाओं का समाधान करना चाहता हूं। श्री तापिर गाव को उत्तर-पूर्व क्षेत्र को प्रदान की गई सहायता के बारे में शंका थी। यहां, मैं यह

[श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी]

बताना चाहती हूं कि वर्तमान में देश के विभिन्न हिस्सों में 21 केन्द्रीय विश्वविद्यालय कार्यरत हैं, उनमें से सात तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में ही हैं। इसके अलावा, संसद ने कुछ अन्य विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में बदलने के लिए तीन और अधिनियमों को पारित किया है, उनमें त्रिपुरा राज्य विश्वविद्यालय भी एक है। मैं यह भी बताना चाहती हूं कि वर्तमान में इनमें 20 स्नातकोत्तर और 19 अवर स्नातक विभाग हैं। यद्यपि इन सभी संकायों की स्थापना का निर्णय विश्वविद्यालय प्राधिकारियों को लेना होता है। यू.जी.सी./ केन्द्र सरकार विश्वविद्यालय की पहल के बिना कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। लेकिन प्रौद्योगिकी संकाय और प्रबंधन संकाय को अतिरिक्त सहायता के साथ आरम्भ किया जा रहा है।

जहां तक मणिपुर विश्वविद्यालय में प्रथम रजिस्ट्रार और प्रथम वित्त अधिकारी की नियुक्ति में विलम्ब के बारे में डा. टोकचोम मैन्या द्वारा व्यक्त शंकाओं का संबंध है, इसका कारण यह है कि विश्वविद्यालय ने 'बिजिटर' के पास केवल एक ही नाम भेजा था। इसलिए, अब अपेक्षानुसार संशोधित प्रस्ताव भेजा गया है। विजिटर द्वारा इसके बारे में निर्णय लिया जायेगा।

इसके अतिरिक्त, मिजोरम विश्वविद्यालय को दसवीं योजना के दौरान विकास योजना के अन्तर्गत 76 करोड़ रुपये और रखरखाव के लिए गैर-योजनागत व्यय के अन्तर्गत 37.52 करोड़ रुपये अतिरिक्त आबंटित किये गए।

अब, ग्यारहवीं योजना के दौरान विश्वविद्यालय अधिक आबंटन के लिए यू.जी.सी. और संघ सरकार को प्रस्ताव भेजने के लिए स्वतन्त्र है और उस पर विचार भी किया जायेगा। कई सदस्यों ने अपने-अपने राज्यों में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को आरम्भ करने का मुद्दा उठाया है। परन्तु सरकार की मौजूदा नीति पहले से ही विद्यमान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में सुविधाओं का विस्तार और सुदृढ़ करने की है, न कि जगह-जगह थोड़ी-थोड़ी धनराशि आबंटन करने और न ही किसी विश्वविद्यालय को सीमित संसाधनों के कारण पूरी तरह सहायता देने की है। इसलिए, अन्य पिछड़े क्षेत्रों में नये केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की सम्भावनाओं का पता ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान ही लगाया जायेगा। तथापि, हाल ही में हुई राज्यों के शिक्षा मंत्रीयों के सम्मेलन में, यह संकल्प लिया कि ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान जिन राज्यों में केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं हैं वहां किसी एक राज्य विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय के समान वित्त पोषित किया जायेगा।

मेरे विचार में मैंने अपने सभी साथियों की शंकाओं का समाधान कर दिया है और मैं इस विधेयक को पारित करने में समर्थन की मांग करती हूं।

*[हिन्दी]*

**सभापति महोदय:** मैं समझता हूं कि अब विधेयक को पास करने की कार्यवाही की जाए।

*[अनुवाद]*

प्रश्न यह है:

"मिजोरम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000, राज्यसभा द्वारा यथापारित, में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

**सभापति महोदय:** अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।*

*खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।*

**सभापति महोदय:** मंत्री महोदया अब विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव कर सकती हैं।

**श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी:** मैं प्रस्ताव करती हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

**सभापति महोदय:** प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

---

**अपराह्न 2.18 बजे**

## नियम 193 के अधीन चर्चा

### (एक) ग्लोबल वार्मिंग*...*जारी*

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय:** अब सभा मद संख्या 26 - नियम 193 के अन्तर्गत ग्लोबल वार्मिंग पर चर्चा करेगी।

अब, माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे।

**श्री खारबेल स्वाईं** (बालासोर): महोदय, कल जब हम विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो मंत्री जी, श्री कपिल सिब्बल ने भाजपा जैसी पार्टी पर कुछ व्यंग्यात्मक टिप्पणियां की थी। उन्होंने कहा, "भाजपा एक कार्बन डाईआक्साइड पार्टी है। यह एक कार्बन मोनोआक्साइड पार्टी है"...*(व्यवधान)*

**संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी):** मैं समझता हूं कि नियमानुसार वह कार्यवाही वृत्तांत का हिस्सा नहीं है।

**श्री खारबेल स्वाईं:** मैं कहना चाहता हूं कि मैं भी कड़े शब्दों का प्रयोग कर सकता हूं परन्तु मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा।

**सभापति महोदय:** मुझे लगता है कि यह कार्यवाही वृत्तांत का हिस्सा नहीं है।

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी:** यह कार्यवाही वृत्तांत का हिस्सा नहीं है। आप अनावश्यक रूप से इसे कार्यवाही वृत्तांत में लाकर अपनी पार्टी की छवि खराब कर रहे हैं। यह कार्यवाही वृत्तांत का हिस्सा नहीं था।

**पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा):** यह कुछ और नहीं अपितु लगातार हस्तक्षेप किया जा रहा है।

**सभापति महोदय:** इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी:** इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया। आप इसे कार्यवाही वृत्तांत में ला रहे हैं ...*(व्यवधान)*

**श्री खारबेल स्वाईं:** किन्तु वे इतने भी खराब वक्ता नहीं है। मैं केवल यही टिप्पणी करना चाहता हूं।

*श्री सी.के. चन्द्रप्पन द्वारा 8 मई 2007 को ग्लोबल वार्मिंग पर उठाई गई चर्चा जारी।

**सभापति महोदय:** नहीं, इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइये।

**श्री खारबेल स्वाईं:** कल, किसी ने कहा कि कोई सदस्य...*। किन्तु अध्यक्ष महोदय ने पीठ की ओर से कहा कि इस प्रकार के शब्द का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। किन्तु क्या आप यह आशा करते हैं कि किसी भी पार्टी को इस प्रकार के अन्य पार्टी के विरुद्ध ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए?...*(व्यवधान)* मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। मैंने इस प्रकार के शब्दों का कभी इस्तेमाल नहीं किया ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** उसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया था और आपकी इस बात को भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

**श्री सी.के. चन्द्रप्पन** (त्रिचुर): महोदय, मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं। उनके उत्तर के साथ, मैं सोचता हूं कि चर्चा पूरी हो गई है। क्या नहीं? किन्तु मेरे विचार में यह वादा किया गया था कि श्री कपिल सिब्बल हस्तक्षेप करेंगे।

**सभापति महोदय:** उन्होंने अपना भाषण पूरा कर दिया है।

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी:** मैं सोचता हूं कि श्री चन्द्रप्पन को यह पता होना चाहिए कि चर्चा पूरी हो गई है। यह आज सुबह इस बैठक में निर्णय हो गया है। अब, मंत्री जी को उत्तर देना है।

**सभापति महोदय:** अब, मंत्रीजी उत्तर देंगे।

...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** दो मिनटों में ही उनका भाषण पूरा हो जायेगा।

**श्री खारबेल स्वाईं:** बेहतर होगा कि वह कम से कम दस मिनट बोलें...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**सभापति महोदय:** रिकार्ड में कुछ नहीं जा रहा है, आप क्यों हल्ला कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*[अनुवाद]*

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल):** महोदय, वह संबंधित मंत्री हैं। मुझे बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** वह बोलना नहीं चाहते।

...*(व्यवधान)*

**श्री ए. राजा:** महोदय उन सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस वाद-विवाद में भाग लिया है।...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**सभापति महोदय:** वह बोल चुके हैं।

...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय:** कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*(व्यवधान)**...

**श्री खारबेल स्वाईं:** यह इसलिए है क्योंकि ऐसा लगता है मानो मैंने उन्हें बोलने से रोका है...*(व्यवधान)*

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी:** कृपया हमें सभा को सुचारू रूप से चलाने दीजिए। प्रातःकालीन बैठक में सभी नेताओं के साथ यह निर्णय लिया गया था कि...*(व्यवधान)*

**श्री खारबेल स्वाईं:** मैं दोषी महसूस कर रहा हूं क्योंकि ऐसा लगता है कि मैंने उन्हें रोका है...*(व्यवधान)*

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी:** दोषी महसूस मत कीजिए। आपको दोषी महसूस नहीं करना चाहिए और उन्हें कभी भी संकोच महसूस नहीं करना चाहिए।...*(व्यवधान)*

**श्री ए. राजा:** दोषी महसूस मत कीजिए। उनका समय आएगा...*(व्यवधान)*

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी:** उन्हें जब भी मौका मिलेगा, वे आपके दर्शन पर प्रहार करना जारी रखेंगे...*(व्यवधान)*

**श्री खारबेल स्वाईं:** मैं विघ्न नहीं डाल रहा हूं। मैं दस मिनट से बोलने के लिए पूछ रहा हूं...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**सभापति महोदय:** आपका इंटरवेंशन लिखा नहीं जारहा है, आप क्यों बोल रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री ए. राजा:** महोदय, मुझे उन सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने इस महत्वपूर्ण वाद-विवाद में भाग लिया है, जोकि समूचे देश में एक ज्वलंत विषय है। चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन से जुड़े अभिप्राय अभिव्यक्त किए गए। चर्चा पर अपना उत्तर शुरू करने से पूर्व मैं श्रीमती इंदिरा गांधी का नमन् करूंगा जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के नाम से यह अत्यन्त ही महत्वपूर्ण विधान लाने की पहल की। 1986 से पूर्व ऐसा कोई विधायी उपाय नहीं किया गया था। निःसंदेह 1986 के पश्चात ही हम ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के बारे में चिंतित हुए। यही नहीं, वर्ष 1980 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के नाम से एक अन्य विधान भी लाई थीं। इससे पूर्व निःसंदेह भारतीय वन अधिनियम, 1927 था। किन्तु यह केवल एक निषेधात्मक उपबंध था और उन दिनों कोई भी विनियामक उपबंध उपलब्ध नहीं था। केवल 1980 के बाद ही श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान ये सारे उपाय शुरू किए गए। अब हम सर्वाधिक उपयुक्त समय पर इस विषय पर चर्चा शुरू कर रहे हैं।

माननीय सदस्यों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि कुछ माननीय सदस्यों ने ग्लोबल वार्मिंग पर इस सभा में यह अभिव्यक्त किया है कि ग्लोबल वार्मिंग पर क्षेत्रीय सीमाओं में ही नियंत्रण किया जा सकता है। सभा के सभी माननीय सदस्यों के प्रति सद्भाव रखते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि दिमाग में ऐसी विनिर्दिष्टता को रखते हुए ऐसी क्षेत्रीय सीमा मौसम परिवर्तन के साथ नहीं जोड़ी जा सकती। विश्व के सभी देशों द्वारा जलवायु परिवर्तन को समग्रता में देखना होगा।

जब भी हम ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र और अन्य देशों द्वारा किए गए दो महत्वपूर्ण उपायों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। कुछ माननीय सदस्यों ने, विशेषकर मेरे पूर्ववर्ती श्री सुरेश

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रभाकर प्रभु, जो कि दुर्भाग्यवश यहां नहीं हैं, इस विषय पर बहुमूल्य विचार रखे। उन्होंने कहा कि 1750 के बाद ही विकासात्मक क्रियाकलापों के कारण मानव अभिप्रेरित जलवायु परिवर्तन की शुरुआत हुई।

इस चर्चा को शुरू करने वाले माननीय सदस्य श्री चन्द्रप्पन ने एक बहुत जायज मुद्दा उठाया कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं और विशेष रूप से इस प्रयोजनार्थ अध्ययन हेतु देश में एक और संस्थान स्थापित किया जा सकता है। नि:संदेह, श्रीमती इंदिरा गांधी एक समिति चाहती थी जिसमें अन्तरमंत्रालयी सदस्य हों। मैं समझता हूं कि सभी माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि जब माननीय वित्त मंत्री द्वारा इस सभा में बजट प्रस्तुत किया गया, तो बजट भाषण में ही यह स्पष्ट रूप से कह दिया गया था कि जलवायु परिवर्तन संबंधी एक विशेषज्ञ समिति होगी जिसमें सभी मंत्रालय होंगे, वे जो जलवायु परिवर्तन से किसी भी प्रकार से जुड़े हैं, अर्थात् पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा अन्य मंत्रालय।

इस सभा में किए गए वादे के अनुसार डा. चिदम्बरम की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर दी गई और इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।

माननीय सदस्यों द्वारा इस सभा में अभिव्यक्त प्रश्नों और आशंकाओं का उत्तर देने से पूर्व, मैं कहूंगा कि हम दो अति महत्वपूर्ण दस्तावेजों जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय और क्योटो प्रोटोकॉल से दिशा-निर्देश ले रहे है। जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय एक प्रणाली है जिसके माध्यम से सभी देशों को 1994 में अपने उत्सर्जनों को निर्धारित करने की अनुमति है। उससे पूर्व किसी भी देश से उसके उत्सर्जनों को निर्धारित करने के लिए नहीं कहा गया था। उत्सर्जन तो थे, किन्तु किसी भी देश को अपने उत्सर्जनों के बारे में संयुक्त राष्ट्र को रिपोर्ट देने के लिए नहीं कहा गया था। 1994 में जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय के अंतर्गत ऐसा किया गया था। प्रत्येक देश में उत्सर्जन निर्धारण का मूल्यांकन किया गया था, जो कि संयुक्त राष्ट्र को सूचित कर दिया गया था और यह लोगों की जानकारी के लिए रख दिया गया ताकि लोग जान सकें कि इस विश्व को कौन से देश प्रदूषित कर रहे हैं। जब भी हम जलवायु परिवर्तन या ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, आमतौर पर प्रयुक्त होने वाले बहुत ही सूचक, महत्वपूर्ण शब्द हैं 'सतत विकास'। भारत एक ऐसा देश है जिसकी अपनी एक अनन्य धारणा है कि हमें सतत विकास का किस प्रकार उपयोग करना है। जब भी हम योजना बनाते हैं, तो वह योजना आर्थिक विकास में तेजी लाने वाली होनी चाहिए किन्तु द्रुत आर्थिक विकास और योजना निर्माण को सतत विकास के सिद्धांत के साथ जुड़ा होना चाहिए। भारत द्वारा अंतरराष्ट्रीय मंचों पर यही रुख लिया गया है।

जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय के अनुसार, भारत ने अपने उत्सर्जनों का मूल्यांकन किया है। कुछ सदस्यों के मन में बिना परिणाम जाने यह आशंका थी कि जलवायु परिवर्तन भारत को अधिक प्रभावित करेगा या हम विश्व में सबसे बड़े उत्सर्जक हैं। जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय ने सभी देशों को अपने उत्सर्जन निर्धारण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। हमें अन्तरराष्ट्रीय समुदाय के सामने यह बताने में गर्व है कि वैश्विक उत्सर्जन में हमारा हिस्सा केवल 4 प्रतिशत है जबकि हमारे यहां विश्व की कुल जनसंख्या का 17 प्रतिशत है। नि:संदेह, वैश्विक औसत 23 प्रतिशत हो सकता है। यदि अन्य देशों के साथ तुलना की जाए तो हमारा उत्सर्जन अमेरिका का 4 प्रतिशत, जर्मनी का 8 प्रतिशत, यू.के. का 9 प्रतिशत और जापान का 10 प्रतिशत है। कल मेरे सहयोगी श्री कपिल सिब्बल ने ग्रीनहाउस गैसों - कार्बन डाई ऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में बताया। संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार निर्धारण की दृष्टि से 1994 में हमारा उत्सर्जन 793 मिलियन टन कार्बन-डाईऑक्साइड, 18 मिलियन टन मीथेन और 0.017 मिलियन टन नाइट्रस ऑक्साइड था।

जलवायु परिवर्तन या ग्लोबल वार्मिंग के संबंध में इस देश में क्या चल रहा है। जैसा कि मैंने पहले कहा, इस विश्व में कोई देश अकेले जलवायु परिवर्तन के बारे में सोच नहीं सकता और अनन्य रूप से जलवायु परिवर्तन के बारे में नहीं बोल सकता। यह एक वैश्विक घटना है। यदि भारत उत्सर्जन नहीं करेगा तो कोई और देश करेगा, तो स्वत: ही जलवायु परिवर्तित हो जाएगी। उसके लिए क्योटो प्रोटोकॉल अस्तित्व में आया। क्योटो प्रोटोकॉल के संबंध में सदस्य अवगत हैं कि विकसित देशों और विकासशील देशों में लड़ाई है। हमारे अनुसार हम केवल चार प्रतिशत उत्सर्जन कर रहे हैं जबकि यू.एस., यू.के., और आस्ट्रेलिया का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन विश्व में सबसे अधिक है। विकास के अनुसार उनके पास अधिक उद्योग हैं, अधिक एल्यूमिनियम कारखाने हैं, और अधिक डिसिलरियां हैं। अत: विकसित देश अधिक उत्सर्जन कर रहे हैं जिसके कारण जलवायु परिवर्तित हो रही है और जलवायु परिवर्तन के कारण विकासशील देश प्रभावित हो रहे हैं।

[श्री ए. राजा]

अब, जलवायु परिवर्तन के संबंध में डब्ल्यू.टी.ओ. में समानान्तर वार्ताएं चल रही हैं। कुछ दिनों पहले, प्रधानमंत्री ने डब्ल्यू.टी.ओ. में भी एक वक्तव्य दिया था कि विकसित देश गैर-व्यापारिक मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं जबकि पहले यह वादा किया गया था कि डब्ल्यू.टी.ओ. में गैर-व्यापारिक मुद्दों की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब विकसित देश हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि पर्यावरणीय मुद्दों पर विश्व व्यापार संगठन में ही विचार विमर्श हो। अतएव, इतनी महत्वपूर्ण बहस विश्व में चल रही है। क्योटो प्रस्ताव के अंतर्गत विकासशील देशों को पूर्ण संरक्षण प्रदान किया गया था तथा भारत सहित विकासशील देशों की क्योटो प्रस्ताव में कोई प्रतिबद्धता नहीं है। इसे स्वीकार किया गया क्योंकि हम न्यूनतम प्रदूषणकर्ता हैं। जो भी विश्व को प्रदूषित करता हो उसे ज्यादा पैसे अदा करने होंगे।

क्योटो प्रस्ताव के प्रावधानों के अनुसार भारत काफी सुरक्षित है तथा इसका उत्सर्जन सीमा के अंदर है। लेकिन हम इस सीमा में और कमी के प्रति कोई प्रतिबद्धता नहीं दे सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रति चाहे वह संयुक्त राष्ट्र हो या विभिन्न देशों द्वारा गठित अन्य कोई मंच हो के प्रति हमारा रुख स्पष्ट है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम अन्य देशों यथा, आस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा इत्यादि के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। हम इसके प्रति जर्मनी में हाल में जी-8 प्लस 5 के पर्यावरण मंत्रियों के सम्मेलन में भी हमारा रुख काफी स्पष्ट था।

हां, विकसित देशों की तुलना में हमारा उत्सर्जन काफी कम है लेकिन हम कोई प्रतिबद्धता नहीं दे सकते हैं। साथ ही, माननीय सदस्यों सहित कुछ लोग यह सोच रहे हैं कि भारत ज्यादा प्रदूषण कर रहा है क्योंकि क्योटो प्रभाव उत्सर्जन कम करने के लिए भारत को बाध्य नहीं करता है। यह बात पूरी तरह से गलत है तथा हमें इसे अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। यहां तक कि क्योटो प्रस्ताव के अंतर्गत जी.एच.जी. उत्सर्जन कम करने के लिए हमारी कोई प्रतिबद्धता नहीं है, तब भी हम अपने उत्सर्जन को कम करने के लिए त्वरित तथा प्रभावी कदम उठा रहे हैं।

क्योटो प्रोटोकॉल के विस्तार में जाने के पूर्व ग्लोबल वार्मिंग का मामला है। हम किस प्रकार ग्लोबल वार्मिंग कम कर सकते हैं? क्योटो प्रस्ताव विद्यमान है तथा यह कहता है कि सभी विकसित देश अपना उत्सर्जन कम करें। इसके आगे, विकसित देश कोई प्रतिबद्धता नहीं करें, लेकिन वे यह अवश्य देखें कि वे अपनी क्षमता के अनुरूप उत्सर्जन कम करने में प्रभावी कदम उठाएं...*(व्यवधान)*

**श्री विक्रम केशरी देव** (कालाहांडी): सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री से एक मिनट समय देने के लिए कहूंगा।

**सभापति महोदय:** कृपया उन्हें अपनी बात समाप्त करने दें, तथा आप अपनी बात उनके उत्तर समाप्त होने के बाद कह सकते हैं।

*...(व्यवधान)*

**श्री विक्रम केशरी देव:** सभापति महोदय, ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे पर बाद में चर्चा होनी थी। पीठासीन अधिकारी का आदेश था कि ग्लोबल वार्मिंग पर बाद में चर्चा होगी। तत्पश्चात् माननीय मंत्री चर्चा का उत्तर देंगे। आज यह मामला अचानक आया तथा किसी सदस्य ने चर्चा में हिस्सा नहीं लिया। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि माननीय मंत्री जब अपना उत्तर समाप्त करें तब उनसे कुछ स्पष्टीकारक प्रश्न पूछने के लिए हमें कुछ समय दें। हम माननीय मंत्री से कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर, जो हमारे मस्तिष्क में हैं; स्पष्टीकरण पूछना चाहते हैं।

**सभापति महोदय:** यह ठीक है।

**श्री विक्रम केशरी देव:** धन्यवाद, महोदय।

**श्री ए. राजा:** यद्यपि क्योटो प्रोटोकाल के अंतर्गत व्यक्त रूप से कोई प्रतिबद्धता नहीं है तथापि भारत सरकार जलवायु परिवर्तन तथा उत्सर्जन जैसे मुद्दों पर काफी ज्यादा चिंतित है। उत्सर्जन में कमी लाने हेतु क्योटो प्रोटोकाल के अन्तर्गत दो प्रणालियां हैं - एक घरेलू तथा दूसरी अन्तर्राष्ट्रीय। क्योटो प्रोटोकाल के अंतर्गत अन्तर्राष्ट्रीय 'आउटलेट' क्या है? यह 'क्लीन डेवलेपमैंट मैकेनिज्म' परियोजना कहलाता है। सी.डी.एम. परियोजना एक प्रणाली है जहां विकसित देश प्रौद्योगिकी तथा वित्तीय सहयोग का उपयोग करके विकासशील देशों में उत्सर्जन कम करते हैं। विकसित देशों के मामले में उत्सर्जन को कम करने में छूट दी जा सकती है। यह सी.डी.एम. के अंतर्गत उपलब्ध प्रणाली है। सी.डी.एम. परियोजनाओं में भारत का सबसे अधिक संभावनापूर्ण खाता है। लगभग, 599 परियोजनाओं को अब तक सी.डी.एम. परियोजनाओं के अन्तर्गत मंजूरी मिली है तथा भारत इस संबंध में सबसे बड़ा सफल देश है।

घरेलू प्रयास क्या हैं? केवल सांसद ही नहीं, आम आदमी भी जानता है कि भारत उत्सर्जन कम करने के

संबंध में चिंतित नहीं है क्योंकि क्योटो प्रोटोकाल के अनुसार, विकासशील देशों की जी.एच.जी. को कम करने के लिए कोई प्रतिबद्धता नहीं है। हम क्योटो प्रोटोकाल के प्रति काफी चिंतित थे यद्यपि कोई व्यक्त प्रतिबद्धता नहीं है। मैं ऐसा कैसे कह सकता हूं? विद्युत अधिनियम, 2003 में जिस प्रकार देश की विद्युत परियोजना का कार्य सोचा गया है, वह इसका आधार है। मैं इस संबंध में विस्तृत कदम तथा उपाय का उल्लेख कर सकता हूं।

यदि विद्युत का कोयला या अन्य किसी सामग्री से उत्पादन किया जाता है तो प्रदूषण होगा। उत्सर्जन कम करने तथा प्रदूषण घटाने के लिए हम पनबिजली तथा नवीकरणीय विद्युत का सहारा ले रहे हैं। 1994 से लगभग, 3.26 मिलियन बायोगैस संयंत्र; 34.3 मिलियन सुधारीकृत लकड़ी के स्टोव; 3,50,000 सौर लालटेन; 1,77,000 सोलर होम लाइटिंग सिस्टम, 41,400 सोलर स्ट्रीट लालटिंग सिस्टम; तथा 4,200 सोलर पम्प सेट अधिस्थापित किए गए हैं। ...*(व्यवधान)*

**डा. सुजान चक्रवर्ती** (जादवपुर): हमारी कुल विद्युत आवश्यकता का यह कितना प्रतिशत है?

**श्री ए. राजा:** वह अलग है। हम कितना उपयोग करने जा रहे हैं तथा हमारी आवश्यकता कितनी है, यह एक अलग मुद्दा है।...*(व्यवधान)*

**डा. सुजान चक्रवर्ती:** यह एक प्रतिशत से कम है।

**सभापति महोदय:** मंत्री जी को अपनी बात समाप्त करने दें।

**श्री ए. राजा:** मैं सभा के सामने यह निवेदन करता हूं कि हम विद्युत क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सभा के अभिसमय के अनुरूप प्रौद्योगिकी में परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं।

हमारी उत्सर्जन के संबंध में क्या स्थिति है? जैसा कि मैंने आपको बताया यह केवल 4 प्रतिशत है जबकि विश्व का औसत 23 प्रतिशत हैं। क्षेत्रवार, ऊर्जा की ओर से, उत्सर्जन 61 प्रतिशत है। यह मानते हुए कि हम 100 प्रतिशत उत्सर्जन के लिए जिम्मेवार हैं, तो ऊर्जा क्षेत्र से उत्सर्जन 61 प्रतिशत होगा। स्वाभाविक रूप से, हमारी पहली प्राथमिकता यह देखने की होगी कि ऊर्जा क्षेत्र में सुधार इस प्रकार हो कि उत्सर्जन नए प्रौद्योगिकी को लगाकर कम किया जाय। इसलिए हमने विद्युत अधिनियम, 2003 में संशोधन किया तथा हमने पनबिजली को प्राथमिकता देना शुरू की।

**डा. सुजान चक्रवर्ती:** वह विद्युत यदि नियम, 2003 में संशोधन का मुख्य उद्देश्य था।

*[हिन्दी]*

**सभापति महोदय:** अभी आपकी बात रिकार्ड में नहीं जायगी। जब मंत्रीजी जवाब समाप्त कर दें, उसके बाद आप पूछें। *[अनुवाद]* कृपया इस तरह हस्तक्षेप नहीं करें।

**श्री ए. राजा:** स्रोत में परिवर्तन लाने का एक प्रावधान है। 50,000 मेगावाट की पनबिजली पहल, आर.ओ.आर. परियोजनाओं से 50 प्रतिशत से ज्यादा, 2012 तक पूरी की जानी है। ये प्रतिबद्धताएं विद्युत मंत्रालय द्वारा की गई हैं। ये घरेलू उपाय हम विकसित देशों को दिए गए क्योटो प्रोटोकाल प्रतिबद्धताओं के बावजूद हम कर रहे हैं। अतएव, यह सोच कि चूंकि भारत पर क्योटो प्रोटोकाल के अन्तर्गत कोई बाध्यता नहीं है इसलिए यह उत्सर्जन को खुली अनुमति दे रही है, काफी गलत सोच है। भारत सरकार इसके प्रति काफी ज्यादा चिंतित है।

जब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अस्तित्व में आया तो इसी सभा में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा था: "सरकार इसके प्रति सचेत है कि यह विश्व, यह ब्रह्मांड जो हमारे पूर्वजों द्वारा प्राप्त किया गया, वह भविष्य के पीढ़ी को सुरक्षित रूप से देने के लिए हमें दिया गया है।" श्रीमती गांधी द्वारा दी गई सलाह हमारे सरकार द्वारा सही परिप्रेक्ष्य में लिया गया तथा हम जलवायु में सुधार के लिए हर प्रयास कर रहे हैं।

**श्री बिक्रम केशरी देव:** महोदय, मैं केवल एक मुद्दा उठाना चाहता हूं।

सभापति महोदय, मुझे एक मुद्दे पर स्थलीकरण पूछने का अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूं। मंत्री जी ने अच्छी तरह से तैयार किया गया उत्तर दिया। सर्वप्रथम, मैं इसके लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। तथापि अपने उत्तर में उन्होंने एक महत्वपूर्ण पहलू को छोड़ दिया।

उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन के संबंध में कोस्टारिका के ला सेल्वा वायोलोजिकल स्टेशन के डेबोटा तथा डेविड क्लार्क तथा स्क्रिटस इंस्टीट्यूशन के चार्ल्स कीटिंग तथा स्टीफन पाइपर द्वारा अध्ययन कराया गया था जिन्होंने बताया कि वर्षा वन के पेड़ रात के गर्म तापमान में धीरे धीरे बढ़ते हैं जो उष्णकटिबंधीय का जलवायु परिवर्तन की प्रमुख निशानी है।

[श्री बिक्रम केशरी देव]

हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं। अतएव, हमारे पास स्वाभाविक वर्षा वन जो हमारे पास हैं तथा उष्णकटिबंधीय वन हमारे पास हैं, वह स्वयं का पोषण करने में सक्षम हैं। आपने वृक्षारोपण पर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। यदि आपने इतनी धनराशि वर्षा वनों और उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण पर खर्च की होती तो जलवायु परिवर्तन में निश्चित ही सुधार होता।

*[हिन्दी]*

**सभापति महोदय:** आपकी बात पूरी हो गई है अब आप बैठ जाइए।

*[अनुवाद]*

**श्री बिक्रम केशरी देव:** महोदय, भारत ने 1970 के स्वच्छ वायु अधिनियम पर हस्ताक्षर भी कर रखे हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के उद्योगों से सल्फर नाइट्रोजन ऑक्साइड विविक्त उत्सर्जनों को घटाने के लिए 1977 और 1990 में संशोधन किए गए। क्या मंत्री महोदय उष्णकटिबंधीय और वर्षा वनों के लिए सुधार करेंगे।

**सभापति महोदय:** कृपया कोई अन्य प्रश्न मत पूछिए।

**श्री बिक्रम केशरी देव:** महोदय, हम मंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहते हैं।

**श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश** (कनकापुरा): मैं अध्यक्षपीठ से केवल यह अनुरोध कर रही हूं कि ग्लोबल वार्मिंग के इस मुद्दे पर निकट भविष्य में सभा में विस्तृत चर्चा की जानी चाहिए।...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**सभापति महोदय:** यह तरीका सही नहीं है। अब डिसकशन खत्म हो गया है।

*[अनुवाद]*

**श्री गुरुदास दासगुप्त** (पंसकुरा): महोदय, वह संकल्प के प्रस्तावक हैं।

**श्री सी.के. चन्द्रप्पन:** महोदय, हमें कार्रवाई समाप्त करने की जल्दी हो सकती है, परन्तु यह मामला अलग है...*(व्यवधान)*

उन्हें कार्रवाई समाप्त करने की जल्दी है। वह अलग मामला है...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय द्वारा सबसे महत्वपूर्ण चर्चाओं में से एक मानी जाने वाली यह चर्चा जिस प्रकार से समाप्त की गई, मैं उससे बहुत निराश हूं। जो प्रमुख मुद्दा उठाया गया वह था क्योटो संधि से अमरीका का एकतरफा तौर पर पीछे हटना। हमने सुझाव दिया था कि भारत को विकासशील देशों और गुट-निरपेक्ष देशों को एक मंच पर लाने की पहल करनी चाहिए और अमरीका के विरुद्ध खड़े होकर एक वैश्विक लड़ाई लड़नी चाहिए, जिसका कि मंत्री महोदय ने उल्लेख तक नहीं किया। मैं जानना चाहता हूं कि इस बारे में सरकार की क्या राय है?...*(व्यवधान)*

**श्री खारबेल स्वाईं:** माननीय मंत्री महोदय ने ताप विद्युत उत्पादन से पन बिजली की ओर मुड़ने की बात की। मेरे राज्य उड़ीसा में बहुत से डेवलपर इन परियोजनाओं की स्थापना के लिए आगे आ रहे हैं। देशभर में स्थापित इन ताप विद्युत स्टेशनों से शून्य उत्सर्जन सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या करने जा रही है?...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** यह प्रक्रिया नहीं है।...*(व्यवधान)*

**श्री ए. राजा:** जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा अभिसमय के अंतर्गत अमरीका हस्ताक्षर कर चुका है, जहां उन्होंने अपने उत्सर्जन स्तर की मात्रा बताई है और अन्य देशों की तुलना में बताया कि उनका उत्सर्जन स्तर कितना है। हम सारा ब्यौरा दे चुके हैं कि भारत का उत्सर्जन स्तर कितना है। महोदय, गंभीर बातचीत चल रही है। कुछ दिन पहले ही - जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा यह बताया गया कि डब्ल्यू.टी.ओ. के अंतर्गत यह वादा किया गया है कि व्यापार के अतिरिक्त अन्य मुद्दों पर चर्चा नहीं की जाएगी। पहली बार ब्रिटेन और अमरीका सहित विकसित देश डब्ल्यू.टी.ओ. में पर्यावरण सहित गैर-व्यापारिक मुद्दों पर चर्चा करना चाहते थे। मैं सभा के समक्ष कहना चाहता हूं कि क्योटो संधि के समकक्ष डब्ल्यू.टी.ओ. के अंतर्गत विकसित और विकासशील देशों के बीच एक लड़ाई चल रही है, जहां हम विकसित देशों पर उनकी वर्तमान प्रतिबद्धताओं का अनुपालन करने और कर्तव्य के लिए और सार्थक प्रतिबद्धताएं स्वीकार करने के लिए आगे आने हेतु दबाव डाल रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**सभापति महोदय:** आपकी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है, आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*[अनुवाद]*

**श्री ए. राजा:** हम उन्हें विवश कैसे कर सकते हैं? हम उन्हें विवश नहीं कर सकते। साथ ही साथ हम ब्राजील, चीन सहित सभी विकासशील देशों को इस संबंध में एकजुट कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** मंत्री महोदय, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए।

*...(व्यवधान)*

**श्री ए. राजा:** क्योटो संधि में सभी विकासशील देश भारत के पीछे हैं। हम विकासशील देशों की ओर से वार्ता कर रहे हैं। परन्तु मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि क्योटो संधि पर हस्ताक्षर न करने वाले ऑस्ट्रेलिया सहित कुछ विकसित देश क्योटो संधि के होते हुए भी इस मुद्दे पर दूसरा तरीका अपनाना चाहते हैं। स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु संबंधी एशिया-प्रशांत भागीदारी में भारत, चीन, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान भागीदार हैं, जोकि विश्व की आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, वे गरीबी उपशमन, आर्थिक विकास वायु प्रदूषण और ऊर्जा सुरक्षा जैसे मुद्दों से निपटना चाहते हैं...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** मंत्री महोदय के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा श्री चन्द्रप्पन।

*(व्यवधान)**...

**श्री ए. राजा:** हम अग्रणी हैं और हम क्योटो संधि की प्रतिबद्धताएं पूरी करने के लिए अन्य विकसित देशों पर दबाव डाल रहे हैं...*(व्यवधान)*

---

**अपराह्न 2.44 बजे**

## कार्य मंत्रणा समिति

## अड़तीसवां प्रतिवेदन

*[अनुवाद]*

**संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी):** मैं कार्य मंत्रणा समिति का अड़तीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अपराह्न 2.45 बजे**

## नियम 193 के अधीन चर्चा - *जारी*

## (दो) मूल्य वृद्धि*

*[हिन्दी]*

**श्री अनंत गंगाराम गीते** (रत्नागिरि): महोदय, महंगाई पर मेरा भाषण अधूरा रह गया था। जहां से मैंने खत्म किया था, वहीं से शुरू करता हूं। मैंने इस बात की तरफ वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया था कि हर बजट स्पीच में वे कई बातों की घोषणा करते हैं, लेकिन अपने बजट भाषण में उन्होंने महंगाई पर कुछ नहीं कहा, यह बात मैंने अपने भाषण में भी कही थी। यदि मैं गलत बात कहता हूं तो उसे सुधारने का काम वित्त मंत्री जी कर सकते हैं।

महोदय, आज हमारे देश की जो स्थिति है, उसके तहत एक विषम दृश्य पूरे देश में दिखाई देता है। नई-नई कारें सड़कों पर आ रही हैं। दस लाख से लेकर पांच करोड़ रुपये तक की कारें सड़कों पर दौड़ रही हैं। इसके साथ ही यह भी सच है कि दो वक्त की रोटी के लिए हमारे देश के लोग मोहताज हैं और भुखमरी से मर रहे हैं। इसका कारण है - बढ़ती हुई महंगाई। बढ़ती हुई महंगाई को रोकने के लिए मुझे नहीं लगता कि सरकार द्वारा कोई प्रयास किए जा रहे हैं। बजट आने से पूर्व मैंने वित्त मंत्री जी को छोटे किसानों के संदर्भ में एक स्कीम प्रपोज की थी, जिसका नाम मैंने 'किसान जीवन योजना' दिया था। इस योजना के तहत हमने चाहा था कि वित्त मंत्री जी इसकी घोषणा अपने अर्थसंकल्पीय भाषण में करें।

महोदय, आज भी देश की 60 प्रतिशत से अधिक आबादी गांवों में रहती है और कृषि पर निर्भर है। उसमें से 50 प्रतिशत छोटे किसान हैं। जिन्हें मार्जिनल अथवा मिनी मार्जिनल किसान कहते हैं। जिनके पास जमीन नहीं है अथवा एक हेक्टेयर से भी कम जमीन है, उसमें से भी कुछ जमीन बंजर होती है। ऐसी स्थिति हमारे देश के हर राज्य में है। ऐसे छोटे किसानों के लिए हमने इस सदन में राष्ट्रीय ग्रामीण योजना का बिल पारित किया। जिसका जिक्र वित्त मंत्री जी ने सदन में किया था और कहा था कि इसके तहत रोजगार की गारण्टी दी जाएगी। गरीबी रेखा से नीचे

*श्री प्रबोध पाण्डा द्वारा 15 मई, 2007 को मूल्य वृद्धि पर उठाई गई चर्चा जारी।

[श्री अनंत गंगाराम गीते]

रहने वाले लोगों को हमने रोजगार की गारण्टी दी है। किसान अपने खेत में साल भर मेहनत करता है, लेकिन उसे जो कुछ मिलता है, वह मेहनत और लागत से कम होता है। उससे वह अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाता है। वह बैंकों से लोन लेता है, लेकिन ऋण इतना बढ़ जाता है कि वह उसे चुका नहीं पाता है और आत्महत्या कर लेता है। मैंने यह सुझाव दिया था कि चूंकि छोटे किसान के पास अपनी जमीन होती है, इस कारण उस पर रोजगार गारण्टी योजना लागू नहीं होती है। इसलिए उसके रोजगार को, जो श्रम वह खेत में करता है, उसको राष्ट्रीय रोजगार मानकर, उसके परिवार के किसी एक व्यक्ति को सौ दिन के रोजगार की गारण्टी दी जाए। मैंने लिखित रूप में भी वित्त मंत्री के पास वह योजना भेजी है। वित्त मंत्री उस पर दोबारा विचार करें। यदि सौ दिन की गारंटी दी जाती है तो महंगाई से लड़ने की ताकत उस किसान में आ जाएगी।

मैं एक और सुझाव दूंगा। महंगाई हर साल बढ़ रही है और उसके खिलाफ हर बार नारे भी लगते हैं, उसे रोकने की घोषणा भी की जाती है। जब महाराष्ट्र में शिव सेना और बीजेपी की सरकार थी, तब श्री मनोहर जोशी वहां के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने महंगाई को रोकने के लिए और गरीबी को राहत देने के लिए एक योजना शुरू की थी। पी.डी.एस. योजना जो बहुत लोकप्रिय योजना है, उसके तहत गरीबों और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, आदिम जाति के लोगों को सस्ती दर पर अनाज मिलता है। यह एक अच्छी योजना है जिस के माध्यम से गरीबों को अनाज मिलता है। शिव सेना-बी.जे.पी. सरकार ने महंगाई के खिलाफ लड़ने के लिए एक निर्णय किया कि जब तक हमारी सरकार रहेगी, पांच साल तक पांच चीजें गेहूं, चावल, एक दाल, एक खाद्य तेल और चीनी के दाम एक ही निर्धारित रहेंगे। हमने पांच साल तक उनके दामों को बढ़ने नहीं दिया। इसके वहां अच्छे नतीजे प्राप्त हुए। सरकार को इसके लिए जो भी सब्सिडी देनी पड़ी, वह सरकार ने अपनी तिजोरी से दी लेकिन पांच साल तक पी.डी.एस. में देने वाली चीजों के दाम जो पहले दिन थे, वही पांचवें साल के आखिरी दिन तक रहे। यदि यह सरकार सचमुच महंगाई के खिलाफ लड़ना चाहती है तो केन्द्र सरकार हमारी सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के मुताबिक ऐसा निर्णय ले। इसके लिए चाहे जितने साल पांच या दस निर्धारित करें। हमारी सरकार ने उस बीच में पी.डी.एस. में देने वाली पांच चीजें गेहूं, चावल, एक दाल, एक खाद्य तेल, चीनी यानी पांच चीजों के दाम बढ़ने नहीं दिए...*(व्यवधान)* यह भी कहा कि कैरोसिन जो अनाज पकाने के लिए लगता है, उनके दाम बढ़ने से रोकेंगे।

**सभापति महोदय:** छः आइटम्स हो गए।

**श्री अनंत गंगाराम गीते:** कैरोसिन मिला कर छः हो गए।

**सभापति महोदय:** अब आप समाप्त करें वरना सात आइटम्स हो जाएंगे।

**श्री अनंत गंगाराम गीते:** सात तक बढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

सभापति जी, यदि यह योजना शुरू नहीं करेंगे तो हम महंगाई के खिलाफ लड़ नहीं सकते और उसे रोक नहीं सकते हैं। गरीबों पर महंगाई की सबसे अधिक मार पड़ती है और भुखमरी के कारण उनके पास आत्महत्या के सिवाय कोई चारा नहीं रहता। उसे कम से कम इस बात की गारंटी मिल जाए कि एक-दो-तीन या कम से कम पांच साल के लिए पी.टी.एस. में एक ही दाम पर ये सारी चीजें मिलेंगी। मैं चाहूंगा कि केन्द्र सरकार इस प्रकार की योजना की यहां घोषणा करे तभी हम उन्हें महंगाई से राहत दिला सकते हैं अन्यथा नारेबाजी के अलावा महंगाई पर रोक लगाना किसी के हाथ नहीं है।

*[अनुवाद]*

**श्रीमती अर्चना नायक** (केन्द्रपाड़ा): महोदय, मुझे उड़िया में बोलने की अनुमति दी जाए।

* सभापति महोदय, महंगाई आम आदमी की समस्या है। आम आदमी चाहता है कि सरकार आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रित करे और उसके हित की रक्षा करे। परन्तु इस महंगाई से वह बुरी तरह प्रभावित हुआ है और गरीब, कृषक समुदाय मजदूर और असंगठित क्षेत्र के कामगार सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। ये वे लोग हैं, जिनका जीवन अनिश्चित होता है। उनका कोई सहारा नहीं होता। उन्हें प्राकृतिक आपदाओं, गैर-विनियमित बाजार प्रणाली, स्थानीय महाजन के ऋण के भार तथा कई अन्य समस्याओं का

*मूलतः उड़िया में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

सामना करना पड़ता है। निराशा में वे आत्महत्या कर लेते हैं। उनकी रक्षा के लिए कोई सामाजिक सुरक्षा उपाय नहीं है। सरकार, असंगठित क्षेत्र में कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कदम उठाने का दावा करती है। परन्तु इसका स्पष्ट प्रभाव अब तक नजर नहीं आता।

सरकार यह दावा करके गोरान्वित महसूस करती है कि आर्थिक विकास दर संतोषजनक है। हमारे प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री महोदय, दोनों ही जानकार अर्थशास्त्री हैं। वे भी वास्तविकताएं देख पाने में विफल हुए हैं। आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप धनी और धनी हो गया है जबकि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले करोड़ों लोग और गरीब हुए हैं। हमें आत्म मंथन करने की आवश्यकता है कि स्वतंत्रता के 60 वर्ष बाद भी भूख से मौतें क्यों होती हैं, बंधुआ मजदूर अब भी कठिन परिश्रम करते हैं और बेसहारा किसान आत्महत्या करते हैं। आवश्यक वस्तुओं के मूल्य आसमान छू रहे हैं, परन्तु इन वस्तुओं के मूल उत्पादकों को इसका उचित मूल्य नहीं मिल रहा। अनियंत्रित बाजार प्रणाली किसानों में सुरक्षा की भावना करने में विफल रही है। आज एक छोटे-से वर्ग द्वारा बाजार को नियंत्रित किया जा रहा है। यही कारण है कि किसान को उसका निवेश तक नहीं मिल पा रहा है। सरकार इस बात का श्रेय लेती है कि उसके अर्थव्यवस्था में किसानों के लिए ऋण सुविधाओं की भरमार कर दी है। किन्तु वास्तविकता यह है कि जब कोई भी किसान किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के पास ऋण के लिए जाता है तो उसे परेशानी के अलावा कुछ नहीं मिलता है। वह बैंक की जटिल निबंधन और शर्तों से भयभीत हो जाता है। फिर उसे साहूकारों से ऊंची ब्याज दरों पर पैसा उधार लेना पड़ता है।

हमारे देश में अधिकांश कृषि प्रकृति की इच्छा पर आश्रित है। कई बार प्रकृति भयावह हो जाती है। प्राकृतिक आपदाएं फसलों को बर्बाद कर देती है और लाभ की मात्रा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। किसान ऋण को अदा करने में असफल हो जाते हैं और यह उन्हें आत्महत्या करने के लिए बाध्य करता है। इसी संदर्भ में फसल बीमा प्रावधान असहाय किसानों के लिए बचावकारी हो सकता है। किन्तु ऐसा नहीं हो पाता। इसका कारण प्रशासनिक बाधाएं हैं। बीमा राशि को वितरित करने वाली प्रशासनिक इकाई अभी भी ब्लॉक स्तर पर ही है। कई बार राजनैतिक दलों ने इस सभा में यह मांग की है कि ब्लॉक के बजाय पंचायतों को इकाई होना चाहिए। परन्तु ऐसा नहीं हो पाया है। इस सम्बन्ध में कोई ठोस नीति सरकार द्वारा अभी भी बनाई जानी शेष है। सरकार ने कई कृषि उत्पादों की कीमतें अभी भी तय नहीं की है। मैं यहां 'हल्दी' का उदाहरण देना चाहूंगा। कुछ दिनों पहले ही हल्दी उत्पादकों ने जन्तर मन्तर पर धरना दिया था। मूल्य निर्धारण नीति की अनुपस्थिति में, हल्दी उत्पादक बिचौलियों को 20 रु. प्रति किलो हल्दी बेच रहे हैं। जबकि हम उपभोक्ता के रूप में आकर्षक पैकेटों में यही हल्दी 100 रु. प्रति किलो खरीद रहे हैं। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि किसानों के हित कितनी बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। सरकार को हल्दी के लिए निम्नतम समर्थन मूल्य की घोषणा करनी चाहिए और निर्धारित मूल्यों पर उत्पादों को बेचने के लिए और अधिक सरकारी डिपो खोलने चाहिएं। निर्धारित मूल्यों के न होने पर किसानों को औने-पौने दामों पर बिक्री करनी पड़ती है। बिचौलिये किसानों के लाभ को मार रहे हैं और बाजार को नियन्त्रित कर रहे हैं। चूंकि किसान को कृषि से प्रत्याशित लाभ नहीं मिल पाता है इसलिए वे युगों पुराने व्यवसाय को छोड़ रहे हैं। इसके फलस्वरूप, उत्पादन में गिरावट आ रही है। पहले राष्ट्र के रूप में खाद्यान्नों में हम आत्मनिर्भर थे। अब हम इसे ही बाहर से आयात कर रहे हैं। औद्योगिकीकरण के नाम पर, खेती योग्य भूमि निजी हाथों में सौंपी जा रही है। सरकार ने हाल ही में निजी कम्पनियों को कृषि भूमि पर खुदरा दुकानों की शृंखला खोलने की अनुमति दे दी है। धीरे धीरे हमारे बाजार पर बहु-राष्ट्रीय निगमों का कब्जा हो जायेगा और सरकार का उन पर कोई नियन्त्रण नहीं रह जायेगा।

महंगाई के प्रभाव को विभिन्न राज्यों में हाल ही में सम्पन्न हुए चुनाव परिणामों से देखा जा सकता है। इन चुनावों में शासन-वर्ग का सत्ताच्युत होना निश्चय ही महंगाई की वजह से हुआ है। और तो और सरकार ने भी इस तथ्य को स्वीकारा है। जब तक शीघ्र ही कुछ नहीं किया जाता तो सरकार को इसके परिणाम झेलने होंगे। इसलिए मैं सरकार से सतर्क होने और अपने तौर-तरीकों में सुधार का अनुरोध करती हूं। अनिवार्य वस्तुओं की कीमतों को नियन्त्रित रखना चाहिए। पी.डी.एस. प्रणाली को अधिक कुशल और जन हितैषी होना चाहिए। बाजार को कालाबाजारियों और मुनाफाखोर बेईमान लोगों के चंगुल से मुक्त होना चाहिए। जनता को संरक्षण मिलना चाहिए और उनके हित सरकार सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।

**अपराह्न 3.00 बजे**

*[हिन्दी]*

**श्री राम कृपाल यादव** (पटना): सभापति महोदय,

[श्री राम कृपाल यादव]

मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतनी महत्वपूर्ण चर्चा पर मुझे चर्चा करने की अनुमति प्रदान की है। मैं समझता हूं कि पिछले कई सत्रों में, शायद ही कोई ऐसा सत्र होगा, जबकि हम सभी लोगों ने महंगाई पर चर्चा न की हो। मगर सरकार कोई ठोस उपाय नहीं निकाल पा रही है। मूल्यों पर नियंत्रण नहीं हो रहा है। हम आम लोगों को परेशानियों से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। आज हम सत्तापक्ष में इधर बैठे हैं, जब हम उस तरफ प्रतिपक्ष में थे तो हमारा जनता के बीच में जाने का सबसे महत्वपूर्ण मकसद या कोई समस्या अथवा संघर्ष था तो वह संघर्ष महंगाई के विरुद्ध था। महंगाई का मुद्दा लेकर हम अवाम के बीच में गये थे। लेकिन क्या हो रहा है? क्या महंगाई कम हुई है? इस पर हमें आत्म-मंथन करना चाहिए। हमें अपने अंदर झांकना चाहिए कि हम जो वायदा जनता से करके आये थे, क्या हम उस वायदे पर खरे उतर पाये हैं? मैं समझता हूं कि हम उस वायदे पर खरे नहीं उतर पाये हैं।

महोदय, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी जी.डी.पी. की बात कहते हैं, विकास दर की बात कहते हैं और कई तरह की तकनीकी भाषाएं बोलते हैं, जो आम लोग नहीं जानते हैं, जो गांवों में रहते हैं। इस देश की 75-80 फीयदी आबादी जी.डी.पी. और विकास दर के बारे में नहीं जानती है। आम आदमी को बस भूख मिटाने के लिए रोटी मिले, नमक मिले, वह इसका ख्याल कर रहा है। हम अपने हृदय पर हाथ रखकर कहें कि क्या हम उनकी भूख मिटा पा रहे हैं। क्या उन्हें रोटी और नमक भी दे पा रहे हैं। हम अपने आपसे प्रश्न करना चाहते हैं। आपका जी.डी.पी. और विकास दर बढ़ रहे हैं, यह अच्छी बात है। हम इसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। लेकिन मैं महसूस करता हूं कि इससे आम लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा है और यह आप भी महसूस करते होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले तीन वर्षों से हमारा शासन है और इन तीन वर्षों में हम लोगों ने जो वायदे किए थे कि आम लोगों को राहत देने का काम करेंगे, महंगी चीजों के दाम घटायेंगे। लेकिन वे घट नहीं पाये। मैं आपकी इजाजत से महंगाई की एक झलक प्रस्तुत करना चाहता हूं। हमारे जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं में गेहूं, चावल और दाल मिनिमम नीड है। मैं आपको इसके रेट में बता रहा हूं। वर्ष 2004 में हम इन लोगों को हटाकर सत्ता में आये थे। वर्ष 2004 में गेहूं 950 रुपये प्रति क्विंटल था, लेकिन आज वर्ष 2007 में हम यह 1700 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं ले रहे हैं। ...(*व्यवधान*) आपको मिलता होगा। चावल 940 रुपये प्रति क्विंटल था, अब 1090 रुपये मिल रहा है। चावल बासमती 2900 रुपये था, वह अब 4400 से 4600 रुपये में मिल रहा है। दाल अरहर 2300 रुपये बढ़कर 3200 रुपये प्रति क्विंटल मिल रही है। दाल उड़द 1600 रुपये थी, अब 4000 प्रति क्विंटल मिल रही है। चीनी 1225 रुपये से बढ़कर 1700 रुपये प्रति क्विंटल मिल रही है। सरसों का तेल 810 रुपये था, अब यह 910 रुपये में 15 लीटर मिल रहा है। इसके अलावा आम लोगों के उपयोग की चीजों में चाहे सब्जियां हों, फल हों या अन्य चीजें हों, उन सबकी कीमतें भी आसमान छू रही हैं। आखिर इसकी क्या वजह है? क्या हमने इसकी तह में जाने का काम किया है? क्या जी.डी.पी. से हमारा पेट भर रहा है? कभी संसेक्स के बारे में और न जाने क्या-क्या बातें होती रहती हैं, जो हमारे जैसे साधारण आदमी की समझ में नहीं आती हैं। मैं समझता हूं कि इसे माननीय वित्त मंत्री जी जरूर समझाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि महंगाई बेलगाम बढ़ रही है। आखिर इसका कारण क्या है? हम इसकी तह में नहीं जा रहे हैं। आज बीस करोड़ लोगों की रोटी का सवाल है। इन लोगों को नमक और रोटी भी मिल जाए तो ठीक है। लेकिन रिक्शे और ठेले वाले, खेत खलिहान में काम करने वाले, पान वाले, बीड़ी वाले आदि लोगों की तरफ हम शायद ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस देश में दो तरह की व्यवस्था रही है। यह आज कोई नई बात नहीं है, एक बड़े लोगों का भारत है और दूसरा आम लोगों का भारत है, जो गांवों में बसते हैं। हो सकता है कि हम प्रयास कर रहे हों और जो इस देश के सुविधाभोगी लोग हैं, जिनकी आबादी तीन से चार परसेंट हैं, उनके लिए हर सुविधा देने का काम कर रहे हैं।

मगर खेत और खलिहान में काम करने वाले 75 प्रतिशत लोग आज परेशानी और बदहाली की हालत में हैं। जब तक इस देश के 75 प्रतिशत लोग परेशानी और बदहाली में रहेंगे तब तक आने वाला दिन शुभ संकेत देने वाला नहीं है। मध्यम परिवार के लोग आज त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। वे महंगाई की मार झेल रहे हैं और बहुत ही बदहाली में हैं। जब आप जनता के बीच में जा रहे होंगे और आप स्वयं जनता का प्रतिनिधित्व पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं। आपको खुद एहसास होता होगा कि हम क्या कर रहे हैं? क्या कहकर आए थे और क्या करने का काम हम लोग कर रहे हैं। स्थिति बहुत ही भयावह है। अगर हमने अपने

आपको नियंत्रित करने का काम नहीं किया, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर हमने कोई ठोस उपाय करने का काम नहीं किया तो जनता हमें माफ नहीं करेगी। मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि कुछ काम किये जा सकते हैं।

बुनियादी जरूरतों को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। किसान आज परेशानी और बदहाली में हैं। माननीय सदस्य आज चर्चा कर रहे थे कि किसानों का उत्साह खेत के प्रति कम हो रहा है और शहर के प्रति ज्यादा लगाव हो रहा है। वे अपना खून-पसीना एक करके जो उत्पादन कर रहे हैं, उन उत्पादित वस्तुओं की कीमत हम उन्हें नहीं दे पा रहे हैं। उस उत्पादित सामान का सही मूल्य भी हम नहीं दे पा रहे हैं। उनका खेती के प्रति आकर्षण कम हुआ है और हम उसके उपाय भी नहीं कर रहे हैं। हम किसानों की कितनी मदद कर रहे हैं? जो किसान अपना खून-पसीना एक करके हमें खिलाने का काम कर रहे हैं, हम उनकी कितनी मदद कर रहे हैं? उनके प्रति हमारा क्या बजट गया है? इसकी तरफ हम गौर करने का काम नहीं कर रहे हैं। उनका अगर खेती के प्रति उत्साह घटेगा और खेती के प्रति उनका रुझान अगर खत्म हो जाएगा क्योंकि इस देश की व्यवस्था खेत और खलिहान पर निर्भर करती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करके बताना चाहता हूं कि आज हमारी उत्पादन क्षमता घट रही है क्योंकि हम उनको सुविधा नहीं दे रहे हैं।...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** आपको दिया गया समय समाप्त हो गया है।

**श्री राम कृपाल यादव:** सर, आप कहेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा।

**सभापति महोदय:** आपके पांच मिनट हो गये हैं। एक प्वाइंट और कह दीजिए।

**श्री राम कृपाल यादव:** महोदय, जो मैं बोल रहा हूं। मैं सत्ता पक्ष का हूं और इस सरकार के प्रति हमारा कर्तव्य है। लेकिन मैं पीढ़ा में बोल रहा हूं। इसमें कोई राजनीति नहीं है। अगर आप ठीक हो जाएंगे तो आने वाले दिनों में हम भी ठीक हो जाएंगे।...*(व्यवधान)* इसलिए ये लोग हंस रहे हैं। आप लोगों का ही किया कराया सब कुछ है। आपने जमाखोरों और कालाबाजारियों को प्रोत्साहित करने का काम किया है।...*(व्यवधान)* इनके कार्यकाल में ही जमाखोर और मुनाफाखोरों की संख्या में बढ़त हुई है। पूरे सदन को इस महंगाई को कम करने पर विचार करना पड़ेगा। इस मुद्दे पर एक होना पड़ेगा तभी महंगाई कम हो सकती है। जिस कमिटमेंट के साथ हम सब को हमारी जनता ने, सौ करोड़ से अधिक लोगों का जनप्रतिनिधित्व करने के लिए यहां पार्लियामेंट में भेजा है, उस जनता के लिए कुछ करिए। अपास में लोग लड़ रहे हैं। सदन का समय जाया कर रहे हैं,...*(व्यवधान)* गाली-गलौज कर रहे हैं और एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। लेकिन जिस देश की जनता ने हमें इतना बड़ा सम्मान दिया, इतने बड़े सदन में हम लोगों को भेजने का काम किया, उसके प्रति हम अपने दायित्वों का निर्वहन करने का काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए प्रतिपक्ष के साथियों के लिए अब सोचने का समय आ गया है। माननीय आडवाणी जी बैठे हैं, अटल जी बैठे हैं, हमारी मैडम सोनिया गांधी जी बैठी हैं, प्रणब मुखर्जी जी बैठे हैं, गुरुदास जी तथा सदन में अन्य महत्वपूर्ण साथी बैठे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि सब लोगों को विचार करना पड़ेगा और विचार करके महंगाई को नियंत्रित करना पड़ेगा।

वादा बाजार से आप आवश्यक वस्तुओं को क्यों नहीं निकाल रहे हैं? आपने पिछली दफा किसी एक चीज को निकाल दिया। काम खत्म हो गया। पी.डी.एस. को आप क्यों नहीं स्ट्रैन्थन कर रहे हैं? पी.डी.एस. के माध्यम से गरीब लोगों को अनाज देने का काम हम लोग करते थे। आज पी.डी.एस. की हालत बहुत खराब है। वादा बाजार के अन्तर्गत अन्य दूसरी सामग्री को आप क्यों नहीं ला रहे हैं ताकि आप मूल्य पर नियंत्रण कर सकें और महंगाई कम करने का काम कर सकें? आप ऐसा नहीं करेंगे। मुझे पता नहीं कि आपकी क्या मजबूरी है, क्या कारण है? मैं नहीं जानता कि आपकी क्या मजबूरी है कि क्यों नहीं आप महंगाई कम कर पा रहे हैं? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि महंगाई पर नियंत्रण नहीं किया गया तो उसके बहुत ही दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। उत्पादन और आपूर्ति में संतुलन करना पड़ेगा।...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** अब आप अपनी बात समाप्त करिए।,

**श्री राम कृपाल यादव:** सर, आवश्यक वस्तुओं के भंडारण और वितरण की व्यवस्था भी आपको ठीक करनी होगी। आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी पर नियंत्रण करना होगा। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने राज्य के दूसरे मुख्य मंत्रियों से अपील की थी। अधिकांश तौर पर जहां हमारे प्रदेश के दूसरे मुख्य

[श्री राम कृपाल यादव]

मंत्री आपको सहयोग नहीं करेंगे। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि सत्ता, शासन आपके हाथ में है। आप नियम बनाइए और यहां से नियंत्रित करने का काम कीजिए। आपके पास विजिलेंस है। आपके पास जानकारी प्राप्त करने के अन्य यंत्र तंत्र उपलब्ध हैं। आप सीधे जमाखोरों को जेल भेजिये, जो जमाखोरी करके गरीबों का हक मारने का काम कर रहे हैं, महंगाई बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये सामने बैठे हुये लोग जमाखोरों और कालाबाजारियों के बल पर हैं। आज इनके कारण यह स्थिति हुई है। मैं अंत में महंगाई रोकने के कुछ पाइंट्स बताना चाहता हूं।

सभापति महोदय, खाद्यान्न, खाद्य तेल, दालें और अन्य आवश्यक वस्तुयें वायदा बाजार के दायरे से बाहर रखी जायें। आवश्यक वस्तु कानून और उपभोक्ता कानून की फिर से समीक्षा की जाये और उसके लिये सख्त कानून बनाया जाये ताकि जमाखोरों और कालाबाजारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही हो सके जो सरकार नहीं कर रही है। केवल मुख्यमंत्रियों को लिखने से काम चलने वाला नहीं है। सरकार निर्देश दें और कानून में सख्ती लाये। दालों के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है जिसकी वजह से बहुत मुश्किल हो रही है। मेरा सरकार से आग्रह है कि वह पी.डी.एस. को और मजबूत बनाये। यदि इसका दायरा कम हो तो इसके दायरे को और बढ़ाया जाये। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जाये ताकि गरीब लोगों को सस्ते दामों पर वस्तुयें मिल सकें।

**अपराह्न 3.11 बजे**

**[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]**

कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिये सरकार किसानों को सिंचाई, उन्नत बीज, कृषि उपकरण और कीटनाशक दवायें सब्सिडाइज्ड दामों पर दिलायें। किसान उपजा रहे हैं और हम लोग खा रहे हैं। सरकार को कृषि उत्पादन के लिये प्रोत्साहन देना चाहिये। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि वह क्यों नहीं किसानों को प्रोत्साहित कर रही है? मूल्य नियंत्रण करके बाजार में वस्तुयें उपलब्ध करानी चाहिये। अगर इन चीजों पर लगाम नहीं लगाया तो महंगाई पर नियंत्रण नहीं हो सकेगा, इससे हमारा भविष्य अंधकारमय हो सकता है। हम आज भी इस नारे के समर्थक हैं - दाम बांधो नीति सरकार की ओर से लागू होनी चाहिये। हमारे गुरु डा. लोहिया जी ने नारा दिया था जिसे मैं रिकार्ड पर लाना चाहता हूं - "महंगाई रोको, बांधो दाम, नहीं तो होगा चक्का जाम।" अगर महंगाई नहीं रुकी, गरीबों को राहत नहीं मिली तो हम जैसे लाखों-करोड़ों कार्यकर्ताओं को मजबूर होकर सड़क जाम करना होगा। हम लोगों को सरकार को बाध्य करना होगा। हमारे प्रति जनता और गरीब लोगों की आस्था है, विश्वास है, उसका प्रतिनिधित्व हम लोग करते आये हैं, इस सरकार को चुपचाप समर्थन देने के लिये हम लोग नहीं आये। हम सरकार को समर्थन जरूर देंगे लेकिन उसके गलत कामों की ओर उसका ध्यान भी दिलायेंगे। अगर आप सुधरेंगे तो महंगाई पर नियंत्रण हो पायेगा। मेरा निवेदन है कि गरीब लोगों को राहत देने का काम कीजिये, हम चुप बैठने वाले नहीं हैं।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** क्या चक्का जाम करने से भाव कम होगा?

**श्री राम कृपाल यादव:** अध्यक्ष महोदय, हमारे पास चक्का जाम करने के अलावा कोई हथियार नहीं है और लोकतंत्र में यही हमारा एक हथियार है। अगर सरकार काम नहीं करेगी तो उसका खमियाजा उसे भुगतना होगा और हम लोगों की नाराजगी का खमियाजा भुगतने के लिए सरकार को तैयार रहना चाहिये।

*[अनुवाद]*

**वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम):** अध्यक्ष महोदय, हम एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही महंगाई, जिसे हम मुद्रास्फीति कहते हैं और आम आदमी पर पड़ने वाले इसके प्रभावों के बारे में चिंतित हैं। जैसा कि मेरे प्रिय मित्र श्री राम कृपाल यादव ने अभी-अभी कहा है कि इस पर चर्चा समय-समय पर, वास्तव में प्रत्येक सत्र में, होती है। महंगाई कई कारकों की वजह से बढ़ती है। मैंने विपक्ष के कई चेहरों पर मुस्कराहट देखी जब श्री यादव ने आज की कीमतों की तुलना अब से तीन वर्षों पहले की कीमतों से की थी। इसी प्रकार हम तीन वर्ष पहले के मूल्यों की तुलना नौ वर्ष पहले के मूल्यों से कर सकते हैं; और हम नौ साल पहले के मूल्यों की तुलना नब्बे वर्ष पहले के मूल्यों से कर सकते हैं। जिस चीज को हमें समझने की जरूरत है, वह यह है - मैं सम्मानपूर्वक बोल रहा हूं। किसी को बताने का प्रयत्न नहीं कर रहा कि वह नहीं जानता या नहीं जानती कि महंगाई इसलिए बढ़ती है क्योंकि आय बढ़ती है, वेतन बढ़ते हैं और मांग बढ़ती है...*(व्यवधान)*

कृपया मेरी बात सुनिये, मैं सही भी हो सकता हूं और मैं गलत भी हो सकता हूं। अब से 15 वर्ष पहले वस्तुओं की कीमतें, सोने की कीमतें, गेहूं की कीमतें, चावल की कीमतें आज जितनी नहीं थी। हम वृद्धि दर में तेजी को कम करने का प्रयास कर रहे हैं: जिसे हम मुद्रास्फीति के रूप में नापते हैं। कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां कीमतें नहीं बढती हों। और तो और सबसे विकसित देशों में भी महंगाई दो प्रतिशत की दर से बढ़ती है। मास्ट्रिच सीमा के अनुसार मुद्रास्फीति तीन प्रतिशत प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक यह कहता है कि हमारी आर्थिक स्थितियों को देखते हुए भारत में कीमतें प्रति वर्ष 4.5 प्रतिशत से 5 प्रतिशत से ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। सरकार कहती है और मैं भी कहता हूं कि मुद्रास्फीति को प्रतिवर्ष 4 प्रतिशत से 4.5 प्रतिशत तक रखना हमारा लक्ष्य है। इस प्रकार कीमतें तो बढ़ेंगी ही। हम सब मिलकर यह चर्चा कर रहे हैं कि महंगाई को कैसे कम किया जाए, इसे कैसे नियन्त्रण में रखा जाए जिससे कि मजदूरी और आय बढ़ने पर लोगों को महंगाई का बोझ वहन न करना पड़े। हमारे सामने मुख्य मुद्दा यही है, इसीलिए, मैं इस बात की व्याख्या करने के लिए कुछ मिनट लेना चाहता हूं कि आज महंगाई क्यों बढ़ रही है और आज के समय में मूल्य वृद्धि चार या पांच वर्षों पहले की मूल्य वृद्धि से कैसे अलग है और महंगाई को कम करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है।

महोदय, मुद्रास्फीति नापने का सामान्य मापक डब्ल्यू.पी.आई. आज लगभग 5.6 प्रतिशत है, दो सप्ताह पहले यह 6.7 प्रतिशत के आसपास था। इसमें पिछले दो सप्ताहों में कमी आई है। यह कमी जारी रहेगी यह कहना अभी जल्दबाजी होगी किन्तु मुझे आशा है कि यह जारी रहेगी। इस मुद्रास्फीति की दर के पीछे प्रमुख कारण वह है जिसे हम प्राथमिक पण्य समूह कहते हैं। प्राथमिक पण्य समूह में खाद्यान्न और अन्य प्राथमिक गैर-खाद्यान्न पण्य शामिल हैं। इस समूह में, 28 अप्रैल, 2007 को महंगाई दर 10.84 प्रतिशत थी।

महोदय, मैं इस अवसर पर इसके कारणों को संक्षेप में बताना चाहता हूं और मैं इसी संदर्भ में वर्तमान मुद्रास्फीति को भी रखना चाहता हूं। मोटे तौर पर, वर्तमान मुद्रास्फीति के पीछे पांच कारण हैं। प्रथम, वस्तुओं की कीमतों विशेषकर कच्चे तेल की कीमतों में विश्वव्यापी वृद्धि का होना। आज सुबह कच्चे तेल की कीमत 67 डालर प्रति बैरल थी। आपको याद होगा कि कुछ महीनों पहले यह 50 डालर प्रति बैरल तक कम हो गया था। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में प्रति लीटर दो रुपये और एक रुपये की कटौती की थी। किन्तु कच्चे तेल की कीमत पुनः 67 डालर प्रति लीटर हो गई है। वर्ष 2006 में धातुओं की कीमतें लगभग 57 प्रतिशत तक बढ़ गई है। हाल के समय में, किसी भी कैलेण्डर वर्ष में धातु की कीमतें 57 प्रतिशत तक नहीं बढ़ी है। भारत में, 28 अप्रैल, 2007 को धातु की कीमतें 11 प्रतिशत तक बढ़ गई थी। मैं कुछ उदाहरणों से इसे समझाता हूं। कच्चे तेल की इण्डियन बास्केट की अन्तर्राष्ट्रीय कीमत जो मई, 2005 को 47 अमेरिकन डालर प्रति बैरल थी जुलाई, 2006 को बढ़कर उच्चतम 71.29 डालर तक हो गयी। जनवरी में यह 52 डालर प्रति बैरल तक कम हुई किन्तु तब से यह पुनः बढ़कर 67 डॉलर प्रति बैरल हो गई है। वर्ष 2005 में अमेरिकन रेड हार्ड गेहूं की कीमत 152 डालर प्रति मीट्रिक टन थी अक्तूबर, 2006 में बढ़कर 212 डालर प्रति मीट्रिक टन हो गई। इसी प्रकार, हमारे द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में आयात किये जाने वाले पॉम आयल की कीमत 2005 में 422 डालर प्रति मीट्रिक टन से बढ़कर अप्रैल, 2007 में 707 डालर हो गई।

वर्ष 2004 में तांबे की प्रति मीट्रिक टन कीमत 2866 डालर से बढ़कर अप्रैल, 2007 में 7766 डालर हो गई। इसमें तीन-गुना वृद्धि हुई है। इसी अवधि के दौरान लौह अयस्क 38 डालर से 77 डालर हो गया। धातुओं में, सीसे, निकल, टिन और लगभग प्रत्येक धातु की कीमत में अत्यधिक वृद्धि हुई। इन सबसे भारतीय उद्योग, भारतीय विनिर्माण और इसके अन्तर्गत सभी कार्यकलापों पर प्रभाव पड़ता है। इनके कीमतों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। कुछ धातुओं का भारत में उत्पादन किया जाता है। लेकिन ज्यादातर धातुएं और धातुओं की एक बड़ी मात्रा का भारतीय उद्योग द्वारा आयात किया जाता है। हम पॉम के तेल का आयात करते हैं। हम कच्चे तेल का आयात करते हैं।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** यह क्या है? यह बहुत ही अशोभनीय है। यह बहुत अनुचित है। मंत्री महोदय एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाद-विवाद का उत्तर दे रहे हैं। यदि उन्हें इस तरह टोका जाता रहा, तो वे जवाब कैसे देंगे? यदि आपके पास कहने के लिए कुछ है। तो आप बाद में कह सकते हैं। मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। यह बहुत ही अनुचित है।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** वे आपको बेरोकटोक टिप्पणियों का जवाब नहीं देते रह सकते।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** आप सभी बहुत ही जानकार हैं। मुझे विश्वास है कि आपने अपना योगदान दे दिया है। उन्हें जवाब देने दें। आप प्रत्येक वाक्य पर फैसला सुना रहे हैं। यह वाद-विवाद करने का तरीका नहीं है।

*...(व्यवधान)*

**श्री पी. चिदम्बरम:** मैं यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि महंगाई क्यों है...*(व्यवधान)* मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे कृपा करके मुझे इस महंगाई के कारण बताने दें।

मैं कुछ ही देर में गेहूं, धान और गन्ने की चर्चा करूंगा। इस समय मैं उन प्राथमिक वस्तु समूह के बारे में बोल रहा हूं, जिससे मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ रही है। प्राथमिक वस्तु समूह में 10 प्रतिशत से ज्यादा की दर से वृद्धि हो रही है। इन कीमतों का भारतीय उद्योग पर प्रभाव पड़ रहा है। भारत में खपत पर प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि पाम तेल प्राथमिक वस्तुओं में से एक है। गेहूं की कीमतें, विश्व में गेहूं की कीमतों से निर्धारित होती हैं। भारत में गेहूं की कीमतें बढ़ी हैं, जैसा कि अभी उन्होंने उल्लेख किया है। विश्वभर में गेहूं की कीमतों में वृद्धि हो रही है। भारत के किसान जब यह पाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि हो रही है तो वे अत्यधिक कीमत की अपेक्षा करते हैं। पाम तेल वाकई यहां कीमतों पर प्रभाव डालता है क्योंकि पूरे विश्व में खाद्य तेल की कीमतों में वृद्धि हुई है। उसका यहां के किसान पर प्रभाव पड़ता है। वह अत्यधिक कीमत की अपेक्षा करता है। मुद्दा यह है कि हम प्राथमिक वस्तु समूह के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके अन्तर्गत अलग-अलग कारणों से विश्वभर में सभी वस्तुओं की कीमतों में अत्यधिक तेजी नजर आई है। प्रमुख कारण यह है कि कुछ देशों, विशेषकर चीन और भारत में भारी मांग है।

अब मैं दूसरे कारण पर आता हूं। दूसरा कारण मांग आपूर्ति का असंतुलन है। मैं यह पहले भी कह चुका हूं। मैं यह पुनः कहना चाहता हूं। इसका गत वर्ष अथवा गत दो वर्षों से कोई लेना देना नहीं है। इस पर नजर डालिए क्या हुआ है। आवश्यक वस्तुओं की मांग-आपूर्ति में असंतुलन चीनी से शुरुआत हुई। मैं उन सभी बातों पर आ रहा हूं, जो आप जानना चाहते हैं। यह वर्ष 2005 के मध्य में आरंभ हुआ...*(व्यवधान)* इसकी शुरुआत वर्ष 2005 के अंत में चीनी के साथ हुई। जब गन्ने की नई फसल आई तो चीनी की कीमतें लगभग 3 रु. से 4 रु. प्रति किलो कम हुई। यह रुझान गेहूं में भी देखा गया। अब यह दलहनों में भी गया है। हमें यहां यह समझना होगा कि आपूर्ति-मांग में असंतुलना क्यों हैं और यह असंतुलन कब तक जारी रहेगा।

गत दस वर्षों से खाद्यान्न उत्पादन क्षेत्र 120 मिलियन हेक्टेयर और 125 मिलियन हेक्टेयर के बीच सिमट गया है।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** जब तक वे न कहें तब तक मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता। मुझे खेद है। मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)*...*

**अध्यक्ष महोदय:** श्री प्रभुनाथ सिंह जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप बैठ जाइए। यह कार्य करने का कोई तरीका नहीं है।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** आप क्या कर रहे हैं? मैं नहीं जानता। क्या आप यह निदेश देना चाहते हैं कि मंत्री जी को कैसे जवाब देना चाहिए? तब, आप क्या कर रहे हैं? यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं केवल यह कह सकता हूं कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** इस महत्वपूर्ण मंच पर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की जा रही है और आप मंत्री महोदय को बोलने नहीं दे रहे हैं।

*...(व्यवधान)*...*

**अध्यक्ष महोदय:** इस शोरगुल में किसी को कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है।

मैं सभी नेताओं से अपील कर रहा हूं कि वे अपने सदस्यों को नियंत्रित करें। एक मंत्री आम जनता से जुड़े

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले पर वाद विवाद का जवाब दे रहा है और आप उन्हें नहीं सुन रहे हैं। क्या सभा के कार्य करने का यही तरीका है? मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** मुझे खेद है, मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। कृपया कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित न करें।

*(व्यवधान)**...

**अध्यक्ष महोदय:** यदि आप उन्हें नहीं सुनना चाहते, तो मैं वाद-विवाद को समाप्त कर दूंगा।

*...(व्यवधान)*

**श्री राजीव रंजन सिंह "ललन"** (बेगूसराय): वे महंगाई का बचाव कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** आप क्या बोल रहे हैं?

*...(व्यवधान)*

**श्री पी. चिदम्बरम:** महोदय, यदि मैं कारण बताता हूं, कि महंगाई क्यों है, तो वे कह रहे हैं कि मैं महंगाई को न्यायोचित ठहरा रहा हूं। उन्हें समझना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूं। वे जानना चाहते थे कि महंगाई क्यों है। मैं उन्हें बताने का प्रयास कर रहा हूं कि महंगाई क्यों है और उसे नियंत्रित करने के लिए हम क्या कदम उठा रहे हैं *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** मुझे लग रहा है कि सदस्यगण मंत्रीजी को सुनने के इच्छुक नहीं हैं। यह हमारे बीच एक बीमारी की तरह फैल गया है।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** यदि वे अनुमति दे, तभी मैं अनुमति दूंगा। आप जानते ही हैं कि संसदीय वाद विवाद किस प्रकार संचालित किया जाता है।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री प्रभुनाथ सिंह** (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के इस प्रकार के उत्तर से तो प्राइस राइज को और बढ़ावा मिलेगा। इसलिए हम लोग सदन से बहिर्गमन करते हैं।

**अपराह्न 3.26 बजे**

*(इस समय श्री प्रभुनाथ सिंह, श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)*

*[अनुवाद]*

**श्री अनंत कुमार** (बंगलौर दक्षिण): वे महंगाई का बचाव कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

**श्री पी. चिदम्बरम:** कोई भी महंगाई का बचाव नहीं कर रहा है...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** कृपया कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित न करें।

*...(व्यवधान)**...

**श्री पी. चिदम्बरम:** महोदय, दोहराने का जोखिम उठाते हुए, मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी महंगाई का बचाव नहीं कर रहा है। यदि माननीय सदस्यगण उन कदमों के बारे में जानना चाहते हैं, जो सरकार उठा रही है और यदि वे सुझाना चाहते हैं कि सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, तो मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि पहले हमें यह समझने का प्रयास करना चाहिए - और मैं अपनी पूरी योग्यता के साथ यह स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूं - कि यह महंगाई क्यों हुई है और तब मैं उनको बताऊंगा कि हम क्या उपाय कर रहे हैं...*(व्यवधान)* मुझे खेद है, यह ठीक नहीं है...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** यदि आपने फैसला सुना दिया है कि यह गलत नीतियों के कारण हुआ। तो मंत्री महोदय को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है।

*...(व्यवधान)*

**श्री पी. चिदम्बरम:** महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि वे जानना नहीं चाहते कि ऐसा क्यों हो रहा है...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** कृपया कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित न करें।

*(व्यवधान)**...

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्ष महोदय:** वित्त मंत्री महोदय, जब तक आप बोलना समाप्त नहीं करते, मैं किसी को अनुमति नहीं दूंगा।

**श्री पी. चिदम्बरम:** मैं अवसर नहीं दे रहा हूं।

**अध्यक्ष महोदय:** कृपया अपना उत्तर जारी रखें।

*[हिन्दी]*

**प्रो. रासा सिंह रावत** (अजमेर): अध्यक्ष महोदय,...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** यह बहुत दुख की बात है कि इतने सीनियर मैम्बर भी बैठे-बैठे इंटरप्ट करते हैं।

*[अनुवाद]*

**श्री पी. चिदम्बरम:** महोदय, यदि हम इन तथ्यों को नजर अंदाज कर दें तो हमें इसका उत्तर नहीं मिल पाएगा। ये ऐसे तथ्य हैं जो हमारे बिल्कुल सामने खड़े है। हम इनके प्रति आंखें नहीं मूंद सकते। ये इसके मूल कारण हैं। हमें इधर-उधर के कारणों पर नहीं बल्कि मूल कारणों पर विचार करना चाहिए। मैं मूल कारणों की व्याख्या करने की कोशिश कर रहा हूं तथा इन कारणों के समाधान करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूं।

सर्वप्रथम मैं विनम्रतापूर्वक यह कहना चाहता हूं कि कृपया मेरी बात सुने - कि खाद्यान्न के अंतर्गत क्षेत्र 120 मिलियन और 125 मिलियन हेक्टेयर के बीच अटक गया है। इसमें से वह क्षेत्र जहां गेहूं की खेती होती है 25 मिलियन और 27.5 हेक्टेयर के बीच रह गया है तथा वह क्षेत्र जहां धान की रोपाई होती है वह 41 मिलियन तथा 45 मिलियन हेक्टेयर के बीच रह गया है। पिछले दस सालों से यही स्थिति बरकरार है। बहिर्वासी वर्षों को छोड़कर गेहूं का उत्पादन 68 मिलियन तथा 73 मिलियन टन के बीच रुक गया है और चावल का उत्पादन 85 मिलियन और 91 मिलियन टन के बीच रुक गया है...*(व्यवधान)*

**श्री गुरुदास दासगुप्त** (पंसकुरा): इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?...*(व्यवधान)*

**श्री पी. चिदम्बरम:** मैं इसका उत्तर दूंगा...*(व्यवधान)* महोदय मैं उनका आभारी हूं कि वह यह पूछ रहे है कि प्रगतिरोध क्यों हो गया है। परन्तु कम से कम मुझे आधारभूत कार्य तो करने दें। अब मैं इस पर विचार करूंगा कि यह प्रगतिरोध क्यों है।

महोदय, उत्पादकता में भी प्रगतिरोध आ गया है। गेहूं के मामले में पिछले 10 सालों से उत्पादकता 2700 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर पर रुकी हुई है और चावल के मामले में यह लगभग 1,950 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर है। ये कृषि में संरचनात्मक मुद्दे हैं...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** मंत्री महोदय, इसका उत्तर न दें। मैं एक बार पुनः माननीय सदस्यों से मंत्री जी को बाधित न करने का अनुरोध करता हूं। यदि मुझे लगता है कि सदस्य उनकी बात सुनना नहीं चाहते तो मैं वाद-विवाद बन्द कर दूंगा।

**श्री पी. चिदम्बरम:** कृषि में संरचनात्मक मुद्दों का हल केवल तभी किया जा सकता है जब हम सिंचाई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र को बढ़ाएं तथा सिंचाई सुविधाएं बढ़ाएं, नए बीज लायें, उर्वरकों के प्रयोग को बुद्धिसंगत बनाएं, भण्डारण एवं फसल उपरांत सुविधाएं बढ़ाएं, उत्पादन एवं उत्पादकता में सुधार लाएं। हमारी कृषि को प्रभावित करने वाली समस्याओं का हल कम अवधि में नहीं हो सकते। इसके लिए दीर्घावादी समाधान की आवश्यकता है। इन संरचनात्मक कमियों तथा संरचनात्मक कठिनाइयों को देखते हुए हम मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं, मैं कुछ क्षणों में इसकी बात करूंगा।

तीसरा कारण जो आपको चकित कर सकता है, वह है सरकारी व्यय में बढ़ोतरी तथा तर्कसंगत रूप से यह संप्रग सरकार के अग्रणी कार्यक्रमों के कारण है तथा राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अंतर्गत सामाजिक क्षेत्र, विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य में व्यय को बढ़ाने की वचनबद्धता के कारण है। कई क्षेत्रों में सरकारी व्यय दुगुना या तिगुना हो गया है।

व्यय बढ़ाने से मांग भी बढ़ती है। जब आपूर्ति में प्रगतिरोध होता है और मांग बढ़ती है तो कीमतों पर भी असर पड़ता है। हमें इस बात को स्वीकार करना होगा की इस सरकारी व्यय के लिए संसद ने पूरे विवेक से मतदान किया है। सरकारी व्यय कम करने के लिए हमने कोई उपाय नहीं किए हैं क्योंकि इससे गरीबों पर असर पड़ेगा तथा शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क निर्माण कार्यक्रम उपेक्षित होंगे।

वर्ष दर वर्ष इस सभा ने अधिकाधिक सरकारी व्यय को मंजूरी दी है। मैं इस सभा में अधिकाधिक परिव्यय के साथ आया हूं। मैंने उन परिव्ययों को सही ठहराया। वे

जरूरी हैं, वे तर्कसंगत हैं। हमें यह समझना चाहिए कि इससे कीमतों पर असर पड़ेगा।

तीसरे कारण के अंतर्गत उदाहरण के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करते हैं। क्या गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाया जाना चाहिए या नहीं? इसे बढ़ाया जाना चाहिए। जब आप गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाते हैं जैसा कि हमने किया और इसे बढ़ाकर 850 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया, वास्तव में तीन वर्षों में हमने इसे बढ़ाया है...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा** (दक्षिण दिल्ली): 700 रुपये से 1400 सौ रुपये हो रहा है...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** जी नहीं जब तक वह आपकी बात नहीं स्वीकारते। मैं अनुमति नहीं दूंगा।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित न किया जाए।

*(व्यवधान)*...*

**श्री पी. चिदम्बरम:** मैं मोहम्मद सलीम जी से अनुरोध करूंगा कि वह कारणों को समझने का प्रयास करें...*(व्यवधान)* उन्हें कोई दोष नहीं दे रहा...*(व्यवधान)* हम यही कहने का प्रयास कर रहे हैं कि ये वही कारण है...*(व्यवधान)* महोदय, अभी-अभी आपने सुना...*(व्यवधान)*

**मोहम्मद सलीम** (कलकत्ता-उत्तर पूर्व): महोदय हम इसके विरोध में बहिर्गमन कर रहे हैं।

**अपराह्न 3.32 बजे**

*(इस समय मोहम्मद सलीम और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)*

*[हिन्दी]*

**श्री मोहन सिंह** (देवरिया): महंगाई को मंत्री जी जस्टीफाई कर रहे हैं। 1200 रुपये क्विंटल पर बाहर से अनाज मंगवा रहे हैं, इससे महंगाई तो बढ़ेगी ही...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*[अनुवाद]*

**श्री पी. चिदम्बरम:** इसे कोई उचित नहीं बता रहा ...*(व्यवधान)*

**श्री गुरुदास दासगुप्त** (पंसकुरा): महोदय, हम उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं इसलिए हम बहिर्गमन कर रहे हैं।

**अध्यक्ष महोदय:** वह सभी तथ्य बता रहे हैं।

**अपराह्न 3.33 बजे**

*(इस समय श्री गुरुदास दासगुप्त, श्री अनंत गंगाराम गीते और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)*

**अध्यक्ष महोदय:** उनके बाहर जाने के बाद कुछ शांति रखते हैं।

**श्री पी. चिदम्बरम:** महोदय, उन्हें मेरी बात सुननी चाहिए क्योंकि मैंने भी उनकी बात सुनी है...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा।

*(व्यवधान)*...*

**श्री पी. चिदम्बरम:** महोदय, मैं उनका उत्तर दूंगा। यदि वह छः वर्षों के आंकड़े चाहते हैं तो मैं उनको वो आंकड़े दूंगा *(व्यवधान)* कृपया पांच मिनट धैर्य रखें...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:** जब आप जानते थे तो आपने कॉमन मिनीमम प्रोग्राम में क्यों लिखा?...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री पी. चिदम्बरम:** महोदय, यदि श्री मल्होत्रा थोड़ा धैर्य रखें तो मैं उनकी सरकार में आंकड़ों की बात करता हूं...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** मैं समझता हूं बहुत हो गया।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं देता। वरिष्ठ सदस्य इस तरह व्यवहार कर रहे हैं।

*...(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**श्री किन्जरपु येरननायडु** (श्रीकाकुलम): क्या वह महंगाई से खुश हैं?

**श्री पी. चिदम्बरम:** क्या वह खुश हैं? मैं खुश नहीं हूं, वह खुश नहीं हैं।

**अध्यक्ष महोदय:** कृपया कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित न करें।

*(व्यवधान)*...*

**अध्यक्ष महोदय:** कृपया कोई प्रश्न न पूछें। वित्त मंत्री जी कृपया उन प्रश्नों का उत्तर न दें जिन्हें पूछने की अनुमति नहीं दी गई है।

*...(व्यवधान)*

**श्री पी. चिदम्बरम:** महोदय, उदाहरण के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करें। हमें इस बात का गर्व है और खुशी है कि हम 850 रुपये प्रति क्विंटल दे पाए हैं। यह 620 रुपये प्रति क्विंटल था और हमने उसे बढ़ा कर 850 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:** उसके साथ जोड़ने का कोई मतलब नहीं है...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** श्री मल्होत्रा, यह आपको शोभा नहीं देता है।

*[हिन्दी]*

यह अच्छा नहीं लगता है।

*[अनुवाद]*

आप प्रत्येक वाक्य का विरोध कर रहे हैं।

*...(व्यवधान)*

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:** महोदय, हम उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, अतः हम सभा से बहिर्गमन करते हैं।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अपराह्न 3.34 बजे**

*(इस समय प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा, श्री बृज किशोर त्रिपाठी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)*

**श्री पी. चिदम्बरम:** महोदय, श्री अनंत कुमार ने कुछ बड़े रोचक और विवादास्पद मुद्दों का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि अवधि...*(व्यवधान)* अब उन्हें इस बात को सुनना चाहिए...*(व्यवधान)* वह कहते हैं 1979-80 में, मेरे अनुमान से वह जनता पार्टी के शासन के संदर्भ में कह रहे हैं, कि हमने सबसे कम मुद्रास्फीति देखी। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि वर्ष 1979-80 में डब्ल्यू.पी.आई. मुद्रास्फीति 17.12 प्रतिशत थी जोकि उस दशक में सर्वाधिक थी...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** केवल वित्त मंत्री जी के वक्तव्य को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

*(व्यवधान)*...*

**श्री पी. चिदम्बरम:** महोदय, वाजपेयी जी और आडवाणी जी मेरी बात को सही सिद्ध करेंगे कि वर्ष 1979-80 में मुद्रास्फीति 17.12 प्रतिशत थी और इसके साथ ही जी.डी.पी. की विकास दर में भी कमी आई थी। जी.डी.पी. विकास दर (-)5.2 प्रतिशत थी...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** वित्त मंत्री जी आप अपना वक्तव्य जारी रखिए।

**श्री पी. चिदम्बरम:** महोदय, इन्होंने मुझे इसका जिक्र करने के लिए उकसाया है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने मार्च 1980 में कांग्रेस को जबर्दस्त जीत दिलाई थी। उन्होंने मुद्रास्फीति को कम करने और देश को पुनः विकास के पथ पर लाने में दो वर्ष का समय लिया। इस कार्य में दो वर्ष का समय लगा। आप आंकड़े देखिए...*(व्यवधान)* आपने आंकड़ों की मांग की थी और आपको आंकड़े दिए जा रहे हैं। अब मैं राजग सरकार के बारे में बात करूंगा...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** लिखिए मत। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)*...*

**श्री पी. चिदम्बरम:** इसी तरह यह मिथक है कि राजग

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सरकार की शासन अवधि में कम मुद्रास्फिति देखी गई। मैं इस बात को सही नहीं ठहरा रहा हूं; मैं वाद-विवाद के प्वाइंट्स नहीं जोड़ रहा हूं; मेरा यह कहने का इरादा नहीं है। परंतु मुझ पर बार-बार ताना मारा जाता, मुझे उपायों की रूपरेखा प्रस्तुत करने से पूर्व कुछ आंकड़े देने हैं। मैंने एक से अधिक अवसर पर कहा है कि छह वर्षों में से तीन वर्षों में मुद्रास्फीति 5.4 प्रतिशत थी। यह वर्ष 1998-99 में 5.9 प्रतिशत, वर्ष 2000-01 में 7.2 प्रतिशत, वर्ष 2003-04 में 5.5 प्रतिशत थी। यदि श्री अनंत कुमार कहीं इस बात को सुन रहे हैं तो वह इसमें रूचि लेंगे। वर्ष 2000-01 में 52 में से 48 सप्ताहों में मुद्रास्फीति 6 प्रतिशत थी; उनमें से 22 सप्ताहों में यह 7 प्रतिशत थी; इनमें से 12 सप्ताहों के दौरान यह 8 प्रतिशत से अधिक थी; इस रिकार्ड पर गर्व नहीं किया जा सकता है। जैसे ही राजग सरकार 1 जून 2004 को त्यागपत्र दे रही थी तो मुद्रास्फीति पुनः 6 प्रतिशत पर पहुंच गई थी। मुद्रास्फीति के इन आंकड़ों को भी विकास के आंकड़ों से जोड़ा जाना चाहिए। राजग सरकार के पहले पांच वर्षों में जी.डी.पी. की औसत विकास दर 5.32 प्रतिशत थी। यदि हम छठे वर्ष को जोड़ें, जिसमें पिछले वर्ष में बहुत कम विकास के बाद अधिक विकास हुआ तो औसत केवल 5.85 प्रतिशत आती है। इस प्रकार राजग सरकार के कार्यकाल को कम से लेकर अधिक मुद्रास्फीति वाला कार्यकाल माना जा सकता है। ऐसा कैसा रिकार्ड है जिस पर वह गर्व करते हैं? मैं स्वीकार करता हूं कि गत वर्ष औसत मुद्रास्फीति 5.4 प्रतिशत थी यह बात मैंने बजट भाषण में कही थी। परंतु छह में से तीन वर्षों में यह 5.4 प्रतिशत से अधिक थी। उस वक्त किसी ने यह नहीं पूछा कि मुद्रास्फीति 5.4 प्रतिशत से अधिक क्यों है; किसी ने यह नहीं पूछा कि इस मुद्रास्फीति के क्या कारण हैं। क्या आपने यह नहीं कहा था कि मुद्रास्फीति के अधिक होने का कारण मांग का अधिक होना है? क्या आपने यह नहीं कहा था कि मुद्रास्फीति के अधिक होने का कारण वस्तुओं के मूल्य अधिक होना है? क्या आपने यह नहीं कहा था कि मुद्रास्फीति के अधिक होने का कारण उत्पादन और पूर्ति का कम होना है? आर्थिक कारणों में एक शासन से दूसरे शासन में कैसे परिवर्तन होता है? आर्थिक कारणों में एक प्रधान मंत्री से दूसरे प्रधान मंत्री से कैसे परिवर्तन होता है? हम यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि विश्व में भारत की अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है। हम कारणों को समझने के प्रयास कर रहे हैं और मैं यह स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूं कि इनमें से प्रत्येक कारण का निवारण कैसे किया जा रहा है।

महोदय, मैंने 1977-80 अथवा 1998-2004 के बारे में जो कहा मुझे उन तथ्यों से कोई राहत नहीं मिलती। मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हो रहा हूं। मैं वाजपेयी जी और आडवाणी जी को आश्वासन देता हूं कि मुझे इससे बिल्कुल कोई खुशी नहीं हो रही है। कुल मिलाकर मैं यह उल्लेख कर रहा हूं कि हमें यह समझने का प्रयास करना होगा कि मुख्य कारण क्या हैं? जब तक हम मुख्य कारणों का निवारण नहीं करेंगे, तब तक हम मूल्य वृद्धि को कम करके उस स्तर अर्थात 4 प्रतिशत से 4½ प्रतिशत तक के स्तर तक नहीं ला सकते जिसे कि आज के संतोषजनक स्तर के रूप में स्वीकार किया जाए।

मई, 2004 में संप्रग सरकार के सत्ता में आने के पश्चात् हमने जून, 2005 तक मुद्रास्फीति को कम करके 4.5 प्रतिशत तक लाने में सफलता प्राप्त की। अगले 12 महीनों के अधिकांश समय में यह लगभग 4.5 प्रतिशत बनी रही। वास्तव में यह अगस्त, 2005 में 3.3 प्रतिशत के स्तर तक पहुंची थी। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि जून 2006 के शुरू में डब्ल्यू.पी.आई. में वृद्धि हुई थी। हम यहां पर मूल्यवृद्धि के कारणों पर चर्चा कर रहे हैं और मैं मुद्रास्फीति को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का वर्णन करने का पूरा प्रयास करूंगा। मैं यह भी बता दूं कि फरवरी-मार्च में डब्ल्यू.पी.आई. 6.5 प्रतिशत के उच्चतम स्तर तक पहुंचा डब्ल्यू.पी.आई. भी कम होता प्रतीत हो रहा है। 28 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में डब्ल्यू.पी.आई. 5.66 प्रतिशत था। यह अब तक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बताई गई रेंज से ऊपर है; मेरे अनुसार यह अब भी भारत की जनता के वहनीय स्तर से ऊपर है। मुद्रास्फीति को कम करके 5 प्रतिशत और 4.5 प्रतिशत के निकट लाने के लिए प्रत्येक प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं, कि संप्रग सरकार के तीन वर्षों में की औसत 8.6 प्रतिशत रही थी, जोकि राजग सरकार अथवा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से किसी दशक में औसत विकास से पूरे तीन प्रतिशत पाइंट अधिक है।

मैंने तीन कारण बताए हैं। मैं तत्काल यह कहता हूं कि चौथा कारण यही है। जी.डी.पी. की विकास की इस उच्च दर से वस्तुओं और सेवाओं की अधिक मांग में तेजी आई है। यह बात ऋण की अधिक वृद्धि में और इस तथ्य से प्रतिबिंबित हुई है कि अनेक उद्योग लगभग पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए सीमेंट को लीजिए। परिणामतः मूल्य निर्धारण शक्ति विनिर्माताओं और विक्रेताओं के पास वापस आ गई है।

[श्री पी. चिदम्बरम]

अंततः, मैं भारी पूंजी प्रवाह के विषय पर आता हूं। मुझे यकीन है कि जैसा कि अनेक करते हैं यदि वे अपने मुखौटे उतारें और वास्तविक कारण को समझें तो वाजपेयी जी और आडवाणी जी समझ जाएंगे। देश में पूंजी प्रवाह पर दृष्टि डालिए।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वर्ष 2003-04 में 2.4 बिलियन से बढ़कर वर्ष 2004-05 में 3.7 तक और 2 वर्ष 2005-06 में 4.7 तक निवल रूप से बढ़ा है। भुगतान संतुलन के आधार वर्ष 2006-07 के पहले नौ महीनों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़कर 5.8 बिलियन हो गया और वर्षांत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 16 बिलियन हो गया। पूंजी खाते के विभिन्न मदों के अंतर्गत भारी प्रवाह के परिणामस्वरूप भारी पूंजी प्रवाह हुआ। उदाहरण के लिए विप्रेषण को लीजिए। गत वर्ष विप्रेषण का 26 से 28 बिलियन डालर होने का अनुमान कम है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 16 बिलियन डालर होने का अनुमान है, निर्यात से आय प्राप्त होती है, ई.सी.बी. आता है, और इसके परिणामस्वरूप भारतीय रिजर्व बैंक की विदेशी चालू आस्तियों में वर्ष 2006-07 में 46.8 बिलियन डॉलर की अभूतपूर्व वृद्धि हुई। जिसका मूल्यांकन लाभ 10.8 बिलियन है।

इन पांच कारणों से ही मूल्यों पर अधिक दबाव है। अधिक मांग, अधिक पूंजी प्रवाह और वस्तुओं के मूल्य। यह तथ्य कि सरकारी खर्च शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी फ्लैगशिप कार्यक्रमों में विशेष रूप से अधिक है और यह उचित है। हम इस खर्च को उचित मानते हैं। इन्हीं कारणों से मूल्यों पर दबाव है।

हम इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कर रहे हैं? केवल चार व्यापक उपाय हैं जिन्हें मूल्यों को कम करने के लिए किया जा सकता है। पहला राजकोषीय उपाय है। इस समय, कई राजकोषीय उपाय किए गए हैं। हमने सामान्य रूप से लागू 50 प्रतिशत के शुल्क के स्थान पर गेहूं के पांच प्रतिशत के निजी आयात की अनुमति दी, हमने इसे शून्य किया। दालों के आयात पर सीमाशुल्क को शून्य कर दिया गया है, पाम ऑयल पर आयात शुल्क में दो बार कटौती की गई है, पहले 10 प्वाइंट और फिर 12.5 पाइंट्स। हम प्रशुल्क मूल्य को बनाकर रखे हुए हैं। सीमेंट पर सीमा-शुल्क को शून्य कर दिया गया है। गैर-कृषि उत्पादों पर आधारभूत सीमा-शुल्क की पीक दर को घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है, चुनिंदा कच्चे माल और पूंजीगत वस्तुओं पर इसे घटाकर .5 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत कर दिया गया है। खाद्य तेलों पर अतिरिक्त सीमा-शुल्क और 'काउंटर-वेलिंग ड्यूटी' को हटा दिया गया है। सूर्यमुखी पर सीमा-शुल्क 10 परसेंटेज प्वाइंट तथा तत्पश्चात् 15 परसेंटेज प्वाइंट तक घटा दिया गया है। पेट्रोल तथा डीजल पर उत्पाद शुल्क में कमी की गई है। काफी ज्यादा संख्या में खाद्य उत्पादों पर उत्पाद शुल्क में कमी की गई है। अतएव, राजकोषीय दृष्टि से सीमा-शुल्क तथा उत्पाद शुल्क के संबंध में जो भी कदम उठाए जा सकते थे, उठाए गए तथा हम और राजकोषीय कदम उठाने को तैयार हैं यदि माननीय मंत्री के पास कोई सुझाव हों।

अब, मैं मौद्रिक उपायों की ओर आता हूं। भारतीय रिजर्व बैंक ने कई मौद्रिक उपाय किए हैं। नकदी आरक्षी अनुपात को छह बार - 23 दिसंबर, 6 जनवरी, 17 फरवरी, 3 मार्च, 19 अप्रैल तथा 28 अप्रैल को 25 बेसिस प्वाईंट तक बढ़ाया गया - तथा यह 6.5 प्रतिशत तक पहुंच गया। 2006-07 में रेपो दर पांच बार बढ़ायी गयी जो प्रत्येक बार 25 बेसिस प्वाईंट बढ़ाते हुए 7.75 प्रतिशत तक पहुंच गयी।

भारतीय रिजर्व बैंक ने कई क्षेत्रों के लिए जोखिम दर में भी वृद्धि की है। वर्ष-दर-वर्ष, ऋण 30 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है, गैर खाद्य ऋण 30 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इसमें सुधार किया है क्योंकि हम कुछ क्षेत्रों में 'ओवररीटिंग' नहीं चाहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक वृद्धि को बिना प्रभावित किए इसमें सुधार ला रहा है।

इस प्रकार, मौद्रिक उपाय किए गए हैं। हम अनुवर्ती मौद्रिक कदम उठाने को तैयार हैं तथा हम और मौद्रिक उपाय करेंगे। लेकिन राजकोषीय और मौद्रिक कदम मध्यम से दीर्घावधि में सफल होते है। तत्काल समस्या यह है कि आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाये। जब तक गेहूं, चीनी, दाल, चावल तथा दूध की आपूर्ति बढ़ाई नहीं जाती है, तब तक मुद्रास्फीति में कमी नहीं होगी। उदाहरण के तौर पर चीनी को लें। यह सटीक उदाहरण है। गन्ने की खराब फसल के कारण चीनी कम हुई इसलिए चीनी का मूल्य अधिक है। लेकिन गत वर्ष क्या हुआ? गन्ने की बहुत आधी फसल हुई। अब किसान कह रहे हैं कि फैक्ट्री द्वारा गन्ने को नहीं लिया जा रहा है। एक या दो किसानों ने कथित रूप से आत्महत्या कर ली क्योंकि गन्ना फैक्ट्री द्वारा नहीं लिया जा रहा है। गन्ना प्रचुर मात्रा में है तथा चीनी का मूल्य गिर गया। चीनी का मूल्य चार रुपये प्रति किलो तक घट गया। भारत ने कई भागों में, आज चीनी का खुदरा मूल्य लेवी

चीनी के लिए अदा किए जाने वाले मूल्य से कम है तथा चीनी मिल वाले कह रहे हैं: "हमें हानि होने वाली है। हम गन्ने के किसान को पैसे अदा नहीं कर पाएंगे।" चाहे जैसा भी हो, वह एक पृथक मामला है जिस पर कृषि मंत्रालय ध्यान दे रहा है।

केवल आपूर्ति ही आवश्यक खाद्य वस्तुओं की मूल्यों को संतुलित करेगी। हमें गेहूं, दाल तथा खाद्य तेलों की आपूर्ति को बढ़ाना होगा। हमने क्या किया है?

राज्य व्यापार निगम ने गत वर्ष 55 लाख टन गेहूं का आयात किया तथा इस वर्ष भी कृषि मंत्रालय ने यह पूरी तरह स्पष्ट कर दिया कि आपूर्ति बढ़ाने के लिए हम गेहूं का आयात करेंगे। फरवरी मार्च में खुला बाजार बिक्री के अंतर्गत चार लाख टन गेहूं जारी करने का निर्णय लिया गया था। 22 जून, 2006 से दाल के निर्यात पर तथा 9 फरवरी, 2007 से गेहूं तथा 'स्किम्ड मिल्क पाउडर' के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नैफेड ने 49,300 टन दाल के आयात का ठेका किया है। समूची मात्रा जुलाई-अक्तूबर के बीच प्राप्त कर ली गई। दाल की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए नैफेड ने दिसंबर, 2006 में 30,000 टन दाल आयात करने का नया ठेका किया जिसमें 26,837 टन 26 अप्रैल, 2007 तक जहाज द्वारा आ चुकी हैं तथा 2007-08, चालू वर्ष के दौरान, सरकारी क्षेत्र की एजेन्सियों 15 लाख टन अतिरिक्त दाल आयात करेगा।

कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता में लगातार सुधार के लिए बजट में संशोधित प्रशिक्षण तथा दौरा प्रणाली के माध्यम से सिंचाई, उन्नत बीजों की उपलब्धता संस्थागत ऋण तथा उर्वरक बढ़ाने तथा नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने में गति लाने के कई उपायों का प्रस्ताव किया है।

हम आपूर्ति बढ़ाने के लिए प्रत्येक कदम उठा रहे हैं। दाल का उदाहरण लें। बहुत कम ऐसे देश हैं जो भारत में खपत होने वाली दाल का उत्पादन करते हैं। केवल म्यांमार, तुर्की तथा कनाडा में कुछ 'चिकपी' तथा आस्ट्रेलिया की कुछ दालें हैं। ये देश कुछ ही मात्रा में हमें दाल दे सकते हैं। हमने दाल, खाद्य तेल तथा गेहूं की आपूर्ति बढ़ाने के लिए प्रत्येक कदम उठाया है। जैसाकि गेहूं की नई फसल आई है तथा आगे आएगी तथा दाल की नई फसल आएगी, मुझे विश्वास है कि आवश्यक खाद्य वस्तुओं का मूल्य संतुलित हो जायेगा।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा खाद्य राजसहायता के बारे में कुछ प्रश्न थे। कृपया मुझे इसका उत्तर देने दें। माननीय सदस्यों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुद्दा उठाया है। मैं आपसे इन आंकड़ों की ओर देखने के लिए कहूंगा। मेरे पास बी.पी.एल., ए.पी.एल. तथा अन्त्योदय अन्न योजना के लिए सभी राज्यों को गेहूं तथा चावल के आवंटन तथा 2002-2003 से 2006-07 के लिए पांच वर्षों के आबंटन की तुलना में इन्हें उठाने के आंकड़ा है। 2002-2003 से शुरू होकर आबंटन की तुलना में चावल तथा गेहूं के उठाने का प्रतिशत क्रमशः 27.2, 33.8, 41.4, 43.6 तथा गत वर्ष 54.6 प्रतिशत था। तथापि, अधिकांश उठाई गई मात्रा आबंटन का केवल 54.6 प्रतिशत रही। मुझे आशा है कि मैं स्पष्ट हूं। हम खाद्यान्न आवंटित करते हैं लेकिन वह केवल एक हिस्सा उठाते हैं। गत वर्ष सबसे अधिक उठाई गई मात्रा 54.6 प्रतिशत रही। सबसे अधिक उठान 2006-07 में था तथा इसके अनुसार 434 लाख टन चावल आबंटित किया गया तथा केवल 212 लाख टन चावल उठाया गया तथा 146 लाख टन गेहूं आबंटित किया गया तथा केवल 104 लाख टन गेहूं उठाया गया। अतएव, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पर्याप्त मात्रा आवंटित नहीं करने का कोई प्रश्न नहीं है। समस्या दूसरी ओर है। राज्य आबंटन की अधिक मात्रा उठाएं तथा कुशलतापूर्वक खाद्यान्न का वितरण करें।

महोदय, आपको याद होगा कि एक मांग की गई थी - आप जमाखोरी विरोधी कार्यवाही क्यों नहीं करते हैं? हमने सभी मुख्यमंत्रियों को लिखा कि कृपया जमाखोरी विरोधी कार्यवाही करें। केवल सात राज्यों ने कार्यवाही की है। ये कौन-कौन से राज्य हैं? तीन राज्य - हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र तथा आन्ध्र प्रदेश ने कार्यवाही की है तथा उन्होंने जमाखोरी विरोधी कार्यवाही की। दो राज्यों - पश्चिम बंगाल तथा केरल ने प्रतिक्रिया दर्शाई तथा जमाखोरी विरोधी कार्यवाही की। दिल्ली तथा गुजरात ने जमाखोरी विरोधी कार्यवाही की। मैं इसे राजनीतिक रंग नहीं दे रहा हूं। राजनीतिक परिदृश्य स्पष्ट है। चार राज्यों, दो राज्यों तथा एक राज्य ने जमाखोरी विरोधी कार्यवाही की। अन्य राज्यों के बारे क्या हुआ? वे क्यों नहीं जमाखोरी विरोधी कार्यवाही कर रहे हैं? राज्यों को एकसमान शक्ति मिली हुई है। वही अधिनियम लागू होता है। लेकिन वे जमाखोरी विरोधी कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। हम केवल राज्यों को जमाखोरी कार्यवाही करने के लिए कह सकते हैं। मशीनरी तथा शक्तियां उनके पास हैं।

अतएवं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पर्याप्त आबंटन नहीं करने का कोई प्रश्न नहीं है...*(व्यवधान)*

**श्री अधीर चौधरी** (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अन्न उठाने का ब्यौरा क्या है? ...*(व्यवधान)*

**श्री पी. चिदम्बरम:** मैंने आपको आंकड़े दे दिए हैं ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** उन्होंने जानकारी नहीं दी।

**श्री पी. चिदम्बरम:** मैं आपको यह बाद में दूंगा।

तब प्रश्न था - हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मूल्यों का क्या कर रहे हैं। कृपया मुझे यह स्पष्ट करने दें। गत बार 1 जुलाई, 2002 को सार्वजनिक वितरण प्रणाली मूल्य का संशोधन किया गया था।

आज चावल या आर्थिक मूल्य 13.95 रु. प्रति कि.ग्रा. है। हम इसे ए.पी.एल. में 795, बी.पी.एल. में 5.65 तथा अंत्योदय में 3 रु. प्रति कि.ग्रा. की दर से जारी कर रहे हैं। गेहूं का आर्थिक मूल्य 11.64 रु. प्रति कि.ग्रा. है। हम इसे ए.पी.एल. में 6.10, बी.पी.एल. में 4.15 तथा अन्त्योदय में 2 रु. प्रति कि.ग्रा. जारी कर रहे हैं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम इसे मूल्य को रोकने के लिए कर रहे हैं ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेहूं तथा चावल जुलाई, 2002 में संशोधित मूल्य पर उपलब्ध हों। हम मूल्य नहीं बढ़ा रहे हैं। यदि वे और मात्रा में अन्न उठाते तथा इस मूल्य पर वितरित करते तो मूल्य का संतुलन बनाने में और मदद मिलती। अतएव, ऐसा क्या है जो केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को मूल्य वृद्धि रोकने में सहायता नहीं कर रही है?

तब कुछ प्रश्न थे कि राजसहायता का बिल कम हो गया है। यह अतिशयोक्ति है। राजसहायता प्रति वर्ष 25,000 करोड़ के आस पास रही है। जबकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उठाई गई मात्रा बढ़ी है, जैसा मैंने आंकड़े दिए हैं, ऐसा लगता है कि खाद्य राजसहायता लगभग एकसमान रही है। इसका कारण है कि खाद्य राजसहायता में खाद्य भंडार का परिवहन लागत शामिल होता है। चूंकि सार्वजनिक भंडार में खाद्य का भंडार गत दो वर्षों में कम हुआ है, परिवहन लागत में कमी हुई है तथा इसलिए राजसहायता बिल एकसमान रहे हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि हमने उपभोक्ता के लिए राजसहायता में कमी कर दी है। उपभोक्ता को दी जाने वाली राजसहायता वही है जो आंकड़े मैंने अभी पढ़े हैं। उपभोक्ता को दी जाने वाली राजसहायता यथावत है। वस्तुत: राजसहायता बढ़ी है; खाद्य का स्टॉक कम हो गया है और परिवहन लागत कम हो गई है। यही पहला कारण है।

दूसरा कारण यह है कि भारतीय खाद्य निगम अपने संचालनों का अधिक कुशलता से वित्त पोषण कर रहा है। अतएव, यह 'ब्याज' शीर्ष में बचत दिखाने में कामयाब हुआ है।

महोदय, पी.डी.एस. में रिसाव और विपथन के बारे में कुछ प्रश्न थे। स्वतंत्र फीडबैक प्राप्त करने के लिए सरकार ने दो मूल्यांकन अध्ययन शुरू कराए - एक योजना आयोग के पी.ई.ओ. द्वारा और दूसरा ओ.आर.जी. - एम.ए.आर.जी. द्वारा। ये अध्ययन क्रमश: मार्च एवं सितंबर 2005 में प्राप्त हुए। इस अध्ययन की रिपोर्ट सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को भेजी गई। राज्य खाद्य सचिवों और राज्य खाद्य मंत्रियों के चार क्षेत्रीय सम्मेलन और एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए गए। इन सम्मेलनों में हुई चर्चाओं और फीडबैक के आधार पर संयुक्त रूप से एक 9 सूत्री कार्य योजना तैयार की गई। विपथन की गुंजाइश को कम से कम करने के लिए की गई कार्रवाई की खाद्य विभाग द्वारा निरंतर समीक्षा की जाती है। विभाग ने गेहूं और चावल के आबंटनों और उठाव को सुसंगत बनाया है। खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, भारत सरकार के सचिव ने मार्च, 2007 में सभी मुख्य सचिवों को लिखा है जिसमें पी.डी.एस. को सुदृढ़ बनाने और उसके विस्तार की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि यद्यपि कीमतों में वृद्धि के कुछ कारण हमारे नियंत्रण से परे हैं, हमने मौद्रिक उपाय और वित्तीय उपाय किए गए हैं। मुद्रा स्फीति 5.4 प्रतिशत है। इन सभी उपायों के प्रभावी होने पर यह संतुलित हो जाएगी। लघु अवधि में सरकार आपूर्ति को बढ़ाने के लिए अपनी शक्तियों के भीतर सभी उपाय कर रही है और गेहूं, धाना चावल, चीनी, दूध, पाम ऑयल और खाद्य तेलों की आपूर्ति में वृद्धि हुई है। कीमतें नियन्त्रण में आएंगी जैसा कि हमने पहले किया है। चूंकि हमने 1980 और 2004-05 में कीमतों पर नियन्त्रण किया है, अत: मुझे विश्वास है कि जब ये उपाय प्रभावी होंगे जो आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में कमी आएगी।

---

अपराह्न 3.53 बजे

## विदाई उल्लेख

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** माननीय सदस्यों, चौदहवीं लोक सभा का दसवां सत्र 23 फरवरी, 2007 को आरंभ हुआ था और आज इसका समापन हो रहा है।

इस बजट सत्र का पहला भाग केन्द्रीय कक्ष में एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ आरंभ हुआ और यह 20 मार्च, 2007 को स्थगित हुआ। इस सत्र का दूसरा भाग 26 अप्रैल, 2007 को आरंभ हुआ।

इस सत्र के दौरान कुल 32 बैठकें हुई जो 119 घंटों से अधिक समय तक चली। इसमें से 17 बैठकें पहले भाग के दौरान और 15 बैठकें दूसरे भाग के दौरान हुई।

इस सत्र के दौरान 12 घंटे से अधिक समय तक चले वाद-विवाद के पश्चात् सभा ने 18 मार्च, 2007 को राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया।

बजट (रेल) और बजट (सामान्य) क्रमशः 26-2-2007 तथा 28-2-2007 को प्रस्तुत किए गए।

वर्ष 2007-2008 के बजट (रेल), वर्ष 2007-2008 के लिए लेखानुदानों की मांगों (रेल) और वर्ष 2006-2007 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेल) पर 12 घंटे 49 मिनट तक चली चर्चा के पश्चात् 9-3-2007 को अनुदानों की मांगों तथा संबंधित विनियोग विधेयकों तथा रेल अभिसमय समिति (2004) के पांचवें प्रतिवेदन की सिफारिशों के अनुमोदन के बारे में संकल्प पारित किए गए।

सभा में वर्ष 2007-2008 के बजट (सामान्य), वर्ष 2007-2008 की लेखानुदानों की मांगों तथा वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर भी 17 घंटे से अधिक समय तक चली चर्चा के पश्चात् 14-3-2007 को संबंधित विनियोग विधेयकों सहित उक्त मांगों को पारित किया गया।

सत्र के दूसरे भाग के दौरान वर्ष 2007-2008 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में श्रम और रोजगार मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर उन्हें पूरी-पूरी स्वीकृत किए जाने से पूर्व 15 घंटे 32 मिनट तक चर्चा की गयी। शेष मंत्रालयों की सभी बकाया अनुदानों की मांगों (सामान्य) को सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया गया तथा उन्हें 28 अप्रैल, 2007 को पूरी-पूरी स्वीकृत किया गया और संबंधित विनियोग विधेयक पारित किया गया। बाद में दो दिन तक 8 घंटे 44 मिनट तक चली चर्चा के पश्चात् 3 मई, 2007 को वित्त विधेयक, 2007 पारित किया गया।

इस सत्र के दौरान सभा ने 22 विधेयक पारित किए। इस सत्र के दौरान पारित महत्वपूर्ण विधेयकों में से कुछ ऐसे विधेयक हैं जिन्हें पहले जारी अध्यादेशों के स्थान पर लाया गया अर्थात् खेल प्रसारण सिगनल (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य हिस्सेदारी) विधेयक, 2007; बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2007; राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2007; कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2007; राष्ट्रीय कर अधिकरण (संशोधन) विधेयक 2007 और पारित किए गए अन्य विधेयक हैं:- राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी (जम्मू-कश्मीर पर विस्तार) विधेयक, 2007; केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) (संशोधन) विधेयक 2006; विद्युत (संशोधन) विधेयक 2007; संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक 2006 (अनुसूची का संशोधन)।

सभा में नियम 193 के अधीन वैश्विक तथा सामयिक महत्व के मामले "ग्लोबल वार्मिंग" पर 4 घंटे से अधिक समय तक सार्थक चर्चा हुई। सभा में मूल्यवृद्धि पर भी 2 घंटे तक चर्चा हुई। मैं ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे पर हुई चर्चा में सभी माननीय सदस्यों द्वारा निभाई गई अत्यन्त प्रभावी भागीदारी के लिए उनका धन्यवाद करता हूं।

चालू सत्र के दौरान ध्यानाकर्षण के रूप में तीन महत्वपूर्ण मामले उठाए गए जिसके उत्तर में संबंधित मंत्रियों ने वक्तव्य दिए। अन्य कई महत्वपूर्ण विषयों पर मंत्रियों द्वारा कुल 57 वक्तव्य दिए गए।

इस सत्र के दौरान गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य में गैर-सरकारी सदस्यों के 14 विधेयक पुरःस्थापित किए गए। कृषि कामगार कल्याण विधेयक नामक एक विधेयक पर, जिसका उद्देश्य कृषि कामगारों के कल्याण तथा उनके नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन तथा उससे संबंधित मामलों का उपबंध करना था, सार्थक वाद-विवाद के पश्चात् सभा की अनुमति से वापस ले लिया गया। एक अन्य विधेयक स्वरोजगार संवर्धन विधेयक, 2006, जिसका उद्देश्य शिक्षित बेरोजगार युवाओं में स्वरोजगार को प्रोत्साहन देना था, पर चर्चा पूरी नहीं हुई।

[अध्यक्ष महोदय]

गैर-सरकारी सदस्य के एक संकल्प जिसमें सरकार से व्यापक खाद्य और पोषण सुरक्षा योजना तैयार करने और उसे लागू करने के बारे में आग्रह किया गया था, पर आंशिक रूप से चर्चा हुई।

इस सत्र के दौरान 621 तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध थे जिनमें से 75 प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए। इस प्रकार प्रतिदिन औसतन 2.34 प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए। 5928 अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर सभापटल पर रखे गए।

इस सत्र के दौरान विभागों से सम्बद्ध स्थायी समितियों ने 67 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए।

सदस्यों द्वारा प्रश्नकाल के पश्चात् और देर रात तक बैठकर अविलम्बनीय लोक महत्व के 156 मामले उठाए गए। माननीय सदस्यों ने नियम 377 के अधीन भी 324 मामले उठाए।

इस सत्र के दौरान व्यवधान और मजबूरन सभा की कार्यवाही स्थगित किए जाने के कारण 73 घंटों से अधिक समय की बर्बादी हुई। सभा की बैठकें कुल 19 घंटे और 51 मिनट देर तक चलीं।

मैं यहां इस बात पर पुनः बल देता हूं कि संसदीय लोकतंत्र के प्रभावी कार्यकरण के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण है कि सभा के सभी वर्ग चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लें खासतौर पर तब जब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मामलों पर चर्चा हो रही हो। तथापि, मेरी ओर से बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद सभा के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण विधायी और वित्तीय कार्य बिना चर्चा के सम्पादित करने पड़े। मैं यह स्वीकार करता हूं कि सदस्यों को किसी खास मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त करने का पूरा अधिकार है साथ ही मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं कि प्रक्रिया नियमों के दायरे में रहकर सभा में चर्चा करने के अलावा कोई बेहतर विकल्प या दूसरा उपाय नहीं है।

अंत में, मैं माननीय उपाध्यक्ष तथा सभापति तालिका के अपने सहयोगियों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने सभा का कार्य सम्पन्न करने में अपना सहयोग प्रदान किया। मैं माननीय प्रधानमंत्री, सदन के नेता, विपक्ष के नेता, संसदीय कार्य मंत्री, विभिन्न दलों तथा समूहों के नेताओं तथा मुख्य सचेतकों और माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए उनका अत्यंत आभारी हूं। मैं आप सभी की ओर से प्रेस तथा मीडिया के अपने मित्रों को भी धन्यवाद देता हूं। मैं इस अवसर पर महासचिव तथा लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा सभा की पूर्ण समर्पण तथा मुस्तैदी से की गयी सेवा के लिए उनका धन्यवाद करता हूं। मैं सभा की कार्यवाही के संचालन में अन्य सहायक एजेंसियों द्वारा दी गयी प्रशंसनीय सहायता के लिए भी उन्हें धन्यवाद देता हूं। अब 'वंदे मातरम' की धुन बजाई जाएगी, माननीय सदस्य कृपया खड़े हों।

**अपराह्न 4.00 बजे**

## राष्ट्रगीत

राष्ट्रगीत की धुन बजाई गई।

---

**अध्यक्ष महोदय:** सभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होती है।

**अपराह्न 4.01 बजे**

*तत्पश्चात् लोक सभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई।*

---

*अनुबंध-I*

*तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका*

| क्र.सं. | सदस्य का नाम | प्रश्न संख्या |
|---|---|---|
| 1. | श्री बालासाहिब विखे पाटील<br>श्री अजय चक्रवर्ती | 602 |
| 2. | श्रीमती करूणा शुक्ला<br>डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय | 603 |
| 3. | श्री पी.सी. थामस | 604 |
| 4. | श्री अजीत जोगी | 605 |
| 5. | श्री हंसराज गं. अहीर | 606 |
| 6. | श्री रघुनाथ झा | 607 |
| 7. | श्री एस.के. खारवेनथन | 608 |
| 8. | श्री पी.एस. गढवी | 609 |
| 9. | प्रो. रासा सिंह रावत | 610 |
| 10. | श्री आनदराव विठोबा अडसूल<br>श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव | 611 |
| 11. | श्री के.एस. राव | 612 |
| 12. | श्री मनोरंजन भक्त | 613 |
| 13. | श्री बालासोवरी वल्लभनेनी | 614 |
| 14. | श्री रामदास आठवले | 615 |
| 15. | श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर | 616 |
| 16. | श्री जीवाभाई ए. पटेल | 617 |
| 17. | श्री हरिकेवल प्रसाद<br>श्री एम. अंजनकुमार यादव | 618 |
| 18. | श्री वी.के. ठुम्मर<br>श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव | 619 |
| 19. | श्री एम. राजा मोहन रेड्डी | 620 |
| 20. | श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया | 621 |

*अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका*

| क्र.सं. | सदस्य का नाम | प्रश्न संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आरून रशीद, श्री जे.एम. | 5857 |
| 2. | अब्दुल्लाकुट्टी, श्री | 5792 |
| 3. | आचार्य, श्री बसुदेव | 5814 |
| 4. | अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा | 5850, 5890, 5916, 5929 |
| 5. | अहीर, श्री हंसराज गं. | 5848 |
| 6. | अजय कुमार, श्री एस. | 5788 |
| 7. | अप्पादुरई, श्री एम. | 5778 |
| 8. | आठवले, श्री रामदास | 5780 |
| 9. | बारड, श्री जसुभाई धानाभाई | 5761, 5767, 5788, 5839 |
| 10. | बखला, श्री जोवाकिम | 5813 |
| 11. | भड़ाना, श्री अवतार सिंह | 5764, 5795, 5857 |
| 12. | भक्त, श्री मनोरंजन | 5841, 5892, 5917 |
| 13. | बिश्नोई, श्री कुलदीप | 5748, 5829, 5880 |
| 14. | बोस, श्री सुब्रत | 5784 |
| 15. | चक्रवर्ती, श्री अजय | 5842, 5902, 5920, 5931 |
| 16. | चन्द्र कुमार, प्रो. | 5773 |
| 17. | चन्द्रप्पन, श्री सी.के. | 5777, 5811, 5870, 5904, 5922 |
| 18. | चिन्ता मोहन, डा. | 5799, 5860 |
| 19. | चित्तन, श्री एन.एस.वी. | 5798 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 20. | चौधरी, श्री पंकज | 5809, 5856 |
| 21. | चौधरी, श्री अधीर | 5759, 5791, 5867 |
| 22. | देवरा, श्री मिलिन्द | 5763, 5837, 5929 |
| 23. | देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र | 5782, 5843, 5869, 5903, 5921 |
| 24. | ढींडसा, श्री सुखदेव सिंह | 5787, 5893 |
| 25. | धोत्रे, श्री संजय | 5804, 5863, 5898 |
| 26. | गढ़वी, श्री पी.एस. | 5849 |
| 27. | गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव | 5790, 5819 |
| 28. | गंगवार, श्री संतोष | 5810, 5826 |
| 29. | गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव | 5804, 5863, 5898 |
| 30. | गेहलोत, श्री थावरचन्द | 5741 |
| 31. | गोयल, श्री सुरेन्द्र प्रकाश | 5765 |
| 32. | हसन, चौधरी मुनव्वर | 5743, 5873 |
| 33. | जगन्नाथ, डा. एम. | 5806, 5865, 5899 |
| 34. | जटिया, डा. सत्यनारायण | 5746 |
| 35. | जोगी, श्री अजीत | 5847 |
| 36. | जोशी, श्री कैलाश | 5755 |
| 37. | खैरे, श्री चंद्रकांत | 5791, 5818, 5885, 5890, 5916 |
| 38. | खां, श्री सुनील | 5797 |
| 39. | खन्ना, श्री अविनाश राय | 5760 |
| 40. | खारवेनथन, श्री एस.के. | 5827, 5879, 5910, 5927 |
| 41. | कौशल, श्री रघुवीर सिंह | 5758, 5836 |
| 42. | कृष्ण, श्री विजय | 5771 |
| 43. | कुरूप, एडवोकेट सुरेश | 5803 |
| 44. | 'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह | 5799, 5800, 5860, 5861 |
| 45. | लिब्रा, सरदार सुखदेव सिंह | 5816 |
| 46. | माधवराज, श्रीमती मनोरमा | 5762, 5926 |
| 47. | महताब, श्री भर्तृहरि | 5775, 5876, 5907, 5925 |
| 48. | माने, श्रीमती निवेदिता | 5790, 5819, 5875 |
| 49. | मेघवाल, श्री कैलाश | 5885, 5890, 5916 |
| 50. | मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद | 5776 |
| 51. | मिश्रा, डा. राजेश | 5779 |
| 52. | मोहले, श्री पुन्नूलाल | 5805 |
| 53. | मंडल, श्री अबु अयीश | 5789 |
| 54. | मुर्मू, श्री हेमलाल | 5781, 5845, 5901, 5919 |
| 55. | नायक, श्री अनंत | 5821 |
| 56. | निखिल कुमार, श्री | 5759, 5844, 5867 |
| 57. | ओराम, श्री जुएल | 5823 |
| 58. | ओवेसी, श्री असादूद्दीन | 5802, 5862, 5897 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 59. | पल्लानी शामी, श्री के.सी. | 5752, 5832, 5882, 5885, 5912 |
| 60. | पंडा, श्री ब्रह्मानन्द | 5807, 5866, 5900 |
| 61. | पाण्डा, श्री प्रबोध | 5817 |
| 62. | पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण | 5826, 5881, 5914, 5923 |
| 63. | परस्ते, श्री दलपत सिंह | 5757, 5929 |
| 64. | पासवान, श्री सुकदेव | 5780 |
| 65. | पटेल, श्री किसनभाई वी. | 5801, 5822, 5878, 5909 |
| 66. | पाटील, श्री बालासाहिब विखे | 5846 |
| 67. | पाटील, श्रीमती रूपाताई डी. | 5826, 5857, 5930 |
| 68. | पटले, श्री शिशुपाल एन. | 5874, 5906 |
| 69. | प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर | 5761, 5767, 5788, 5839 |
| 70. | प्रधान, श्री धर्मेन्द्र | 5826, 5857 |
| 71. | प्रसाद, श्री हरिकेवल | 5835, 5889 |
| 72. | राजगोपाल, श्री एल. | 5769, 5854 |
| 73. | रामकृष्णा, श्री बाडिगा | 5783, 5868 |
| 74. | राव, श्री के.एस. | 5834, 5891 |
| 75. | राठौड़, श्री हरिभाऊ | 5818 |
| 76. | रावले, श्री मोहन | 5772 |
| 77. | रेड्डी, श्री जी. करूणाकर | 5744, 5872 |
| 78. | रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी. | 5758 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 79. | रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु | 5768, 5859 |
| 80. | रिजीजू, श्री कीरेन | 5830 |
| 81. | साई प्रताप, श्री ए. | 5788 |
| 82. | सज्जन कुमार, श्री | 5795, 5857 |
| 83. | सरडगी, श्री इकबाल अहमद | 5751 |
| 84. | शर्मा, डा. अरुण कुमार | 5766, 5838, 5886, 5913, 5928 |
| 85. | सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव | 5774, 5852 |
| 86. | शाक्य, श्री रघुराज सिंह | 5781 |
| 87. | शांडिल्य, डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम | 5750 |
| 88. | शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील | 5824, 5850, 5877, 5890 |
| 89. | शिवन्ना, श्री एम. | 5745 |
| 90. | शिवनकर, प्रो. महादेवराव | 5820, 5874, 5906 |
| 91. | शुक्ला, श्रीमती करूणा | 5749, 5826, 5884, 5914 |
| 92. | सिद्दीश्वर, श्री जी.एम. | 5756, 5853, 5893 |
| 93. | सिंह, श्री चन्द्रभूषण | 5788, 5812 |
| 94. | सिंह, श्री चन्द्रभान | 5742 |
| 95. | सिंह, श्री कीर्ति वर्धन | 5819 |
| 96. | सिंह, श्री राकेश | 5753, 5755, 5864 |
| 97. | सिंह, श्री सुग्रीव | 5822, 5909 |
| 98. | सिंह, श्री उदय | 5791 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 99. | सुब्बा, श्री मणी कुमार | 5747, 5828 |
| 100. | सुगावनम, श्री ई.जी. | 5754, 5833, 5883, 5894, 5924 |
| 101. | सुमन, श्री रामजीलाल | 5800, 5861 |
| 102. | ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी. | 5851 |
| 103. | थामस, श्री पी.सी. | 5825, 5888, 5915 |
| 104. | ठुम्मर, श्री वी.के. | 5831 |
| 105. | त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि | 5749, 5830, 5881, 5911, 5930 |
| 106. | त्रिपाठी, श्री बृज किशोर | 5815, 5871, 5905, 5923 |
| 107. | वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी | 5840, 5887 |
| 108. | वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी. | 5808 |
| 109. | वर्मा, श्री रवि प्रकाश | 5824, 5850, 5877, 5908, 5926 |
| 110. | विरुपाक्षप्पा, श्री के. | 5793, 5855, 5895, 5918 |
| 111. | यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह | 5820 |
| 112. | यादव, श्री पारसनाथ | 5794 |
| 113. | यादव, श्री राम कृपाल | 5796, 5858, 5896 |
| 114. | यास्खी, श्री मधु गौड | 5770 |
| 115. | येरननायडु, श्री किन्जरपु | 5786, 5856 |

*अनुबंध-II*

*तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका*

| | | |
|---|---|---|
| नागर विमानन | : | 602, 605, 616 |
| संस्कृति | : | 610 |
| रक्षा | : | 607, 615 |
| खाद्य प्रसंस्करण उद्योग | : | 604 |
| भारी उद्योग और लोक उद्यम | : | 618 |
| अल्पसंख्यक मामले | : | |
| पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस | : | 611, 612, 617, 620 |
| रेल | : | 603, 608, 609, 614 |
| सामाजिक न्याय और अधिकारिता | : | 606, 621 |
| पर्यटन | : | 613, 619. |

*अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका*

| | | |
|---|---|---|
| नागर विमानन | : | 5741, 5742, 5743, 5748, 5750, 5758, 5767, 5768, 5769, 5770, 5771, 5777, 5781, 5787, 5788, 5798, 5813, 5825, 5829, 5839, 5840, 5842, 5880, 5887, 5892, 5897, 5904, 5913, 5924 |
| संस्कृति | : | 5751, 5766, 5775, 5782, 5783, 5785, 5786, 5790, 5832, 5836, 5841, 5846, 5848, 5879, 5882, 5886, 5888, 5893, 5929 |
| रक्षा | : | 5747, 5757, 5759, 5761, 5762, 5763, 5789, 5793, 5794, 5795, 5802, 5810, 5811, 5830, 5833, 5844, 5857, 5864, 5867, 5868, 5877, 5926, 5927 |
| खाद्य प्रसंस्करण उद्योग | : | 5784, 5909 |
| भारी उद्योग और लोक उद्यम | : | 5744, 5778, 5797, 5819, 5891 |
| अल्पसंख्यक मामले | : | 5779, 5860 |
| पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस | : | 5749, 5752, 5756, 5764, 5765, 5773, 5799, 5800, 5803, 5806, 5807, 5808, 5815, 5816, 5822, 5824, 5828, 5831, 5853, 5866, 5873, 5881, 5899, 5900, 5903, 5906, 5914, 5920, 5923, 5930, 5931 |

| | | |
|---|---|---|
| रेल | : | 5746, 5753, 5754, 5772, 5774, 5776, 5791, 5796, 5801, 5804, 5805, 5809, 5812, 5814, 5817, 5818, 5820, 5821, 5823, 5826, 5835, 5847, 5849, 5850, 5851, 5852, 5854, 5855, 5856, 5858, 5861, 5862, 5863, 5865, 5869, 5870, 5871, 5874, 5875, 5876, 5878, 5883, 5884, 5885, 5890, 5894, 5895, 5896, 5898, 5901, 5902, 5905, 5907, 5910, 5911, 5912, 5916, 5918, 5919, 5922, 5925, 5928 |
| सामाजिक न्याय और अधिकारिता | : | 5745, 5755, 5760, 5780, 5827, 5834, 5845, 5859, 5872, 5889, 5908, 5917 |
| पर्यटन | : | 5792, 5837, 5838, 5843, 5915. 5921. |

## इन्टरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http:#www.parliamentofindia.nic.in

## लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

## लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2007 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्ग
प्रकाशित और चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3 श्रीराम मार्ग, साउथ मौजपुर, दिल्ली-110 053 द्वारा मुद्रित।